वार्षिक रिपोर्ट 2012-13

योजना आयोग
भारत सरकार
www.planningcommission.gov.in

वार्षिक रिपोर्ट
2012-13

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
योजना आयोग
नई दिल्ली

वेबसाइट : **www.planningcommission.gov.in**

विषय सूची

अध्याय सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
अध्याय 1	भूमिका, गठन और कार्य	1-5
अध्याय 2	अर्थव्यवस्था और योजना : एक सिंहावलोकन	6-21
अध्याय 3	योजना	22-32
अध्याय 4	योजना आयोग के विभिन्न प्रभागों में प्रमुख कार्यकलाप	33-196
4.1	कृषि प्रभाग	33-34
4.2	सामाजिक न्याय एवं समाज कल्याण प्रभाग	34-43
4.3	भारत निर्माण	43-47
4.4	संचार तथा सूचना प्रोद्यौगिकी और सूचना (सी.आई.टी. एंड आई) प्रभाग	47-54
4.5	विकास नीति प्रभाग	54-56
4.6	प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डीबीटी)	56-60
4.7	शिक्षा प्रभाग	60-63
4.8	प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद्	63-65
4.9	पर्यावरण और वन प्रभाग	65-71
4.10	वित्तीय संसाधन प्रभाग	71-74
4.11	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण प्रभाग	74-81
4.12	आवास और शहरी मामला प्रभाग	81-85
4.13	उद्योग प्रभाग	85
4.14	आर्थिक प्रभाग	86-89
4.15	श्रम, रोजगार और जनसाधन प्रभाग	89-92
4.16	बहुस्तरीय योजना (एमएलपी) प्रभाग	92-95
4.17	अल्पसंख्यक प्रभाग	96-97
4.18	योजना समन्वय एवं प्रबंधन प्रभाग (पी.सी.एम.डी.)	97-98
4.19	विद्युत और ऊर्जा प्रभाग	98-101
4.20	परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग	101-106

अध्याय सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
4.21	भावी योजना प्रभाग	107-109
4.22	ग्रामीण विकास प्रभाग	109-111
4.23	विज्ञान और प्रोद्यौगिकी प्रभाग	111-112
4.24	सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) का विकास एवं अवसंरचना प्रभाग	112-118
4.25	राज्य योजना प्रभाग	118-119
4.26	पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास (डोनर)	119-121
4.27	अनुसंधान प्रभाग	121-126
4.28	परिवहन प्रभाग	126-130
4.29	पर्यटन प्रकोष्ठ	130
4.30	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण	130-141
4.31	ग्राम और लघु उद्यम प्रभाग	141
4.32	स्वैच्छिक कार्रवाई प्रकोष्ठ	141-144
4.33	जल संसाधन प्रभाग	144-150
4.34	महिला एवं बाल विकास प्रभाग	150-158
4.35	प्रशासन और अन्य सेवाएं	158-196
अध्याय 5	पी.ई.ओ. में निष्पादन का मूल्यांकन	197-203
अध्याय 6	सतर्कता क्रियाकलाप	204
संलग्नक-I	सी एंड ए जी की ऑडिट टिप्पणियाँ	205
संलग्नक-II	योजना आयोग का संगठन चार्ट	206

लघुरूप की सूची

1.	**जीडीपी**	सकल घरेलू उत्पाद
2.	**सीएडी**	चालू खाता घाटा
3.	**एफआईआई**	विदेशी संस्थागत निवेश
4.	**सीएसओ**	केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय
5.	**एमओएसपीआई**	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
6.	**एनएएस**	राष्ट्रीय लेखे सांख्यिकी
7.	**आईआईपी**	औद्योगिकी उत्पादन सूचक
8.	**डब्ल्युपीआई**	थोक कीमत सूचक
9.	**एमटीए**	मध्यावधि आकलन
10.	**जीडीपीएफसी**	कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद
11.	**जीडीपीएमपी**	बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद
12.	**पीई**	अनन्तिम अनुमान
13.	**क्युई**	तुरत अनुमान
14.	**एई**	अग्रिम अनुमान
15.	**जीडीएस**	सकल घरेलू बचत
16.	**जीसीएफ**	सकल पूंजी निर्माण
17.	**एफआरबीएम**	राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन
18.	**डीएसी**	कृषि और सहकारिता विभाग
19.	**आरई**	संशोधित अनुमान
20.	**बीई**	बजट अनुमान
21.	**आरबीआई**	भारतीय रिजर्व बैंक
22.	**एफडीआई**	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
23.	**पीएफआई**	पोर्टफोलियो निवेश
24.	**एनएसएसओ**	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय
25.	**एमआरपी**	मिश्रित स्मरण अवधि
26.	**पीएलबी**	गरीबी रेखा डाली

अध्याय–1
भूमिका, गठन और कार्य

1.1 योजना आयोग का गठन भारत सरकार के एक संकल्प के तहत मार्च, 1950 में किया गया था। यह राष्ट्रीय विकास परिषद के 3.3 समग्र मार्गदर्शन में कार्य करता है। पंचवर्षीय योजनाएं और वार्षिक योजनाएं तैयार करते समय योजना आयोग, केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ परामर्श करता है और उनके कार्यान्वयन पर भी निगरानी रखता है। आयोग शीर्ष स्तर पर एक सलाहकार योजना निकाय के रूप में भी कार्य करता है।

कार्य

1.2 भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961 के अनुसार योजना आयोग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं :

(क) देश की सामग्री, पूंजी और मानव संसाधनों का, तकनीकी कार्मिकों सहित, मूल्यांकन करना और इनमें से ऐसे संसाधनों की वृद्धि करने के लिए जो कम पाए जाएं, प्रस्ताव तैयार करना।

(ख) देश के संसाधनों के सर्वाधिक प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए योजना तैयार करना।

(ग) उन चरणों की परिभाषा करना जिन्हें प्रत्येक चरण की पूर्णता हेतु योजना की प्राथमिकताओं का निर्धारण और संसाधनों का आबंटन किया जाना चाहिए।

(घ) योजना के सभी पहलुओं की दृष्टि से योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक तंत्र की प्रकृति का विनिर्धारण करना।

(ङ) उन कारकों का निर्धारण करना जिनसे आर्थिक विकास में बाधा पहुंच रही है और उन स्थितियों का निर्धारण करना जिन्हें योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, स्थापित किया जाना चाहिए।

(च) योजना के प्रत्येक चरण के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का समय–समय पर मूल्यांकन करना और नीतियों तथा उपायों के समायोजन की सिफारिश करना जो ऐसे मूल्यांकन के अनुसार जरूरी समझे जाएं।

(छ) राष्ट्रीय विकास में जन सहयोग।

(ज) समय–समय पर अधिसूचित क्षेत्र विकास हेतु विशेष कार्यक्रम।

(झ) भावी योजना।

(ञ) जनसाधन अनुसंधान संस्थान।

(ट) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण।

(i) भारत के निवासियों के लिए विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी) के कार्यान्वयन और नीति निर्माण एवं योजना तथा इससे (यूआईडी) संबंधित सभी मामले।

(ii) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) और संबंधित मामले।

(ठ) राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए) से संबंधित सभी मामले।

(ड) स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय (पीईओ) से भी संबंधित सभी मामले।

आयोग का गठन

भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं और योजना आयोग का वर्तमान गठन (27 जुलाई, 2013 के अनुसार) इस प्रकार है:

1.	**डा. मनमोहन सिंह**	:	अध्यक्ष, प्रधानमंत्री
2.	**श्री मनटेक सिंह आहलुवालिया**	:	उपाध्यक्ष
3.	**श्री पी. चिदम्बरम**	:	सदस्य, वित्त मंत्री
4.	**श्री शरद पवार**	:	सदस्य, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
5.	**श्री सुशील कुमार शिन्दे**	:	सदस्य, गृह मंत्री
6.	**श्री मल्लिकार्जुन खारगे**	:	सदस्य, रेल मंत्री
7.	**श्री गुलाम नबी आजाद**	:	सदस्य, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री
8.	**श्री कमल नाथ**	:	सदस्य, शहरी विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री
9.	**श्री कपिल सिब्बल**	:	सदस्य, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री एवं विधि और न्याय मंत्री
10.	**श्री एम. एम. पल्लम राजू**	:	सदस्य, मानव संसाधन विकास मंत्री
11.	**श्री जयराम रमेश**	:	सदस्य, ग्रामीण विकास मंत्री
12.	**श्री राजीव शुक्ला**	:	सदस्य, संसदीय कार्य एवं योजना राज्य मंत्री
13.	**श्री बी. के. चतुर्वेदी**	:	सदस्य
14.	**प्रो. अभिजीत सेन**	:	सदस्य
15.	**डा. (सुश्री) सईदा हमीद**	:	सदस्य
16.	**डा. सौमित्र चौधरी**	:	सदस्य
17.	**डा. मिहिर शाह**	:	सदस्य
18.	**डा. नरेन्द्र जाधव**	:	सदस्य
19.	**डा. के. कस्तूरीरंगन**	:	सदस्य
20.	**श्री अरूण मायरा**	:	सदस्य

1.4 उपाध्यक्ष, योजना आयोग केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री दर्जे के हैं जबकि उपर्युक्त गठन के सभी पूर्णकालिक सदस्य (क्रम संख्या 13 से 20) केन्द्रीय राज्य मंत्री दर्जे के हैं।

1.5 योजना आयोग के अध्यक्ष के नाते प्रधानमंत्री सभी प्रमुख नीतिगत मुद्दों के संबंध में आयोग की बैठकों में भाग लेते हैं एवं मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

1.6 योजना आयोग के उपाध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य और सचिव विस्तृत योजना निर्माण कार्य के मामले में एक संहत निकाय के रूप में कार्य करते हैं। वे पंचवर्षीय योजनाओं के लिए दृष्टिकोण पत्र/प्रलेख और वार्षिक योजनाओं को तैयार करने, मध्यावधि मूल्यांकन करने के लिए की जाने वाली कार्रवाइयों में आयोग के विभिन्न विषय प्रभागों को निर्देशन, परामर्श एवं सलाह प्रदान करते हैं। योजना कार्यक्रमों, परियोजनाओं और स्कीमों के परिवीक्षण और मूल्यांकन कार्य हेतु भी विषय प्रभागों को उनका विशेषज्ञ मार्गदर्शन उपलब्ध होता है।

1.7 योजना आयोग अनेक विषय प्रभागों और कुछ विशेषज्ञ प्रभागों के माध्यम से कार्य करता है। प्रत्येक प्रभाग का प्रमुख एक वरिष्ठ स्तरीय अधिकारी होता है जो संयुक्त सचिव अथवा अपर सचिव के स्तर पर सलाहकार अथवा वरिष्ठ सलाहकार के रूप में पदनामित होता है और/अथवा सचिव स्तर का अधिकारी जिन्हें प्रधान सलाहकार के रूप में पदनामित किया गया है।

1.8 ये प्रभाग दो प्रमुख श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं :

(i) विशेषज्ञ प्रभाग जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के पहलुओं से संबंधित हैं, यथा भावी योजना, वित्तीय संसाधन, विकास नीति प्रभाग, आदि और

(ii) विषय प्रभाग, अर्थात् कृषि, मानव संसाधन, स्वास्थ्य, आवास प्रभाग आदि जो सम्बद्ध क्षेत्रों में विकास के विशिष्ट विषयों से सम्बद्ध हैं।

योजना आयोग में कार्यरत विशेषज्ञ प्रभाग इस प्रकार हैं:

I. विकास नीति और भावी योजना प्रभाग

II. वित्तीय संसाधन प्रभाग

III. आर्थिक प्रभाग

IV. श्रम, रोजगार और जनशक्ति प्रभाग

V. योजना समन्वय प्रभाग एवं प्रबंधन प्रभाग

VI. परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग

VII. अनुसंधान प्रभाग

VIII. राज्य योजना प्रभाग (द्वीप विकास प्राधिकरण प्रकोष्ठ सहित)

IX. विकेन्द्रीय योजना प्रभाग, पंचायती राज और विशेष क्षेत्र कार्यक्रम (पश्चिमी घाट सचिवालय सहित)

X. अवसंरचना, वित्त और सार्वजनिक निजी सहभागिता मूल्यांकन एकक।

XI. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रभाग।

विषय प्रभाग/प्रकोष्ठ इस प्रकार हैं :

क. कृषि प्रभाग

ख. सामाजिक न्याय एवं समाज कल्याण

ग. संचार, आईटी और सूचना प्रौद्योगिकी

घ. मानव संसाधन विकास प्रभाग

ङ पर्यावरण और वन प्रभाग (जलवायु परिवर्तन सहित)

च. स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और पोषण प्रभाग

छ. आवास और शहरी मामले प्रभाग

ज. उद्योग प्रभाग

झ. खनिज प्रभाग

ञ. अल्पसंख्यक कार्य प्रभाग

ट. गृह मंत्रालय प्रकोष्ठ

ठ. विद्युत और ऊर्जा प्रभाग

ड. ग्रामीण विकास प्रभाग

ढ विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रभाग

ण. परिवहन एवं पर्यटन प्रभाग

त. ग्राम और लघु उद्यम प्रभाग

थ. स्वैच्छिक कार्रवाई प्रकोष्ठ

द. जल संसाधन प्रभाग

ध. महिला एवं बाल विकास

उपरोक्त के अलावा, योजना आयोग को विभिन्न समितियों को सेवाएं प्रदान करनी होती है और/अथवा ऐसे विशिष्ट मुद्दों का समाधान करना होता है जो समय–समय पर इसे सौंपे जाएं।

1.9 कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ), योजना आयोग का एक अभिन्न अंग है जो चुनिंदा योजना कार्यक्रमों/स्कीमों के प्रभाव का जायजा लेने के लिए मूल्यांकन अध्ययन करता है, ताकि आयोजकों और कार्यान्वयन एजेंसियों को उपयोगी अभिपुष्टि (फीडबैक) उपलब्ध हो सके। दिल्ली में अपने मुख्यालय के अलावा, पीईओ के कुछ राज्यों की राजधानियों में सात क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय हैं तथा उनसे सम्बद्ध आठ फील्ड कार्यालय हैं।

1.10 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) का गठन जनवरी, 2009 में योजना आयोग के नियंत्रण में एक संबद्ध कार्यालय के रूप में किया गया। यूआईडीएआई की जिम्मेदारी होगी कि वह यूआईडी स्कीम के कार्यान्वयन के लिए योजना और नीतियां निर्धारित करे, इसका अपना यूआईडी डेटा बेस होगा जिसका वह प्रचालन करेगा और इसे सतत रूप से अद्यतन करने और उसके अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार होगा। यूआईडीएआई का मुख्यालय दिल्ली में है और आठ स्थानों पर इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

1.11 कृषि मंत्रालय से राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण का अंतरण योजना आयोग को करने से अब एनआरएए से संबंधित सभी मामले योजना आयोग द्वारा देखे जाएंगे।

1.12 स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय (आईईओ) योजना आयोग के अधीन एक संबद्ध कार्यालय है जो विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रमों, स्कीमों आदि का स्वतंत्र मूल्यांकन कार्य करता है, जो कार्य इसे विकास मूल्यांकन सलाहकार समिति (डीईएसी) या भारत सरकार द्वारा समय–समय पर सौंपे जाते हैं, जैसे भी हो।

1.13 जनसाधन अनुसंधान संस्थान (आईएएमआर) योजना आयोग, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संस्थान है जो योजना आयोग का एकमात्र थिंकटैंक है।

संस्थान के प्राथमिक उद्देश्यों में शामिल हैं, अनुसंधान, आंकड़ा संग्रहण और शिक्षा तथा मानव पूंजी योजना एवं मानव संसाधन विकास संबंधी पहलुओं के संबंध में प्रशिक्षण।

प्रशासन

1.14 योजना आयोग को भारत सरकार के विभाग का स्तर दिया गया है अतः भारत सरकार के नोडल विभाग – कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी सभी अनुदेश और प्रावधान जो विभिन्न सेवा नियमावली के तहत केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए रखे गये हैं वे ही योजना आयोग में कार्यरत कर्मचारियों पर लागू होते हैं। सामान्य रूप से प्रशासन इन दिशा निर्देशों और विभिन्न सेवा नियमों के अनुसार कार्य करता है। योजना आयोग यहां कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए संवेदनशील है और इस संबंध में समय–समय पर उचित कदम उठाता रहता है।

इसके साथ ही, प्रशासन अपने स्टाफ की संख्या को युक्तियुक्त रखने पर भी ध्यान देता है और सिविलियन पदों में सीधी भर्ती को इष्टतम बनाने के बारे में डीओपीटी द्वारा जारी किए गए निदेशों का सावधानीपूर्वक पालन कर रहा है। योजना आयोग ने स्नातकोत्तर/अनुसंधान छात्रों के लिए प्रशिक्षु स्कीम भी आरंभ की है ताकि उन्हें योजना प्रक्रिया से अवगत कराया जा सके।

अध्याय–2
अर्थव्यवस्था और योजना–एक सिंहावलोकन

अर्थव्यवस्था के निष्पादन की समीक्षा

2.1 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–08 से 2011–12) का उद्देश्य 9.0 प्रतिशत औसत वार्षिक विकास लक्ष्य के साथ, दसवीं योजना में प्राप्त 7.6 प्रतिशत विकास दर से काफी अधिक तीव्र तथा अधिक समावेशी विकास प्राप्त करना था। ग्यारहवीं योजना भली भांति शुरू हुई जबकि पहले वर्ष में 9.3 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त हुई, किन्तु, विश्व वित्तीय संकट के बाद विकास दर में कमी आई जो 2008–09 में 6.7 प्रतिशत हो गई। अर्थव्यवस्था में पर्याप्त रूप से बहाली आई जबकि 2009–10 और 2010–11 में विकास दर क्रमशः 8.6 प्रतिशत और 9.3 प्रतिशत हो गई। तथापि, यूरोप में राजकीय ऋण संकट के कारण 2011 में वैश्विक मंदी के दूसरे दौर और साथ ही कड़ी मौद्रिक नीति और आपूर्ति पक्ष बाधाओं जैसे घेरलू कारकों की वजह से 2011–12 में विकास दर कम होकर 6.2 प्रतिशत हो गई। परिणामतः, ग्यारहवीं योजना के दौरान 8 प्रतिशत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की औसत वार्षिक विकास दर प्राप्त हुई जो लक्ष्य से कम थी, किन्तु दसवीं योजना की उपलब्धि से बेहतर थी। क्योंकि इस अवधि के दौरान दो विश्व–संकट आए–एक 2008 में और एक अन्य 2011 में इसलिए 8 प्रतिशत की विकास दर को संतोषजनक कहा जा सकता है। तालिका 2.1 में ग्यारहवीं योजना के दौरान कारक लागत (जीडीपीएफसी) और बजट कीमतों (जीडीपीएमपी) पर वर्ष वार जीडीपी विकास दर दर्शाई गई है। जीडीपीएमपी में जीडीपीएफसी के अलावा निवल अप्रत्यक्ष कर (सब्सिडियों को घटाकर अप्रत्यक्ष कर) सम्मिलित हैं।

तालिका 2.1

2004–05 की कारक लागत और बाजार कीमतों पर जीडीपी की वृद्धि दर

वर्ष	जीडीपी$_{\text{एफसी}}$	जीडीपी$_{\text{एमपी}}$
2007.08	9.3	9.8
2008.09	6.7	3.9
2009.10 ^	8.6	8.5
2010.11 @	9.3	10.5
2011.12 *	6.2	6.3

* प्रथम संशोधित अनुमान (आरई), @ द्वितीय सं.अ. ^ तृतीय सं.अ.
स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ)

ख. विकास की क्षेत्रीय संरचना

2.2 ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र के संबंध में प्राप्त जीडीपी वृद्धि दर ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान अनुमानतः क्रमशः 3.7 प्रतिशत, 7.2 प्रतिशत और 9.7 प्रतिशत थी जबकि वृद्धि लक्ष्य क्रमशः 4 प्रतिशत, 10–11 प्रतिशत और 9–11 प्रतिशत था। कृषि क्षेत्रक में, जिसने 2007–08 में 5.8 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त की थी, 2008–09 में काफी कम होकर 0.1 प्रतिशत हो गई। यद्यपि, कृषि क्षेत्रक में विकास में उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि हुई जो सामान्य मानसून की वजह से 2009–10 में 0.8 प्रतिशत से 2010–11 में 7.9 प्रतिशत हो गई, यह कम होकर 2011–12 में 3.6 प्रतिशत हो गया। इस गिरावट को खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि में गिरावट की दृष्टि से बताया जा सकता है, जो कृषि और सहकारिता विभाग (डीएसी) द्वारा वर्ष 2012–13 के लिए खाद्यन्न के उत्पादन के द्वितीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार पिछले वर्ष

में 12.1 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 2011–12 में 6.1 प्रतिशत की दर से बढ़ा।

2.3 2009–10 और 2011–12 अवधि के दौरान औद्योगिक और साथ ही सेवा क्षेत्रक में भी मन्दी देखी गई। औद्योगिक क्षेत्रक में वृद्धि दर 2009–10 और 2010–11 में 9.2 प्रतिशत से कम होकर 2011–12 में 3.5 प्रतिशत हो गई। औद्योगिक क्षेत्रक में मन्दी मुख्यतः ''खनन और उत्खनन और विनिर्माण क्षेत्रक में वृद्धि निष्पादन में कमी होने के कारण थी जैसा कि औद्योगिक उत्पादन के सूचक (आईआईपी) में कमी से पता चलता है। आईआईपी में 2010–11 में 8.2 प्रतिशत से 2011–12 में 2.9 प्रतिशत तक की कमी दर्ज की गई जबकि खनन और विनिर्माण क्षेत्रकों के संबंध में आईआईपी 2010–11 में 5.2 प्रतिशत और 8.9 प्रतिशत से 2011–12 में क्रमशः (–)1.9 प्रतिशत और 3 प्रतिशत हो गया। यद्यपि ''खनन और उत्खनन'' क्षेत्रक के जीडीपी में वृद्धि 2010–11 में 4.9 प्रतिशत से 2011–12 में 0.6 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई, तथापि विनिर्माण क्षेत्रक की जीडीपी 2010–11 में 9.7 प्रतिशत से कम होकर 2011–12 में 2.7 प्रतिशत हो गई। यह गिरती प्रवृत्ति वैश्विक मन्दी के सतत प्रभाव और साथ ही घरेलू वृहद–आर्थिक प्राचलों में गिरावट को परिलक्षित करती है।

2.4 ग्यारहवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान सेवा क्षेत्रक में 10–10.5 प्रतिशत रेंज में अधिक समान रूप में और सतत ढंग से ऊंची वृद्धि देखी गई और इस प्रकार विकास की दर को बनाए रखने में मदद मिली। तथापि, सेवा क्षेत्रक, विश्व अर्थव्यवस्था में मंदी से अछूता नहीं रहा और वृद्धि 2010–11 में 9.8 प्रतिशत और 2011–12 में 8.2 प्रतिशत पर साधारण रही। सेवा क्षेत्रक में यह साधारणता प्रमुख रूप से व्यापार, होटल और रेस्त्रां तथा परिवहन, भण्डारण और संचार में गिरावट के कारण थी जो 2010–11 में 11.5 प्रतिशत से 2011–12 में 6.2 प्रतिशत और 2010–11 में 13.8 प्रतिशत से 2011–12 में 8.4 प्रतिशत हो गई यद्यपि अन्य उप–क्षेत्रकों में उक्त अवधि के दौरान सुधार हुआ। सेवा क्षेत्रक अब भी जीडीपी के विकास में एक बड़ा योगदानकर्ता बना हुआ है। ग्यारहवीं योजना के दौरान अर्थव्यवस्था का क्षेत्रकीय विकास निष्पादन नीचे तालिका 2.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2

क्षेत्रकीय विकास दर (% में) (2004–05 कीमतों पर कारक लागत पर)

वर्ष	कृषि	उद्योग	सेवाएं	जीडीपी
ग्यारहवीं योजना लक्ष्य	4.0	10.11	9.11	9.0
2007.08	5.8	9.7	10.3	9.3
2008.09	0.1	4.4	10.0	6.7
2009.10^	0.8	9.2	10.5	8.6
2010.11@	7.9	9.2	9.8	9.3
2011.12*	3.6	3.5	8.2	6.2
ग्यारहवीं योजना उपलब्धि	3.7	7.2	9.7	8.0

*प्रथम संशोधित अनुमान (आरई); @द्वितीय सं.अ. ^ तृतीय सं.अ.

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ)

ग. बारहवीं पंचवर्षीय योजना में विकास की संभावनाएं

2.5 भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और साथ ही आन्तरिक/बाह्य बाधाओं को भी स्वीकारते हुए बारहवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र, संधारणीय तथा अधिक समावेशी विकास प्राप्त करना है। इस संबंध में बारहवीं योजना में कहा गया है कि समावेशी विकास के परिणामस्वरूप गरीबी के भार में कमी, स्वास्थ्य परिणामों में व्यापक और महत्त्वपूर्ण सुधार, बच्चों के लिए शिक्षा की सर्वसुलभता, उच्च शिक्षा तक और अधिक पहुंच तथा शिक्षा के सुधरे स्तर, दक्षता विकास सहित, प्राप्त होने चाहिए। यह, मजदूरी रोजगार और आजीविका दोनों के लिए बेहतर अवसरों और पानी, बिजली, सड़कों, स्वच्छता और आवासन जैसी बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान में सुधार में भी परिलक्षित होना चाहिए।

2.6 बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–17), ग्यारहवीं योजना की तुलना में अधिक अनिश्चित मेक्रो–आर्थिक परिवेश में शुरू की गई है। राष्ट्रीय विकास परिषद (एन डी सी) द्वारा यथानुमोदित बारहवीं पंच वर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में पूर्वानुमान लगाया गया था कि 12वीं योजना अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था के संबंध में 9 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा जा सकता है बशर्ते कि समर्थनकारी नीतियॉ लागू की जाएं। तथापि, विश्व भर में अधिक आर्थिक अनिश्चितता और घरेलू अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव, जैसा कि 2012–13 की प्रथम दो तिमाहियों, अर्थात बारहवीं योजना के प्रथम वर्ष, के दौरान 5.5 प्रतिशत और 5.3 प्रतिशत की वृद्धि दर में परिलक्षित है, बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए विकास लक्ष्य अन्तिम रूप से अनुमोदित बारहवीं योजना में संशोधित करके 8 प्रतिशत कर दिया गया है।

2.7 सीएसओ द्वारा 7 फरवरी 2013 को जारी अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2012–13 के दौरान कारक लागत पर (स्थिर 2004–05 कीमतों पर) जीडीपी की विकास दर 5 प्रतिशत पर अनुमानित है जबकि 2011–12 में वृद्धि दर 6.2 प्रतिशत थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में पर्याप्त कमी का द्योतक है। जिन क्षेत्रकों में 5 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने का पूर्वानुमान है, वे हैं : ''निर्माण'' ''व्यापार, होटल, परिवहन और संचार'', ''वित्त पोषण, बीमा, स्थावर सम्पदा और व्यवसाय सेवाएं'' और ''सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएं''। ''कृषि, वानिकी और मात्स्यिकी में (1.8 प्रतिशत), विनिर्माण (1.9 प्रतिशत) और बिजली, गैस और जलापूर्ति (4.9 प्रतिशत) क्षेत्रकों में धीमा विकास हो सकता है। खनन और उत्खनन क्षेत्रक में (0.4 प्रतिशत) की वृद्धि होने का अनुमान है। औद्योगिक क्षेत्रक और सेवा क्षेत्रक में 2012–13 में 3.1 प्रतिशत और 6.6 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है जबकि 2011–12 के दौरान क्रमशः 3.5 प्रतिशत और 8.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इस प्रकार, ये सभी तीनों क्षेत्र 2012–13 के लिए अनुमानित जीडीपी विकास दर में कमी के लिए जिम्मेदार हैं।

2.8 यद्यपि यह सच है कि वर्तमान विश्व आर्थिक स्थिति के कारण वर्तमान वर्ष के दौरान 8 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त करना व्यवहार्य नहीं होगा। अगले दो वर्षों में उच्च विकास की दिशा में धीरे–धीरे दृढ़ता लाने की योजना तैयार करना और उसके बाद अर्थव्यवस्था को योजना के अन्तिम दो वर्षों में 9 प्रतिशत की वृद्धि की ओर ले जाना आवश्यक है। जीडीपी की वृद्धि दर मुख्यतः दो बुनियादी मूलाधारों पर निर्भर है, यथा बचत और निवेश दर। इन सभी क्षेत्रकों में अर्थव्यवस्था ने अच्छी प्रगति की है क्योंकि बचत और निवेश दरें जोरदार बनी हुई हैं। यद्यपि इतनी ऊँची नहीं जितनी कि 2008–09 और 2009–10 के दौरान प्राप्त हुई थी। उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था उच्च विकास मार्ग पर वापस लौट जाएगी और कुल मिलाकर, 12वीं योजना अवधि के दौरान 8 प्रतिशत वार्षिक औसत विकास दर का लक्ष्य प्राप्त करना कठिन हो सकता है किन्तु असम्भव नहीं।

2.9 बारहवीं योजना अवधि के दौरान 8 प्रतिशत के विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से, जीडीपी के लगभग 38–40 प्रतिशत की औसत निवेश दर की जरूरत होगी। इसी प्रकार, उच्च स्तर के निवेश के वित्त पोषण के उद्देश्य से, जीडीपी के लगभग 34–35 प्रतिशत की घरेलू बचत दर की जरूरत होगी। 2011–12 में घरेलू बचत का स्तर डीजीपी का लगभग 30.8 प्रतिशत होने का अनुमान है जिससे 12वीं योजना अवधि के दौरान उसमें पर्याप्त सुधार की आवश्यकता का पता चलता है। यद्यपि पारिवारिक बचतें जोरदार बनी हुई हैं तथापि निजी कारपोरेट क्षेत्रक द्वारा बचतों में कुछ कमी आई है और सरकारी बचतों में पर्याप्त कमी आई है। बारहवीं योजना अवधि के दौरान सरकारी बचतों में सुधार के लिए कार्यनीति अधिक कर जुटाने और राजस्व घाटे के स्तर को कम करने की होनी चाहिए। इसके अलावा उम्मीद है कि क्योंकि निवेश अवसरों में वृद्धि होगी, निजी क्षेत्रक की बचतों में वृद्धि हो सकती है। विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) और ऋण आप्रवाहों से बचत निवेश अन्तर को पाटने की महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाया जाना जारी रहेगा। फिर भी, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) आप्रवाहों द्वारा भी न केवल निवेश को बढ़ावा देने में बल्कि बचत निवेश में बेमेलपन में भी कमी आने की उम्मीद है।

2.10 विकास के लिए बारहवीं योजना की कार्यनीति का एक महत्त्वपूर्ण पहलू विकास के प्रमुख प्रेरकों के रूप में उत्पादकता में वृद्धि करने का प्रयास करना है। क्योंकि आने वाले वर्षों में विकास के पारम्परिक स्रोत सम्भवतः पर्याप्त नहीं होंगे इसलिए अर्थव्यवस्था की समग्र उत्पादकता को बढ़ाने पर अधिक बल देना होगा। उच्च उत्पादकता के फलस्वरूप श्रम और पूंजी का और अधिक कुशलता के साथ उपयोग होता है और इसलिए अर्थव्यवस्था को उच्च विकास मार्ग पर लाने के लिए यह वांछनीय है।

2.11 जोरदार बचतों और निवेश दरों तथा सरकार द्वारा की गई/की जा रहीं नीतिगत पहलों को देखते हुए सम्भव है कि अर्थव्यवस्था, 12वीं योजना के अन्तिम दो वर्षों में लगभग 8–9 प्रतिशत के विकास मार्ग पर लौट आए। इसके अलावा मन्दी कम होने पर, जिसने विश्व अर्थव्यवस्था को घेर रखा है, अर्थव्यवस्था के विकास में महत्त्वपूर्ण सुधार होने की काफी सम्भावना और गुजांइश है। अर्थव्यवस्था में लचीलेपन के पिछले रिकार्ड को देखते हुए बारहवीं योजना अवधि के दौरान 8 प्रतिशत का विकास लक्ष्य व्यवहार्य है यदि वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में गलत धारणाएं फलीभूत नहीं हों। बारहवीं पंच वर्षीय योजना तैयार करने के समय विभिन्न स्थितियों को तथा सकारात्मक आर्थिक परिवेश की दिशा में कार्य करने के लिए लक्षित 8 प्रतिशत जीडीपी विकास दर को ध्यान में रखा गया था।

घ. बचत और निवेश दर

2.12 उच्च आर्थिक विकास के लिए उच्च बचत दर को प्रायः एक आवश्यक शर्त के रूप में समझा जाता है तथा उसके लिए इसे प्रमुख रूप से घरेलू बचतों के जरिए समर्थित किया जाना चाहिए। घरेलू बचतों के बढते हुए स्तर और साथ ही निवेश के, विशेष रूप से दसवीं योजना अवधि के दौरान संरचनात्मक ब्रेक उभरने के बाद बढ़ते स्तर के बाद ग्यारहवीं योजना के लिए निवेश के लिए 36.7 प्रतिशत और घरेलू बचतों के लिए 34.8 का लक्ष्य निश्चित किया गया। दसवीं योजना के अन्तिम वर्ष में बचत और निवेश दर जीडीपी के क्रमशः 34.6 प्रतिशत और 35.7 प्रतिशत अनुमानित की गई थी जो ग्यारहवीं योजना के दौरान और बढ़ गई (देखें तालिका 2.3)। ग्यारहवीं योजना के पहले वर्ष के दौरान बचत और निवेश दर दोनों ही उल्लेखनीय रूप से लक्ष्य से अधिक थी तथा क्रमशः 36.8 प्रतिशत और 38.1 प्रतिशत अनुमानित थी। तथापि,

वैश्विक कारकों की वजह से 2008–09 में बचत और निवेश दोनों ही दरों में तेजी से कमी आई जो क्रमशः 32.0 प्रतिशत और 34.3 प्रतिशत अनुमानित थी यद्यपि यह दसवीं योजना के औसत से अधिक रही।

2.13 जैसे–जैसे अर्थव्यवस्था में बहाली शुरू हुई, 2009–10 और 2010–11 के संबंध में बचत और निवेश दरों में कुछ सुधार दिखाई दिया जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है। तथापि, 2011 के राजकीय ऋण संकट ने प्रतिकूल रूप से बचत और निवेश दर को प्रभावित किया जो 2011–12 के लिए क्रमशः 30.8 प्रतिशत और 35 प्रतिशत अनुमानित थी। परिणामस्वरूप, ग्यारहवीं योजना में घरेलू बचत और निवेश बाजार कीमतों पर जीडीपी का क्रमशः औसतन 33.5 प्रतिशत और 36.1 प्रतिशत रहा, जो लक्ष्य से कम है किन्तु बहुत अधिक कम नहीं।

तालिका 2.3

चालू कीमतों पर बचत और निवेश दर (जीडीपी के : के रूप में)

वर्ष	बचत दर	निवेश दर
नौवीं योजना (औसत)	24.3	25.0
2006–07	34.6	35.7
दसवीं योजना (औसत)	31.1	31.0
ग्यारहवीं योजना (लक्ष्य)	34.8	36.7
2007–08	36.8	38.1
2008–09	32.0	34.3
2009–10^	33.7	36.5
2010–11@	34.0	36.8
2011–12*	30.8	35.0
ग्यारहवीं योजना (औसत)	33.5	36.1

*प्रथम संशोधित अनुमान (सं.अ.); @ द्वितीय सं.अ., ^ तृतीय सं.अ.

स्रोतः केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ)

नोट : ग्यारहवीं योजना लक्ष्य के संबंध में अनुपात सतत 2006–07 कीमत पर है; पिछले वर्ष की योजनाओं और 2007–08 – 2011–12 के संबंध में अनुपात चालू कीमतों पर हैं।

ङ निवेश की संरचना

2.14 निवेश को सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) द्वारा मापा जाता है जिसके अन्तर्गत सकल निश्चित पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) और स्टॉक में परिवर्तन (सीआईएस) सम्मिलित है। जी एफ सी एफ का संदर्भ भौतिक परिसम्पत्तियों के सृजन से है और इसलिए इसके अन्तर्गत अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता सम्मिलित है, जबकि स्टॉक में परिवर्तन के अन्तर्गत प्रमुख रूप से मालसूची को मापा जाता है अर्थात् कार्य पूंजी। जीएफसीएफ, अर्थव्यवस्था के संभावित विकास को मापने के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सकल घरेलू निवेश में इसका हिस्सा 90: से अधिक होता है।

2.15 2005–06 से 2007–08 के दौरान 9 प्रतिशत से अधिक उच्च विकास मार्ग को निवेश के बढते स्तरों के कारण बनाए रखा गया। औसत निवेश दर (चालू कीमतों पर सकल पूँजी निर्माण द्वारा मापित), नौवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान 25 प्रतिशत थी और दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यह बढकर 31 प्रतिशत हो गई। ग्यारहवीं योजना के प्रथम वर्ष, अर्थात 2007–08 के दौरान यह 38.1 प्रतिशत तक ऊँची थी

जो 2008–09 में घटकर 34.3 प्रतिशत हो गई, 2009–10 में पुनः बढ़कर 36.6 प्रतिशत हो गई तथा 2011–12 में और कम होकर 35 प्रतिशत हो गई। ग्यारहवीं योजना के दौरान प्राप्त औसत निवेश दर 36.1 प्रतिशत अनुमानित है जबकि लक्ष्य 36.7 प्रतिशत था।

2.16 चालू कीमतों पर निश्चित निवेश की दर 2007–08 में 32.9 प्रतिशत से कम होकर 2011–12 में 30.6 प्रतिशत हो गई, महत्त्वपूर्ण कमी निजी कारपोरेट क्षेत्रक में थी, जो उक्त अवधि के दौरान 14.3 प्रतिशत से 9.7 प्रतिशत हो गई। सरकारी निश्चित निवेश और निजी कारपोरेट निवेश क्रमशः औसतन 8 प्रतिशत और 11.1 प्रतिशत रहने पर ग्यारहवीं योजना के दौरान निश्चित निवेश औसतन 31.9 प्रतिशत था। दूसरी ओर घरेलू निश्चित निवेश, जो 2007–08 में 10.6 प्रतिशत से बढ़कर 2011–12 में 13.6 प्रतिशत हो गया, ग्यारहवीं योजना के दौरान औसतन 12.8 प्रतिशत रहा।

2.17 कुल निवेश में सरकारी निवेश का हिस्सा 2007–08 में 23.2 प्रतिशत था, जो संकट की अवधि के दौरान 2008–09 में बढ़कर 27.5 प्रतिशत हो गया तथा 2011–12 में कम होकर 22.4 प्रतिशत हो गया। ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान कुल निवेश की प्रतिशतता के रूप में सरकारी निवेश का हिस्सा औसतन 24.2 प्रतिशत था जबकि लक्ष्य 21.9 प्रतिशत था। इसी प्रकार ग्यारहवीं योजना के दौरान जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में सरकारी क्षेत्रक निवेश औसतन 8.7 प्रतिशत था जो योजना में निश्चित 8 प्रतिशत के लक्ष्य से अधिक है।

2.18 दूसरी ओर, जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में निजी निवेश काफी कम हो गया जो 2007–08 में 28.1 प्रतिशत से 2011–12 में 24.9 प्रतिशत हो गया। यह कमी मुख्यतः निजी कारपोरेट क्षेत्रक में निवेश में गिरावट आने के कारण थी जो 6.7 प्रतिशतांक कम होकर 2007–08 और 2011–12 के बीच 17.3 प्रतिशत से 10.6 प्रतिशत हो गया यद्यपि इस अवधि के दौरान घरेलू क्षेत्रक निवेश 10. 8 प्रतिशत से सुधरकर 14.3 प्रतिशत हो गया। कुल मिलाकर जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में निजी निवेश ग्यारहवीं योजना में औसतन 25.9 प्रतिशत था, 28.7 प्रतिशत के लक्ष्य से काफी कम (तालिका 2.4)।

तालिका 2.4

निवेशों की संरचना

वर्ष	कुल निवेश	निजी निवेश	सरकारी निवेश	सरकारी निवेश (कुल निवेश के प्रतिशत के रूप में)
	(जीडीपी के : के रूप में)			
नौवीं योजना (औसत)	25.0	17.2	7.3	29.3
दसवीं योजना (औसत)	31.0	22.4	7.3	23.9
ग्यारहवीं योजना (लक्ष्य)				
(2007–12)	36.7	28.7	8.0	21.9
2007–08	38.1	28.1	8.9	23.2
2008–09	34.3	24.8	9.4	27.5
2009–10^	36.5	25.4	9.2	25.1
2010–11@	36.8	26.5	8.4	22.8
2011–12*	35.0	24.9	7.9	22.4
ग्यारहवीं योजना (औसत)	36.1	25.9	8.7	24.2

* प्रथम संशोधित अनुमान (सं.अ.); @ द्वितीय सं.अ., ^ तृतीय सं.अ.

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ), योजना आयोग

नोट : ग्यारहवीं योजना लक्ष्य के संबंध – में अनुपात सतत 2006–07 कीमतों पर हैं; पिछले वर्ष की योजनाओं के संबंध में तथा 2007–08 – 2011–12 के संबंध में अनुपात चालू कीमतों पर हैं।

च. बचतों की संरचना

2.19 सकल घरेलू बचत (जीडीएस) को सरकारी और निजी बचतों के रूप में विभाजित किया जाता है। सरकारी क्षेत्रक बचतों के अन्तर्गत सरकारी विभागों (केन्द्र और राज्य) और सरकारी क्षेत्रक उपक्रमों की बचतें सम्मिलित हैं जबकि निजी बचतों के अन्तर्गत घरेलू बचतें, परिवारों द्वारा प्रत्यक्ष निवेश सहित, और निजी कारपोरेट क्षेत्रक बचतें सम्मिलित हैं।

2.20 नौंवी पंचवर्षीय योजना के दौरान औसत बचत दर जीडीपी की 24.3 प्रतिशत थी, जो दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बढ़कर 31.1 प्रतिशत हो गई, जो 6.8 प्रतिशतांक की वृद्धि को परिलाक्षित करती है। ग्यारहवीं योजना के प्रथम वर्ष, अर्थात 2007–08 के दौरान जीडीएस 36.8 प्रतिशत के शिखर मूल्य पर पहुंच गई जिसके बाद यह कम होकर 2010–11 में 34 प्रतिशत और 2011–12 में और कम होकर 30.8 प्रतिशत हो गई (तालिका 2.5)। इस प्रकार, औसत बचत दर 2007–08 और 2011–12 के बीच 6 प्रतिशतांक कम हो गई। इस 6 प्रतिशतांक कमी में 2.6 प्रतिशतांक विश्व संकट के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए राजकोषीय विस्तार के कारण सरकारी बचतों में कमी के कारण थी, 1.1 प्रतिशत बिन्दु विभागीय और गैर–विभागीय उद्यमों की बचतों में गिरावट के कारण और 2.2 प्रतिशत निजी कारपोरेट क्षेत्रक में बचतों में गिरावट के कारण थी। कुल मिलाकर सरकारी क्षेत्रक का समग्र रूप से हिस्सा 2007–08 और 2011–12 अवधि के बीच घरेलू बचतों में जी डी पी के 3.7 प्रतिशत बिन्दु तक था। इसके विपरीत, सरकार की बचतों में सुधार और निजी कारपोरेट क्षेत्रक की प्रतिधारित आय, 2007–08 तक की अवधि में घरेलू बचत के बढ़ते स्तरों के पीछे प्रमुख कारक थे।

तालिका 2.5

बचतों की संरचना (जीडीपी के % के रूप में)

वर्ष	परिवारिक क्षेत्रक	निजी कारपोरेट क्षेत्रक	सरकारी क्षेत्रक	सरकारी प्रशासन	सकल घरेलू बचत
नौंवी योजना (औसत)	20.8	3.9	–0.3	–4.3	24.3
दसवीं योजना (औसत)	23.1	6.1	1.9	–2.7	31.1
ग्यारहवीं योजना (लक्ष्य)	**23.0**	**7.3**	**4.5**	**0.5**	**34.8**
2007–08	22.4	9.4	5.0	0.5	36.8
2008–09	23.6	7.4	1.0	–2.8	32.0
2009–10^	25.2	8.4	0.2	–3.1	33.7
2010–11@	23.5	7.9	2.6	–0.6	34.0
2011–12*	22.3	7.2	1.3	–2.0	30.8
ग्याहरवीं योजना (औसत)	**23.4**	**8.1**	**2.0**	**–1.6**	**33.5**

* प्रथम संशोधित अनुमान (सं.अ.); @ द्वितीय सं.अ., > तृतीय सं.अ.

स्रोतः केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ), योजना आयोग

नोटः ग्यारहवीं योजना लक्ष्य के संबंध में अनुपात सतत 2006–07 कीमत पर है; पिछले वर्ष की योजनाओं और 2007–08– 2011–12 के संबंध में अनुपात चालू कीमतों पर हैं।

2.21 पारिवारिक क्षेत्रक में समग्र रूप से बचतें 2007–08 से 2011–12 अवधि के दौरान जी डी पी के 22–25 प्रतिशत की रेंज में रहीं तथा ग्यारहवीं योजना में औसत 23.4 प्रतिशत थी जबकि लक्ष्य 23 प्रतिशत का था। तथापि, परिवारों की बचत पद्धति में वित्तीय बचत से भौतिक परिसम्पत्तियों में बचत करने का बदलाव आया है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में वित्तीय बचत की दर 2007–08 में 11.6 प्रतिशत से कम होकर 2011–12 में 8 प्रतिशत हो गई जबकि भौतिक परिसम्पत्तियों के रूप से बचतों में 2007–08 में 10.8 प्रतिशत से 2011–12 में 14.3 प्रतिशत का सुधार हुआ।

छ. राज्य स्तर पर वृद्धि की स्थिति

2.22 अर्थ व्यवस्था की कुल वृद्धि दर की एक विशेषता पर्याप्त अन्तर क्षेत्रीय भिन्नताएं होना है। यद्यपि आर्थिक रूप से कमजोर राज्य वृद्धि दरों में सुधार कर रहे हैं, तथापि अलग–अलग जिलों के पिछड़ेपन के बारे में बढ़ती चिन्ता है जिनमें से अनेक उन राज्यों में स्थित हैं जो अन्यथा तरक्की कर रहे हैं, किन्तु ग्यारहवीं योजना में देखी गई विकास की एक महत्वपूर्ण बात, जो समावेशिता के लिए संगत है, यह है कि आर्थिक विकास की उंची दरें राज्यों के बीच पहले की अपेक्षा अधिक व्यापक रूप से फैली हुई हैं। यद्यपि अधिकांश राज्यों ने विकास की लगातार ऊंची दरें प्रदर्शित की हैं किन्तु आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों ने अपनी विकास दरों में सुधार प्रदर्शित किया है तथा उन्होंने अपने विकास निष्पादन की दृष्टि से ऊंची आय वाले राज्यों के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। उनमें बिहार, उड़ीसा, असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखण्ड और कुछ सीमा तक उत्तर प्रदेश सम्मिलित है। उपलब्ध डेटा के अनुसार, अधिकांश राज्यों ने ग्यारहवीं योजना अवधि में 6 प्रतिशत या अधिक औसत जीएसडीपी वृद्धि दर हासिल कर ली है। संलग्नक ''क'' में योजना अवधि के लिए राज्य–वार विकास लक्ष्य के साथ–साथ ग्याहरवीं योजना के दौरान राज्य–वार वृद्धि निष्पादन दर्शाया गया है।

ज. राजकोषीय निष्पादन

2.23 एफ आर बी एम विधान के कारण अनिवार्य राजकोषीय पुनर्संचरना के अनुरूप, केन्द्र और राज्यों का मिला–जुला राजकोषीय घाटा 2007–08 में जी डी पी के 4 प्रतिशत पर पहुंच गया। तथापि, केन्द्र और राज्यों का मिला–जुला राजकोषीय घाटा बढ़कर 2008–09 में जी डी पी का 8.3 प्रतिशत और 2009–10 में 9.4 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया। अगले वर्ष (2010–11) में मिला–जुला राजकोषीय घाटा जीडीपी के 6.9 प्रतिशत पर साधारण हो गया। 2011–12 के संशोधित अनुमानों (आर ई) के अनुसार यह फिर बढ़कर जी डी पी का 8.2 प्रतिशत हो गया तथा जी डी पी के 7.1 प्रतिशत होने की उम्मीद है जैसा कि 2012–13 के बजट अनुमानों में (बी ई) चित्रित है। 2007–08 में केन्द्र के राजकोषीय घाटे में प्रारंभिक वृद्धि इस आधार पर थी कि सभी देश संकट के प्रतिचक्रीय प्रयास के रूप में राजकोषीय विस्तार के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे किन्तु भारत का राजकोषीय घाटा विस्तार संकट के बाद भी जारी रहा। परिणामस्वरूप, केन्द्र का राजकोषीय घाटा 2007–08 में जी डी पी के साधारण 2.5 प्रतिशत से बढ़कर 2008–09 में जी डी पी का 6.0 प्रतिशत और 2009–10 में जी डी पी का 6.5 प्रतिशत हो गया। बेहतर व्यय प्रबंधन के कारण, राजकोषीय घाटा 2010–11 में जी डी पी के 4.8 प्रतिशत तक कम हो गया। तथापि, संशोधित अनुमानों के अनुसार, 2011–12 में राजकोषीय घाटे का प्राप्त स्तर जी डी पी के 5.1 प्रतिशत के बजटीय स्तर से काफी ज्यादा होने की संभावना है तथा जी डी पी के 5.8 प्रतिशत होने की उम्मीद है। 2012–13 के बजट अनुमानों (बी ई) के अनुसार, केन्द्र का सकल राजकोषीय घाटा जी डी पी का 5.1 प्रतिशत होने का अनुमान है। कुल मिलाकर सभी राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा 2007–08 में जी डी पी के 1.5 प्रतिशत से बढ़कर 2008–09 में 2.4 प्रतिशत और 2009–10 में और बढ़कर 2.9 प्रतिशत हो गया। किन्तु वर्ष 2010–11 से इसमें सुधार होना शुरू हो गया और 2010–11 में यह जी डी पी का 2.1 प्रतिशत, 2011–12 (सं.अ.) में जी डी पी का 2.3 प्रतिशत और 2012–13 (ब.अ) में 2.1 प्रतिशत रिकार्ड किया गया।

2.24 केन्द्र के राजकोषीय घाटे की स्थिति खराब होकर यह एफ आर बी एम सीमा से काफी अधिक हो गया तथा 2007–08 में जी डी पी के 1.1 प्रतिशत से बढ़कर 2008–09 में जी डी पी का 4.5 प्रतिशत तथा 2009–10 में और बढ़कर जी डी पी का 5.2 प्रतिशत हो गया। राजकोषीय समेकन प्रयासों से राजस्व घाटे में सुधार होकर 2010–11 में जी डी पी का 3.2 प्रतिशत हो गया। तथापि, स्थिति और खराब हो गई और यह जी डी पी के 4.4 प्रतिशत पर पहुंच गया जैसा कि 2011–12 के संशोधित अनुमानों (सं.अ.) से पता चलता है तथा इसके 2012–13 (ब.अ.) में जी डी पी के 3.4 प्रतिशत के स्तर पर रहने की उम्मीद है। राज्यों का राजस्व घाटा 2006–07 तक पूर्णतः समाप्त हो गया तथा सभी राज्यों ने उसके बाद से राजस्व खाते में केवल मामूली से घाटे का अथवा अधिशेष का अनुभव किया। यह प्रमुख रूप से उच्च कर संग्रहों और गैर–योजना राजस्व व्यय में कटौती के कारण था। तथापि, सभी राज्यों का मिला–जुला राजस्व घाटा पुनः उभर कर सामने आया, यद्यपि मामूली तौर पर, 2009–10 में जी डी पी के 0.5 प्रतिशत स्तर पर यद्यपि इसमें फिर से सुधार हुआ और 2010–11 में कम होकर लगभग "शून्य" हो गया। 2011–12 (सं.अ) और 2012–13 (ब.अ.) के अनुसार, सभी राज्यों का मिला–जुला राजस्व घाटा जी डी पी के क्रमशः (–) 0.1 प्रतिशत और (–) 0.4 प्रतिशत होने की उम्मीद है। केन्द्र और राज्यों के मिले–जुले राजस्व घाटे की स्थिति तेजी से खराब हो गई जो 2007–08 में जी डी पी के 0.2 प्रतिशत से 2008–09 में जी डी पी का 4.3 प्रतिशत तथा स्थिति और खराब होकर 2009–10 में जी डी पी का 5.7 प्रतिशत हो गया। किन्तु, जैसे–जैसे अर्थव्यवस्था में सुधार होना शुरू हो गया, राजस्व घाटे में सुधार के संकेत दिखने लगे और यह 2010–11 में कम होकर जी डी पी का 3.2 प्रतिशत हो गया। स्थिति पुनः खराब होकर यह 2011–12 (सं.अ.) में जी डी पी के 4.4 प्रतिशत पर पहुंच गया किन्तु 2012–13 के बजट अनुमानों के अनुसार इसमें सुधार होकर जी डी पी का 3 प्रतिशत होने की उम्मीद है। तालिका 2.6 में राज्यों, केन्द्र का राजकोषीय निष्पादन और विगत कुछ वर्षो के संबंध में केन्द्र और राज्यों का मिला–जुला राजकोषीय निष्पादन दर्शाया गया है।

2.25 केन्द्रीय सरकार का कुल व्यय 2007–08 में जी डी पी के 14.3 प्रतिशत से बढ़कर 2008–09 में जी डी पी का 15.7 प्रतिशत हो गया जिसका कारण आर्थिक मन्दी होना तथा साथ ही छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर अमल किया जाना तथा विश्व संकट के कारण वृद्धिशील राजकोषीय नीति थी। व्यय, 2009–10 में जी डी पी का 15. 8 प्रतिशत था तथा वर्ष 2010–11 में अर्थव्यवस्था में तेजी से बहाली के साथ व्यय कम होकर जी डी पी का 15.4 प्रतिशत हो गया। 2011–12 के संशोधित अनुमानों के अनुसार, जी डी पी की प्रतिशतता के रूप में कुल खर्च 14. 7 प्रतिशत था। बजट अनुमानों के अनुसार 2012–13 के दौरान इसके इसी स्तर पर रहने की उम्मीद है। जी डी पी की प्रतिशतता के रूप में केन्द्रीय योजना व्यय 2007–08 और 2011–12 (सं.अ.) के बीच 4.1 से 4.9 प्रतिशत की रेंज में रहा, नवीनतम (2011–12) 4.8 प्रतिशत था। जी डी पी की प्रतिशतता के रूप में केंद्र का गैर–योजना व्यय 2007–08 में 10.2 प्रतिशत से बढ़कर 2008–09 में 10.8 प्रतिशत और 2009–10 में 11.1 प्रतिशत हो गया। यह 2010–11 में कम होकर, 10.5 प्रतिशत और 2011–12 (सं.अ.) में और कम होकर 9.9 प्रतिशत हो गया।

तालिका 2.6

केन्द्र और राज्य सरकारों के घाटे में प्रवृत्तियां (जी डी पी के % के रूप में)

वर्ष	केन्द्र		राज्य		मिला–जुला	
	सकल राजकोषीय घाटा	राजस्व घाटा	सकल राजकोषीय घाटा	राजस्व घाटा	सकल राजकोषीय घाटा	राजस्व घाटा
2007–08	2.5	1.1	1.5	–0.9	4.0	0.2
2008–09	6.0	4.5	2.4	–0.2	8.3	4.3
2009–10	6.5	5.2	2.9	0.5	9.4	5.7
2010–11	4.8	3.2	2.1	0.0	6.9	3.2
2011–12 (सं.अ.)	5.8	4.4	2.3	–0.1	8.2	4.4
2012–13 (ब.अ.)	5.1	3.4	2.1	–0.4	7.1	3.0

स्रोतः केन्द्र और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज। बजट संख्या 2012–13 के संबंध में बजट अनुमान हैं तथा 2011–12 के लिए संशोधित अनुमान। नोट :आर.ई. संशोधित अनुमान; बीई: बजट अनुमान। (–) नकारात्मक चिह्न घाटा संकेतकों में अधिशेष दर्शाता है।

2.26 सभी राज्यों का कुल खर्च 2007–08 में जी डी पी के 15.1 प्रतिशत से बढ़कर 2008–09 में जी डी पी का 15.7 प्रतिशत हो गया तथा 2009–10 में इसी स्तर पर बना रहा। 2010–11 के दौरान यह कम होकर जी डी पी के 14.9 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया; तथापि इसके 2011–12 में (सं.अ.) 16 प्रतिशत तक बढ. जाने की उम्मीद है। राज्यों का कुल खर्च 2012–13 (ब.अ.) में जी डी पी का 16.1 प्रतिशत होने की उम्मीद है। राज्य योजना खर्च 2008–09 में जी डी पी के 5.0 प्रतिशत से कम होकर 2009–10 में 4.8 प्रतिशत तथा 2010–11 में कम होकर 4.6 प्रतिशत हो गया। तथापि, 2011–12 में संशोधित अनुमानों के अनुसार यह बढ़कर जी डी पी का 5.3 प्रतिशत हो गया। राज्य गैर योजना व्यय 2007–08 में जी डी पी के 10.4 प्रतिशत से बढ़कर 2008–09 में 10.6 प्रतिशत और 2009–10 में 10.9 प्रतिशत हो गया। यह 2011–12 (सं.अ.) में 10.6 प्रतिशत तक पुनः बढने से पहले 2010–11 में कम होकर 10.2 प्रतिशत हो गया।

2.27 प्राप्ति पक्ष में केन्द्रीय सरकार के सकल कर राजस्व में पर्याप्त रूप से सुधार हुआ जो 2002–03 में जी डी पी के 8.8 प्रतिशत से 2007–08 में जी डी पी का 11.9 प्रतिशत हो गया। तथापि, 2008–09 में यह कम होकर 10.8 प्रतिशत और 2009–10 में 9.6 प्रतिशत हो गया। जी डी पी के प्रतिशत के रूप में सकल कर राजस्व पुनः 2010–11 में बढ़कर 10.2 प्रतिशत और 2011–12 (सं.अं.) में 10 प्रतिशत हो गया। इसके 2012–13 (ब.अं.) में जी डी पी के 10.6 प्रतिशत होने का अनुमान है। राज्यों के खुद के कर राजस्व में मामूली सी कमी आई जो 2008–09 में 5.7 प्रतिशत से 2009–10 में 5.6: हो गया। इसमें पुनः बढ़ती प्रवृत्ति देखी गई और यह बढ़कर 2010–11 में जी डी पी का 5.9 प्रतिशत तथा 2011–12 (सं.अ.) में 6.1 प्रतिशत हो गया। इसके 2012–13 (ब.अ.) में जी डी पी का 6.3 प्रतिशत होने की उम्मीद है।

2.28 केन्द्र का कर–भिन्न राजस्व 2007–08 में जी डी पी के 2.1 प्रतिशत से कम होकर 2008–09 में जी डी पी का 1.7 प्रतिशत हो गया। कर–भिन्न राजस्व में कमी मुख्यतः ऋण समेकन और ब्याज दरों के पुनः निर्धारण के कारण ब्याज प्राप्तियों में तेजी से गिरावट आने से तथा 12वें वित्त आयोग के अवार्ड से उत्पन्न उधारों में वृद्धि की वजह से आई। 2009–10 में इसमें मामूली सी वृद्धि हुई और यह जी डी पी का 1.8 प्रतिशत रिकार्ड किया गया। यह 2011–12 (सं.अ.) में जी डी पी के 1.4 प्रतिशत तक गिरने से पहले 2010–11 में उछलकर जी डी पी का 2.8 प्रतिषत हो गया। 2012–13 (ब.अ.) में इसका जीडीपी के 1.6 प्रतिशत तक बढ़ जाने का अनुमान है। जैसा कि नीचे तालिका से देखा जा सकता है, राज्यों के कर–भिन्न राजस्व में मामूली सी वृद्धि हुई जो 2007–08 में जी डी पी के 3.7 प्रतिशत से 2008–09 में 3.8 प्रतिशत हो गया तथा पुनः मामूली सा कम होकर 2009–10 में 3.7 प्रतिशत हो गया। 2010–11 में यह और कम होकर जी डी पी का 3.3 प्रतिशत हो गया। तथापि, 2011–12 के संशोधित अनुमानों के अनुसार यह पुनः बढ़कर 3.7 प्रतिशत हो गया।

तालिका 2.7

केन्द्र तथा राज्य सरकारों के राजस्व में प्रवृत्तियां (जी डी पी के % के रूप में)

वर्ष	कर राजस्व		कर–भिन्न राजस्व	
	केंद्र का सकल कर राजस्व	राज्यों का खुद का कर राजस्व	केन्द्र	राज्यों का कर भिन्न राजस्व
2007–08	11.9	5.7	2.1	3.7
2008–09	10.8	5.7	1.7	3.8
2009–10	9.6	5.6	1.8	3.7
2010–11	10.2	5.9	2.8	3.3
2011–12 (सं.अ.)	10.0	6.1	1.4	3.7
2012–13 (ब.अ.)	10.6	6.3	1.6	एन.ए.

स्रोत :केन्द्र और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज। बजट संख्या 2012–13 के संबंध में बजट अनुमान हैं तथा 2011–12 के लिए संशोधित अनुमान हैं।
नोट : आर ई : संशोधित अनुमान; बी ई : बजट अनुमान। नकारात्मक (–) चिह्न घाटा संकेतकों में अधिशेष दर्शाता है।

2.29 केन्द्रीय सरकार की कुल बकाया देनदारी कम होकर 2007–08 में जी डी पी के 56.9 प्रतिशत से 2009–10 में 54.5 प्रतिशत तथा 2010–11 में और कम होकर 50.5 प्रतिशत हो गई। यह कमी, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक मन्दी के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए प्रदान किए गए तीन लगातार प्रोत्साहन पैकेजों के बावजूद हुई। 2011–12 (सं.अ.) के दौरान केन्द्रीय सरकार की बकाया देनदारी जी डी पी की 49. 8 प्रतिशत थी तथा 2012–13 (ब.अ.) में इसके जी डी पी के 49.5 प्रतिशत होने की उम्मीद है।

झ. बाह्य क्षेत्रक निष्पादन

2.30 ग्याहरवीं योजना के दौरान निर्यात में अमरीकी डालर की दृष्टि से औसतन लगभग 20.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई। भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) बुलेटिन (दिसम्बर 2012) से उपलब्ध जानकारी के अनुसार निर्यात का मूल्य 2007–08 में 162.9 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 2008–09 के दौरान 185.3 बिलियन अमरीकी डालर था जो 13.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2009–10 के दौरान निर्यात का मूल्य 178.8 बिलियन अमरीकी डालर था जो 2008–09 की तुलना में 3.5 प्रतिशत की कमी दर्शाता है जिससे भारतीय निर्यात पर विश्व आर्थिक कार्यकलाप में मन्दी के नकारात्मक प्रभाव का पता चलता है। तथापि, अर्थव्यवस्था ने बाजार और सरकार द्वारा किए गए उत्पाद विविधीकरण उपायों के बलबूते पर वर्ष 2010–11 में बेहतर निष्पादन किया जिससे विश्व जी डी पी की तुलना में भारत के निर्यात में नम्यता को बढ़ाने में मदद मिली तथा 2010–11 में निर्यात उछलकर 251.1 बिलियन अमरीकी डालर के मूल्य का हो गया जिससे पिछले वर्ष की तुलना में 40.5 प्रतिशत की वृद्धि दर रिकार्ड की गई। वर्ष 2011–12 में निर्यात 21.3 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा तथा निर्यात का मूल्य 304.6 बिलियन अमरीकी डालर रिकार्ड किया गया।

2.31 ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान आयात में औसतन 22 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई। 2008–09 के दौरान आयात का मूल्य 303.7 बिलियन अमरीकी डालर था जबकि 2007–08 में 251.4 बिलियन अमरीकी डालर था, इस प्रकार 2008–09 में 20.8 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि रिकार्ड की गई जबकि 2007–08 में यह 35.4 प्रतिशत थी। वर्ष 2009–10 के दौरान आयात का मूल्य 288.4 बिलियन अमरीकी डालर और 2010–11 में 369. 8 बिलियन अमरीकी डालर था जिससे क्रमशः – 5 प्रतिशत और 28.2 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर रिकार्ड की गई। वर्ष 2011–12 में आयात में 32.4 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि हुई तथा आयात का मूल्य 489.4 बिलियन अमरीकी डालर रिकार्ड किया गया।

2.32 वर्ष 2007–08 से व्यापार घाटे में वृद्धि हो रही है जो 2007–08 में 88.5 बिलियन अमरीकी डालर से 2008–09 में 118.4 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। इसमें 2009–10 में कमी आई जो 109.6 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य का हो गया किन्तु पुनः बढ़कर 2010–11 में 118.6 बिलियन अमरीकी डालर और 2011–12 में 184.8 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। चालू बाजार कीमतों पर जी डी पी की दृष्टि से व्यापार घाटे में 2007–08 में 7.1 प्रतिशत से 2008–09 में 9.5 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि दर्ज की गई किन्तु 2009–10 में यह कम होकर 8 प्रतिशत हो गया। जी डी पी की प्रतिशतता के रूप में व्यापार घाटे में 2010–11 में कमी आई और यह 6.9 प्रतिशत था किन्तु पुनः बढ़कर 2011–12 में जी डी पी का 9.9 प्रतिशत हो गया। भारत के चालू खाते घाटे (सी ए डी) में भी धीरे–धीरे गिरावट देखी गई और यह 2008–09 में 2.3 प्रतिशत से 2009–10 में जी डी पी के 2.8 प्रतिशत पर पहुंच गया। सी ए डी में इस वृद्धि का कारण विश्व मन्दी और विश्व व्यापार में कमी का मिला–जुला प्रभाव हो सकता है। 2011–12 में निरपेक्ष दृष्टि से और साथ ही जी डी पी के अनुपात के रूप में भी सी ए डी में बढ़ोत्तरी हुई जो घटी बाह्य मांग, पेट्रोलियम, तेल और लुब्रिकेट (पीओएल) के अपेक्षाकृत अनम्य आयात और सोने और चांदी के उच्च आयात के कारण बढते व्यापार घाटे को परिलक्षित करता है। 2011–12 में 78.2 बिलियन अमरीकी डालर पर सी ए डी, जी डी पी का 4.2 प्रतिशत था जबकि 45.9 बिलियन अमरीकी डालर के साथ यह 2010–11 में जी डी पी का 2.7 प्रतिशत था।

2.33 2008–09 और 2009–10 के दौरान भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) का निवल अप्रवाह क्रमशः 22.3 बिलियन अमरीकी डालर और 17.9 बिलियन अमरीकी डालर था जबकि 2007–08 में यह 15.9 बिलियन अमरीकी डालर था। किन्तु वर्ष 2010–11 में भारत में एफ डी आई आप्रवाह तेजी से कम होकर 11.3 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर का हो गया। तथापि 2011–12 में यह तेजी से बढ़कर 22 बिलियन अमरीकी डालर पर पहुंच गया। निवल पोर्टफोलियो निवेश (पी एफ आई) में 2008–09 में 14 बिलियन अमरीकी डालर का निवल बाह्य प्रवाह दर्ज किया गया जबकि

2007–08 में निवल आप्रवाह 27.4 बिलियन अमरीकी डालर था। वर्ष 2009–10 और 2010–11 में पी एफ आई में क्रमशः 32.4 बिलियन अमरीकी डालर और 30.3 बिलियन अमरीकी डालर का निवल आप्रवाह दर्ज किया गया। तथापि, 2011–12 में पी एफ आई का निवल आप्रवाह कम होकर 17.2 बिलियन अमरीकी डालर हो गया।

2.34 भारत का बाह्य ऋण, मार्च 2010 के अन्त में 261 बिलियन अमरीकी डालर और मार्च 2009 के अन्त में 224.5 बिलियन अमरीकी डालर से मार्च 2011 के अन्त तक बढ़कर 306 बिलियन अमरीकी डालर हो गया जो पिछले वर्षों की तुलना में क्रमशः 17.2 प्रतिशत और 16.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। मार्च के अन्त तक दीर्घावधिक ऋण 240.9 बिलियन अमरीकी डालर और अल्पावधिक ऋण 65 बिलियन अमरीकी डालर था। मार्च 2012 के अन्त में भारत के ऋण का मूल्य 345.8 बिलियन अमरीकी डालर रिकार्ड किया गया। बाह्य ऋण में वृद्धि का कारण मुख्यतः बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ई.सी.बी.), निर्यात क्रेडिटों और अल्पावधिक ऋण में वृद्धि होना है। सीएडी के वित्त पोषण के लिए ऋण सृजन प्रवाहों के बढ़ते उपाय से भारत के बाह्य ऋण में और वृद्धि होने की सम्भावना है किन्तु यह प्रबंधन योग्य रहेगा। 267.6 बिलियन अमरीकी डालर पर दीर्घावधिक ऋण और 78.2 बिलियन अमरीकी डालर पर अल्पावधिक ऋण का हिस्सा मार्च 2012 के अन्त में कुल बाह्य ऋण का क्रमशः 77.4 प्रतिशत और 22.6 प्रतिशत है। जीडीपी अनुपात में कुल ऋण 2007–08 में 18 प्रतिशत से बढ़कर 2008–09 में 20.3 प्रतिशत हो गया। अनुपात कम होकर 2009–10 में 18.3 प्रतिशत और 2010–11 में और कम होकर 17.8 प्रतिशत हो गया। तथापि, वर्ष 2011–12 के दौरान कुल ऋण में पुनः वृद्धि हो गई और यह जी डी पी का 20 प्रतिशत हो गया।

2.35 विदेशी मुद्रा भण्डारों में (स्वर्ण, एस डी आर और आई एम एफ के पास रिजर्व संग्रह स्थिति सहित) पिछले समय के दौरान लगातार वृद्धि हो रही है और यह मार्च 2008 के अन्त में 309.7 बिलियन अमरीकी डालर के शीर्ष स्तर पर पहुंच गया। तथापि, मार्च 2009 के अन्त तक कम होकर 251.9 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। भण्डारों में कमी मुख्यतः विश्व संकट के कारण थी। मार्च 2010 के अन्त तक विदेशी मुद्रा भण्डारों का स्तर बढ़कर 279.1 बिलियन अमरीकी डालर तथा मार्च 2011 के अन्त तक और बढ़कर 304.8 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। मार्च 2012 के अन्त तक विदेशी मुद्रा भण्डारों का मूल्य 294.4 बिलियन अमरीकी डालर था।

ञ. कीमत स्थिरता

2.36 वर्ष 2008–09 में थोक कीमत सूचक (डब्ल्यू पी आई 2004–05 शृंखला) आधारित मुद्रास्फीति मापित 8.1 प्रतिशत था जबकि 2007–08 में 4.7 प्रतिशत था। पुनः वित्त वर्ष 2009–10 और 2010–11 के दौरान डब्ल्यू पी आई अत्यंत अस्थिर था। 2009–10 में वार्षिक मुद्रास्फीति दर 3.8 प्रतिशत पर मापित थी जो बढ़कर 2010–11 में 9.6 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2010–11 में मुद्रास्फीति का सबसे अधिक बुरा चरण देखा गया जबकि अप्रैल 2010 में दर 10.9 प्रतिशत के शीर्ष स्तर पर पहुंच गई। वर्ष 2011–12, अप्रैल 2011 में 1.74 प्रतिशत की शीर्ष मुद्रास्फीति के साथ शुरू हुआ तथा लगभग– 0.06 प्रतिशत पर मापित दिसम्बर 2011 के दौरान ऋणात्मक क्षेत्र में प्रवेश कर गई। वर्ष 2011–12 के संबंध में वार्षिक मुद्रास्फीति दर 8.9 प्रतिशत पर मापित की गई। इस निरन्तर ऊंची मुद्रास्फीति का कारण आपूर्ति और मांग पक्ष दोनों कारक कहे जा सकते हैं। तथापि, वर्ष 2012–13 के पहले 9 महीनों के दौरान मुद्रास्फीति दर 2011–12 की तदनुरूपी अवधि की तुलना में 7.6 प्रतिशत थी।

ट. गरीबी अनुमान

2.37 योजना आयोग, राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तरों पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के संबंध में अलग–अलग गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या और प्रतिशतता का अनुमान लगाने के लिए नोडल एजेन्सी है। योजना आयोग लगभग पांच वर्ष के अन्तराल के बाद, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एन एस एस ओ) द्वारा आयोजित परिवार उपभोक्ता व्यय के संबंध में बड़े प्रतिदर्श सर्वेक्षणों से गरीबी का अनुमान लगाता है। गरीबी का अनुमान लगाने के लिए क्रियाविधि की समय–समय पर समीक्षा की जाती है।

2.38 योजना आयोग ने प्रोफेसर सुरेष डी. तेन्दुलकर की अध्यक्षता में दिसम्बर 2005 में एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी जिसने दिसम्बर 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। तेन्दुलकर समिति रिपोर्ट के अनुसार, 2004–05 की कीमतों पर राष्ट्रीय गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों में 446.68 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 578.8 रुपए मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय है। ये गरीबी रेखाएं कीमतों में भेद के कारण प्रत्येक राज्य में भिन्न–भिन्न हैं।

2.39 योजना आयोग ने, परिवार उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के एन एस एस 66वें चक्र (2009–10) डेटा का इस्तेमाल करते हुए तेन्दुलकर समिति की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2009–10 के संबंध में गरीबी अनुपात और गरीबी रेखाओं को अद्यतन बनाया है और 19 मार्च 2012 को 2009–10 के संबंध में गरीबी अनुमान जारी किए हैं। इनके अनुसार वर्ष 2009–2010 में अखिल भारत स्तर पर गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 672. 8 रुपए और शहरी क्षेत्रों के लिए 859.6 रुपए मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के रूप में अनुमानित है।

2.40 योजना आयोग द्वारा जारी गरीबी के नवीनतम अनुमानों के आधार पर देश में गरीबी में 2004–05 और 2009–10 के बीच 1.5 प्रतिशतांक प्रति वर्ष की कमी आई है। 2004–05 से 2009–10 तक की अवधि के दौरान कमी की दर, 1993–94 से 2004–05 तक की अवधि के दौरान देखी गई कमी की दर से दुगनी है। तेन्दुलकर क्रियाविधि के आधार पर वर्ष 1993–94, 2004–05 और 2009–10 के संबंध में गरीबी अनुपात निम्नवत है:

तालिका 2.8

तेन्दुलकर पद्धति द्वारा अनुमानित गरीबों की संख्या और प्रतिशतता

	गरीबी अनुपात (%)			गरीबों की संख्या (मिलियन)		
	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल
1. 1993–94	50.1	31.8	45.3	328.6	74.5	403.7
2. 2004–05	41.8	25.7	37.2	326.3	80.8	407.1
3. 2009–10	33.8	20.9	29.8	278.2	76.5	354.7
4. वार्षिक औसत कमी 1993–94 से 2004–05 (प्रतिशतांक प्रतिवर्ष)	0.75	0.55	0.74			
5. वार्षिक औसत कमी : 2004–05 से 2009–10 (प्रतिशतांक प्रतिवर्ष)	1.60	0.96	1.48			

स्रोत: योजना आयोग

2.41 तेन्दुलकर क्रियाविधि के आधार पर वर्ष 2004–05 और 2009–10 के लिए राज्य–वार गरीबी रेखा से नीचे आबादी की प्रतिशतता और संख्या दर्शाने वाली एक तालिका भी संलग्न है (संलग्नक ''ख'' और ''ग'')।

2.42 योजना आयोग ने ''गरीबी के माप के लिए क्रियावधि की समीक्षा'' करने के लिए जून 2012 में डा. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल गठित किया है।

संलग्नक–क

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य–वार और क्षेत्रक–वार विकास लक्ष्य और प्राप्ति

क्रम. सं.	राज्य/संघ राज्य–क्षेत्र	कृषि और सम्बद्ध'		उद्योग		सेवाएं		जीएसडीपी विकास	
		लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति
1.	आन्ध्र प्रदेश	4.0	5.3	12.0	7.3	10.4	9.8	9.5	8.2
2.	अरूणाचल प्रदेश	2.8	4.2	8.0	11.1	7.2	11.5	6.4	8.5
3.	असम	2.0	4.1	8.0	4.2	8.0	9.1	6.5	6.8
4.	बिहार	7.0	4.7	8.0	15.1	8.0	11.2	7.6	9.9
5.	झारखण्ड	6.3	5.6	12.0	7.4	8.0	13.3	9.8	9.3
6.	गोवा	7.7	3.5	15.7	6.8	9.0	12.0	12.1	9.1
7.	गुजरात	5.5	5.6	14.0	10.1	10.5	10.5	11.2	9.5
8.	हरियाणा	5.3	3.9	14.0	6.6	12.0	12.6	11.0	9.0
9.	हिमाचल प्रदेश	3.0	2.3	14.5	8.8	7.5	10.6	9.5	8.0
10.	जम्मू और कश्मीर	4.3	2.2	9.8	3.3	6.4	9.2	6.4	5.9
11.	कर्नाटक	5.4	5.5	12.5	5.0	12.0	9.0	11.2	7.2
12.	केरल	0.3	–1.3	9.0	6.2	11.0	10.6	9.5	8.2
13.	मध्य प्रदेश	4.4	6.9	8.0	9.7	7.0	10.3	6.7	9.2
14.	छत्तीसगढ	1.7	6.9	12.0	5.6	8.0	11.1	8.6	7.7
15.	महाराष्ट्र	4.4	1.9	8.0	8.1	10.2	9.9	9.1	8.6
16.	मणिपुर	1.2	8.6	8.0	4.2	7.0	6.7	5.9	6.2
17.	मेघालय	4.7	1.7	8.0	9.8	7.9	8.9	7.3	7.8
18.	मिजोरम	1.6	8.8	8.0	11.9	8.0	11.2	7.1	10.8
19.	नागालैण्ड	8.4	4.3	8.0	9.2	10.0	6.5	9.3	6.2
20.	ओडिशा	3.0	2.3	12.0	6.8	9.6	9.5	8.8	7.1
21.	पंजाब	2.4	1.9	8.0	7.8	7.4	9.0	5.9	6.7
22.	राजस्थान	3.5	7.4	8.0	7.3	8.9	10.1	7.4	8.5
23.	सिक्किम	3.3	3.9	8.0	46.4	7.2	12.5	6.7	22.8
24.	तमिलनाडु	4.7	2.2	8.0	7.6	9.4	8.8	8.5	7.7
25.	त्रिपुरा	1.4	8.4	8.0	8.7	8.0	9.4	6.9	8.9
26.	उत्तर प्रदेश	3.0	3.2	8.0	5.7	7.1	9.8	6.1	7.1
27.	उत्तराखण्ड	3.0	3.4	12.0	14.1	11.0	14.7	9.9	12.8
28.	प. बंगाल	4.0	2.4	11.0	5.1	11.0	9.7	9.7	7.3
	अखिल भारत	4.0	3.7	10.11	7.2	9.11	9.7	9.0	8.0

स्रोतः योजना आयोग के योजना–वार लक्ष्य एवं प्राप्ति केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ) द्वारा दिनांक 27.02.2013 को जारी किए गए डेटा पर आधारित है।

संलग्नक–ख

राज्य–वार गरीबी रेखा के नीचे आबादी की संख्या और प्रतिशतता–2009–10
(तेन्दुलकर क्रियाविधि)

क्रम. सं.	राज्य/संघ राज्य–क्षेत्र	ग्रामीण		शहरी		मिलाजुला	
		व्यक्तियों की प्रतिशतता	व्यक्तियों की संख्या (लाख)	व्यक्तियों की प्रतिशतता	व्यक्तियों की संख्या (लाख)	व्यक्तियों की प्रतिशतता	व्यक्तियों की संख्या (लाख)
1	आन्ध्र प्रदेश	22.8	127.9	17.7	48.7	21.1	176.6
2	अरूणाचल प्रदेश	26.2	2.7	24.9	0.8	25.9	3.5
3	असम	39.9	105.3	26.1	11.2	37.9	116.4
4	बिहार	55.3	498.7	39.4	44.8	53.5	543.5
5	छत्तीसगढ़	56.1	108.3	23.8	13.6	48.7	121.9
6	दिल्ली	7.7	0.3	14.4	22.9	14.2	23.3
7	गोवा	11.5	0.6	6.9	0.6	8.7	1.3
8	गुजरात	26.7	91.6	17.9	44.6	23.0	136.2
9	हरियाणा	18.6	30.4	23.0	19.6	20.1	50
10	हिमाचल प्रदेश	9.1	5.6	12.6	0.9	9.5	6.4
11	जम्मू और कश्मीर	8.1	7.3	12.8	4.2	9.4	11.5
12	झारखण्ड	41.6	102.2	31.1	24.0	39.1	126.2
13	कर्नाटक	26.1	97.4	19.6	44.9	23.6	142.3
14	केरल	12.0	21.6	12.1	18.0	12.0	39.6
15	मध्य प्रदेश	42.0	216.9	22.9	44.9	36.7	261.8
16	महाराष्ट्र	29.5	179.8	18.3	90.9	24.5	270.8
17	माणिपुर	47.4	8.8	46.4	3.7	47.1	12.5
18	मेघालय	15.3	3.5	24.1	1.4	17.1	4.9
19	मिजोरम	31.1	1.6	11.5	0.6	21.1	2.3
20	नागालैण्ड	19.3	2.8	25.0	1.4	20.9	4.1
21	ओडिशा	39.2	135.5	25.9	17.7	37.0	153.2
22	पांडिचेरी	0.2	0.0	1.6	0.1	1.2	0.1
23	पंजाब	14.6	25.1	18.1	18.4	15.9	43.5
24	राजस्थान	26.4	133.8	19.9	33.2	24.8	167
25	सिक्किम	15.5	0.7	5.0	0.1	13.1	0.8
26	तमिलनाडु	21.2	78.3	12.8	43.5	17.1	121.8
27	त्रिपुरा	19.8	5.4	10.0	0.9	17.4	6.3
28	उत्तर प्रदेश	39.4	600.6	31.7	137.3	37.7	737.9
29	उत्तराखण्ड	14.9	10.3	25.2	7.5	18.0	17.9
30	प. बंगाल	28.8	177.8	22.0	62.5	26.7	240.3
31	अंडमान व निकोबार द्वीप	0.4	0.01	0.3	0.004	0.4	0.01
32	चंडीगढ़	10.3	0.03	9.2	0.9	9.2	0.95
33	दादरा व नगर हवेली	55.9	1.0	17.7	0.3	39.1	1.27
34	दमन व दीव	34.2	0.2	33.0	0.5	33.3	0.75
35	लक्षद्वीप	22.2	0.03	1.7	0.01	6.8	0.04
	अखिल भारत	**33.8**	**2782.1**	**20.9**	**764.7**	**29.8**	**3546.8**

स्रोत : योजना आयोग

नोट : (1) गरीबी रेखा से नीचे व्यक्तियों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए 1 मार्च 2010 को आबादी का उपयोग किया गया है।(2001 और 2011 जन गणना के बीच अन्तर्वेषित)

(2) तमिलनाडु की गरीबी रेखा का उपयोग अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए किया गया है।

(3) पंजाब की गरीबी रेखा का उपयोग चण्डीगढ़ के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए किया गया है।

(4) महाराष्ट्र की गरीबी रेखा का उपयोग दादरा और नागर हवेली के लिए किया गया है।

(5) गोवा की गरीबी रेखा का उपयोग दमन और दीव के लिए किया गया है।

(6) केरल की गरीबी रेखा का उपयोग लक्ष्यद्वीप के लिए किया गया है।

संलग्नक–ग

वर्ष 2004–05 के लिए गरीबी रेखा और प्रति व्यक्ति गरीबी अनुपात (एच सी आर) (तेंदुलकर पद्धति)

राज्य	गरीबी रेखा (रु.) 2004–05		प्रति व्यक्ति गरीबी अनुपात (एच सी आर) (%) 2004–05		
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	कुल
आन्ध्र प्रदेश	433.43	563.16	32.3	23.4	29.9
अरूणाचल प्रदेश	547.14	618.45	33.6	23.5	31.1
असम	478.00	600.03	36.4	21.8	34.4
बिहार	433.43	526.18	55.7	43.7	54.4
छत्तीसगढ़	398.92	513.70	55.1	28.4	49.4
दिल्ली	541.39	642.47	15.6	12.9	13.1
गोवा	608.76	671.15	28.1	22.2	25.0
गुजरात	501.58	659.18	39.1	20.1	31.8
हरियाणा	529.42	626.41	24.8	22.4	24.1
हिमाचल प्रदेश	520.40	605.74	25.0	4.6	22.9
जम्मू और कश्मीर	522.30	602.89	14.1	10.4	13.2
झारखण्ड	404.79	531.35	51.6	23.8	45.3
कर्नाटक	417.84	588.06	37.5	25.9	33.4
केरल	537.31	584.70	20.2	18.4	19.7
मध्य प्रदेश	408.41	532.26	53.6	35.1	48.6
महाराष्ट्र	484.89	631.85	47.9	25.6	38.1
माणिपुर	578.11	641.13	39.3	34.5	38.0
मेघालय	503.32	745.73	14.0	24.7	16.1
मिजोरम	639.27	699.75	23.0	7.9	15.3
नागालैण्ड	687.30	782.93	10.0	4.3	9.0
ओडिशा	407.78	497.31	60.8	37.6	57.2
पांडिचेरी	385.45	506.17	22.9	9.9	14.1
पंजाब	543.51	642.51	22.1	18.7	20.9
राजस्थान	478.00	568.15	35.8	29.7	34.4
सिक्किम	531.50	741.68	31.8	25.9	31.1
तमिलनाडु	441.69	559.77	37.5	19.7	28.9
त्रिपुरा	450.49	555.79	44.5	22.5	40.6
उत्तर प्रदेश	435.14	532.12	42.7	34.1	40.9
उतरांचल	486.24	602.39	35.1	26.2	32.7
प. बंगाल	445.38	572.51	38.2	24.4	34.3
अखिल भारत	446.68	578.8	41.8	25.7	37.2

अध्याय–3
योजना

3.1 बारहवीं पंच वर्षीय योजना (2012–17) के प्रथम वर्ष के लिए वार्षिक योजना (एपी) 2012–13 आबंटन, बारहवीं पंच वर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में उल्लिखित उद्देश्यों और कार्यनीतियों को ध्यान में रखते हुए किया गया था। दृष्टिकोण पत्र में तीव्र, संधारणीय तथा और अधिक समावेशी विकास के लिए एक त्रिआयामीय नीति का प्रस्ताव किया गया है। तीव्र, संधारणीय तथा और अधिक समावेशी विकास का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए वार्षिक योजना 2012–13 में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्राम विकास, महिला और बाल विकास, अनु.जातियों/अनु. जनजातियों अल्पसंख्यकों, शहरी विकास, इन्फ्रास्ट्रक्चर (सिंचाई, सड़कें और विद्युत) तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर बल दिया गया है।

3.2 योजना आबंटन तय करते समय, योजना आयोग ने मंत्रालयों/विभागों के चल रहे प्रमुख कार्यक्रमों, अग्रणी और भारत निर्माण कार्यक्रम सहित की दृष्टि से उनकी जरूरतों और आवश्यकताओं का आकलन किया था। अर्थव्यवस्था के उत्पादन आधार का विस्तार करने, संसाधनों को इकट्ठा करके आर्थिक विकास में वृद्धि करने और पर्याप्त तथा समय पर रोजगार की व्यवस्था करके, भौतिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, उत्तम उच्च शिक्षा और सषक्त विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी परिवेश सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। योजना के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी अनिवार्य सार्वजनिक सेवाओं पर बल देने से न केवल यह सुनिश्चित होगा कि विकास के लाभ समान रूप से प्राप्त हों बल्कि आम जनता को विकास प्रक्रिया से अलग–रखने के बोध को कम करने में भी मदद मिलेगी।

वार्षिक योजना 2012–13 की पृष्ठभूमि

3.3 योजना आयोग द्वारा केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को 2012–13 के लिए वार्षिक योजना निम्नलिखित सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए, तैयार करने की सलाह दी जाती है:

(i) दृष्टिकोण पत्र में निर्धारित प्राथमिकताओं और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, बारहवीं पंच वर्षीय योजना/वार्षिक योजना (2012–13) के लिए स्कीमों/परियोजनाओं पर फिर से विचार करना ताकि उपलब्ध संसाधनों का अत्यधिक विवेकपूर्ण ढंग से और राजकोषीय संतुलन बनाए रखने के लिए सुचारू ढंग से उपयोग हो सके।

(ii) विद्यमान सी एस एस स्कीमों की बारहवीं पंच वर्षीय योजना प्राथमिकताओं के अनुसार पुनर्संरचना करना।

(iii) धनराशि का बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने तथा सेवा सुपुर्दगी की कोटि सुधारने के लिए, विशेष रूप से स्वास्थ्य देख–रेख, प्राथमिक शिक्षा जैसी सामाजिक सेवाएं प्रदान करने, सड़कों, रेल–सड़कों, बन्दरगाहों और हवाई अड्डों के रूप में उत्तम परिवहन सुविधाएं प्रदान करने और सुरक्षित पेय जल तथा स्वच्छता में सुधार करने के लिए, सार्वजनिक जनराशि का लाभ उठाने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर को प्रोत्साहित करने में सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

(iv) धनराशि की आवश्यकता और योजना आबंटनों के बीच बेमेलपन को रोकने के लिए सभी स्कीमों के संबंध में "शून्य आधारित बजट पद्धति (जेडबीबी)" अपनाने पर बल देना। इससे, वित्तीय आबंटन की बजाए वांछित भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति पर अधिक बल देने में मदद मिलती है।

(v) विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की कोटि सुधारने के लिए वित्तीय परिव्ययों को आउटकम में बदलने पर बल दिया जाना चाहिए।

मंत्रालय/विभाग द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे योजना कार्यक्रमों/स्कीमों के तात्कालिक परिणामों के लक्ष्य तय करने तथा मात्रात्मक सुपुर्दगियों का परिणाम बजट दस्तावेजों के अनुसार आकलन करने की जरूरत है।

(vi) योजना प्रक्रिया और कार्यकलापों के बीच बजटीय संसाधनों के आबंटन की प्रभावशीलता में वृद्धि करने के उद्देश्य से अपने–अपने वार्षिक योजना प्रस्तावों में प्रस्तावित बाह्य सहायता–प्राप्त परियोजना (ईएपी) को सम्मिलित करना।

(vii) बजट का कम से कम 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर के लिए विनिश्चित करना (विशिष्ट रूप से छूट प्राप्त को छोड़कर)। लैंगिक बजट पद्धति और अनुसूचित जाति उप योजना (एस सी एस पी) तथा जनजातीय उपयोजना (टी एस पी) के लिए विशेष बल दिए जाने की जरूरत है। एस सी एस पी और टी एस पी के अन्तर्गत निधियां विनिश्चित करने के संबंध में योजना आयोग के संशोधित दिषानिदेषों का पालन करने के अलावा, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से प्रत्येक वर्ष अलग– अलग एससीएसपी और टीएसपी के अन्तर्गत स्कीम/कार्यक्रम–वार आबंटन विनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है।

वार्षिक योजना 2012–13 के बजटीय आबंटन की विशेषताएं

3.4 वार्षिक योजना 2012–13 के लिए आबंटनों के अन्तर्गत, केन्द्रीय योजना का अलग–अलग आकार निर्धारित करते समय निम्नलिखित को प्राथमिकता वाला क्षेत्र समझा गया थाः

- ग्रामीण विकास, पेयजल आपूर्ति सहित
- शिक्षा
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण
- रेलवे और सड़क परिवहन
- महिला और बाल विकास
- कृषि
- विद्युत
- सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण

3.5 बजट 2012–13 में केन्द्रीय सरकार का कुल व्यय 14,90,925.29 करोड़ रुपए निश्चित किया गया है जो मोटे तौर पर जीडीपी का 14.67 प्रतिशत है। योजना व्यय के अन्तर्गत, केन्द्रीय योजना पर सरकार का राजस्व और पूंजीगत दोनों व्यय, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता सम्मिलित है। योजना व्यय कुल व्यय का लगभग 35 प्रतिशत अथवा जी डी पी का 5.13 प्रतिशत है। वर्ष 2012–13 के लिए 5,21,025 करोड़ रुपए के योजना व्यय में ब.अ. 2011–12 की तुलना में 18 प्रतिशत की वृद्धि और सं.अ. 2011–12 की तुलना में 22 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज होने का अनुमान है। वर्ष 2012–13 में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 1,29,998 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता योजना व्यय का 25 प्रतिशत और अथवा जीडीपी का लगभग 1.28 प्रतिशत है।

केन्द्रीय योजना परिव्यय

3.6 केन्द्रीय योजना के लिए बजट सहायता और साथ ही सरकारी उद्यमों के आन्तरिक और बजट बाह्य संसाधन (आई ई बी आर) केन्द्रीय योजना परिव्यय है। सकल बजटीय सहायता केन्द्रीय योजना परिव्यय का लगभग 60% है। वर्ष 2012–13 के दौरान कुल योजना परिव्यय, 3,91,027.00 करोड़ रुपए की जी बी एस और 2,60,482.25 करोड़ रुपए के आई ई बी आर घटक को मिलाकर 6,51,509.25 करोड़ रुपए रखा गया है। 2012–13 के लिए कुल योजना परिव्यय 2011–12 में योजना परिव्यय से 9.97 प्रतिशत अधिक है। वार्षिक योजना 2011–12 में किए गए आवंटनों की तुलना में वार्शिक योजना 2012–13 में जी बी एस और आई ई बी आर में क्रमशः 16.54 प्रतिशत और 1.38 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल केन्द्रीय योजना परिव्यय में

वार्षिक योजना 2012–13 में महत्त्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है, वार्षिक योजना 2011–12 में 5,92,457 करोड़ रुपए से 59,052.26 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की गई जो वार्षिक योजना 2012–13 में 6,51,509 करोड़ रुपए हो गया। तथापि, सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) के प्रतिशत के रूप में केन्द्रीय योजना परिव्यय में वर्ष के दौरान मामूली सी कमी आई।

विकास शीर्ष–वार केन्द्रीय योजना परिव्यय

3.7 विकास शीर्ष–वार केन्द्रीय योजना परिव्यय से पता चलता है कि योजना प्राथमिकताएं वर्षों के दौरान सतत बनी हुई हैं। सामाजिक सेवाएं, ऊर्जा और परिवहन मिलकर 2011–12 और 2012–13 दोनों में कुल केन्द्रीय योजना परिव्यय का मोटे तौर पर 72 प्रतिशत है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात 2011–12 के दोरान कुल केन्द्रीय योजना परिव्यय का 26.25 प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रक के लिए, 25.96 प्रतिशत समाज सेवाओं के लिए और 19.72 प्रतिशत परिवहन के लिए आबंटित किया गया है। 2012–13 के दौरान उनकी प्रतिशतता क्रमशः 23.77, 28.99 और 19.24 थी। यद्यपि समाज सेवाओं, उद्योग और खनिजों, सामान्य आर्थिक सेवाओं, कृषि और सम्बद्ध कार्यकलापों, सिंचाई और बाढ नियंत्रण के हिस्से में मामूली वृद्धि दर्ज की गई तथापि ग्रामीण विकास, ऊर्जा, विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण तथा संचार के हिस्से में मामूली सी कमी आई। विकास की दृष्टि से सबसे अधिक वृद्धि सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण में और उसके बाद सामान्य आर्थिक सेवाओं और उद्योग तथा खनिजों में अनुमानित है। ग्रामीण विकास और संचार के अन्तर्गत व्यय वित्त वर्ष 2012–13 में कम होने की उम्मीद है।

कृषि

3.7.1 बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रकों से जी डी पी में 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि की परिकल्पना की गई है। यह लक्ष्य, ''समावेशिता'' का एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि विकास और निर्धनता कटौती के विश्व अनुभव से पता चलता है कि कृषि में होने वाली जी डी पी वृद्धि कृषि से इतर से होने वाली जी डी पी में वृद्धि के रूप में गरीबी को कम करने में कम से कम दो गुणा प्रभावी है। हमारी लगभग आधी आबादी अपनी अजीविकाओं के लिए या तो पूर्ण रूप से अथवा पर्याप्त रूप से कृषि कार्यकलाप के किसी न किसी रूप से चाहे, वह फसल खेती, बागवानी, पशु पालन अथवा मात्स्यिकी पर निर्भर है। इस प्रकार समावेशी विकास का उद्देश्य केवल इस क्षेत्रक में आमूल रूप से परिवर्तन करके और वर्तमान कृषि परिदृश्य को बदलकर प्राप्त किया जा सकता है। तदनुसार, 2012–13 के दौरान कृषि और सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए 17,692.37 करोड रुपए आबंटित किए गए हैं जो कुल केन्द्रीय योजना परिव्यय का 2.72 प्रतिशत है तथा 2011–12 ब.अ. की तुलना में 2,948.23 करोड़ रुपए की वृद्धि (20 प्रतिशत) है। वृद्धि मुख्यतः फसल खेती, अन्य कृषि कार्यक्रमों और कृषि अनुसंधान और शिक्षा के लिए बढ़े हुए आबंटन के कारण थी। सभी उप क्षेत्रकों के लिए, सहकारिता को छोड़कर 2011–12 के दौरान की तुलना में 2012–13 के दौरान उच्च आबंटन की व्यवस्था की गई है।

ग्रामीण विकास

3.7.2 ग्रामीण विकास क्षेत्रक के लिए परिव्यय में 2011–12 और 2012–13 के बीच 12 प्रतिशत की कमी आई है। वर्ष 2011–12 के दौरान इस क्षेत्रक के लिए केन्द्रीय योजना परिव्यय 46,292.08 करोड़ रुपए था जो 2012–13 के दौरान कम होकर 40,763.45 करोड़ रुपए हो गया। यह मुख्यतः एम जी एन आर ई जी ए के योजना परिव्यय को 2011–12 में 40,000 करोड़ रुपए से 2012–13 में 33,000 करोड़ रुपए तक कम करने के कारण है। ग्रामीण विकास के अन्य उप–क्षेत्रकों में उनके योजना परिव्यय में वृद्धि देखी गई।

सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण

3.7.3 वार्षिक योजना 2012–13 में इस क्षेत्रक के लिए 2011–12 में आबंटन की तुलना में (2011–12 में 565.29 करोड़ रुपए से 2012–13 में 1275.00 करोड़

रुपए) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण क्षेत्रक में योजना परिव्यय में लगभग 125 प्रतिशत की पर्याप्त वृद्धि की गई है। बड़ी और मझौली सिंचाई के लिए परिव्यय 2011–12 में 273.89 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2012–13 में 745.20 करोड़ रुपए कर दिया गया है। (172.08 प्रतिशत की वृद्धि)। इसी प्रकार से छोटी सिंचाई क्षेत्रक परिव्यय को 130.40 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 336.80 करोड़ रुपए और बाढ़ तथा नाली व्यवस्था नियंत्रण क्षेत्रक के लिए परिव्यय 161.00 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 193.00 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

ऊर्जा

3.7.4 ऊर्जा क्षेत्रक के लिए कुल केन्द्रीय योजना परिव्यय में 4 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई जो 2011–12 के दौरान 1,55,495.16 करोड़ रुपए से 2012–13 में 15,481.94 करोड़ रुपए हो गया। कुल योजना परिव्यय में कमी का मुख्य कारण इसके दो उप–क्षेत्रकों, अर्थात विद्युत और पेट्रोलियम के परिव्यय में कमी होना था। विद्युत के लिए वार्षिक योजना परिव्यय 2011–12 में 72,753.50 करोड़ रुपए था जो जी बी एस में वृद्धि के बावजूद 2012–13 में कम होकर 69,507.53 करोड़ रुपए हो गया। इसका मुख्य कारण एन टी पी सी लि. और नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. के आई ई बी आर में कमी होना था। इसी प्रकार पेट्रोलियम के लिए योजना परिव्यय 72,753.50 करोड़ रुपए से कम होकर 69,507.53 करोड़ रुपए हो गया। 2012–13 के दौरान कोयला और लिगनाइट तथा नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा के लिए आबंटन क्रमशः 8021.03 करोड़ रुपए और 4716. 03 करोड़ रुपए तय किया गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए योजना परिव्यय में 2011–12 की तुलना में 2012–13 में 132 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि की गई है।

उद्योग और खनिज

3.7.5 तेरह क्षेत्रकों को उद्योग और खनिज क्षेत्रक के अन्तर्गत इकट्ठा कर दिया गया है। वर्ष 2012–13 के दौरान इन क्षेत्रकों के लिए कुल योजना परिव्यय 57,226.76 करोड़ रुपए है जबकि 2011–12 के दौरान 39520.14 करोड़ रुपए का परिव्यय निश्चित किया गया था जो स्थूल रूप से 27 प्रतिशत की वृद्धि का द्योतक है। उद्योग और खनिजों के लिए बढ़ा हुआ परिव्यय मुख्यतः पेट्रो–रसायन उद्योगों के योजना परिव्यय में वृद्धि के कारण है जिसका हिस्सा 2011–12 में उद्योग और खनिजों के लिए समग्र आबंटन के 5 प्रतिशत से बढ़कर 2012–13 में 15 प्रतिशत हो गया। सभी उप क्षेत्रकों के लिए, सीमेन्ट, गैर–धातुीय खनिज उद्योगों, उर्वरक और उपभोक्ता उद्योगों को छोड़कर योजना परिव्यय में तथा उद्योगों व खनिजों पर अन्य परिव्यय में वृद्धि दर्ज की गई।

परिवहन

3.7.6 उच्च आर्थिक विकास के लिए परिवहन अवस्थापना की कोटि में सुधार एक अनिवार्य पूर्वावेक्षा है। अपर्याप्त और अकुशल परिवहन क्षेत्रक के कारण उच्च कारोबारी लागतों से अर्थव्यवस्था द्वारा अपनी पूरी विकास क्षमता प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न हो सकती है चाहे अन्य मोर्चो पर कितनी ही प्रगति हो। इसलिए परिवहन क्षेत्रक के लिए परिव्यय को 2011–12 में 1,16,860.91 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2012–13 में 1,25,357.06 करोड़ रुपए कर दिया गया है जो 7.3 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। यह वृद्धि मृख्यतः सड़कों और पुलों के लिए अधिक आबंटन के कारण है। रेलवे के लिए परिव्यय में भी वृद्धि की गई है। ये सभी मिलकर परिवहन क्षेत्रक के लिए योजना परिव्यय का लगभग 90 प्रतिशत है। पोत परिवहन और नागर विमानन के लिए परिव्यय में अवधि के दौरान क्रमशः 40.57 प्रतिशत और 19.66 प्रतिशत की कमी की गई है।

संचार

3.7.7 संचार क्षेत्रक के लिए केन्द्रीय योजना परिव्यय 2011–12 से 2012–13 में 23.92 प्रतिशत तक कम कर दिया गया है। दूर संचार सेवाओं में 6031 करोड़ रुपए की बड़ी कमी देखी गई है। 2011–12 में परिव्यय 16423.09 करोड़ रुपए था जिसे घटाकर 2012–13 में 10,391.39 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह बी एस एन एल और एम टी एन एल से आई ई बी आर में कमी होने का परिणाम है। डाक सेवाओं के लिए परिव्यय में अवधि के दौरान 3.75 करोड़

रुपए की मामूली सी वृद्धि की गई है। (2011–12 में 716.25 करोड़ रुपए से 2012–13 में 720.00 करोड़ रुपए)।

विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण

3.7.8 वैज्ञानिक क्षेत्र में अनुसंधान और विकास, विकासात्मक कार्यकलापों के लिए एक गुणक के रूप में कार्य करता है तथा भारत को एक ज्ञान अर्थव्यवस्था बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण से सम्बद्ध पांच क्षेत्रकों के लिए वार्षिक योजना 2012–13 में 16,591.65 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जो वार्षिक योजना 2011–12 की तुलना में 405 करोड़ रुपए अधिक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान और विकास मुद्दों के साथ डील करने वाले पांच क्षेत्रकों में से तीन क्षेत्रकों, यथा अन्तरिक्ष अनुसंधान, समुद्रीय अनुसंधान और पारिस्थितिकी और पर्यावरण में 2011–12 और 2012–13 के बीच उनके आवंटन में नकारात्मक वृद्धि देखी गई। परमाणु ऊर्जा व अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अनुसंधान परिव्यय में इस अवधि के दौरान उनके वार्षिक आवंटन में क्रमशः 7.75 प्रतिशत और 8.19 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।

सामान्य आर्थिक सेवाएं

3.7.9 सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए केन्द्रीय योजना परिव्यय में 2011–12 में 15802.05 करोड़ रुपए से 2012–13 में 24777.28 करोड़ रुपए की 56 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इस क्षेत्रक के अंदर, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के घटक में अधिकतम वृद्धि देखी गई (129.08 प्रतिशत) और अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग (87.50 प्रतिशत)। एकमात्र उप–क्षेत्रक जिसमें कुल योजना परिव्यय में कमी देखी गई, जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी है। पर्यटन और विदेश व्यापार तथा निर्यात प्रोत्साहन क्षेत्रक के लिए क्रमशः 1089.00 करोड़ रुपए और 1419.75 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

सामाजिक सेवाएं

3.7.10 स्वास्थ्य, शिक्षा और जल व स्वच्छता को मिलाकर सामाजिक क्षेत्रक योजना के लिए एक प्रमुख क्षेत्र बना हुआ है। इन सेवाओं में सरकारी व्यय मानव पूंजी निर्माण और देश के संधारणीय विकास के लिए महत्वपूर्ण है। वर्तमान खंड में वार्षिक योजना 2012–13 के दौरान कुछेक प्रमुख सामाजिक सेवाओं के योजना आवंटन के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी। शिक्षा को सबसे बड़ा समता लाने वाला उपाय समझा जाता है क्योंकि यह आम जनता को विकास प्रक्रिया में भाग लेने के लिए समर्थ बनाती है। इसलिए, सामान्य और तकनीकी शिक्षा के लिए 2012–13 में 55367. 95 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जो कुल योजना परिव्यय का लगभग 8.5 प्रतिशत है। 2012–13 के लिए आवंटन वार्षिक योजना 2011–12 के लिए किए गए आवंटन से 8288.64 करोड़ रुपए अधिक है। कुल मिलाकर 2012–13 के दौरान 2011–12 की तुलना में शिक्षा के लिए बजट आवंटन में 17.61 प्रतिशत का उछाल हुआ है। वार्षिक योजना 2012–13 में खेलों और युवा मामलों तथा कला और संस्कृति के लिए उनके आवंटन में क्रमशः 4.70 प्रतिशत और 10.02 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। बारहवीं योजना में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों की दिशा में तेजी से प्रगति प्राप्त करने की नीतियों पर पुनः बल दिया गया है जिनमें बेहतर स्वास्थ्य के लिए एक व्यापक नीति और स्वास्थ्य संकेतकों में, जैसे कि मातृत्व मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, समग्र प्रजनन दर और रक्ताल्पता, विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के बीच पर्याप्त सुधार सुनिश्चित होगा। तदनुसार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्र के लिए समग्र योजना आवंटन को 2011–12 में 24,067.38 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2012–13 में 27,404.72 करोड़ रुपए कर दिया गया है। बीमारी के भार को कम करने तथा कुपोषण को चैक करने के लिए स्वास्थ्य संबंधी उपाय और कार्यनीति का एक अनिवार्य संघटक है। इसलिए, जलापूर्ति और स्वच्छता के लिए कुल वार्षिक योजना 2012–13 परिव्यय 2011–12 में 9971.00 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 12625.00 करोड़ रुपए कर दिया

गया है। इसी प्रकार, आवासन क्षेत्रक के लिए आवंटन, जो 2011–12 के दौरान 16,278.28 करोड़ रुपए था, 2012–13 में बढ़ाकर 22575.08 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अनु. जातियों, अनु. जनजातियों तथा अल्पसंख्यकों व अन्य बहिष्कृत समूहों की जरूरतों और आवश्यकताओं को पूरा करने तथा उन्हें समाज के शेष वर्गों के बराबर लाने के लिए अनु. जातियों, अनु. जनजातियों, अ.पि. वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए परिव्यय बढ़ाकर 2012–13 में क्रमशः 9132.47 करोड़ रुपए और 18,191.30 करोड़ रुपए कर दिया गया है जबकि 2011–12 में यह राशि क्रमशः 8355.10 करोड़ रुपए और 12449.80 करोड़ रुपए थी। देश में बेरोजगारी की चुनौतियों का सामना करने के लिए, श्रम और रोजगार के लिए योजना आवंटन 2011–12 में 1164.60 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2012–13 में 2216.73 करोड़ रुपए कर दिया गया है। शहरी विकास के लिए वार्शिक योजना 2012–13 परिव्यय 9837.95 करोड़ रुपए है तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विकास के लिए परिव्यय 27987.96 करोड़ रुपए है।

सामान्य सेवाएं

3.7.11 सामान्य सेवाओं के लिए परिव्यय 2012–13 में 8700.67 करोड़ रुपए रखा गया है जिसमें न्याय के प्रशासन के लिए 945.00 करोड़ रुपए, सामान्य सचिवालयी सेवाओं के लिए 50.15 करोड़ रुपए, पुलिस के लिए 7,292.07 करोड़ रू., आपूर्ति एवं निपटान के लिए 20.00 करोड़ रुपए, लोक निर्माण कार्यों के लिए 128.50 करोड़ रुपए और अन्य प्रशासनिक सेवाओं के लिए 264.95 करोड़ रुपए सम्मिलित है। क्षेत्रक में केन्द्रीय योजना परिव्यय में कुल मिलाकर 20 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है तथा 400 प्रतिशत की अधिकतम वृद्धि आपूर्ति और निपटान क्षेत्रक में देखी गई है।

प्रमुख कार्यक्रम

3.7.12 प्रमुख अग्रणी कार्यक्रमों के लिए इस वर्ष के बजट आवंटन से पता चलता है कि 12 बड़े विकास कार्यक्रमों में से सात कार्यक्रमों में 15 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक वृद्धि देखी गई, तीन कार्यक्रमों में 15 प्रतिषत से कम वृद्धि देखी गई तथा दो कार्यक्रमों में उनके पिछले वर्ष के बजट आवंटनों की तुलना में कमी देखी गई। आईसीडीएस में 2011–12 और 2012–13 के बीच 58.5 प्रतिशत की अधिकतम वृद्धि देखी गई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार स्कीम और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के लिए बजट आवंटन में 2012–13 में आवंटन में कमी देखी गई। 2012–13 के दौरान 2011–12 की तुलना में इन्दिरा आवास योजना के लिए आवंटन में केवल 10.75 प्रतिशत की वृद्धि की गई। 2012–13 के लिए प्रमुख अग्रणी कार्यक्रमों के लिए बजट आवंटन (योजना) नीचे तालिका में दर्शाया गया है :

राज्य और संघ राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिए सहायता

3.8 राज्यों की वार्षिक योजनाओं और साथ ही पंचवर्षीय योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। केन्द्र से राज्यों को हस्तान्तरित किए जाने वाले महत्वपूर्ण योजना अनुदान हैं : सामान्य केन्द्रीय सहायता (एनसीए) और स्कीम आधारित केन्द्रीय सहायता जिसे एसीए (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) के नाम से जाना जाता है। एनसीए फार्मूला आधारित है जबकि एसीए, कतिपय स्कीम, जैसेकि एआईबीपी, जेएनएनयूआरएम आदि कार्यान्वित करने के लिए सामान्य केन्द्रीय सहायता के अलावा दी गई सहायता है। वार्षिक योजना 2012–13 में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के वास्ते 129998 करोड़ रुपए विनिश्चित किए गए हैं जो योजना व्यय का मोटे तौर पर 25 प्रतिशत है। यह, 2011–12 में विनिश्चित 106025.75 करोड़ रुपए से लगभग 23 प्रतिशत अधिक है। इस सहायता का बड़ा हिस्सा (लगभग 96 प्रतिशत) राज्य योजनाओं के लिए दिया जाता है जबकि शेष संघ राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिए प्राप्त होता है। सामान्य केन्द्रीय सहायता राज्य योजनाओं के लिए 2012–13 में लगभग 21 प्रतिशत है जबकि एक वर्ष पहले यह 23 प्रतिशत थी।

प्रमुख अग्रणी कार्यक्रमों के लिए बजट आवंटन (योजना)

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	कार्यक्रम	2011–12	2012–13	2011–12 की तुलना में % वृद्धि
1	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार स्कीम (एमजीएनआरईजीएस)	40,000	33,000	–17.5
2	इन्दिरा आवास योजना (आईएवाई)	10,000	11,075	10.75
3	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)	6,158	8,446.96	37.17
4	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	20,000	24,000	20.00
5	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम)	17,840	20,542	15.15
6	एकीकृत बाल विकास स्कीम (आईसीडीएस)	10,000	15,850	58.50
7	मध्याह्न भोजन स्कीम (एमडीएम)	10,380	11,937	15.00
8	सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)	21,000	25,555	21.69
9	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)	13,700	13,359	–2.49
10	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीआई)	7,810	9,217	18.02
11	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी)	12,650	14,242	12.58
12	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)	9,350	10,500	12.30

संलग्नक–3.1

विकास शीर्ष–वार केन्द्रीय योजना परिव्यय (ब.अ.) 2011–12 और 2012–13

क्रम सं.	प्रमुख विकास शीर्ष	2011–12		2012–13	
		ब.अ.	परिव्यय का कुल प्रतिशत	ब.अ.	परिव्यय का कुल प्रतिशत
1	कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप	14744.14	2.49	17692.37	2.71
2	ग्रामीण विकास	46292.08	7.81	40763.45	6.26
3	सिंचाई एंव बाढ़ नियंत्रण	565.29	0.10	1275.00	0.20
4	ऊर्जा	155495.16	26.25	154841.94	23.77
5	उद्योग एवं खनिज	45213.76	7.63	57226.76	8.78
6	परिवहन	116860.91	19.72	125357.06	19.24
7	संचार	20255.53	3.42	15411.38	2.37
8	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	16186.27	2.73	16591.65	2.55
9	सामान्य आर्थिक सेवाएं	15802.05	2.67	24777.28	3.80
10	सामाजिक सेवाएं	153812.15	25.96	188871.69	28.99
11	सामान्य सेवाएं	7229.65	1.22	8700.67	1.33
	कुल योग	**592456.99**	**100**	**651509.25**	**100**

संलग्नक–3.2

मंत्रालय/विभाग–वार केन्द्रीय योजना परिव्यय

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग	वार्षिक योजना (2011–12) अनुमोदित परिव्यय			वार्षिक योजना (2012–13) अनुमोदित परिव्यय			2011–12 की तुलना में % वृद्धि
		जीबीएस	आईईबीआर	कुल	जीबीएस	आईईबीआर	कुल	
1	कृषि और सहकारिता विभाग	9262.00	0.00	9262.00	10991.00	0.00	10991.00	18.67
2	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	2800.00	0.00	2800.00	3220.00	0.00	3220.00	15.00
3	पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग	1600.00	0.00	1600.00	1910.00	0.00	1910.00	19.38
4	परमाणु ऊर्जा विभाग	5600.00	4412.00	10012.00	5600.00	6073.41	11673.41	16.59
5	रसायन और पेट्रोरसायन विभाग	800.00	0.00	800.00	1757.00	0.00	1757.00	119.63
6	उर्वरक विभाग	225.00	3325.22	3550.22	256.00	3075.29	3331.29	–6.17
7	फार्मास्युटीकल्स विभाग	175.00	0.00	175.00	188.00	0.00	188.00	7.43
8	नागर विमानन मंत्रालय	1700.00	7371.56	9071.56	4500.00	2793.37	7293.37	–19.60
9	कोयला मंत्रालय	420.00	8882.85	9302.85	450.00	9182.78	9632.78	3.55
10	वाणिज्य विभाग	2000.00	0.00	2000.00	2100.00	0.00	2100.00	5.00
11	औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग	1300.00	0.00	1300.00	1365.00	0.00	1365.00	5.00
12	डाक विभाग	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
13	दूर संचार विभाग	3418.00	16463.09	19881.09	4800.00	10431.39	15231.39	–23.39
14	सूचना और संचार विभाग	3000.00	619.07	3619.07	3000.00	2362.80	5362.80	48.18
15	उपभोक्ता मामले विभाग	225.00	0.00	225.00	241.00	0.00	241.25	7.22
16	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	120.00	77.70	197.70	126.00	177.86	303.86	53.70
17	कारपोरेट मामले विभाग	28.00	0.00	28.00	32.00	0.00	32.00	14.29
18	संस्कृति मंत्रालय	785.00	0.00	785.00	864.00	0.00	864.00	10.06
19	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	191.00	0.00	191.00	205.00	0.00	205.00	7.33
20	भू–विज्ञान मंत्रालय	1220.00	0.00	1220.00	1281.00	0.00	1281.00	5.00
21	पर्यावरण और वन मंत्रालय	2300.00	0.00	2300.00	2430.00	0.00	2430.00	5.65
22	विदेश मंत्रालय	800.00	0.00	800.00	1500.00	0.00	1500.00	87.50
23	आर्थिक कार्य विभाग	2040.00	0.00	2040.00	4040.00	0.00	4040.00	98.04

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग	वार्षिक योजना (2011–12) अनुमोदित परिव्यय			वार्षिक योजना (2012–13) अनुमोदित परिव्यय			2011–12 की तुलना में % वृद्धि
		जीबीएस	आईईबीआर	कुल	जीबीएस	आईईबीआर	कुल	
24	वित्तीय सेवाएं विभाग	7850.00	0.00	7850.00	16088.00	0.00	16088.00	104.94
25	व्यय विभाग	5.00	0.00	5.00	4.00	0.00	4.00	–20.00
26	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	600.00	0.00	600.00	660.00	0.00	660.00	10.00
27	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	23560.00	0.00	23560.00	27127.00	0.00	27127.00	15.14
28	आयुष विभाग	900.00	0.00	900.00	990.00	0.00	990.00	10.00
29	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	600.00	0.00	600.00	660.00	0.00	660.00	10.00
30	एड्स विभाग– नया मंत्रालय	1700.00	0.00	1700.00	1700.00	0.00	1700.00	0.00
31	भारी उद्योग विभाग	399.00	1725.79	2124.79	553.00	2081.78	2634.78	24.00
32	लोक उद्यम विभाग	11.00	0.00	11.00	13.00	0.00	13.00	18.18
33	गृह मंत्रालय	10000.00	0.00	10000.00	10500.00	0.00	10500.00	5.00
34	आवासन और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	1100.00	6854.78	7954.78	1155.00	12176.33	13331.33	67.59
35	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	38957.00	00.00	38957.00	45969.00	0.00	45969.00	18.00
36	उच्च शिक्षा विभाग	13103.00	0.00	13103.00	15458.00	0.00	15458.00	17.97
37	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	861.00	0.00	861.00	905.00	400.00	1305.00	51.57
38	श्रम और रोजगार मंत्रालय	1300.00	0.00	1300.00	2470.00	0.00	2470.00	90.00
39	विधि और न्याय मंत्रालय	1000.00	0.00	1000.00	1050.00	0.00	1050.00	5.00
40	एमएसएमई मंत्रालय	2700.00	550.00	3250.00	2835.00	341.00	3176.00	–2.28
41	खान मंत्रालय	220.00	1369.42	1589.42	243.00	2699.64	2942.64	85.14
42	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	2850.00	0.00	2850.00	3135.00	0.00	3135.00	10.00
43	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	1200.00	950.00	2150.00	1385.00	1970.00	3355.00	56.05
44	पंचायती राज मंत्रालय	200.00	0.00	200.00	300.00	0.00	300.00	50.00
45	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	260.00	0.00	260.00	279.00	0.00	279.00	7.31
46	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	40.00	74811.82	74851.82	43.00	79684.88	79727.88	6.51
47	योजना मंत्रालय	1600.00	0.00	1600.00	2100.00	0.00	2100.00	31.25

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग	वार्षिक योजना (2011–12) अनुमोदित परिव्यय			वार्षिक योजना (2012–13) अनुमोदित परिव्यय			2011–12 की तुलना में % वृद्धि
		जीबीएस	आईईबीआर	कुल	जीबीएस	आईईबीआर	कुल	
48	विद्युत मंत्रालय	9642.00	56740.73	66382.73	9642.00	52782.50	62424.50	–5.96
49	ग्रामीण विकास विभाग	74100.00	0.00	74100.00	73175.00	0.00	73175.00	–1.25
50	भू–संसाधन विभाग	2700.00	0.00	2700.00	3201.00	0.00	3201.00	18.56
51	पेय जल आपूर्ति विभाग	11000.00	0.00	11000.00	14000.00	0.00	14000.00	27.27
52	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	2349.00	0.00	2349.00	2477.00	0.00	2477.20	5.46
53	डीएसआईआर	1930.00	0.00	1930.00	2013.00	0.00	2013.00	4.30
54	जैव–प्रौद्योगिकी विभाग	1400.00	0.00	1400.00	1485.00	0.00	1485.00	6.07
55	पोत परिवहन विभाग	750.00	5774.92	6524.92	817.00	4858.47	5675.77	–13.01
56	सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग	20000.00	7500.00	27500.00	23000.00	10000.00	33000.00	20.00
57	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	5375.00	0.00	5375.00	5915.00	0.00	5914.70	10.04
58	अन्तरिक्ष मंत्रालय	5700.00	0.00	5700.00	5615.00	0.00	5615.00	–1.49
59	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	600.00	0.00	600.00	631.00	0.00	631.00	5.17
60	इस्पात मंत्रालय	40.00	21062.71	21102.71	46.00	217.56	21802.00	3.31
61	कपड़ा मंत्रालय	5000.00	0.00	5000.00	7000.00	0.00	7000.00	40.00
62	पर्यटन मंत्रालय	1100.00	10.96	1110.96	1210.00	0.00	1210.00	8.91
63	जनजातीय कार्य मंत्रालय	1430.00	0.00	1430.00	1573.00	0.00	1573.00	10.00
64	शहरी विकास मंत्रालय	6210.00	1844.00	8054.00	6908.00	2637.20	9544.93	18.51
65	जल संसाधन मंत्रालय	720.00	0.00	720.00	1500.00	0.00	1500.00	108.33
66	महिला और बाल विकास मंत्रालय	12650.00	0.00	12650.00	18500.00	0.00	18500.00	46.25
67	खेल और युवा मामले मंत्रालय	1000.00	0.00	1000.00	1041.00	0.00	1041.00	4.10
68	रेलवे	20000.00	36589.37	56589.37	24000.00	34997.55	58997.55	4.26
	केन्द्रीय योजना कुल योग	**335521.00**	**256935.99**	**592456.99**	**391027.00**	**260482.25**	**651509.25**	**9.97**

अध्याय–4
योजना आयोग के विभिन्न प्रभागों में प्रमुख कार्यकलाप

4.1 कृषि प्रभाग

4.1.1 योजना आयोग के कृषि प्रभाग को देश में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रक के विकास के लिए एक नीतिगत रूपरेखा तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। प्रभाग, कार्यक्रमों/स्कीमों की संवीक्षा करता है और ऐसे कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित निधियों के आवंटन की सिफारिश करता है। प्रभाग, कार्यान्वयन की कोटि में सुधार करने के लिए स्कीमों के कार्यान्वयन की समीक्षा और मानीटरन भी करता है तथा आवश्यक होने पर मध्यावधि सुधारों की सिफारिश करता है।

4.1.2 कृषि प्रभाग ने राज्य योजनाओं की समीक्षा की जहां तक वे कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रकों से संबंधित थी तथा कार्य दल बैठकों और संबंधित विभागों के साथ वार्षिक योजना चर्चाएं आयोजित करके योजना स्कीमों के निष्पादन का मानीटरन किया।

कार्य दल और संचालन समिति

4.1.3 ग्यारह कार्य दलों की रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी गई हैं और उन्हें योजना आयोग की वेबसाइट में अपलोड कर दिया गया है। ये रिपोर्टें निम्नलिखित से संबंधित हैं :

i) फसल खेती, कृषि इनपुट, मांग और आपूर्ति पूर्वानुमान और कृषि सांख्यिकी

ii) बागवानी और बागान फसलें

iii) पशुपालन और डेयरी उद्योग

iv) मात्स्यिकी और जलीय खेती का विकास और प्रबंध

v) संस्थागत वित्त की आउटरीच, सहकारिताएं और जोखिम प्रबंधन

vi) कृषि विपणन अवस्थापना, गौण कृषि और आन्तरिक व बाह्य व्यापार के लिए अपेक्षित नीति

vii) कृषि अनुसंधान और शिक्षा

viii) प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन और वर्षा सिंचित खेती

ix) कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रकों में कृषि विस्तार

x) कृषि में विकेन्द्रीयकरण योजना

xi) वंचित किसान, महिलाओं सहित

4.1.4 संचालन समिति की रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी गई हैं तथा उन्हें यथासमय कृषि संबंधी बारहवीं योजना अध्याय में अपलोड कर दिया जाएगा।

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का पुनगर्ठन

4.1.5 कृषि के संबंध में बारहवीं योजना अध्याय प्रभाग द्वारा तैयार किया गया तथा उसे राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 27 दिसम्बर 2012 को आयोजित अपनी 57वीं बैठक में अनुमोदित किया गया। राज्यों के कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रकों के संबंध में योजना खर्च में दो गुणा वृद्धि हुई जो ग्यारहवीं योजना के दौरान 1,11,824 करोड़ रुपए से बारहवीं योजना के दौरान 2,26,500 करोड़ रुपए हो गया। राष्ट्रीय योजना भी इसके 11वीं योजना व्यय से दुगनी से भी ज्यादा है। कृषि मंत्रालय की सभी स्कीमों के लिए बारहवीं योजना सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) 1,11,232 करोड़ रुपए हैं जिसमें कृषि और सहकारिता विभाग (डीएसी) के लिए 71,500 करोड़ रुपए, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डीएआरई) के लिए 25,553 करोड़ रुपए और पशु पालन, डेयरी उद्योग ओर मात्स्यिकी विभाग के लिए 14,179 करोड़ रुपए शामिल हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के लिए आवंटन में

भी ग्यारहवीं योजना के दौरान 22,426 करोड़ रुपए के वास्तविक व्यय के मुकाबले बारहवीं योजना के लिए 63,246 करोड़ रुपए पूर्वानुमानित है।

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का पुनगर्ठन

4.1.6 फसलों, बागवानी, कृषि विस्तार और महत्वपूर्ण इनपुटों, पशु पालन, डेयरी उद्योग और मात्स्यिकी की योजना स्कीमों को अनेक उपायों के साथ और अधिक समावेशी बनाने के लिए, ग्यारहवीं योजना की चल रही केन्द्र प्रायोजित स्कीमों का बी. के चतुर्वेदी समिति की सिफारिशों के अनुसार पुनर्गठन किया गया है। तदनुसार, 13 केन्द्र प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) और कृषि सहकारिता विभाग (डीएसी) की एक अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) स्कीम का 5 सीएसएस और 1 एसीए में पुनर्गठन किया गया है। इसी प्रकार, पशुपालन, डेयरी उद्योग और मात्स्यिकी विभाग (डीएएचडी और एफ) की 15 विद्यमान सीएसएस स्कीमों का 5 सीएसएस स्कीमों में पुनर्गठन किया गया है, केरल के इदुक्की और कुट्टानाड जिलों के लिए विशेष पशुधन और मात्स्यिकी क्षेत्रक के पैकेज सहित, जिसे नवम्बर 2013 तक समाप्त किया जाना है। कृषि मंत्रालय द्वारा बारहवीं योजना के दौरान कार्यान्वित की जाने वाली 9 सीएसएस और 1 एसीए स्कीम है; राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन, राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी प्रबंधन मिशन, राष्ट्रीय तिलहन और तेल पाम मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, राष्ट्रीय गोवंश प्रजनन और डेयरी कार्यक्रम, पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण, मछुआरों के लिए राष्ट्रीय कल्याण मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना।

4.1.7 40:40:20 अनुपात, अर्थात अवस्थापना के लिए 40 प्रतिशत, विद्यमान राज्य स्कीमों/परियोजनाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 40 प्रतिशत और राष्ट्रीय महत्व के विशेष कार्यक्रमों के लिए 20 प्रतिशत, अपनाने के लिए आरकेवीआई के आवंटन मापदण्ड में परिवर्तन करने पर चर्चा की गई। ''सिद्धान्ततः'' इस बात पर सहमति हुई कि आरकेवीआई खर्च का कम से कम 40 प्रतिशत अवस्थापना विकास पर खर्च किया जाना चाहिए। बारहवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान आरकेवीआई का पुनगर्ठन किया जाएगा ताकि बाजार और सहकारिता सुधारों, राज्य कृषि विश्वविद्यालय में अवस्थापना व्यय और जिला कृषि योजना के प्रभावी निर्माण और कार्यान्वयन को सुकर बनाया जा सके।

4.1.8 कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रकों में अनुसंधान और विकास को, संकेन्द्रित और स्पष्ट उपलब्धि और अपस्ट्रीम अनुसंधान संस्थानों के लिए अन्तर–विभागीय व्यवस्था को मिलाकर संघ अनुसंधान मंच कायम करके और अधिक लक्ष्यबद्ध बनाया गया है।

4.2 सामाजिक न्याय और समाज कल्याण प्रभाग

4.2.1 भारत एक कल्याण राज्य है तथा अपने लोगों का सामान्य रूप से और विशेष रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण और सशक्तीकरण का एक वैध दायित्व है। भारतीय समाज में कतिपय वंचित और कमजोर समूहों के समाजार्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए, भारत के संविधान निर्माताओं ने, समाज के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के हितों को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए भारत के संविधान में कुछ प्रावधान किए। आमुख, राज्य नीति के निदेशात्मक सिद्धांत और हमारे संविधान के कतिपय विशिष्ट अनुच्छेद, नामतः अनुच्छेद 38, 39, 275 (1), 340, 341, 342, 366 और पाँचवी, छठी, ग्यारहवीं तथा 12वीं अनुसूचियां, कतिपय सामाजिक विधानों के अलावा, उसके नागरिकों के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। स्वतंत्र भारत की उत्तरोत्तर सरकारों ने आय, स्थिति और अवसरों में असमानताएं कम करने

के लिए तथा सामाजिक असमानताओं/भेदभाव को समाप्त करने के लिए योजनाबद्ध विकास के प्रति वचनबद्धता दर्शाई है।

4.2.2 योजना आयोग का सामाजिक न्याय और समाज कल्याण प्रभाग, समाज के वंचित और कमजोर वर्गों के जीवन की कोटि सुधारने के उद्देश्य से नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम/स्कीम तैयार करने के लिए समग्र रूप से मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए समग्र रूप से जिम्मेदार है। प्रभाग, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों जैसे कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, घूमन्तु अर्ध–घूमन्तु और अन–अधिसूचित जनजातियों व अन्य कमजोर समूहों, जैसे कि विकलांग व्यक्ति, वरिष्ठ नागरिक, मादक औषधियों/मादक लतके शिकार व भिखारियों के और अधिक समावेशी व शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। प्रभाग, अनुसूचित जाति उप–योजना और जनजातीय उप–योजना के निर्माण और कार्यान्वयन के संबंध में भी सलाह प्रदान करता है।

4.2.3 उपलब्धियां : वित्त वर्ष 2012–13 के दौरान प्रभाग द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यकलापों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क. अनुसूचित जातियों का सशक्तीकरण :

4.2.4 अनुच्छेद 366(24) में यह कहा गया है कि ''अनुसूचित जातियों'' का अर्थ ऐसी जातियां, वंश अथवा जनजातियों अथवा ऐसी जातियों, वंशों अथवा जनजातियों के अन्दर समूह अथवा भाग हैं जिन्हें संविधान के प्रयोजनार्थ अनुच्छेद 341 के अंतर्गत अनुसूचित जातियॉ समझा जाता है। अनुसूचित जातियों को संवैधानिक रूप से जातियों और उप–जातियों के समूह के रूप में घोषित किया गया है जो अस्पृश्यता की प्रथा से पीड़ित थे। वे 1208 जातियों और उप–जातियों से अधिक के अन्तर्गत सम्मिलित हैं जिनमें सामान्यतः पूर्व ''अस्पृष्य'' शामिल हैं।

4.2.5 जनगणना 2001 के अनुसार भारत में 16.67 करोड़ लोग अनुसूचित जातियों से संबंधित हैं जो कुल आबादी का 16.2 प्रतिशत हैं। 2011 में अनुमानित अनुसूचित जाति आबादी 19.47 करोड़ है। अनुसूचित जातियों की दशकीय साक्षरता दर में धीरे–धीरे वृद्धि हुई है जो 1961 में 10.3 प्रतिशत से 2001 में 54.7 प्रतिशत हो गई। स्वास्थ्य और पोषण की दृष्टि से शिशु मृत्यु दर (आईएमआर), बाल मृत्यु दर (सीएमआर), मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) तुलनात्मक रूप से आम आबादी के मुकाबले अधिक है। 5 वर्ष से कम आयु के अनुसूचित जाति बच्चों के संबंध में पोषाहार न्यूनता आम आबादी के मुकाबले अधिक है।

4.2.6 आर्थिक विकास संकेतकों के संबंध में, बताया गया है कि 61.2 प्रतिशत अनुसूचित जाति आबादी कृषि श्रमिक है। एनएसएसओ 2004–05 सर्वेक्षण के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जातियों के बीच भूमिहीनों की प्रतिशतता 78 प्रतिशत थी जबकि गैर–अनु. जातियों/अनु. जनजातियों के संबंध में 57% थी। यद्यपि अनु. जातियों के संबंध में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की प्रतिशतता, आम आबादी के मुकाबले, धीरे–धीरे कम हो रही है किन्तु फिर भी यह ऊँची है।

4.2.7 राष्ट्रीय विकास परिषद ने 12वीं योजना अनुमोदित कर दी है जिसमें अनु. जातियों के और अधिक समावेशी व तीव्र सशक्तीकरण की व्यवस्था है। अनु. जातियों के सशक्तीकरण के लिए 12वीं योजना में प्रमुख लक्ष्य हैं :

i) अनु. जातियों से संबंधित सभी व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना तथा उनके विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव और अस्पृश्यता को पूरी तरह से समाप्त करना।

ii) अनु. जातियों के सदस्यों को–पुरुष और स्त्रियों दोनों–अधिकतम सम्भव सीमा तक उनके गैर–अनु. जाति/अनु. जनजाति के लोगों के साथ, सभी विकास सूचकों की दृष्टि से –

शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषाहार, आवासन, आय सृजन और रोजगार में बराबरी पर लाना।

iii) अनु. जातियों को, अन्यों के साथ समान आधार पर समाज और राष्ट्र निर्माण में भाग लेने के लिए सशक्त बनाना।

iv) समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए अनिवार्य साधन के रूप में एससीएसपी पर प्रभावी ढंग से अमल करना।

4.2.8 बारहवीं योजना में भी शिक्षा को अनु. जातियों की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन समझा गया है। शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए छात्रवृत्तियों के रूप में जरूरी सहायता प्रदान करके, लड़कों और लड़कियों के लिए होस्टल सुविधाओं में वृद्धि करके, अर्हता–प्राप्त शिक्षकों वाले उच्च कोटि स्कूल–पूर्व संस्थानों सहित आंगनवाड़ियों के उन्नयन, देश भर में उच्च कोटि के रिहायशी स्कूलों का एक नेटवर्क स्थापित करके शैक्षिक विकास को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है। कक्षा पग और ग में पढ़ रहे अनु. जाति छात्रों के लिए एक नई मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति स्कीम लागू की गई है।

4.2.9 रोजगार और आय सृजक कार्यकलापों के माध्यम से अनु. जातियों के लिए समान सामाजिक दर्जा प्राप्त करने के लिए आर्थिक विकास एक महत्वपूर्ण साधन है। अनु. जातियों और सफाई कर्मचारियों के बीच आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत से वित्तीय संस्थान, जैसे कि राष्ट्रीय अनु. जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी), राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) कार्य कर रहे हैं। बारहवीं योजना के दौरान एक मजबूत संस्थागत पद्धति कायम करने का प्रस्ताव है ताकि अनु. जाति उद्यमियों/शिल्पकारों को अपने उत्पादों को एक संस्थागत ढंग से बेचने के लिए सुविधा प्राप्त हो सके। अनु. जातियों को लाभान्वित करने वाले अन्य अग्रणी कार्यक्रम हैं – भारत निर्माण, आईसीडीएस, एसएसए, मध्याह्न भोजन, एनआरएचएम और एमजीएनआरईजीएस।

4.2.10 हाथ से सफाई करने वालों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए एक राष्ट्रीय स्कीम 1992 से चल रही है। हाथ से सफाई करने वालों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार की एक स्कीम जनवरी 2007 में लागू की गई थी ताकि हाथ से सफाई की प्रथा को बिल्कुल समाप्त किया जा सके। ''हाथ से सफाई करने के रूप में रोजगार निषेध और उनका पुनर्वास बिल, 2012'' संसद में 2012 के दौरान प्रस्तुत किया गया। सभी प्रकार के शोषण और अस्पृश्यता से अनु. जातियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रचालनरत दो महत्वपूर्ण संरक्षण विधान हैं : नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और अनु. जाति और अनु. जनजाति (अत्याचार की रोकथाम) अधिनियम 1989।

4.2.11 2011–12 के दौरान विभिन्न कल्याण और विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से हुई प्रगति के आधार दर, अनु. जातियों के सशक्तीकरण के लिए 2012–13 के दौरान 4298 करोड़ रुपए के बढ़े हुए परिव्यय की व्यवस्था की गई है। उनके सामाजिक सशक्तीकरण के लिए, विशेष रूप से शैक्षिक विकास के माध्यम से विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथापि अनु. जातियों और आम आबादी के बीच गरीबी को कम करने के जरिए आर्थिक सशक्तीकरण को भी प्राथमिकता प्रदान की गई है।

ख. अनुसूचित जनजातियों का सशक्तीकरण

4.2.12 संविधान के अनुच्छेद 366(25) में यह कहा गया है कि अनु. जनजातियों का अर्थ ''उन जनजातियों अथवा ऐसी जनजातियों के बीच जनजातीय समुदायों अथवा समूहों और उनके भाग से है''। अनु. जनजातियों के अंतर्गत सामन्यतः वनों और पर्वतीय क्षेत्रों के निवासी व अन्य जनजातियां भौतिक अथवा भौगोलिक रूप से बहिष्कृत रही हैं। लगभग 700 ऐसी जनजातियों/ समुदायों को भारत के संविधान के

अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनु. जनजातियों के रूप में अधिसूचित किया गया है। अनु. जनजातियों के बीच अत्यधिक पिछड़ों को विशेष रूप से कमजोर समूह समझा गया है जिनमें 75 ऐसी जनजातियां/समुदाय सम्मिलित हैं।

4.2.13 जनगणना 2001 के अनुसार देश में जनजातीय आबादी 8.43 करोड़ है, जो कुल आबादी का 8.2 प्रतिशत है। उनमें से 91.7 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में और 8.3 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में बसे हैं। देष के लगभग 15 प्रतिषत क्षेत्रफल में जनजातीय समुदायों का वास है जो मैदानों से लेकर वनों और पर्वतीय से लेकर दुर्गम इलाकों में विभिन्न पारिस्थितिकीय और भू–जलवायु स्थितियों में रहते हैं। अनु. जनजातियों की जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात मध्य प्रदेश से (14.51%) और उसके बाद महाराष्ट्र (10.7%) और ओडीशा (9.66%) व पूर्वोत्तर राज्यों में अन्य विशिष्ट क्षेत्रों से बताया गया है।

4.2.14 अनु. जनजातियों की दशकीय साक्षरता दर में धीरे–धीरे वृद्धि हुई है जो 1961 में 8.53% से 2001 में 47.1% हो गई। स्वास्थ्य और पोषाहार के संबंध में, शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर.), बाल मृत्यु दर (सी.एम. आर.), मातृ मृत्यु दर (एम.एम.आर.) आम आबादी के मुकाबले ऊंची है। एन.एच.एफ.डब्ल्यू. सर्वेक्षण से पता चला कि मुश्किल से 18% अनु. जनजातियों के बच्चों का जन्म स्वस्थ सुविधा के अन्तर्गत होता है, जबकि अन्य समुदायों के बीच यह प्रतिशतता 51% है। 81.56% जनजातीय श्रमिक प्राथमिक क्षेत्रकों में कार्यरत हैं। अनु. जनजातियों के बीच ग्रामीण गरीबी का स्तर अखिल भारत आधार पर 47.4 (2009–10) प्रतिशत है जो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच औसत से काफी अधिक है। विभिन्न विकास सूचकों से पता चलता है कि अनु. जनजातियां अन्य समुदायों से अभी भी काफी पीछे हैं।

4.2.15 बारहवीं योजना में शिक्षा को अनु. जनजातियों को शेष समाज के साथ मुख्य धारा से जोड़ने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन समझा गया है। अनु. जनजातियों के बीच साक्षरता के निम्न स्तर से निपटने और जनजातीय और गैर–जनजातीय बच्चों के बीच अधबीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की दरों में अन्तर को पाटने के लिए बारहवीं योजना के दौरान बहुत सी नई पहलें करने का प्रस्ताव है।

4.2.16 अनु. जनजातियों के आर्थिक विकास को राष्ट्रीय अनु. जनजाति वित्त और विकास निगम (एन एस टी एफ डी सी) के माध्यम से, जो ''ट्राइफेड'' के जरिए जनजातीय उत्पादों के बाजार विकास को बढ़ावा दे रहा है, राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों को सहायता–अनुदान, जनजातीय क्षेत्रों में, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के बीच व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से बहुत से आय और रोजगार विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से बढ़ावा दे रहा है। अनुसूचित जनजातियों का आर्थिक विकास मुख्यतः कृषि और इससे सम्बद्ध कार्यकलापों पर निर्भर है। इसके अलावा, वन संसाधनों और गौण वन उत्पादों से जनजातीय अर्थव्यवस्थाओं को पर्याप्त योगदान प्राप्त होता है।

4.2.17 नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (पीसीआर अधिनियम) और अनु. जाति और अनु. जनजाति (अत्याचार की रोकथाम) अधिनियम, 1989, अनु. जनजातियों के साथ सभी किस्म के शोषण और अत्याचारों को रोकने के लिए दो महत्त्वपूर्ण सामाजिक विधान हैं। अनुसूचित क्षेत्रों तक पंचायत विस्तार अधिनियम (पेसा) 1996, 9 राज्यों में लागू है, यथा आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उडीसा और राजस्थान, जो जरूरत आधारित स्कीम और कार्यक्रम तैयार और कार्यान्वित करने के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को विशेष शक्तियां प्रदान करता है। बहुत से अन्य अग्रणी कार्यक्रम हैं जो विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों के लिए लक्षित नहीं हैं किन्तु वे अनु. जनजातियों को भी लाभांवित करते हैं। इनमें से कुछेक कार्यक्रम भारत निर्माण, आईसीडीएस, एसएसए, मध्याह्न भोजन, एन आर एच एम और एमजीएनआरईजीएस, इन्दिरा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना, धनलक्ष्मी योजना आदि का भाग हैं।

4.2.18 वर्ष 2011–12 के दौरान विभिन्न कल्याण और विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से

हुई प्रगति के आधार पर, 2012–13 के दौरान अनु. जनजातियों के सशक्तीकरण के लिए 1573 करोड़ रूपए के बढ़े हुए परिव्यय की व्यवस्था की गई है। यद्यपि, शैक्षिक विकास के माध्यम से विशेष रूप से उनके सामाजिक सशक्तीकरण पर विशेष बल दिया गया है, तथापि अनु. जनजातियों और आम आबादी के बीच गरीबी के अन्तर को कम और पाटने के जरिए आर्थिक सशक्तीकरण को भी प्राथमिकता प्रदान की गई है।

ग. अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी) और जनजातीय उप–योजना (टीएसपी)

4.2.19 संवैधानिक निदेशों और आजादी के बाद से सरकार द्वारा बहुत से विधायी और कार्यकारी उपायों के बावजूद, आम आबादी और अनु. जाति और अनु. जनजातियों के रहन–सहन की स्थितियों के बीच बड़ा अन्तर है। उत्तरोत्तर पंच वर्षीय योजनाओं के जरिए इन स्तरों को कम करने के प्रयास किए गए हैं और अभिसरण के कुछ साक्ष्य मौजूद हैं, फिर भी अन्तराल अस्वीकार्य रूप से ऊँचा है।

4.2.20 विकास प्रयासों के बावजूद अनु. जातियों और अनु. जनजातियों के विद्यमान समाजार्थिक पिछडेपन के कारण एक विशेष और संकेन्द्रित कार्यनीति की जरूरत है, जो अन्य बातों के साथ–साथ उन्हें समग्र आर्थिक विकास के लाभ और अधिक समतापूर्ण ढंग से प्राप्त करने के लिए समर्थ बना सके। ऐसा, अनु. जातियों के लिए विशेष घटक योजना (एससीपी) के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया गया है जिसे अब अनु. जाति उप–योजना (एससीएसपी) और अनु. जनजातियों के लिए जनजातीय उप–योजना कहा जाता है। योजना आयोग के एससीएसपी और टीएसपी मार्गनिर्देशों के आधार पर एससीएसपी के लिए (789) और टीएसपी के लिए (796) पृथक बजट उप–शीर्ष सृजित किए गए हैं तथा एससीएसपी और टीएसपी के लिए वास्तविक आवंटन भी 2011–12 के बाद से बढ़ा दिया गया है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक अतिरिक्त उपाय के रूप में एससीएसपी और टीएसपी के लिए एससीए प्रदान की जाती है।

घ. अन्य पिछड़े वर्गों का सशक्तीकरण

4.2.21 अन्य पिछड़े वर्गों के अन्तर्गत वे जातियां और समुदाय सम्मिलित हैं जिन्हें मन्डल आयोग की रिपोर्ट की सूचियों में समान रूप से पाया जाता है। मन्डल आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के अन्तर्गत 3000 से अधिक समुदायों/जातियों और उपजातियों को शामिल किया है। ओबीसी देश की आबादी का लगभग 52 प्रतिशत हैं। 2004–05 के दौरान आयोजित राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (61वां चक्र) के अन्तर्गत आंकड़े 41 प्रतिशत हैं। सामान्यतः अन्य पिछड़े वर्गों के अन्तर्गत छोटे व सीमान्त किसान, कृषि श्रमिक, शिल्पकार, चारागाह समुदाय व अन्य ऐसी ही जातियों के समूह सम्मिलित हैं जिन्हें शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा समझा जाता है।

4.2.22 अन्य पिछड़े वर्गों की समाजार्थिक और शैक्षिक स्थिति अनु. जातियों और अनु. जनजातियों से बेहतर नहीं है। अ.पि. वर्गों के 70% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं जिसके फलस्वरूप प्रबुद्ध संस्थानों में अ.पि. व. के लिए आरक्षित बहुत से स्थान, उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण भरे नहीं जाते, अ.पि.व. के लिए आरक्षित सार्वजनिक सेवाओं में अनेक रिक्तियां पर्याप्त शैक्षिक अर्हताओं वाले उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण नहीं भरी गई। अ.पि. वर्गों की स्वास्थ्य स्थिति भी समाज के अन्य वर्गों के मुकाबले बेहतर नहीं है।

4.2.23 किसी समुदाय के समाजार्थिक सशक्तीकरण में शिक्षा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अ.पि.व. की शैक्षिक स्थिति मुख्य धाराओं वाले समुदायों से बेहतर नहीं है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कतिपय स्कीमें कार्यान्वित करता है, नामतः मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्तियॉ, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियॉ, अ.पि.व. के लड़के और लडकियों के लिए छात्रावास, राष्ट्रीय समुद्रपार छात्रवृत्तियॉ, राजीव गॉधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति स्कीम और शैक्षिक स्थिति सुधारने तथा अ.पि. वर्गों के छात्रों

द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या में कमी करने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण स्कीम।

4.2.24 अ.पि. वर्गों के सामाजिक सशक्तीकरण में आर्थिक उन्नति एक प्रमुख भूमिका निभाती है। चूंकि अ.पि. वर्गों की आर्थिक स्थिति आम आदमी के मुकाबले ज्यादा अच्छी नहीं है इसलिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, अ.पि. वर्गों की समाजार्थिक स्थितियां सुधारने के लिए कतिपय स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है, जैसे कि अ.पि. वर्गों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता, दक्षता विकास और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास निगम के माध्यम से सब्सिडाइज्ड ऋण।

4.2.25 विभिन्न कल्याण और विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति के आधार पर, 2012–13 के दौरान अन्य पिछड़े वर्गों के सशक्तीकरण के लिए 900 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

ड. खानाबदोश, अर्ध–खानाबदोश और अनअधिसूचित जनजातियों (एनटी,एसएनटी और डीएनटी) का कल्याण और विकास

4.2.26 खानाबदोश, अर्ध–खानाबदोश और अनअधिसूचित जनजातियों के अन्तर्गत 200 से अधिक समुदाय सम्मिलित हैं जिन्हें उप निवेशी सरकार द्वारा ''आपराधिक जनजाति अधिनियम (सीटीए) 1871'' नामक एक कुख्यात विधान के अन्तर्गत ''अपराधी जनजाति'' के रूप में विनिर्धारित किया गया था, उसके बाद उन्हें अनअधिसूचित, खानाबदोश और अर्ध–खानाबदोश, जनजातियों (डीएनटी, एसएनटी और एनटी) के रूप में संदर्भित किया गया है। डीएनटी लगभग सभी राज्यों में पाई जाती हैं तथा अधिकाशंतः अनु. जातियों, अनु. जनजातियों और अ.पि.वर्गों से संबंधित हैं तथा कुछ समुदाय इन तीन अनु.जाति, अनु.जाति और अ. पि. वर्ग श्रेणियों में से किसी के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं हैं। इन तीन श्रेणियों के अन्तर्गत सम्मिलित होने पर भी वे लाभ उठाने में समर्थ नहीं होते क्योंकि या तो उनके पास जाति प्रमाणपत्र नहीं होता या आरक्षित श्रेणियों में कोटा गैर–खानाबदोश/गैर–अनअधिसूचित जनजातियों द्वारा समाप्त कर दिया जाता है।

4.2.27 खानाबदोश, अर्ध–खानाबदोश और अनअधिसूचित जनजातियों को अपनी खुद की विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि इस समय डी एन टी के लिए कोई केन्द्रीय सरकार स्कीम/कार्यक्रम नहीं है इसलिए यद्यपि स्कीमें अनु. जातियों, अनु.जनजातियों तथा अ.पि. वर्गों के लिए निर्धारित हैं, अपनी–अपनी श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले डीएनटी द्वारा लाभ उठाया जा सकता है। डीएनटी को, पूर्व आपराधिक जनजातियों के रूप में अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण सामाजिक लांछन का सामना करना पड़ता है तथा बहुत सी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है जो अनु.जातियों/अनु.जनजातियों और अ.पि. वर्गों को उपलब्ध हैं।

4.2.28 डीएनटी का सशक्तीकरण और विकास बारहवी पंचवर्षीय योजना में एक प्रमुख प्राथमिकता वाला विषय है। बारहवीं योजना में छात्रवृत्ति स्कीमों की सुलभता, छात्रावास सुविधाएं, दक्षता विकास के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम और सामाजिक सशक्तीकरण, आवासन और बसापत के लिए ऋण तथा एकीकृत अवस्थापना विकास कार्यक्रम आदि का प्रस्ताव किया गया है।

च. अक्षमताओं वाले व्यक्तियों का सशक्तीकरण

4.2.29 भिन्न रूप से समर्थ व्यक्ति, जिन्हें सामान्यतया विकलांग व्यक्ति कहा जाता है, को अक्षमताओं वाले व्यक्ति (समान अवसर, नागरिक अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 की धारा 2(i) और (t) में परिभाषित किया गया है। ''अक्षमता'' का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो मेडिकल प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित निम्नलिखित अक्षमताओं के साथ कम–से–कम 40 प्रतिशत तक पीडित हो, अन्धपन, निम्न दृष्टि, कुष्ठ–उपचारित; श्रवण बाधा, लोको मोटर अक्षमता; मानसिक अवरूद्धता; मानसिक बीमारी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 2.19 करोड़ व्यक्ति अक्षमताओं से पीडित हैं जो कुल आबादी का 2.13 प्रतिशत हैं। एनएसएसओ द्वारा 2002 में एकत्रित डेटा से पता चला कि अक्षमताओं से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या 1.85 करोड़ थी।

4.2.30 अक्षमताओं वाले व्यक्तियों को शिक्षा, रोजगार, परिवहन और खेलों, मनोरंजन इत्यादि की सुलभता

की दृष्टि से भेदभाव का सामना करना पड़ता है। विकलांगों के हित कतिपय संवैधानिक और सांविधिक प्रावधानों के अन्तर्गत संरक्षित हैं जैसे कि मूलभूत अधिकार, राज्य की निदेशात्मक सिद्धान्त नीति, 11वीं और 12वीं अनुसूची, इसके अलावा कुछेक संवैधानिक अधिनियम हैं जैसे कि अक्षमताओं वाले व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995, आटिज्म, सेरेब्रल पल्सी, मानसिक अवरूद्धता और बहु अक्षमता से पीडित व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्याय अधिनियम, 1999, पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 और मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987, अक्षमता वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2006।

4.2.31 बारहवीं योजना के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों के लिए अनेक सामाजिक, शैक्षिक और रोजगार प्रावधानों का प्रस्ताव किया गया है। विकलांग व्यक्तियों के समाजार्थिक सशक्तीकरण में शिक्षा एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बारहवीं योजना में विकलांगों के लिए कुछ नई स्कीमों का प्रस्ताव है जैसे कि मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्तियां, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां, निःशुल्क कोचिंग, गम्भीर और बहु अक्षमताओं वाले छात्रों के लिए विशेष/रिहायशी स्कूल, उन जिलों में जहां सरकारी विशेष स्कूल नहीं हैं, विद्यमान सरकारी स्कूलों के लिए छात्रावास, जहॉ छात्रावास नहीं हैं तथा सरकारी विशेष स्कूलों के विद्यमान छात्रावासों में सीटों का सुदृढ़ीकरण, ब्रेल प्रैसों की स्थापना आधुनिकीकरण/क्षमता वृद्धि के लिए सहायता; ''उच्च कक्षा'' शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां, राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति; राष्ट्रीय समुद्रपार छात्रवृत्ति; देश के पांच क्षेत्रों में से प्रत्येक में बधिरों के लिए कॉलेज की स्थापना और राष्ट्रीय सुलभता पुस्तकालय की स्थापना।

4.2.32 विभिन्न कल्याण और विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से हुई प्रगति के आधार पर वर्ष 2012–13 के दौरान विकलांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण के लिए 500 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

छ. वरिष्ठ नागरिकों का संरक्षण और कल्याण

4.2.33 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का अनुरक्षण और कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत ''वरिष्ठ नागरिक'' शब्द की परिभाषा ऐसे व्यक्ति के रूप में की गई है जो भारत का नागरिक है, जिसने 60 वर्ष अथवा अधिक की आयु प्राप्त कर ली है। भारत में विश्व भर में वरिष्ठ नागरिकों (60+) की दूसरी सबसे ज्यादा आबादी है। जनगणना 2001 के अनुसार, वरिष्ठ नागरिकों (60+) की कुल आबादी 7.7 करोड़ थी जो कुल आबादी का 7.5 प्रतिशत है।

4.2.34 वरिष्ठ नागरिकों की प्रमुख समस्याएं है : सुरक्षा, स्वास्थ्य देख–रेख और अनुरक्षण की जरूरत। बारहवीं योजना के दौरान, निम्नलिखित प्रस्तावित स्कीमों की शुरूआत करके समाज के इन कमजोर वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का व्यापक समन्वित पद्धतियों में समेकन, विस्तार और सुदृढ़ीकरण करने पर प्रमुख रूप से बल दिया जाएगा : i) वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापनाय ii) राज्य सरकार के माध्यम से देश के 640 जिलों में भिन्न–भिन्न क्षमता के (25, 60 और 120) एकीकृत बहु–सुविधा केन्द्र के साथ अभावग्रस्त वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धावस्था गृहों की स्थापनाय iii) वृद्ध व्यक्तियों के लिए एक ''हेल्पलाइन'' और जिला स्तर हेल्पलाइनों की स्थापना; iv) जिला स्तर पर वरिष्ठ नागरिकों के समाजार्थिक सशक्तीकरण के लिए एक ब्यूरो की स्थापना; v) वृद्धों के लिए राष्ट्रीय न्यास की स्थापना; vi) वरिष्ठ नागरिकों के लिए ''स्मार्ट'' पहचान की स्थापनाय vii) वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा।

4.2.35 वार्षिक योजना 2012–13 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के संरक्षण और कल्याण के लिए, पिछले वर्ष की प्रगति के आधार पर 135 करोड़ रुपए का परिव्यय आवंटित किया गया है।

ज. मादक वस्तुओं/औषधि सेवनरत/शराबखोरी के पीड़ितों का पुनर्वास :

4.2.36 स्वापक औषधि और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 2 में आदतन सेवनकर्ता को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो स्वापक औषधि अथवा मादक पदार्थ पर निर्भर है''।

4.2.37 मादक औषधिलत एक सतत, वापस लौट आने वाला विकार है जिसमें बाध्यकर मादक औषधि की इच्छा और उपयोग और तान्त्रिक–रसायन तथा मस्तिष्क में मोलेकुलर परिवर्तनों के लक्षण देखे जाते हैं। मादक औषधि उपयोगकर्ता धीरे–धीरे अपना अधिकाधिक समय और ऊर्जा मादक औषधि प्राप्त और उसका इस्तेमाल करने पर खर्च करते हैं।

4.2.38 शारीरिक और मानसिक समस्याओं के अलावा मादक औषधिलत एक बड़ी समस्या है जिसमें औषधि/शराब की लत वाले व्यक्ति अपराध की दुनिया में प्रवेश करते हैं। मादक औषधि लत से व्यक्ति और उसके परिवार को भारी वित्तीय और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 2000–01 में पूर्वानुमान लगाया गया था कि भारत में लगभग 6.25 करोड़ शराब उपयोगकर्ता, 87 लाख भांग उपयोगकर्ता और 20 लाख स्वापक उपयोगकर्ता हैं।

4.2.39 संविधान के अनुच्छेद 47 में प्राथमिक स्वास्थ्य के सुधार के लिए व्यवस्था है तथा राज्य स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खपत को निषिद्ध करने के विषय में प्रयास करेगा, नशीले पेयों और मादक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर,। स्वापक औषधि और मानसिक पदार्थ अधिनियम 1985 का अधिनियमन अन्य बातों के साथ–साथ, मादक औषधियों के सेवन को रोकने के लिए किया गया है। भारत स्वापक औशधि, मानसिक पदार्थों और मादक औषधियों और मानसिक पदार्थों में अवैध व्यापार संबंधी तीन संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हस्ताक्षरकर्ता है। मादक औषधियों से संबंधित मुद्दों का समाधान भारत सरकार द्वारा दो–आयामीय कार्यनीति के जरिए किया जाता है, अर्थात आपूर्ति में कटौती और मांग में कमी।

4.2.40 स्वापक औषधि और मानसिक पदार्थ अधिनियम, 1985 का अधिनियमन, अन्य बातों के साथ–साथ मादक औषधि पर रोक लगाने के लिए किया गया था। अधिनियम की धारा 71, सरकार को मादक औषधिलत वाले व्यक्तियों की पहचान, उपचार आदि के लिए तथा स्वापक औशधियों और साइकोट्रॉपिक पदार्थों की आपूर्ति के लिए केन्द्र स्थापित करने के लिए सशक्त बनाती है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शराबखोरी और पदार्थ (औषधि) दुरुपयोग रोकथाम के लिए सहायता की स्कीम के अन्तर्गत आदतन सेवनकर्ताओं के लिए एकीकृत पुनर्वास केन्द्र और स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के लिए सहायता प्रदान करता है।

4.2.41 पदार्थ दुरुपयोग/मादक औषधि सेवनकर्ताओं/शराबखोरी के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए, पिछले वर्ष की प्रगति के आधार पर वार्षिक योजना 2012–13 में 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

झ. भिखारियों का पुनर्वास

4.2.42 भीख मांगना एक बड़ी सामाजिक समस्या और मानव सम्मान के विरुद्ध है जो राष्ट्रीय विकास में बाधा उत्पन्न करती है। इसलिए एक समयबद्ध ढंग से प्रभावी व कुशलतापूर्वक समाधान किया जाना चाहिए। दान मांगने वाले धार्मिक भिखारी और धार्मिक भिक्षु विश्व के सभी धर्मों में, वंचित और कमजोर वर्गों की सेवा करने के इरादे से समाज की भलाई के लिए मौजूद हैं।

4.2.43 जनगणना 2001 के अप्रकाशित डेटा के अनुसार भिखारियों की संख्या 7.03 लाख थी जिनमें से 6.31 लाख गैर–कार्यकर्ता श्रेणी में थे। भीख मांगने को राकने के लिए दो सामान्य विधान हैं जिनमें प्रावधान हैं (i) भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी), किशोर न्याय (बच्चों की देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम 2000, और (ii) भारतीय रेलवे अधिनियम 1989।

4.2.44 इस समय दो केन्द्रीय स्कीमें हैं जो भीख मांगने से सीधे ही संबंधित हैं। तथापि, वृद्ध व्यक्तियों,

शारीरिक विकलांगों और मादक औषधि दुरुपयोग, भीख मांगने के मुद्दों/समस्याओं को कवर करते हुए, उनके कल्याण और विकास की योजनाएं हैं। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर समस्या का समाधान करने के लिए, भिखारियों के पुनर्वास के साथ एकीकरण करके; बहु दक्षता प्रशिक्षण, चल स्वास्थ्य देख–रेख; परामर्श; जागरूकता सृजन; और संवेदीकरण कार्यक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, ग्रामीण विकास, शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन, महिला और बाल विकास आदि मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित मौजूदा कार्यक्रमों के अभिसरण के लिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्र स्तर पर नई स्कीमों का प्रस्ताव है।

वर्ष 2012–13 के लिए आवंटित परिव्यय

4.2.45 2011–12 के दौरान विभिन्न कल्याण और विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से हुई प्रगति के आधार पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के लिए 5415.00 करोड़ रुपए का बढ़ा हुआ परिव्यय आवंटित किया गया था जिसमें से 4298 करोड़ रुपए अनु. जातियों के लिए; 900.00 करोड़ रुपए अ.पि. वर्गों के विकास के लिए, 500.00 करोड़ रुपए अक्षमता के लिए और 175.00 करोड़ रुपए सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रक व अन्य कमजोर समूहों के लिए थे। जनजातीय मामले मंत्रालय के लिए 2012–13 के दौरान 1573 करोड़ रुपए का परिव्यय आवंटित किया गया था। यद्यपि उनके सामाजिक सशक्तीकरण के लिए विशेष रूप से शैक्षिक विकास के माध्यम से, विशेष बल दिया गया है तथापि, आम लोगों और अनु. जाति, अनु. जनजातियों, अ.पि. वर्गों, डीएनटी व अन्य कमजोर वर्गों के बीच गरीबी अन्तर को घटाने और पाटने के माध्यम से आर्थिक सशक्तीकरण को भी प्राथमिकता प्रदान की गई है ताकि सामाजिक रूप से वंचित इन समूहों को आत्मनिर्भर व आर्थिक रूप से आजाद बनाए जा सके।

ञ. राज्यों/संघ राज्य–क्षेत्रों की वार्षिक योजना चर्चा, 2012–13

4.2.46 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की वार्षिक योजना, 2012–13 प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने के लिए सलाहकार (एसजेई) की अध्यक्षता में कार्यदल बैठकें/चर्चाएं आयोजित की गई जिनमें राज्य प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जनजातीय मामले मंत्रालय, राष्ट्रीय अनु.जाति आयोग और राष्ट्रीय अनु. जनजाति आयोग के प्रतिनिधियों ने भी इन बैठकों में भाग लिया। विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों की प्रगति की समीक्षा करने के अलावा कार्य दलों ने प्रत्येक राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं का भी आकलन किया और क्षेत्रक के लिए संसाधनों के आवंटन की सिफारिश की तथा संक्षिप्त टिप्पणियां तैयार की गईं जिनमें राज्य मुख्यमंत्रियों और योजना आयोग के उपाध्यक्ष के बीच बैठकों के लिए इनपुट उपलब्ध कराए गए ताकि राज्यों और संघ राज्य–क्षेत्रों की वार्षिक योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जा सके।

ट. नोडल मंत्रालयों के साथ विचार–विनिमय

4.2.47 प्रभाग ने, कार्यदल बैठकों, एसएफसी बैठकों आदि से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय मामले मंत्रालय के साथ विचार–विमर्श किया। इसके अलावा, प्रभाग ने विभिन्न स्कीमों, नीतियों आदि के निर्माण, कार्यान्वयन और मानीटरण के संबंध में बहुत सी बैठकों में भाग लिया।

ठ. नई स्कीमें प्रारंभ करना

4.2.48 अनु.जाति और अनु.जनजाति बच्चों के शैक्षिक विकास के लिए दो नई स्कीमें, नामतः ''कक्षा IX और X के अनु.जाति छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति'' और ''कक्षा IX और X के अनु.जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति स्कीम'' कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित की गई।

ड. समाजार्थिक अनुसंधान प्रभाग (एसईआर) और कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ) द्वारा भेजे गए अनुसंधान प्रस्तावों, अनुसंधान रिपोर्टों की जॉच

4.2.49 प्रभाग ने, योजना आयोग के एसईआर और पीईओ के अन्तर्गत अनुदान के इच्छुक शैक्षणिक संस्थानों और एनजीओ द्वारा प्रस्तुत असुविधाप्राप्त समूहों/अन्य विशेष समूहों के कल्याण और विकास से संबंधित अनुसंधान और कार्यशाला के संबंध में प्रस्तावों की भी बारीकी से जांच की और टिप्पणियां प्रस्तुत की।

ढ. स्थायी वित्त समिति (एसएफसी)/व्यय वित्त समिति (ईएफसी)/आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए)/राजनीतिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीपीए) के लिए टिप्पणियों की जांच

4.2.50 प्रभाग ने, सामाजिक न्याय और अधिकारिता तथा जनजातीय मामले मंत्रालयों द्वारा स्कीमों के संबंध में प्रस्तुत अनेक स्थायी वित्त समिति (एसएफसी)/व्यय वित्त समिति (ईएफसी) टिप्पणियों की परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग (पीएएमडी) के साथ निकट परामर्श से जांच की। प्रभाग ने इन मंत्रालयों द्वारा आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए)/राजनीतिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीपीए) के लिए प्रस्तुत विभिन्न प्रस्तावों के संबंध में भी टिप्पणियां प्रस्तुत की।

ण. संसदीय प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम आदि

4.2.51 प्रभाग ने, संसदीय प्रश्नों , वी आई पी संदर्भों से संबंधित कार्य भी किया और विभिन्न अवसरों पर प्रधान मंत्री , वित्त मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा दिए गए भाषणों के लिए इनपुट उपलब्ध कराए। देश के विभिन्न भागों में चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों की प्रगति और प्रभाव के संबंध में प्राथमिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रभाग के अधिकारियों ने बहुत से क्षेत्र दौरे किए। इसके अलावा, प्रभाग ने, अनु.जाति, अनु. जनजाति, अ.पि. वर्गों एसएनटी, डीएनटी, विकलांग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों आदि से सम्बंधित विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत निधि आवंटन और मुद्दों से संबंधित विभिन्न मामलों के विषय में अलग–अलग आवेदकों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना प्रस्तुत की।

4.3. भारत निर्माण

पृष्ठभूमि

4.3.1 ग्रामीण भारत का विकास, समवेशी और समतापूर्व विकास के लिए और आबादी की विशाल क्षमता का उपयोग करने के लिए, जो इस समय गरीबी और अपनी सम्बद्ध वंचनाओं से घिरी है, एक अनिवार्यता है। भारतीय राज्यों के बीच निर्धनता के भार के विश्लेषण से पता चलता है कि गरीबी सामाजिक अवस्थापना के अभाव के साथ निकटतः जुड़ी है। इसलिए, अवस्थापना की व्यवस्था करना ग्रामीण भारत के विकास के लिए अनिवार्य है। भारत सरकार ने गरीबी को दूर करने में अवस्थापना द्वारा निभाई गई भूमिका के मान्यतास्वरूप, विगत में भिन्न–भिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत ग्रामीण अवस्थापना के निर्माण के लिए एक विशाल कार्यक्रम शुरू किया था। संसद को संबोधित करते हुए माननीय राष्ट्रपति ने फरवरी 2005 में ''भारत निर्माण'' शीर्षक के अन्तर्गत सिंचाई, सड़कों, आवासन और जलापूर्ति, विद्युतीकरण और दूरसंचार के क्षेत्रों में ग्रामीण अवस्थापना का निर्माण करने के लिए एक महत्त्वपूर्ण परिकल्पना की थी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ग्रामीण अवस्थापना के संबंध में एक समिति स्थापित की गई है। समिति ने छः क्षेत्रों में से प्रत्येक में कतिपय आशोधित भौतिक लक्ष्यों का समर्थन किया है।

4.3.2 ग्रामीण भारत में अपार विकास क्षमता का उपयोग करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने ''भारत निर्माण'' नामक एक समयबद्ध कार्यक्रम प्रारंभ में चार वर्षों अर्थात 2005–2009 अवधि के लिए 2005 में शुरू किया था। कार्यक्रम को, ग्रामीण अवस्थापना का निर्माण करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों और पंचायती राज संस्थानों की भागीदारी से, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। स्कीम के अन्तर्गत, सिंचाई, सड़कों, ग्रामीण आवासन, ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण दूर संचार संयोजकता के क्षेत्रों में परियोजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र के लिए विशिष्ट लक्ष्य और ध्येय निश्चित किए गए थे। भारत निर्माण के अन्तर्गत, विभिन्न घटकों के अन्तर्गत भौतिक लक्ष्यों के उन्नयन द्वारा और कार्यक्रम को समयबद्ध, पारदर्शी और साथ ही जवाबदेह बनाकर इन लक्ष्यों के प्रति तात्कालिकता की भावना पैदा करने का प्रयास किया जाता है। कार्यक्रम का चरण I 2005–06 से 2008–09 अवधि में कार्यान्वित किया गया था तथा परिणाम के आधार पर चरण II 2009–10 से 2011–12 तक कार्यान्वित किया गया था। भारत निर्माण के अन्तर्गत इन लक्ष्यों के प्रति तात्कालिकता की भावना पैदा करने तथा कार्यक्रम को समयबद्ध, पारदर्शी व जवाबदेह बनाने का प्रयास किया जाता है।

4.3.3 प्रत्येक घटक के अन्तर्गत चरण–वार भौतिक लक्ष्य निम्नवत निर्धारित किए गए हैं :

घटक	लक्ष्य	
	चरण I	**चरण II**
पेय जल	कवर न हुई 55,067 बस्तियों के लिए 2009 तक पेय जल की व्यवस्था करना। सभी बस्तियों को, जहां स्रोत असफल हो गए हैं और पानी की गुणवत्ता की समस्या है, कवर किया जाएगा।	लगभग 55 हजार कवर न हुई बस्तियों को कवर करना तथा घटिया जल गुणवत्ता से प्रभावित लगभग 2.16 लाख गांवों के लिए सुरक्षित पेय जल की व्यवस्था करना।
सिंचाई	दस मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का निर्माण करना।	शेष रहते 3.5 मिलियन हेक्टेयर को 2012 तक आश्वस्त सिंचाई के अंतर्गत लाया जाएगा।
सड़कें	एक हजार और उससे अधिक की आबादी वाली (पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों में 500) प्रत्येक बस्ती के लिए सभी मौसम वाली सड़कों की व्यवस्था करना; शेष रहती 66,802 बस्तियों को कवर किया जाएगा।	लगभग 1000 अथवा पर्वतीय अथवा जनजातीय क्षेत्रों के मामले में 500 की आबादी वाले शेष 23000 गांवों के लिए सड़क संपर्कों की व्यवस्था करना।
बिजली	शेष रहते 1,25,000 गांवों और 23 मिलियन परिवारों के लिए बिजली की व्यवस्था करना	लगभग 40,000 शेष गांवों के लिए बिजली की व्यवस्था करना तथा लगभग 1.75 करोड़ गरीब परिवारों के लिए कनेक्शन।
आवासन	0.6 करोड़ मकानों का निर्माण करना	प्रत्येक वर्ष 24 लाख मकानों के हिसाब से अतिरिक्त 1.2 करोड़ मकानों की व्यवस्था करना जिनका निर्माण पंचायतों के माध्यम से बेघरों को आवंटित निधियों के जरिए किया जाएगा।
ग्रामीण टेलीफोन संयोजकता	शेष रहते 66,822 गांवों को 2007 तक टेलीफोन से जोड़ना	ग्रामीण टेली–घनत्व को 40: तक बढ़ाना और सभी 2.5 लाख पंचायतों के लिए ब्राडबैण्ड संयोजकता और भारत निर्माण सेवा केन्द की व्यवस्था करना।

भारत निर्माण का संघटकवार ब्यौरा

पेय जल आपूर्ति

4.3.4 ''भारत निर्माण'' के अन्तर्गत 2012 तक सभी कवर न हुई बस्तियों के लिए सुरक्षित पेय जल की व्यवस्था करने की परिकल्पना की गई है। कवर न हुई, वापस फिसल गई और गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों के लिए सुरक्षित पेय जल की आपूर्ति करना ''भारत निर्माण'' का एक घटक है। इसलिए ''भारत निर्माण'' के अन्तर्गत 55,067 कवर न हुई बस्तियों, 2.8 लाख वापस फिसल गई और लगभग 2.17 लाख गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों को कवर करने की परिकल्पना की गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेय जल आपूर्ति विभाग, राज्य सरकारों की भागीदारी से इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिम्मेदार है। ''भारत निर्माण'' अवधि के दौरान कवर की जाने वाली कवर न हुई 55,067 बस्तियों के मुकाबले चरण I के दौरान 54,440 बस्तियों को कवर किया गया है। ''भारत निर्माण'' चरण II के अन्तर्गत एन आर डी डब्ल्यु पी की कार्यान्वयन स्थिति से पता चलता है कि ''भारत निर्माण'' के अन्तर्गत परिकल्पित सभी कवर न हुई बस्तियों को कवर कर लिया गया है तथा 2011–12 तक कवर की जाने वाली 1,05,479 गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों के समग्र भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध, 30 अक्तूबर 2012 तक कुल 87,028 बस्तियों को कवर किया गया।

सिंचाई

4.3.5 सिंचाई ''भारत निर्माण'' के छः घटकों में से एक है। निर्मित सिंचाई क्षमता और प्रयुक्त क्षमता के बीच विशाल अन्तर है। ''भारत निर्माण'' के अन्तर्गत, कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन प्रथाओं के साथ–साथ, स्कीमों के विस्तार, पुनरूद्धार और आधुनिकीकरण के कार्यान्वयन के माध्यम से 10 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता को बहाल और उपयोग करने की योजना है। अप्रयुक्त भूमिगत जल संसाधनों के साथ देश में काफी क्षेत्र हैं। भूमिगत जल विकास के माध्यम से 28 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता का निर्माण करने की योजना है। दस लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता का निर्माण करने के लिए शेष लक्ष्य, सतही प्रवाह का उपयोग करके लघु सिंचाई स्कीमों के जरिए निर्मित करने की योजना है। जल स्थलों की मरम्मत, पुनरुद्धार और बहाली के जरिए और लघु सिंचाई स्कीमों के विस्तार, पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण के जरिए भी दस लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता की योजना है।

4.3.6 7.3155 मि. हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता का निर्माण किया गया जबकि चरण I और चरण II के दौरान 10 मि. हेक्टेयर का लक्ष्य था। अक्तूबर 2012 तक 4.460 मि. हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का निर्माण किया गया।

सड़क

4.3.7 सड़क संयोजकता, ''भारत निर्माण'' का एक प्रमुख घटक है। इसका उद्देश्य, उन सभी गॉवों को जहाँ 1000 की आबादी है (अथवा पर्वतीय/जनजातीय क्षेत्र में 500) 2012 तक सभी मौसम वाली सड़कों के साथ जोड़ना है। आषा है कि इससे उत्पादन को बाजार और सेवाओं के साथ जोड़ने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गुणक प्रभाव सृजित होंगे। निर्धारित समय–सीमा के अन्दर उपरोक्त लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इस कार्य को, जिसे 2000 से प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है, आशोधित किया गया है। कार्यक्रम के लिए वित्त पोषण ग्राम विकास मंत्रालय द्वारा सीएसएस ''प्रधानमंत्री ग्राम सड़क'' योजना के अन्तर्गत किया जाता है जो केन्द्र द्वारा राज्यों को 100% वित्त पोषण योजना है।

4.3.8 ''भारत निर्माण'' के अन्तर्गत कुल 54648 बस्तियों के लिए नई संयोजकता प्रदान करने का प्रस्ताव है। इसके अन्तर्गत 1,46,185.34 कि.मी. ग्रामीण सड़कों का निर्माण सम्मिलित है। नई संयोजकता के अलावा, स्कीम के अन्तर्गत 1,94,130.69 कि.मी. विद्यमान ग्रामीण सड़कों के उन्नयन/नवीकरण की भी परिकल्पना की गई है। ''भारत निर्माण'' के ग्रामीण सड़क घटक के अन्तर्गत 44089 बस्तियों के लिए सभी मौसम सड़क संयोजकता प्रदान की गई है, 2,35,903 कि.मी. सड़क का उन्नयन किया गया और 1,89,897 कि.मी. लम्बी सड़क मार्च 2012 तक नई संयोकता के अन्तर्गत निर्मित की गई।

बिजली

4.3.9 विद्युत मंत्रालय ने, एक लाख से अधिक अविद्युतीकृत गावों को विद्युतीकृत करने और 2.34 करोड़ ग्रामीण बीपीएल परिवारों को मुत बिजली कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से अपने एक अग्रणी कार्यक्रम के रूप में मार्च 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) की शुरुआत की। इस कार्यक्रम को ''भारत निर्माण'' के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत शामिल किया गया है। आरजीजीवीवाई के अंतर्गत बिजली वितरण इन्फ्रास्ट्रक्चर के अन्तर्गत एक ब्लाक में कम से कम एक 33/11 के वी सब–स्टेशन के साथ, एक गांव अथवा बस्ती में कम से कम एक वितरण ट्रांसफोर्मर के साथ और उत्पादन के साथ स्टेण्डअलोन ग्रिड के साथ, जहां ग्रिड आपूर्ति सम्भव नहीं है, ग्रामीण बिजली वितरण बैकबोन (आरईडीबी) स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।

4.3.10 पूँजीगत खर्च के लिए 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि. (आरईसी) के माध्यम से प्रदान की जाती है जो स्कीम के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेन्सी है। गरीबी रेखा से नीचे अविद्युतीकृत घरों के विद्युतीकरण का वित्त पोषण सभी ग्रामीण बस्तियों में 2200/– रुपए प्रति कनेक्शन की दर से 100 प्रतिशत पूँजी सब्सिडी के साथ किया जाता है।

4.3.11 स्कीम के कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम नोडल एजेन्सी है। ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं के निष्पादन में राज्यों की सहायता करने के लिए उन्हें केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक उपक्रमों (सीपीएसयू) की सेवाएं उपलब्ध हैं। ग्रामीण वितरण का प्रबंधन फ्रेन्चाइची के माध्यम से किया जाता है।

4.3.12 लक्ष्य, 2012 तक सभी गॉवों तक बिजली पहुँचाना और 1.75 करोड़ गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन प्रदान करना है। नवम्बर 2011 तक 1.75 लाख बीपीएल परिवारों को बिजली कनेक्शन प्रदान किया गया, एक लाख अविद्युतीकृत गावों का विद्युतीकरण किया गया जबकि लक्ष्य एक लाख अविद्युतीकृत गावों को विद्युतीकृत करने का था।

आवासन

4.3.13 ग्रामीण आवासन, ''भारत निर्माण'' पैकेज के छः घटकों में से एक घटक है। ग्रामीण आवासन कार्यक्रम को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इंदिरा आवास योजना स्कीम के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है जो एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम है जिसके अंतर्गत लागत 75:25 आधार पर केन्द्र और राज्यों के बीच बांटी जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच वित्तीय संसाधनों के आवंटन के लिए अपनाए गए मापदंड के अंतर्गत आश्रयविहीनों के अधिक भार वाले राज्यों को अधिक बल दिया जाता है। 75 प्रतिशत भारांश आवासन की कमी के लिए और 25 प्रतिशत राज्य–स्तर आवंटनों के लिए योजना आयोग द्वारा निर्धारित गरीबी अनुपात के लिए प्रदान किया जाता है। जिला स्तर आवंटनों के लिए 75 प्रतिशत भारांश आवासन की कमी के लिए और 25 प्रतिशत आबादी के अनु. जाति/अनु. जनजाति घटक के लिए प्रदान किया जाता है। सामान्य क्षेत्रों के लिए प्रति मकान 25,000/– रुपए और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 27,500/– रुपए की सीमा तक अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। निधियां डीआरडीए को दो किस्तों में जारी की जाती हैं।

4.3.14 साठ लाख मकानों के निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध आवासन के घटक के अंतर्गत ''भारत निर्माण'' के चरण I के दौरान 71.76 लाख मकान निर्मित किए गए तथा 120 लाख मकानों के निर्माण के लक्ष्य के

विरुद्ध सितम्बर 2012 तक 95.1 लाख मकान निर्मित किए गए।

ग्रामीण टेलीफोन संयोजकता

4.3.15 संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में दूरसंचार विभाग की जिम्मेदारी कवर न हुए शेष 66822 गांवों को टेलीफोन संयोजकता प्रदान करने की है। यूनिवर्सल सर्विसिज आब्लिगेशन के कार्यान्वयन के लिए संसाधन ''यूनिवर्सल सर्विस लेवी'' के माध्यम से जुटाए जाते हैं जो इस समय सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के समायोजित सकल राजस्व के 5 प्रतिशत पर निश्चित है, विशुद्ध मूल्यवर्धित सेवा प्रदाताओं को छोड़कर, जैसे कि इन्टरनेट, वायस मेल, ई–मेल सेवा प्रदाता। नियमों में निधि के लिए ऋण और अनुदान देने के लिए भी केन्द्रीय सरकार के लिए प्रावधान किया गया है। निधि में जमा शेष वित्त वर्ष के अंत में व्यपगत नहीं होता।

4.3.16 ''भारत निर्माण'' कार्यक्रम चरण–II के ग्राम टेलिफोनी घटक के अंतर्गत उद्देश्य वर्ष 2014 तक 40 प्रतिशत ग्रामीण टेलीफोनी प्राप्त करना, सभी 2.5 लाख पंचायतों के लिए ब्राडबैण्ड कवरेज सुनिश्चित करना और 2012 तक पंचायत स्तर पर भारत निर्माण सेवा केन्द्र स्थापित करना है। अगस्त 2011 की स्थिति के अनुसार 36.23 प्रतिशत का ग्रामीण टेली घनत्व प्राप्त किया गया और सितम्बर 2011 तक 1,38,434 ग्राम पंचायतों तक ब्राडबैण्ड कवरेज का विस्तार किया गया। 62,101 ग्राम टेलीफोन प्रदान किए गए जबकि लक्ष्य 62,302 वीपीटी का था।

4.4 संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना (सीआईटीएंडआई) प्रभाग

4.4.1 आई सी टी क्षेत्रक प्रमुख रूप से एक सेवा क्षेत्रक है और सी आई टी एंड आई प्रभाग मुख्यतः दूर–संचार, सूचना प्रौद्योगिकी, डाक और सूचना तथा प्रसारण क्षेत्रकों से संबंधित योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों से संबंधित है। वर्ष के दौरान (अप्रैल 2012 – दिसम्बर 2012) इस प्रभाग के मुख्य कार्यकलापों में विभिन्न नीतिगत मुद्दों की जांच, क्षेत्रकों की निष्पादन समीक्षा और बारहवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने से संबंधित कार्य और वार्षिक योजना 2013–14 से संबंधित प्रारंभिक कार्य सम्मिलित हैं। इसके अलावा, प्रभाग ने गुप्तता से संबंधित विभिन्न मुद्दों का विनिर्धारण करने के लिए गुप्तता के संबंध में एक विशेषज्ञ दल भी गठित किया। उपरोक्त के अलावा, प्रभाग योजना आयोग की वेबसाइट के अनुरक्षण और सूचना द्वार के प्रबंधन का कार्य भी देखता है। इसके साथ ही प्रभाग ने योजना आयोग की दो जीआईएस आधारित परियोजनाओं का मानीटरन किया, अर्थात (।) छः बड़े नगरों के लिए कंप्यूटर समर्पित डिजीटल यूटिलीटी मानचित्रण (सीएडीएम) परियोजना, (।।) बहु–प्रणाली भौगोलिक सूचना पद्धति (जीआईएस) के लिए स्थानिक डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर। दोनों परियोजनाएं अब पूरी हो गई हैं। संचार–सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना क्षेत्रक में इस अवधि के दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी उनका उल्लेख नीचे दिया गया है:

I. दूरसंचार

4.4.2 बढ़ते हुए ज्ञान गहन विश्व परिदृश्य में दूरसंचार आर्थिक और सामाजिक विकास का एक प्रमुख प्रणेता के रूप में उभरा है जिसमें भारत एक नेतृत्व वाली भूमिका निभाएगा। 30 सितम्बर 2012 की स्थिति के अनुसार 906.62 मिलियन मोबाइल कनेक्शन के साथ, मोबाइल फोन अब मात्र समृद्धों अथवा ऊपरी मध्य वर्ग के हाथ का यंत्र नहीं रहा है बल्कि एक आम आदमी के यंत्र के रूप में न केवल आवाज के टेलीफोनी के रूप में उभर रहा है बल्कि ग्रामीण और शहरी लोगों के लिए अनेक प्रकार की सेवाएं प्राप्त करने के रूप में उभर रहा है जैसे कि बाजार जानकारी, कृषि–आधारित सूचना, स्वास्थ्य और शिक्षा, वित्तीय सेवाएं, मनोरंजन तथा और भी अधिक क्षेत्रों में। 30 सितंबर 2012 की स्थिति के अनुसार टेली–घनत्व, ग्रामीण क्षेत्रों में 40.36 प्रतिशत

तक तथा शहरी क्षेत्रों में 161.13 प्रतिशत तक तथा समग्र दूर संचार घनत्व 77.04 प्रतिशत है (स्रोत : टीआरएआई)।

4.4.3 इस बात को स्वीकारते हुए कि भारत विश्व में तेजी से बढ़ता हुआ दूरसंचार बाजार है, भारत सरकार ने 31 मई 2012 को राष्ट्रीय दूरसंचार नीति (एनटीपी), 2012 अनुमोदित की। एनटीपी 2012 में एक त्वरित समावेशी समाजार्थिक विकास के लिए किसी भी समय, कहीं भी सुरक्षित, विश्वसनीय, वहनीय और उच्च गुणवत्ता वाली अभिसरित दूरसंचार सेवा प्रदान करने की कल्पना की गई है।

4.4.4 प्रत्येक पंचायत को जोड़ने के उद्देश्य से, ''भारत निर्माण'' चरण I और II कार्यक्रमों के अंतर्गत ब्राडबैण्ड सेवाओं और टेलीफोन की व्यवस्था, ''यूनिवर्सल सर्विस आब्लीगेशन फण्ड (यूएसओएफ)'' की सहायता से दूरस्थ कवर न हुए गांवों के जोड़ने में और ''ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) प्रदान करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ''भारत निर्माण कार्यक्रम'' चरण I के अंतर्गत (नवंबर 2004 से) 62,302 लक्षित गांवों में से 62101 वीपीटी की नवंबर 2012 तक व्यवस्था की जा चुकी है जो लक्ष्य के 99.67 प्रतिशत को कवर करता है। ''भारत निर्माण चरण–II'' के अंतर्गत अक्तूबर 2012 तक, 2,50,000 ग्राम पंचायतों में से 1,57,371 ग्राम पंचायतों को ब्राडबैण्ड कवरेज प्रदान किया जा चुका है।

4.4.5 ब्राडबैण्ड संयोजकता को एक सिद्ध साधन के रूप में स्वीकार किया जा चुका है जो जीडीपी के विकास में योगदान कर रही है। ब्राडबैण्ड सेवाओं की सुलभता, वहनीयता और आकर्षण के मुद्दों का समाधान करने के लिए, सभी पंचायतों को आप्टिकल फाइबर के साथ जोड़ने के लिए एक नीतिगत निर्णय लिया गया है ताकि प्रत्येक पंचायत को ब्राडबेण्ड उपलब्ध कराया जा सके। प्रमुख प्राथमिकता वाला क्षेत्र 500 से अधिक आबादी वाले सभी गांवों को राष्ट्रीय आप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन)'' के साथ जोड़ना है ताकि ''मांग पर ब्राडबैण्ड'' की परिकल्पना प्राप्त की जा सके। जहां तक इन क्षेत्रकों में उपलब्धि का संबंध है, इंन्टरनेट अभिदाता आधार 19.67 मिलियन (मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार) से बढ़कर सितम्बर 2012 के अंत तक 24.01 मिलियन तक पहुंच गया है जबकि ब्राडबैण्ड अभिदाताओं की संख्या इसी अवधि में 11.89 मिलियन से बढ़कर 14. 68 मिलियन हो गई है।

4.4.6 एनटीपी 2012 के अनुसार, उद्देश्य वर्ष 2015 तक ''मांग पर ब्राडबैण्ड'' वहनीय और विश्वसनीय सेवा प्रदान करना तथा वर्ष 2017 तक 175 मिलियन ब्राडबैण्ड कनेक्शन और 2020 तक न्यूनतम 2 एमबीपीएस डाउनलोड स्पीड के साथ 600 मिलियन कनेक्शन प्रदान करना और मांग पर कम से कम 100 एमबीपीएस की उच्च स्पीड उपलब्ध कराना है। एनटीपी 2012 का उद्देश्य, दक्षताएं और क्षमताएं बढ़ाकर नवप्रवर्तन को, स्वदेशी आर एंड डी और देशज तथा विश्व बाजारों की सेवा करने के लिए विनिर्माण को भी प्रोत्साहित करना है। नीति दस्तावेज में, स्वदेशी आर एंड डी को प्रोत्साहित करने के लिए कोरप्स का निर्माण आईपीआर सृजन, उद्यमशीलता, विनिर्माण, वाणिज्यिकरण और आधुनिकतम दूरसंचार उत्पाद और सेवाओं की तैनाती करने की भी परिकल्पनाएं की गई हैं।

4.4.7 स्पेक्ट्रम की बढ़ी मांग के कारण सरकार ने विभिन्न संगठनों में प्रयुक्त नामतः रक्षा, प्रसारण, और अंतरिक्ष संगठनों में संचार इन्फ्रास्क्ट्रचर की वैकल्पिक पद्धति, जैसेकि ओएफसी नेटवर्क उनके कैरिज मीडियम के लिए उपलब्ध कराकर भिन्न–भिन्न फ्रीक्वेन्सी बैण्डों में स्पेक्ट्रम को खाली कराने की संभावनाएं खोजना प्रारंभ कर दिया है। बीएसएनएल और एमटीएनएल को, रक्षा की सुरक्षा व अन्य जरूरतों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना, रक्षा त्रि–सेवाओं के लिए एक वैकल्पिक संचार नेटवर्क के लिए एक डीपीआर तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। सीआईटी एंड आई प्रभाग, प्रस्तावित रक्षा नेटवर्क के लिए विनिर्देशों और लागत अनुमानों की जांच करने और उसे रक्षा सेवाओं के कार्य क्षेत्र और आवश्यकताओं के संदर्भ में इष्टतम बनाने के लिए, सरकार द्वारा गठित अन्तर–मंत्रालयी दल (आईएमजी) के साथ सक्रिय रूप से संबद्ध रहा।

अनेक बैठकों के बाद आईएमजी ने इष्टतमीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया और लागत अनुमानों को अंतिम रूप दिया। उसके आधार पर सीसीईए ने 13,334 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 3 जुलाई, 2012 को परियोजना को अनुमोदित कर दिया।

4.4.8 आर एंड डी क्षेत्रक में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हुई हैं तथा भारत क्षेत्रक में उच्च अन्त्य कार्य, आई पी के निर्माण के लिए एक प्रमुख स्थल के रूप में उभरा है किन्तु उत्पाद सीमित रहे हैं, यद्यपि आईपी की ऐसी बहुत सी मिसाल हैं जहां उत्पादों का पंजीकरण भारत से बाहर किया गया जिनमें अधिकांश आर एंड डी भारत में किया गया। भावी वृद्धिकारी विकास को ध्यान में रखते हुए विशाल ई–इन्फ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, स्वदेशी उपस्कर के विनिर्माण को प्राथमिकता प्रदान की गई है। अनुसंधान और विकास एक अन्य क्षेत्र है जिसमें स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए निवेश आवश्यक है।

4.4.9 माननीय उच्चतम न्यायालय के 2 फरवरी, 2012 के निर्णय के अनुसरण में, जिसमें 10 जनवरी, 2008 के बाद जारी 122 लाइसेंस को रद्द कर दिया गया था, दूरसंचार विभाग ने 122 रद्द किए गए लाइसेंसों द्वारा जारी 1800 एमएचजेड और 800 एमएचजेड बैण्डों में स्पेक्ट्रम नीलामी का पर्यवेक्षण करने के लिए एक अंतर–मंत्रालयी समिति (आईएमसी) गठित की जिसमें डीओटी, एमओएफ, डीईआईटीवाई, डीआईपीपी और सीआईटी एंड आई प्रभाग, योजना आयोग के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। सीआईटी एंड आई प्रभाग के अधिकारी इस कार्य में सक्रिय रूप से कार्यरत रहे और 1800 एमएचजेड बैण्ड स्पेक्ट्रम की नीलामी 18 सेवा क्षेत्रों में सफलतापूर्वक पूरी हो गई। जहां तक शेष 4 सेवा क्षेत्रों, अर्थात दिल्ली, मुम्बई, कर्नाटक और राजस्थान में 1800 एमएचजेड बैण्ड स्पेक्ट्रम की नीलामी का संबंध है, कोई बोलीदाता नहीं था। इसी प्रकार 800 एमएचजेड बैण्ड में सपेक्ट्रम की नीलामी नहीं हो सकी क्योंकि बोलीदाताओं से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई।

4.4.10 स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए, दूर संचार विभाग द्वारा आईएमसी का पुनः दिसम्बर, 2012 में पुनर्गठन किया गया जिसमें 1800 एमएचजेड में, चार सेवा क्षेत्रों में और सभी 21 सेवा क्षेत्रों में, राजस्थान को छोड़कर, जहां नवम्बर, 2012 में नीलामी नहीं हो सकी, 800 एमएचजेड बैण्ड में स्पेक्ट्रम की नीलामी को पर्यवेक्षण के लिए समिति के सदस्यों के बीच सीआईटी एंड आई प्रभाग के अधिकारी सम्मिलित थे। इसके अलावा, आईएमसी को तीन सेवा क्षेत्रों, अर्थात् दिल्ली, मुम्बई और कोलकाता, में 900 एमएचजेड स्पेक्ट्रम की नीलामी करने का कार्य सौंपा गया है। इन तीन सेवा क्षेत्रों में 900 एमएचजेड बैंड में स्पेक्ट्रम 2014 में जारी हो जाएगा जब इस बैण्ड में विद्यमान सेवा प्रदाताओं के लाइसेंस नवीकरण के लिए पात्र होंगे। समिति ने कार्य शुरू कर दिया है तथा संभावित बोलीदाताओं से आवेदन–पत्र आमंत्रित करने का नोटिस जारी कर दिया है।

4.4.11 वर्ष 2012–13 के दौरान दूर संचार क्षेत्रक से संबंधित निम्नलिखित महत्वपूर्ण परियोजनाओं/स्कीमों/नीतिगत मुद्दों की प्रभाग में जांच की गई :

(i) वर्ष 2013–14 के लिए दूरसंचार विभाग के वार्षिक योजना प्रस्ताव;

(ii) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012

(iii) रक्षा सेवाओं के लिए समर्पित और पूर्णतः सुरक्षित संचार नेटवर्क

(iv) वीएसएनएल (अब मैसर्स टीसीएल) की अधिशेष भूमि को अलग करना अथवा समाप्ति–एक परिणामी कंपनी में।

(v) पंचायतों के लिए ब्राडबैण्ड संयोजकता के लिए राष्ट्रीय आप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) का सृजन

(vi) भारतीय टेलिफोन इंडस्ट्रीज (आईटीआई) को पुनरूज्जीवित करना

(vii) स्पेक्ट्रम प्रबंधन और 2जी/सीडीएमए में स्पेक्ट्रम के आवंटन से संबंधित सभी मामले

दूरसंचार आयोग, मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह और केन्द्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किए गए।

II. डाक क्षेत्रक

4.4.12 डाक विभाग, भारत के संचार का पृष्ठाधार और पिछले 150 वर्षों से देश के समाजार्थिक विकास का आधार है। ग्रामीण क्षेत्रों में 1.39 लाख से अधिक (89.81 प्रतिशत) डाकघरों के साथ देश में 1.55 लाख (लगभग) डाकघरों का एक नेटवर्क, अपने ग्राहकों के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता का संकेत है। विभाग का प्रमुख कार्यकलाप, डाक की प्रोसेसिंग, ट्रांसमिशन और सुपुर्दगी है। ''यूनिवर्सल सर्विस आब्लीगेशन'' को पूरा करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में सभी शाखा डाकघरों को सब्सिडी प्रदान की जाती है जो सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में 66.66 प्रतिशत से लेकर पर्वतीय, जनजातीय, मरूस्थल और दुर्गम क्षेत्रों में 85 प्रतिशत तक है।

4.4.13 विभाग, आई टी लागू करने और डाकघरों के आधुनिकीकरण के लिए एक बड़ी योजना कार्यान्वित कर रहा है। परियोजना के प्रमुख घटकों में सम्मिलित हैं : डाक कार्यालय हार्डवेयर की आपूर्ति, ग्रामीण आईसीटी समाधान का विकास और तैनाती, डेटा केन्द्र और आपदा बहाली पद्धति, नेटवर्क एकीकरण और एकीकृत पैमाने योग्य साटवेयर की तैनाती और परिवर्तन प्रबंधन कार्यकलाप। आई टी लागू करने के कार्यक्रम का चरण प्प सीसीईए द्वारा 22.11.2012 को अनुमोदित किया गया। विगत कुछेक वर्षों के दौरान, विभाग ने 24969 डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण किया तथा जून 2012 की स्थिति के अनुसार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 22177 डाकघरों की नेटवर्किंग की।

4.4.14 वर्ष 2012–13 के दौरान डाक विभाग (डी ओ पी) से संबंधित निम्नलिखित महत्वपूर्ण परियोजनाओं/स्कीमों/नीतिगत मुद्दों की प्रभाग में जांच की गई:

i) डाक विभाग के वार्षिक योजना 2013–14 प्रस्ताव

ii) आई टी आधुनिकीकरण परियोजना चरण II

iii) भारतीय डाक कार्यालय अधिनियम, 1898 को प्रतिस्थापित करने के लिए संसद में एक नया विधान–डाक कार्यालय बिल 2011 पेश करना;

iv) तमिलनाडु में डाक विभाग से सबंधित भूमि चेन्नई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, चरण I को हस्तान्तरित करना;

v) सहर डाक और तार (पी एण्ड टी) कालोनी में भूमि और इमारत सहर उत्थापित सड़क के निर्माण के लिए मुम्बई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एम एम आर डी ए) को हस्तान्तरित करना।

vi) ग्रामीण व्यवसाय और डाक नेटवर्क की सुलभता के संबंध में ई एफ सी ज्ञापन।

III. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी

4.4.15 इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, नूतन/अनुसंधान और विकास (आर एण्ड डी) ज्ञान नेटवर्क के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करते हुए और भारत के साइबर स्पेस को सुरक्षित करते हुए, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी–सूचना और प्रौद्योगिकी समर्पित सेवा (आई टी–आई टी ई एस) उद्योग के प्रोन्नयन, ई–शासन को सुकर और प्रोत्साहित करने के लिए ई–अवस्थापना सृजन की बहु–आयामीय कार्यनीति के माध्यम से भारत के ई–विकास की देखभाल करता है।

4.4.16 राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2012, भारत सरकार द्वारा 14 सितम्बर 2012 को अनुमोदित की गई थी। नीति का उद्देश्य देश की आर्थिक और विकासात्मक चुनौतियों का सामना करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई सी टी) का लाभ उठाना है। अन्य बातों के साथ नीति के अन्तर्गत आई टी बाजार का विस्तार 300 बिलियन अमरीकी डालर तक करने और 2020 तक अतिरिक्त 10 मिलियन रोजगार

का सृजन करने की परिकल्पना की गई है। नीतिगत उद्देश्यों के अन्तर्गत एच आर विकास पर विशेष जोर दिया गया है और इसका उद्देश्य 2020 तक आई सी टी में दस मिलियन अतिरिक्त दक्ष जन शक्ति का समूह सृजित करना और विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष 3000 पी एच डी तैयार करना है।

4.4.17 इलेक्ट्रॉनिकी सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण में (ई एस डी एम) स्वदेशी क्षमताओं का विकास करना अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए देश की जरूरत को पूरा करने और अन्तरराष्ट्रीय बाजार की सेवा करने के लिए एक विश्व प्रतिस्पर्द्धी ई एस डी एम का निर्माण करना आर्थिक और नीतिगत दोनों ही कारणों से अनिवार्य है। इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) ने इलेक्ट्रॉनिकी के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति (एन पी ई)–2012 तैयार की है जिसके अन्तर्गत देश में इलेक्ट्रानिकी सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ई एस डी एम) क्षेत्रक को पुनरुज्जीवित करने के लिए नीतिगत पहलों के एक व्यापक सैट की व्यवस्था है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी नीति 2012 में अगले दशक के लिए ई एस डी एम क्षेत्रक के लिए एक मार्ग नक्शा निर्धारित किया गया है।

4.4.18 वर्ष 2012–13 के दौरान आई टी क्षेत्रक में जांच की गई प्रमुख परियोजनाओं/नीति मुद्दों/नोटों/स्कीमों का ब्यौरा संक्षेप में नीचे दिया गया है:

(i) इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) के वार्षिक योजना 2013–14 प्रस्ताव।

(ii) आई टी क्षेत्रक के संबंध में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के वार्षिक योजना 2012–13 प्रस्ताव और विभिन्न राज्यों से प्राप्त आई टी क्षेत्रक से संबंधित विशेष योजना सहायता (एस पी ए) के संबंध में प्रस्ताव।

(iii) (i) 600 जिलों का बहु–प्रयोजन जी आई एस मानचित्रण और (ii) छः नगरों (अहमदाबाद, बंगलौर, कोलकाता, चेन्नई, मुम्बई और हैदराबाद) में संबंधित कम्प्यूटर सहायियत डिजीटल मानचित्रण परियोजना के संबंध में जिसे एन आई सी द्वारा निष्पादित किया जा रहा है, योजना आयोग की दो परियोजनाएं।

(iv) सभी सरकारी खरीद (रक्षा खरीद को छोड़कर) के लिए देशज रूप में विनिर्मित इलेक्ट्रॉनिकी वस्तुओं के संबंध में प्राथमिकतापूर्ण बाजार सुलभता (पी एम ए)।

(v) ई–जिला मिशन मोड प्रोजेक्ट के राष्ट्रीय रोलआउट की स्कीम।

(vi) भारत निर्माण सामान्य सेवा केन्द्र स्कीम।

(vii) दिल्ली भू–स्थानीय डेटा अवस्थापना (प्रबंधन, नियंत्रण, प्रशासन, सुरक्षा और संरक्षण) बिल 2011।

(viii) आई ई सी टी क्षेत्रक में दक्षता विकास के लिए डी आई टी पहल।

(ix) कर्नाटक, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और ओडिशा में सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र (आई टी आई आर) स्थापित करना।

(x) इलेक्ट्रॉनिकी सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ई एस डी एम) क्षेत्रक में निवेश आकर्षित करने के लिए विश्व श्रेणी अवस्थापना की व्यवस्था करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण संकुल (ई एम सी) स्कीम।

(xi) आशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज स्कीम (एम–एस आई पी एस) – ई एस डी एम क्षेत्रक में बड़े पैमाने पर स्वेदशी विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए।

(xii) ''नैनो–इलेक्ट्रानिक्स में उत्कृष्टता केन्द्र–चरण. II '' भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर और भारतीय बम्बई संस्थान, मुम्बई के बीच एक संयुक्त परियोजना।

(xiii) एन आई सी राज्य केन्द्र, भुवनेश्वर में राष्ट्रीय डेटा केन्द्र की स्थापना।

(xiv) सूचना, इलेक्ट्रानिकी और संचार प्रौद्योगिकी (आई ई सी टी) क्षेत्र में प्रशिक्षण, शिक्षा क्षमता में वृद्धि करके पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास।

(xv) 'इलेक्ट्रानिकी विकास निधि'' की स्थापना करना।

(xvi) इलेक्ट्रानिक सेवा प्रदायगी बिल 2012

(xvii) ई–शासन के लिए एच आर पालिसी/विशेषज्ञ समिति रिपोर्ट

(xviii) राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी नीति के संबंध में ड्राट मंत्रिमंडल नोट

(xix) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की बहु–आयामीय जी आई एस का उन्नयन

IV. सूचना और प्रसारण

4.4.19 सूचना और प्रसारण क्षेत्रक के अन्तर्गत तीन स्कंध सम्मिलित हैं –अर्थात फिल्म, सूचना और प्रसारण। भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग, विगत कुछेक वर्षों के दौरान अर्थव्यवस्था के एक तेजी से बढ़ते क्षेत्रक के रूप में उभरा है तथा उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में यह 13.2 प्रतिशत की औसतन वार्षिक दर से वृद्धि करके 2015 में 1.19 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। डिजीटीकरण, चैनलों की बढ़ी हुई संख्या, प्राइवेट पण– धारियों की बढ़ी हुई संख्या, क्रासओवर मूवियों में तेजी और क्रासओवर श्रोतागणों में तेजी, विश्व बाजार में बढ़ता हिस्सा, एनिमेशन की बढ़ती मांग और विशेष प्रभाव इस क्षेत्र की कुछेक खास–खास विशेषताएं हैं।

4.4.20 विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डी ए वी पी) सरकार की नोडल बहु विज्ञापन एजेन्सी है जिसके पास विभिन्न मीडिया के माध्मय से जनता के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों के बारे में जानकारी होती है। सरकार के अग्रणी कार्यक्रमों के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए सार्वजनिक सूचना अभियान मीडिया आउटरीच कार्यनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। रेडियो/वीडियो स्पाटों/जिंगलों के निर्माण में आई टी/इलेक्ट्रानिक प्रभावों को लागू करने से लक्षित जन समूहों के बीच सन्देशों के घुसपैठ स्तर में वृद्धि हुई है।

4.4.21 वर्ष के दौरान सूचना क्षेत्रक में भारतीय जन संचार संस्थान (आई आई एम सी) के उन्नयन पर बल दिया गया। जन संचार के चार क्षेत्रीय संस्थानों की स्थापना इस पहल का एक भाग है जिसे बारहवीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा। विकास संचार मीडिया के माध्यम से जन सशक्तीकरण, विशेष घटनाओं के लिए आउटरीच कार्यक्रम और प्रचार और क्षेत्र प्रचार निदेशालय द्वारा प्रत्यक्ष सम्पर्क कार्यक्रम जैसी पहलें आयोजित की गईं।

4.4.22 मनोरंजन और मीडिया उद्योग सभी क्षेत्रों में जैसे कि फिल्म निर्माण, विपणन और प्रदर्शनी जैसे सभी क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। वर्ष के दौरान लघु डाक्युमेन्टरी/फीचर फिल्मों का निर्माण और दो प्रमुख संस्थानों यथा एफ टी आई आई पुणे और सत्यजीत राय फिल्म संस्थान, कोलकाता का क्षमता निर्माण के लिए सुदृढ़ीकरण किया गया, फिल्म उद्योग में चोरी को कम करने के लिए नीतिगत उपाय किए गए। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने युवा प्रारम्भिक उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण के लिए एक योजना शुरू की।

4.4.23 प्रसारण स्कंध की दो शाखाएं आकाशवाणी (ए आई आर) और दूरदर्शन, भारत के लोगों को शिक्षित और सशक्त करने के लिए कार्यक्रम, पक्षपातरहित सूचना और पूर्ण मनोरंजन उपलब्ध कराने के काम में लगी है। प्रसारण क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण उपायों में एक उपाय देश में सामुदायिक रेडियो नेटवर्क का विस्तार किया जाना है। आकाशवाणी ने पहले ही डिजीटल रेडियो मॉडल

(डी आर एम) के अन्तर्गत अपनी प्रथम डिजीटल प्रसारण सेवा शुरू कर दी है। सरकार ने दूरदर्शन के नेटवर्क के डिजीटीकरण की स्कीम अनुमोदित कर दी है तथा कवरेज के वर्तमान स्तर तक पहुंचाने के लिए 630 डिजीटल ट्रांसमीटर स्थापित किए जाएंगे। अर्थ स्टेशनों सहित सभी 67 स्टूडियो केन्द्रों को डिजीटल में बदला जाएगा। 2017 तक पूर्ण डिजीटीकरण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 12वीं योजना में और निवेश किए जाने की जरूरत है।

4.4.24 वर्ष 2012–13 के दौरान आई एण्ड बी क्षेत्रक में जिन प्रमुख नीतिगत मुद्दों/नोटों/स्कीमों/परियोजनाओं की जांच की गई उनका ब्योरा संक्षेप में नीचे दिया गया है:

i. सूचना और प्रसारण मंत्रालय के वार्षिक योजना 2013–14 प्रस्ताव

ii. फिल्मिक सामग्री का विकास, संचार और प्रसार

iii. एनिमेशन, गेमिंग और वी एफ एक्स के लिए उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करना

iv. भारत में सामुदायिक रेडियो अभियान का समर्थन

v. देहरादून में स्थायी टी वी स्टूडियो की स्थापना

vi. प्रसार भारती का संगठनात्मक वित्तीय पुनर्गठन

vii. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरन केन्द्र का सुदृढ़ीकरण

viii. आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए प्रसारण अवस्थापना और नेटवर्क विकास

ix. मानव संसाधन विकास

x. मीडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास कार्यक्रम

V. सी आई टी एण्ड आई प्रभाग के अन्य कार्यकलाप

सार्वजनिक सूचना अवस्थापना और नूतनाओं के संबंध में प्रधान मंत्री के लिए सलाहकार

4.4.25 सी आई टी एण्ड आई प्रभाग, सार्वजनिक सूचना अवस्थापना और नूतनताओं के संबंध में प्रधान मंत्री के सलाहकार के कार्यालय के लिए नोडल प्रभाग है। प्रधान मंत्री के सलाहकार का कार्यालय निम्नलिखित महत्वपूर्ण अवस्थापना पहलों के प्रचालन/कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के काम में लगा है:

1. सभी शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों को परस्पर जोड़ने के लिए राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क

2. पंचायतों के लिए ब्राडबैण्ड संयोजकता और राष्ट्रीय आप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से नागरिक सशक्तीकरण तथा सार्वजनिक सेवा सुपुर्दगी में सुधार करने के लिए नागरिक अन्योन्यक्रिया के लिए नागरिकों को समर्थ बनाना।

3. सार्वजनिक परिवहन और न्याय पद्धतियों में सूचना संचार प्रौद्योगिकी का और अधिक उपयोग।

4. नूतनता के दशक के लिए कार्रवाई योजना का विकास करना।

4.4.26 ऊपर वर्णित विचारार्थ विषयों के अलावा, सलाहकार का कार्यालय ऐसे अन्य कार्यकलाप भी आयोजित करता है जो ज्ञान सोसायटी के निर्माण को प्रभावित करते हैं। नूतनता के दशक के लिए एक कार्रवाई योजना का विकास करने के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय नूतनता परिषद (निनसी) की स्थापना की गई है जिसका उद्देश्य पांच प्रमुख मानदंडों, यथा मंच; समावेशन; पारि–तंत्र; ड्राइवर और मार्ग, पर बल देते हुए अगले दशक के लिए नूतनताओं के वास्ते एक मार्गनक्शा तैयार करना है। नूतनता एजेण्डा को आगे बढ़ाने के लिए ''निन–सी'' ने राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पहल आयोजित की है जिनमें सम्मिलित हैं: राज्य नूतनता परिषदें, क्षेत्रकवार नूतनता परिषदें, उद्योग नूतनता संकुल, विश्वविद्यालय नूतनता संकुल, भारत समावेशी नूतन निधि, भारत नूतनता पोर्टल और नूतनता पारि–तंत्र।

गुप्तता के संबध में विशेषज्ञ समूह

4.4.27 योजना आयोग ने, गुप्तता मुद्दों का पता लगाने और प्रस्तावित गुप्तता बिल के संबंध में सिफारिशें करने के लिए, दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस ए.पी.शाह की अध्यक्षता में गुप्तता के संबंध में एक विशेषज्ञ दल गठित किया था। सी आई टी एण्ड आई प्रभाग ने न केवल विशेषज्ञ दल के लिए सेवाएं प्रदान की बल्कि उसकी रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने में जो 16 अक्तूबर 2012 को प्रस्तुत की गई थी, सक्रिय रूप से सहयोग भी किया। दल ने विश्व भर में गुप्त व्यवस्थाओं की समीक्षा की ताकि गुप्तता विनियमन से संबंधित प्रचलित सर्वोत्तम प्रथाओं को समझा जा सके और भारत में विद्यमान गुप्तता चिन्ताओं का पता लगाने के लिए विद्यमान विधान और बिलों की भी समीक्षा की जा सके। विचार–विमर्श और गहन विश्लेषण के आधार पर समूह ने गुप्तता अधिनियम के लिए प्रस्तावित रूपरेखा तैयार करते समय, सरकार के विचारार्थ सिफारिशों का एक सैट विनिर्धारित और तैयार किया। रिपोर्ट के अन्तर्गत अन्तरराष्ट्रीय गुप्तता सिद्धान्तों, राष्ट्रीय सिद्धान्तों, राष्ट्रीय गुप्तता सिद्धान्तों के तर्क तथा उभरते मुद्दे और साथ ही गुप्तता की दृष्टि से संगत विधानों/बिलों के विश्लेषण के साथ उभरते मुद्दों को शामिल किया गया है। रिपोर्ट में एक विस्तृत रूपरेखा का प्रस्ताव किया गया है जो भारत के लिए गुप्तता अधिनियम के लिए वैचारिक आधार के रूप में कार्य करती है। अधिनियम एक महत्वपूर्ण कानून होगा जो सरकार में सक्षम प्राधिकरण द्वारा और प्राइवेट एजेन्सियों द्वारा भी हस्तक्षेप और निगरानी को विनियंत्रित करेगा।

अन्तरिक्ष विभाग का तकनीकी सलाहकार दल (टी ए जी)

4.4.28 अन्तरिक्ष विभाग ने, ट्रासपोन्डरों के आबंटन और ''इनसेट'' क्षमता के उपयोग तथा किसी अन्य मामले से सबंधित सभी तकनीकी मामलों व आई सी सी द्वारा इसे संदर्भित किसी अन्य मामले के संबंध में विचार करने और आई सी सी को सलाह देने के लिए ''इनसेट'' समन्वय समिति (आई सी सी) के अधीन एक तकनीकी सलाहकार दल गठित किया है। वरिष्ठ सलाहकार (सी आई टी एण्ड आई), योजना आयोग टी ए जी का एक सदस्य है। वर्ष के दौरान दल की अनेक बैठकें हुई तथा ट्रासपोन्डर क्षमता की उपलब्धता और आबंटन, विभिन्न उपभोक्ताओं की बेण्डविड्थ आवश्यकताओं और ट्रासपोन्डरों के आबंटन के लिए सामान्य रूपरेखा से संबंधित अनेक मुद्दों पर चर्चा की।

सूचना द्वार

4.4.29 ''सूचना द्वार'' का प्रबंधन करना सी आई टी एण्ड आई प्रभाग की एक अन्य जिम्मेदारी है। इस सुविधा से भ्रमणकारी मीडिया व्यक्तियों को जानकारी के लिए इन्टरनेट को ब्राउज करने में मदद मिलती है। यह सामान्य जनता को जानकारी और प्रकाशन भी उपलब्ध कराता है। प्रभाग, तीन वेब साइटों–योजना आयोग की वेबसाइट, प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद और आर टी आई आनलाइन/आफलाइन कभी अनुरक्षण करता है।

आन्तरिक सूचना सेवा

4.4.30 सी आई टी एण्ड आई प्रभाग चुनिन्दा समाचार मदों का एक कम्प्यूटरीकृत "डेली डाइजेस्ट" भी तैयार करता है जिन्हें योजना आयोग की आंतरिक वेबसाइट intrayojana.nic.in पर अपलोड किया जाता है। उपाध्यक्ष के कार्यालय को दैनिक आधार महत्वपूर्ण मदों की समाचार–पत्र कतरनें भेजी जाती हैं।

4.5 विकास नीति प्रभाग

4.5.1 विकास नीति प्रभाग को प्रमुख रूप से आर्थिक नीति मामलों के विभिन्न पहलुओं के संबंध में सार, समीक्षाएं और टिप्पणियां तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है तथा यह खाद्य सुरक्षा उपभोक्ता मामले, कृषि में कीमत पद्धति मुद्दों और अनिवार्य वस्तुओं का आयात/निर्यात में डील करता है। प्रभाग, कृषि मंत्रालय से प्राप्त संदर्भों के आधार पर, कृषि लागत और कीमत, आयोग (सी ए सी पी) से उत्पन्न होने

वाली विभिन्न फसलों की न्यूनतम समर्थन कीमतों (एम एस पी) के संबंध में सिफारिशों की जांच करता है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के नोडल प्रभाग के रूप में प्रभाग खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग तथा उपभोक्ता मामले विभाग की स्कीमों की जांच करता है। इसके अलावा प्रभाग भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस), शर्करा विकास निधि (एस डी एफ) संबंधी समिति के प्रस्तावों और कार्यकलापों केन्द्रीय खाद्यान्न भण्डार के संबंध में बफर स्टाकिंग मानदण्डों और खाद्य तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित मुद्दों के संबंध में मानीटरन सामिति की बैठकों में भाग लेता है। प्रभाग, मुद्रास्फीति स्थिति की समीक्षा करने के लिए अन्तर–मंत्रालयीय दल (आई एम जी) और कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रकों के लिए शीत शृंखला अवस्थापना संबंधी आई एम जी की बैठकों में भी योजना आयोग का प्रतिनिधित्व करता है।

4.5.2 वर्ष 2012–13 के दौरान प्रभाग द्वारा निम्नलिखित कार्यकलाप निष्पादित किए गए:

i. प्रभाग ने, कृषि मंत्रालय से प्राप्त संदर्भो के आधार पर कृषि लागत और कीमत आयोग द्वारा खाद्यान्न (खरीफ और रबी), तिलहनों, गन्ने, कोपरा, जूट आदि के संबंध में न्यूनतम समर्थन कीमतों के संबंध में की गई सिफारिशों की जॉच की और टिप्पणियॉ उपलब्ध कराईं।

ii. प्रभाग ने, प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल और केन्द्रीय पूल स्टॉक के संबंध में बफर स्टाकिंग नीति के संबंध में योजना आयोग के विचारों की जांच की और सम्प्रेषित किए।

iii. प्रभाग ने, लक्षित सार्वजनिक वितरण पद्धति, कृषि फसलों की एम एस पी, शर्करा और दालों के संबंध में नीति, अनिवार्य वस्तुओं के आयात/निर्यात, अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत स्टाक सीमाओं के निर्धारण/प्रतिबन्धों, मुद्रास्फीति, उपभोक्ता, संरक्षण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल, वायदा संविदा विनियमन अधिनियम आदि जैसे क्षेत्रों को कवर करते हुए मंत्रियों के अधिकार, प्राप्त समूह/कीमत संबंधी आर्थिक कार्य/मंत्रिमंडल समिति के विषय में मंत्रिमण्डल/मंत्रिमंडल समिति की बैठकों के लिए विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त संगत एजेण्डा मदों के संबंध में सिफारिशों की जांच की और योजना अयोग के विचारों को अन्तिम रूप दिया। इसके अलावा, संबंधित एजेण्डा नोटों के समय–समय पर सार तैयार किए गए।

iv. मंत्रिमडल सचिवालय के अनुरोध पर प्रभाग ने फार्म उत्पाद और सुचारू वितरण के लिए शीत भण्डारों के लिए प्रावधान सहित, आपूर्ति शृंखला में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, योजना आयोग के सदस्य डा. सुमित्रा चौधरी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। आलोच्य वर्ष के दौरान, समिति की रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया गया तथा सरकार को प्रस्तुत की गई। समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन को सुकर बनाने के लिए कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रकों के लिए शीत शृंखला अवस्थापना के संबंध में एक अन्तर–मंत्रालयीय दल सचिव, कृषि और सहकारिता विभाग की अध्यक्षता में गठित किया गया।

v. बारहवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के संदर्भ में प्रभाग ने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और उपभोक्ता कल्याण और संरक्षण के क्षेत्रों को कवर करते हुए योजना दस्तावेज के लिए इनपुट उपलब्ध कराए।

vi. प्रभाग ने, केरोसिन, एल पी जी, खाद्य और उर्वरकों के संबंध में सब्सिडियॉ सीधे ही हस्तान्तरित करने से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए, योजना आयोग के सदस्य डा. सुमित्रा चौधरी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की।

vii. प्रभाग से संबंधित विभिन्न तारांकित/अतारांकित प्रश्नों और वी आई पी संदर्भों के वर्ष के दौरान उत्तर दिए गए। इसके अलावा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्यान्नों के भण्डारण और पी डी एस के अन्तर्गत सब्सिडी सीधे ही हस्तान्तरित करने के विषय पर विभिन्न राज्यों से प्राप्त संदर्भो की जांच की गई और उपयुक्त रूप से उत्तर दिए गए।

viii. प्रभाग ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग और उपभोक्ता मामले विभाग के संबंध में बारहवीं पंचवर्षीय योजना और वार्षिक योजना 2013–14 के लिए सकल बजटीय सहायता के संबंध में स्कीम–वार प्रस्तावों की जांच की।

ix. प्रभाग, बढ़ती कीमतों के संबंध में विभिन्न घटनाओं के संबंध में इनपुट और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए उपाय उपलब्ध करा रहा है। प्रभाग, मुद्रास्फीति स्थिति की समीक्षा करने संबंधी आई एम जी और कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रकों के लिए शीत शृंखला अवस्थापना के संबंध में आई एम जी के विचार–विमर्शो में भी भाग लेता है।

4.6 प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डी बी टी)

पृष्ठभूमि

4.6.1 नागरिकों को, विशेष रूप से आम आदमी और देश के समाज के अल्प–सुविधा प्राप्त वर्ग के लिए सेवाएं प्रदान करने में प्राचल बदलाव के बारे में प्रधान मंत्री की परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण (डी बी टी) कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया। कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभों के वर्तमान इलेक्ट्रानिक हस्तान्तरण से लाभार्थी के बैंक खाते में लाभ उनके आधार आधारित बैंक खाते में हस्तान्तरित करने की परिकल्पना की गई है।

कार्यान्वयन कार्यनीति

4.6.2 सरकार ने, प्रत्यक्ष नकदी हस्तान्तरण के संबंध में राष्ट्रीय समिति गठित की है जिससे प्रत्यक्ष नकदी हस्तान्तरण संबंधी कार्यकारी समिति की सहायता से डी बी टी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में कार्रवाई को समन्वित करने की अपेक्षा की जाती है। व्यवस्थित और समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मिशन मोड सामिति, नामतः वित्तीय समावेशन समिति, प्रौद्योगिकी समिति और लाभों के इलेक्ट्रानिक हस्तारण संबंधी कार्यान्वयन समिति भी गठित की गई।

4.6.3 इस कार्यक्रम पर अमल करने के लिए पर्याप्त प्रारम्भिक कार्य करने की जरूरत थी। लाभार्थी डेटाबेस का डिजीटीकरण करने की जरूरत है बैंक खाता खोलने की जरूरत है, आधार संख्या जारी किए जाने और लाभार्थी डेटाबेस और लाभार्थी बैंक खाता डेटाबेस दोनों में सीड किए जाने की जरूरत है जिससे कि ''आधार अदायगी सेतु'' (एपीबी) के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ तेजी से हस्तान्तरित किए जा सके। डीबीटी कार्यक्रम का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित मंत्रालयों, बैंकों, जिला प्रशासन और यू आई डी ए आई के बीच निकट समन्वय की जरूरत है।

लागू करने की योजना[1] :

4.6.4 प्रधान मंत्री द्वारा आयोजित की गई प्रत्यक्ष नकद हस्तान्तरण संबंधी–राष्ट्रीय समिति की बैठक में एक निर्णय लिया गया था कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण स्कीम, 26 चयनित केन्द्रीय क्षेत्रक में और केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के संबंध में 1.1.2013 को शुरू करके चरण–वार ढंग से, 43 जिलों में 1 जनवरी 2013 से 20 जिलों में, 1.2.2013 से 11 जिलों में और 1.3.2013 से शेष 12 जिलों में लागू की जाएगी। बाद में डी बी टी को अन्य जिलों में चरण–वार ढंग से और आगे बढ़ाया जाएगा।

डी बी टी प्रभाग, योजना आयोग की भूमिका

4.6.5 योजना आयोग में नव सृजित प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण प्रभाग को डी बी टी कार्यान्वयन में पी एम और संबंधित मंत्रालयों/विभागों/राज्यों/जिलों के बीच एक नोडल एजेन्सी की भूमिका सौंपी गई है। इससे इस संबंध में पीएम ओ के लिए सचिवालयीय सेवा प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है।

4.6.6 डी बी टी प्रभाग अपनी स्थापना से निम्नलिखित कार्यकलापों में व्यस्त रहाः

क) जानकारी का प्रसार किया तथा ''प्रत्यक्ष नकद (लाभ) हस्तान्तरण'' संबंधी कार्यकारी समिति व अन्य मिशन मोड समितियों की विभिन्न बैठकों में लिए गए निर्णयों के संबंध में कार्रवाई समन्वित की। सामने आई अन्तर क्षेत्रकीय विसंगतियों को चिहिन्त किया गया तथा उनका यथाशीघ्र समाधान किया गया।

डीबीटी प्रभाग ने, कार्यकारी समिति के अनुमोदन से संबंधित मंत्रालयों को समेकित अनुदेश जारी किए। इस संदर्भ में प्रभाग ने डीबीटी लागू करने के लिए एक मार्ग नक्शा निर्धारित करते हुए ''प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण के संबंध में सूचना और मार्गदर्शन'' पर एक दस्तावेज तैयार और प्रसारित किया। ''प्रायोगिक जिला में प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण (डीबीटी) को सुकर बनाने के लिए बुनियादी डेटा एकत्र करने के लिए मानकीकृत फार्मेटों के संबंध में मार्गानिर्देशों'' के संबंध में दिनांक 26.12.2012 को कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया ''आधार संख्या सीड करने के लिए प्रक्रिया'' और ''बैंकों को अदायगी सूचना भेजने के लिए प्रक्रिया'' पर दो कार्यालय ज्ञापन 8.1.2013 को जारी किए गए।

ख) जिलों की तैयारी की समीक्षा की और डीबीटी के कार्यान्वयन में पेश आने वाली प्रचालन समस्याओं का विश्लेषण किया। इस संबंध में आधार नामाकंन, आधार की सीडिंग और उसे प्राप्त करने के लिए एक शिविर आधारित दृष्टिकोंण से संबंधित मुद्दों पर 13.12.2012 को 43 विनिर्धारित जिलों के जिला कलेक्टरों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। उसके बाद, संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों और नोडल अधिकारियों ने, प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण लागू करने के संदर्भ में उनकी तैयारी का जायजा लेने के लिए दिसम्बर 2012 में 43 विनिर्धारित जिलों का दौरा किया। चुनिन्दा जिलों में स्कीम–वार डीबीटी लागू करने के संबंध में प्रगति और तैयारी का मानीटरन करने के लिए योजना आयोग में जिला कलेक्टरों के साथ 10.1.2013 और 23.1.2013 से दो विडियो सम्मेलन आयोजित किए गए। इनमें संबंधित मंत्रालयों के नोडल अधिकारियों ने भी भांग लिया।

ग) डीबीटी पोर्टल का मानीटरन किया जिसे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और डीबीटी एम आईएस के संबंध में जानकारी प्रदान और बॉटने के लिए शुरू किया गया था, जिसे जिला में डीबीटीलागू करने की स्थिति के संबंध में कलेक्टरों से सूचना संकलित करने के लिए सृजित किया गया था। तथापि, पीएमओ द्वारा निर्धारित फार्मेट के अनुसार 8 संबंधित मंत्रालयों द्वारा डेटा एकत्र, सत्यापित और उसे डीबीटीएमआईएससिस्टम में अपलोड करना होगा। डीबीटी प्रभाग ने यह सुनिश्चित किया कि डेटा संकलन एक समयबद्ध ढंग से हो।

[1] चुनिन्दा स्कीमों और जिलों की सूची संलग्नक में दी गई है।

संलग्नक – I

1.1.2013 से प्रत्यक्ष लाभ हस्तातरण लागू करने के लिए 20 जिलों की सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिला का नाम
1.	कर्नाटक	तुमकुर
2.	कर्नाटक	मैसूर
3.	कर्नाटक	धारवाड़
4.	पुडुचेरी	पुडुचेरी
5.	चंडीगढ़	चंडीगढ़
6.	पंजाब	एसबीएस नगर/नवाँ शहर
7.	दिल्ली	उत्तर–पूर्व दिल्ली
8.	दिल्ली	उत्तर–पश्चिम दिल्ली
9.	मध्य प्रदेश	होशंगाबाद
10.	मध्य प्रदेश	पूर्वी निमाड़ (खंडवा)
11.	मध्य प्रदेश	हर्डा
12.	राजस्थान	अजमेर
13.	राजस्थान	उदयपुर
14.	राजस्थान	अलवर
15.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद
16.	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर
17.	आंध्र प्रदेश	चित्तौड़
18.	आंध्र प्रदेश	पूर्वी गोदावरी
19.	दमन व दीव	दीव
20.	दमन व दीव	दमन
1.2.2013 से प्रत्यक्ष लाभ हस्तातरण लागू करने के लिए 11 जिलों की सूची		
1.	केरल	पथनमथिट्टा
2.	हरियाणा	अंबाला
3.	पंजाब	गुरदासपुर
4.	सिक्किम	पश्चिमी सिक्किम
5.	सिक्किम	पूर्वी सिक्किम
6.	आंध प्रदेश	रंगारेड्डी
7.	गोवा	उत्तरी गोवा
8.	महाराश्ट्र	वर्धा
9.	महाराश्ट्र	अमरावती
10.	झारखण्ड	सरायकेला–खरसावां
11.	झारखण्ड	रांची
1.3.2013 से प्रत्यक्ष लाभ हस्तातरण लागू करने के लिए 12 जिलों की सूची		
1.	केरल	वायानाड
2.	हरियाणा	सोनीपत
3.	पंजाब	फतेहगढ़ साहिब
4.	त्रिपुरा	खोवाई
5.	त्रिपुरा	पश्चिमी त्रिपुरा
6.	त्रिपुरा	ढ़लाई
7.	त्रिपुरा	उत्तरी त्रिपुरा
8.	महाराश्ट्र	मुंबई+सुबुरवन
9.	महाराश्ट्र	पुणे
10.	महाराश्ट्र	नंदुरबार
11.	झारखण्ड	रामगढ़
12.	झारखण्ड	हजारीबाग

संलग्नक – II

प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण (डीबीटी) के संबंध में कार्यान्वित 26 स्कीमों की सूची 21.1.2013 की स्थिति के अनुसार

क्र.सं.	मंत्रालय / विभाग	स्कीमों की संख्या	सीएस / सीएसएस	स्कीम का नाम
1	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	1	सीएसएस	अनु. जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
		2	सीएसएस	अनु. जाति के छात्रों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति
		3	सीएसएस	अस्वच्छ व्यवसाय में लगे हुए बच्चों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति
		4	सीएस	अनु. जाति के छात्रों के लिए गुणता का उन्नयन
		5	सीएस	अनु. जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति स्कीम
		6	सीएसएस	अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
		7	सीएस	टॉप क्लास शिक्षा स्कीम
2	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग	1	सीएस	विश्वविद्यालय / महाविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति
		2	सीएस	यूजीसी की फैलोशिप स्कीम
		3	सीएस	एआईसीटीई की फैलोशिप स्कीम
3	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	1	सीएस	राष्ट्रीय साधन–सह गुणता छात्रवृत्ति
		2	सीएस	उच्चतर शिक्षा के लिए बालिका हेतु प्रोत्साहन की राष्ट्रीय स्कीम
4	जनजातीय कार्य मंत्रालय	1	सीएसएस	अनु. जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
		2	सीएस	टॉप क्लास शिक्षा प्रणाली
		3	सीएस	राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप
5	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	1	सीएसएस	मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम
		2	सीएस	मौलाना आजाद राष्ट्रीय फैलोशिप
		3	सीएसएस	गुणता सह–साधन छात्रवृत्ति स्कीम

क्र.सं.	मंत्रालय/ विभाग	स्कीमों की संख्या	सीएस/ सीएसएस	स्कीम का नाम
6	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	1	सीएसएस	इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आईजीएमएसवाई)
		2	सीएस	धनलक्ष्मी स्कीम
7	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	1	सीएसएस	जननी सुरक्षा योजना
8	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	1	सीएस	बीड़ी श्रमिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति
		2	सीएस	बीड़ी श्रमिकों के लिए आवास सब्सिडी
		3	सीएसएस	विशेष विद्यालयों में बच्चों के लिए छात्रवृत्ति
		4	सीएस	कोचिंग, मार्गदर्शन एवं व्यवसाय के माध्यम से रोजगार की तलाश करने वाले एस/एसटी के कल्याण की स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षुओं हेतु छात्रवृत्ति
		5	सीएसएस	वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित 34 जिलों में कौशल विकास की स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षुओं को छात्रवृत्ति का भुगतान
	कुल	**26**		

4.7 शिक्षा प्रभाग

4.7.1 मानव संसाधन विकास (एचआरडी) प्रभाग के नए नाम से शिक्षा प्रभाग, शिक्षा, खेल–कूद और युवा मामलों के क्षेत्र में विकास योजना के सभी पहलुओं से संबंधित है। तथापि, यह कृषि, सम्बद्ध क्षेत्रकों, सार्वजनिक स्वास्थ्य और मेडिकल शिक्षा से सम्बद्ध शिक्षा के साथ डील नहीं करता है।

4.7.2 एचआरडी प्रभाग के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित सम्मिलित हैं: (i) शिक्षा के विभिन्न स्तर, जैसे कि प्राथमिक–पूर्व, प्राथमिक, मिडिल, औपचारिक और गैर–औपचारिक शिक्षा, माध्यमिक, उच्च और तकनीकी शिक्षा, और (ii) विशेष क्षेत्र, जैसे कि लड़कियों, अनुसूचित जातियों, अनु.जनजातियों के बच्चों और विकलांग बच्चों की शिक्षा। प्रमुख विकास कार्यक्रम

निम्नलिखित से संबंधित हैं:– प्रारम्भिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण, माध्यमिक स्तर तक सर्वसुलभ पहुँच और कोटि शिक्षा में सुधार; प्रौढ़ शिक्षा; का व्यावसायीकरण; शिक्षक शिक्षा; विज्ञान शिक्षा; शारीरिक शिक्षा; खेल–कुद; छात्रवृत्तियां; भाषा विकास; पुस्तक प्रोन्नयन; पुस्तकालय; युवा सेवा स्कीम; सांस्कृतिक संस्थान और कार्यकलाप आदि।

4.7.3 वर्ष 2012–13 के दौरान, प्रभाग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज तैयार और अन्तिम रूप देने में सक्रिय रूप से भाग लिया। इसके अलावा, योजना स्कीमों को जारी रखने से सम्बद्ध कार्यकलाप, अर्थात् स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, एमएचआरडी के अधीन, खेल विभाग और युवा मामले विभाग (युवा मामले मंत्रालय के अधीन) की स्कीमों के संबंध में एसएफसी/ईएफसी/सीसीईए प्रस्तावों का ''सिद्धान्तः'' अनुमोदन और जाँच, आलोच्य अवधि के दौरान जारी रही। वर्ष 2012–13 के दौरान इन विभागों के व्यय की गति की समीक्षा करने के लिए सदस्य (एचआरडी) की अध्यक्षता में वार्षिक निष्पादन समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं। इन समीक्षाओं के दौरान प्रगति की बारीकी से जाँच की गई, स्कीमों के कार्यान्वयन में समस्याओं का विनिर्धारण किया गया तथा निधियों के उपयोग/बेहतर लक्ष्यों के लिए उपयुक्त उपाय सुझाए गए।

4.7.4 वर्ष के दौरान प्रभाग के अधिकारियों ने, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन विश्वविद्यालय (एनयूईपीए) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) परियोजना अनुमोदन बोर्डों (पीएबी), एसएसए, जैसे संस्थानों एमडीएम, आरएमएसए, आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन की पीएबी बैठकों और तकनीकी समिति जैसी इसकी उपसमिति और उचित विवेक समिति, एनसीआई और टीईक्युआईपी की कार्यकारी समिति, एमएचआरडी की शिक्षक शिक्षा परियोजना अनुमोदन बोर्ड बैठकें, 59वीं और 60वीं सीएबीई बैठकों, शिक्षक और शिक्षण संबंधी राष्ट्रीय मिशन की सीएबीई उप–समिति और निःशुल्क और अनिर्वाय शिक्षा के लिए अधिनियम 2009 का स्कूल –पूर्व शिक्षा तक विस्तार, माध्यमिक शिक्षा और एसएसए और आरएमएसए की संयुक्त समीक्षा मिशन बैठकों में, कार्यक्रमों तथा नीतियों की समीक्षार्थ,भाग लिया।

4.7.5 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में शिक्षा, युवा मामले और खेल–कूद क्षेत्रकों के अन्तर्गत आवंटन भी किए गए। इस संदर्भ में, अधिकारियों ने राज्यों की वार्षिक योजना 2012–13 प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने के लिए अनेक कार्यदलों की बैठकों में भाग लिया। इसके साथ ही अतिरिक्त/विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए राज्यों के प्रस्तावों की भी जाँच की गई।

4.7.6 शिक्षा प्रभाग ने वर्ष के दौरान नीतिगत मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित पहलों सहित अनेक पहलें की :

- प्रभाग ने, प्रमुख अग्रणी कार्यक्रम, यथा एसएसए और एमडीएम की प्रगति के संबंध में प्रस्तुतीकरण में भाग लिया। आरटीई अधिनियम को देखते हुए, एसएसए के साथ आर टीई के सामन्जस्यीकरण के लिए अनेक पद्धतियों पर मंत्रालय के साथ, चर्चा की गई और उसे अन्तिम रूप दिया गया। प्रभाग ने, एसएसए और आरएमएसए के संबंध में संयुक्त समीक्षा मिशन (जेआरएम) और स्कूलों में मध्याह्न भोजन संबंधी राष्ट्रीय संचालन–सहमानीटरन समिति की बैठकों में भाग लिया। अधिकारियों ने राज्य और जिला स्तरों पर स्कीमों के कार्यान्वयन के बारे में प्रारम्भिक अनुभव प्राप्त करने के लिए राज्यों के क्षेत्र दौरे आयोजित किए।

- प्रभाग ने, माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रमुख स्कीमों– आरएमएसए, माध्यमिक स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, बालिका छात्रावास, मॉडल स्कूलों, केन्द्रीय विद्यालयों आदि की जाँच की।
- प्रभाग ने, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता फ्रेमवर्क (एनवीईक्युएफ), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए बाह्य वित्त पोषण एजेन्सियों एसएसए के तृतीय चरण के लिए विश्व बैंक से बाह्य वित्त पोषण, केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन द्वारा प्रशासित स्कूलों का केन्द्रीय तिब्बती प्रशासन को हस्तान्तरण के संबंध में मंत्रिमंडल नोटों की जाँच की। प्रभाग ने, राष्ट्रीय साधन–सह–योग्यता छात्रवृत्ति स्कीम के सीएसएस, आरएमएसए और मॉडल स्कूलों के संशोधन चाहने वाले ईएफसी ज्ञापन की भी जाँच की।
- प्रभाग, प्रारम्भिक शिक्षा, विशेष रूप से एसएसए, एमडीएमएस और आरएमएसए–वाम पंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों में – की प्रगति के संबंध में सुविचारित सार और समालोचनाएं तैयार करने में सक्रिय रूप से भाग लेता है।
- शिक्षा प्रभाग ने, अनुसंधान अध्ययनों/मूल्यांकन अध्ययनों के वित्त पोषण के लिए एनजीओ और स्वायत्त निकायों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों की जाँच की और सहायता–अनुदान समितियों को मूल्यांकन नोट उपलब्ध कराए। कुछेक अधिकारियों को योजना आयोग में पीईओ द्वारा स्थापित अध्ययनों के लिए मूल्यांकन समितियों में शामिल किया गया।
- शिक्षा प्रभाग ने, संसदीय प्रश्नों और आश्वासनों की हैण्डलिंग की, शिक्षा क्षेत्रक और अनुजातियों/अनु–जनजातियों के शैक्षिक विकास से संबंधित मुद्दों पर संसदीय स्थायी समिति के लिए टिप्पणियां उपलब्ध कराई, वीआईपी संदर्भों, आरटीआई सम्बद्ध मामलों की हैण्डलिंग की, आउटकम बजट तैयार करने में भाग लिया और राष्ट्रपति के बजट भाषण, आर्थिक सर्वेक्षण और आर्थिक सम्पादकों के सम्मेलन में शामिल करने के लिए सामग्री उपलब्ध कराई।
- एचआरडी प्रभाग ने बी.के. चतुर्वेदी समिति की सिफारिशों के अनुरूप जेडबीबी प्रक्रिया में भाग लिया, और केन्द्र प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) का पुनर्गठन किया तथा मंत्रालय की केन्द्र क्षेत्रक स्कीमों में भी कमी करने का प्रयास किया। स्कूल शिक्षा में सीएसएस की कुल संख्या को 14 से 6 और सीएस को 10 से 5 कर दिया।
- उच्च शिक्षा यूनिट ने अनेक व्याख्यान, प्रस्तुतीकरण, सेमिनार, विडियो कन्फ्रेन्सिंग, गोलमेज सम्मेलन, कार्यशालाएं आदि विभिन्न विषयों पर, नूतनता, उच्च शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी, नेतृत्व विकास कार्यनीति, उच्च शिक्षा के अन्तर्राष्ट्रीयकरण, उच्च शिक्षा अध्ययन परिणामों के आकलन, बीआरआईसी देशों में उच्च शिक्षा, अध्ययन परिणाम और शिक्षक प्रशिक्षण, संकाय विकास, संस्थागत बदलाव, इंजीनियरी शिक्षा की कोटि में सुधार करने में सम्बद्ध विश्वविद्यालयों की भूमिका, उच्च शिक्षा में सामाजिक दायित्व को बढ़ावा देने आदि सहित, प्रतिभागियों के लाभ के लिए और नीति निहितार्थों को समझने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के विशेषज्ञों द्वारा आयोजित किए। उच्च शिक्षा में कारपोरेट–क्षेत्रक और प्राइवेट भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक समिति तथा एक कार्य दल गठित किया गया। उच्च शिक्षा क्षेत्रक में लम्बे अर्से से लम्बित मुद्दों

का समाधान करने के लिए बहुत सी बैठकें आयोजित की गई।

- उपरोक्त के अलावा पुस्तकालयों, अनुवाद, स्कूलों में अंग्रेजी भाषा में शिक्षण, एकीकृत राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क पोर्टलों, शिक्षा के अधिकार, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण, ई–शासन, विधिक शिक्षा, मुक्त और दूरवर्ती शिक्षा, मुक्त शैक्षिक संसाधन, प्रबंधन शिक्षा, बौद्धिक सम्पदा अधिकार पारम्परिक स्वास्थ्य पद्धतियों, स्कूल शिक्षा, गणित और विज्ञान के लिए प्रतिभाशाली छात्रों को आकर्षित करने, नूतनताएं और अधिक गुणवत्तापूर्ण पीएचडी को आकर्षित करने, इंजीनियरी शिक्षा आदि के क्षेत्र में शिक्षा क्षेत्रक से संबंधित राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की विभिन्न सिफारिशों की जाँच की गई जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पर हैं।

युवा मामले और खेलकूद

4.7.7 भारत युवा लोगों का देश है तथा लगभग 70 प्रतिशत ऐसे व्यक्तियों से सम्पन्न है जो 35 वर्ष से कम आयु के हैं। इस ''जनांकिकीय लाभांश'' को, देश की विकास दर को तेज करने के एक अवसर की दृष्टि से देखा जा रहा है। राष्ट्र निर्माण के लिए युवा शक्ति का दोहन करने के लिए, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा अनेक कार्यक्रम/स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं। इसलिए बारहवीं योजना में किशोरों और युवाओं से संबंद्ध समस्याओं पर मुख्यतः ध्यान दिया गया है।

4.7.8 आलोच्य अवधि के दौरान प्रभाग के अधिकारियों ने, युवा और किशोर विकास से जुड़ी एनवीवाईएडी के अन्तर्गत प्रस्तावों पर विचार करने, खेल कोचिंग के लिए अनुदान और विकलांग व्यक्तियों के बीच खेलों के प्रोत्साहन के लिए स्कीम के अन्तर्गत उपभोज्यों और गैर–उपभोज्यों और खेल उपकरण की खरीद पर विचार करने के लिए ''परियोजना आकलन समिति'' की बैठकों में भाग लिया। आधार स्तर पर खेल अवस्थापना कायम करने के लिए वित्तीय सहायतार्थ प्रस्तावों पर विचार करने के लिए कार्यकारी समिति और पीवाईकेकेए की शासी परिषद की बैठकों में भी भाग लिया। आयोजन समिति, राष्ट्रमण्डल खेल 2010 की परिसम्पत्तियों का निपटान करने से संबंधित एसएफसी/ईएफसी/ मंत्रिमंडल नोट के लिए अनेक प्रस्तावों की जाँच की गई और टिप्पणियां प्रस्तुत की गईं ताकि खेल अवस्थापना और युवा सम्बद्ध कार्यकलापों से जुड़ी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक और समय पर पूरा किया जा सके।

4.7.9 खेल विभाग और युवा मामले विभाग, युवा मामले और खेल मंत्रालय के वार्षिक योजना 2012–13 प्रस्तावों पर, वर्ष 2012–13 की छमाही निष्पादन समीक्षा के साथ–साथ चर्चा और जाँच की गई। खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर के संबंध में पूर्वोत्तर राज्यों से प्राप्त एसीए और एसपीए चाहने वाले प्रस्तावों और वार्षिक योजना 2012–13 प्रस्तावों की जाँच की गई।

4.8. प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद

4.8.1 प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की संरचना 1.1.2012 से निम्नवत है :

डा. सी. रंगराजन
पूर्णकालिक अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री के रैंक में,
पूर्व राज्यपाल, आन्ध्र प्रदेश

डा. सौमित्र चौधरी
सदस्य, योजना आयोग अंशकालिक सदस्य,
राज्य मंत्री के रैंक में

डा. एम. गोविन्द राव
निदेशक, रा. लो. वि. नी. सं. अंशकालिक सदस्य, राज्य मंत्री के रैंक में

डा. वी. एस. व्यास
पूर्व प्रोफेसर, विकास अध्ययन संस्थान, जयपुर
अंशकालिक सदस्य, राज्य मंत्री के रैंक में

4.8.2 ई ए सी के विचारार्थ विषय निम्नवत हैं :

- प्रधान मंत्री द्वारा संदर्भित किए जाने वाले मुद्दे का आर्थिक अथवा अन्यथा विश्लेषण करना और उसके संबंध में सलाह देना;
- मैक्रो आर्थिक महत्त्व के मुद्दों पर विचार करना तथा उसके संबंध में प्रधान मंत्री को विचार प्रस्तुत करना। यह स्वमेव हो सकता है अथवा प्रधान मंत्री अथवा किसी अन्य द्वारा संदर्भित किया जा सकता है;
- आर्थिक नीति के लिए निहितार्थ वाले मुद्दों और मेक्रो आर्थिक घटनाओं के संबंध में प्रधानमंत्री को समय–समय पर रिपोर्टें प्रस्तुत करना;
- किसी अन्य कार्य पर विचार करना जिसके संबंध में प्रधान मंत्री समय–समय पर इच्छा व्यक्त करे।

4.8.3 प्रशासनिक व्यवस्था और बजट

- प्रशासनिक, सम्भारतन्त्रीय, योजना और बजटीय प्रयोजनों के लिए ईएसी के लिए योजना आयोग नोडल एजेन्सी है।
- ईएसी के लिए वर्ष 2012–13 के लिए योजना मंत्रालय के अधीन पृथक बजट आंवटित किया गया है।
- ई ए सी का कार्यालय विज्ञान भवन के हॉल–''ई'' में स्थित है। अधिकारी स्तर पर इसका एक पूर्णकालिक सचिव (सरकार के सचिव/सयुंक्त सचिव के रैंक में (सं.स.स्तर), दो अधिकारी निदेशक के रैंक में (अध्यक्ष के पी एस सहित), एक उप सचिव के रैंक में और एक वरि. अनुसंधान अधिकारी के रैंक में है।

4.8.4 आयोजित कार्य

अपने विचारार्थ विषयों के अनुसार ई ए सी ने अपनी छमाही ''आर्थिक समीक्षा'' (2011–12) और ''आउटलुक'' (2012–13) क्रमशः जनवरी और जुलाई 2012 में प्रकाशित किया। इन रिपोर्टों में अर्थव्यवस्था का एक आवधिक स्वतन्त्र मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा, ईएसी ने प्रधान मंत्री/पीएमओ द्वारा संदर्भित किए गए अनेक मुद्दों पर प्रधान मंत्री को सलाह दी। ईएसी द्वारा जिन महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया गया वे हैं:

1. बड़े बन्दरगाहों और प्राइवेट टर्मिनलों पर टैरिफ विनियमन
2. लौह अयस्क पर खनिज संसाधन कर आरोपित करना
3. 2012–13 मौसम की खरीफ फसलों के संबंध में कीमत नीति
4. खाद्यान्नों की विद्यमान खरीद प्रक्रिया में सुधार
5. पेट्रोलियम उत्पादों पर सब्सिडियों का सीधा हस्तान्तरण और बीपीएल प्राचल
6. मुद्रास्फीति और डीजल कीमतों का विनियंत्रण
7. खाद्य भण्डारों का प्रबंधन तथा कृषि से संबंधित अन्य मुद्दे
8. परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनियों के संबंध में विदेशी निवेश नीति की समीक्षा और प्रतिभूति प्राप्तियों में विदेशी संस्थागत निवेशक द्वारा निवेश
9. टिप्पणियों के माध्यम से औपचारिक सलाह के अलावा, परिषद के अध्यक्ष ने जब भी समय–समय पर महत्त्वपूर्ण आर्थिक मुद्दों पर, उनसे मांगी गई, प्रधान मंत्री को अनौपचारिक रूप से भी सलाह दी

10. ईएसी के अध्यक्ष ने, भारत में शर्करा क्षेत्रक के विनियमन के मुद्दे की जाँच करने के लिए समिति, पेट्रोलियम उद्योग में उत्पादन हिस्सेदारी संविदा पद्धति के संबंध में समिति; और गरीबी का अनुमान लगाने के संबंध में विशेषज्ञ समिति की भी अध्यक्षता की। पहली दो समितियों की रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी गई हैं। इन समितियों को सेवा ईएसी सचिवालय ने उपलब्ध कराई। ईएसी का अध्यक्ष व्यापार और उद्योग संबंधी समिति, व्यापार और आर्थिक संबंध–समिति, जी 20 की शीर्ष परिषद, जलवायु परिवर्तन संबंधी परिषद, विनिर्माण के संबंध में उच्च स्तरीय समिति का भी सदस्य है।

11. आर्थिक नीति के मुद्दों पर विचार विमर्श करने और प्रधान मंत्री को दी जाने वाली सलाह के संबंध में अपने विचारों को ठोस रूप देने के लिए पूर्ण ईएसी की बैठक आवश्यक होने पर समय–समय पर आयोजित की गई।

4.9 पर्यावरण और वन प्रभाग

4.9.1 ईएण्डएफ प्रभाग, पर्यावरण, वन, वन्य जीवन, पशु कल्याण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों से संबंधित है। यह पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ कार्यकलापों का समन्वय करता है।

4.9.2 वर्ष 2012–13 के दौरान निम्नलिखित कार्यकलाप आयोजित किए गए :

- संधारणीय विकास (अध्याय 5) और पर्यावरण, वानिकी और वन्यजीवन (अध्याय 7) के संबंध में बारहवीं पंचवर्षीय योजना अध्याय को अन्तिम रूप देना।
- पर्यावरण, वानिकी, वन्यजीवन और जलवायु परिवर्तन के संबंध में संचालन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट में क्षेत्रक द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों और स्वदेशी अनिवार्यताओं और साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय वचनबद्धताओं के भी अनुरूप प्राप्ति–योग्य लक्ष्यों और आकांक्षापूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने की कार्यनीतियों को परिलक्षित करने का प्रयास किया गया है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना की परिकल्पना, मानीटरन योग्य लक्ष्य और ध्येय क्रमशः बाक्स 1, 2 और 3 में दिए गए हैं।

4.9.3 बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना स्कीमों का युक्तिकरण

केन्द्र प्रायोजित स्कीमों पर बी.के. चतुर्वेदी रिपोर्ट (सितम्बर 2011) की सिफारिशों के अनुसरण में, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में विद्यमान आठ स्कीमों का युक्तिकरण करके बारहवीं पंचवर्षीय योजना में इनकी संख्या को पांच कर दिया। मंत्रालय की फाइनल 18 स्कीमों (5 केन्द्र प्रायोजित स्कीमें, सीएसएस और 13 केन्द्रीय स्कीमें, सीएस) का ब्यौरा तालिका–1 में दर्शाया गया है।

4.9.4 मंत्रिमण्डल नोट्स

वर्ष 2012 – 13 में निम्नलिखित मंत्रिमंडल नोट्स अनुमोदित किए गए :

- राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना और राष्ट्रीय वेटलेंड्स संरक्षण कार्यक्रम को मिला कर नई स्कीम – "एक्वॉटिक इकोसिस्टम के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय योजना" संबंधी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का प्रस्ताव ।
- प्रस्ताव (i) तदर्थ सी. ए. एम. पी. ए. को बदल कर नियमित कम्पनसेटरी अफोरेस्टेशन फंड प्रबंधन और प्लानिंग एथार्टी का प्रचालन (ii) कम्पनसेटरी अफोरेस्टेशन बिल, 2008 फिर से शुरू न करना, जो संसद में प्रस्तुत किया गया था और मई 2009 में लोक सभा के भंग हो जाने के कारण व्यपगत हो गया।

बाक्स –1 : परिकल्पना

तीव्र और समतापूर्ण विकास के लिए पर्यावरण, वनों, वन्य जीवन और जलवायु परिवर्तन के कारण चुनौतियों का प्रबंधन जिसके अन्तर्गत धारणीयता और समावेशन के लिए पारिस्थितिकीय सुरक्षा बहाल हो सके, लोगों की भागीदारी को संस्थागत बनाने के माध्यम से सभी पर्यावरणीय सम्पत्तियां और पारितंत्र सेवाएं आश्वस्त हों;

और

एक ऐसा भविष्य जिसमें राष्ट्र अपने पर्यावरण, वनों, अपनी जैव–विविधता की समृद्धि से गौरव का अनुभव करे तथा राज्य और इसके लोगों द्वारा अन्तर और आन्तर पीढ़ी साम्यता के लिए इसकी सुरक्षा, विस्तार और समृद्धि हेतु प्रयास किए जाएं तथा स्थानीय और वैश्विक आबादी का कल्याण।

बाक्स–2 : मानीटरनयोग्य लक्ष्य

बारहवीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित मानीटरनयोग्य लक्ष्य और ध्येय विनिर्धारित किए गए हैं :

क. पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन

1. 2017 तक भू–जल संदूषण की सम्भावना के साथ 12 विनिर्धारित संदूषित स्थलों (खतरनाक रसायन और अवशिष्ट) का आकलन और सुधार।
2. 2017 तक नदियों में अत्यधिक रूप से प्रदूषित खण्ड़ों की 80 प्रतिशत और 2020 तक 100 प्रतिशत सफाई।
3. राज्यों द्वारा 2017 तक शहरी क्षेत्रों में एनएएक्युएस की पूर्ति।
4. 2005 स्तरों की तुलना में 2020 तक 20 से 25 प्रतिशत कटौती के लक्ष्य के अनुरूप हमारी जीडीपी की निस्सरण गहनता को कम करना।

ख. वन और आजीविका

5. ग्रीन इण्डिया मिशन के अन्तर्गत 5 मिलियन हेक्टेयर को हरित बनाना, 1.5 मिलियन हेक्टेयर अवनत भूमि सहित, वनारोपण और पारिस्थितिकीय संवदेनशील क्षेत्रों के 0.9 मिलियन हेक्टेयर का पारि–पुनरूद्धार।
6. समर्पित उपग्रह के जरिए आवधिक आधार पर 2017 तक वन आवरण जैव–विविधता और बढ़ते स्टाक का परिवर्तन–मानीटरन सहित प्रौद्योगिकी आधारित मानीटरन और 2015 तक अनुसंधान और सार्वजनिक सुलभता के लिए एक मुक्त वेब–आधारित राष्ट्रीय वानिकी और पर्यावरणीय सूचना पद्धति की स्थापना।
7. 2016 तक प्रत्येक संयुक्त वन प्रबंधन (जेएफएम) ग्राम के लिए ग्राम ग्रीन गार्डों/सामुदायिक वनकर्ताओं की नियुक्ति।
8. 2014 तक वन सर्किलों में वानिकी सीड बैंक की स्थापना और सार्वजनिक पोर्टल पर सूचना के साथ प्रत्येक जिले में माडल नर्सरी।

ग. वन्य जीवन, पारि–पर्यटन और पशु–कल्याण

9. देश में 20 प्रतिशत पशु चिकित्सा व्यावसायिकों को वन्यजीवन के उपचार में प्रशिक्षित किया जाएगा।
10. 2017 तक सभी सम्भावित संरक्षित क्षेत्रों के 10 प्रतिशत को कवर करते हुए एकीकृत पारिपर्यटन जिला योजनाएं।
11. पशु कल्याण में प्राइवेट क्षेत्रक, सिविल सोसायटियों, एनजीओ और दानियों की भागीदारी को प्रोत्साहन।

घ. पारितंत्र और जैव–विविधता

12. 2017 तक 0.1 मिलियन हेक्टेयर परतीभूमि/अन्तर्देशीय झीलों/जल निकायों का पुनरूद्धार।
13. मरूस्थल (शीत और शुष्क दोनों), तटीय क्षेत्रों, महत्त्वपूर्ण कोरल क्षेत्रों, परती भूमियों, मेनग्रोवों आदि के मानचित्रण और जैव–विविधता प्रबंधन योजनाएं तैयार करने का काम 2017 तक पूरा करना।

बाक्स 3 : 12 वीं योजना के लिए लक्ष्य

क. पर्यावरण

1. बेहतर पर्यावरण प्रबंधन और पारिस्थितिकी के कारण स्वास्थ्य स्थिति में सुधार का आकलन करने के लिए रोग विज्ञान संबंधी अध्ययन।
2. स्वच्छ प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन और अपनाना, विनियमों का सुदृढ़ीकरण और सुधारों की शुरुआत, नीति निर्माण और पर्यावरणीय शासन के लिए प्रवर्तन संस्थान।
3. संचयी और नीतिगत ईआईए की दिशा में प्रगति।
4. पृथक्करण को विनियंत्रित करके सभी नदियों में पारिस्थितिकीय प्रवाह सुनिश्चित करना ताकि नदी बेसिनों के संरक्षण के लिए विधिक रूपरेखा और प्रबंधन कार्यनीति का विकास करके नदी पारितंत्रों का संरक्षण किया जा सके।
5. शहरी परियोजनाओं में पुनः चक्रण और उपचारित सीवेज का पुनः प्रयोग, जैसे कि सफाई, भू–दृश्य, केन्द्रीय एयरकंडीशनिंग आदि।

ख. वन और आजीविका

6. वन उत्पादकता, उत्पादन में सुधार और जैव–विविधता का धारणीय प्रबंधन (स्थानीय लोगों के साथ लाभ में भागीदारी की सुलभता में साम्यता)।
7. वन रेंज भूमियों/चारागाह भूमि प्रबंधन का पुनरूद्धार और तीव्रीकरण तथा वन निकटवर्ती गाँवों के इर्द–गिर्द सामुदायिक चारागाह स्थापित करना।
8. वन संसाधनों के प्रबंधन, पारिपर्यटन सहित ग्राम वन समितियों/संयुक्त वानिकी प्रबंधन समितियों का क्षमता निर्माण।
9. देश के भिन्न किस्म के वनों के लिए और साथ ही लघु वन उत्पाद/गैर–काष्ठ वन उत्पाद के अन्तर्गत सूचीबद्ध प्रजातियों के लिए भी जेनेटिक सुधार और क्लोनल उद्यानों की स्थापना सहित बीज, फलोद्यान और सिल्वीकल्चर प्लॉट्स का पुनरुज्जीवन।

ग. वन्यजीवन, पारिपर्यटन और पशुकल्याण

10. मानव–वन्यजीव संघर्ष को कम करना और प्रबंधन।
11. पोली–असंतृप्त फेटी एसिडों (पीयूएफए), विटामिन आदि से भरपूर अनुमत्य समुद्रीय उत्पादों का वाणिज्यिकरण।
12. पारि–पर्यटन का प्रोत्साहन और स्थानीय लोगों की भागीदारीपूर्ण पारि–विकास समर्थन आजीविका

घ. पारितंत्र और जैव विविधता–

13. जैव–विविधता से सम्बद्ध राष्ट्रीय लक्ष्य और संकेतक विकसित करना और जैविकीय विविधता अधिनियम 2002 के कार्यान्वयन के सुदृढ़ीकरण के लिए कार्यों को समर्थन प्रदान करना तथा स्थानीय लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए जैव–सुरक्षा सुनिश्चित करना।
14. तटीय जैव–विविधता संबंधी संसाधनों का आकलन, संधारणीय प्रबंधन सुनिश्चित करना, मेनग्रोवों, कोरल रीफों और परती भूमियों और समर्थक आजीविका की बहाली।

तालिका–1

	पर्यावरण	स्कीम का स्वरूप
1.	पर्यावरण मानीटरन और शासन	सीएस
2.	प्रदूषण उपशमन	सीएस
3.	संरक्षण और विकास के लिए आर एण्ड डी	सीएस
4.	प्राकृतिक संसाधनों और पारितंत्रों का संरक्षण	सीएसएस
5.	पर्यावरणीय सूचना, शिक्षा और जागरुकता	सीएस
6.	जलवायु परिवर्तन सबंधी कार्रवाई कार्यक्रम	सीएस
7.	अन्तरराष्ट्रीय सहयोग कार्यकलाप	सीएस
8.	राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन कार्यक्रम	सीएस
9.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	सीएसएस
	वानिकी और वन्यजीवन	
10.	वन और वन्य जीवन संस्थानों के लिए सहायता–अनुदान	सीएस
11.	वानिकी क्षेत्रक में क्षमता निर्माण	सीएस
12.	वनरोपण और वन प्रबंधन	सीएसएस
13.	वानिकी प्रभाग का सुदृढ़ीकरण	सीएस
14.	वन्य जीवन प्रभागों का सुदृढ़ीकरण	सीएस
15.	वन्य जीव प्रबंधन	सीएसएस
16.	प्रोजेक्ट टाइगर	सीएसएस
17.	राष्ट्रीय वनरोपण और पारि–विकास बोर्ड (एनएईबी)	सीएस
18.	वन्यजीव कल्याण	सीएस

- पार्टियों के 18 वें सम्मेलन में भावी जलवायु परिवर्तन समझौतों के लिए दृष्टिकोण और रणनीति के समझौते संबंधी प्रस्ताव।
- वन्य जीव (सुरक्षा) संशोधन बिल, 2012 के माध्यम से वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा अनुच्छेद 2, 18, 22, 33, 35, 36–डी एवं 38 में संशोधन हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव और संसद में इसे पेश करना।
- 20 – 22 जून, 2012 को रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में होने वाले आगामी जेनेरियो 20 सम्मेलन में शामिल करने हेतु समझौता रणनीति के अनुसार समझौता टीम को अधिदेश देना।

4.9.5 वर्ष के दौरान योजना आयोग के ई. एण्ड एफ. प्रभाग ने निम्नलिखित की शुरूआत करते हुए उन पर कार्य किए : –

- समावेशी विकास के लिए न्यून कार्बन रणनीतियों पर विशेषज्ञ समूह

योजना आयोग द्वारा न्यून कार्बन रणनीतियों पर नियुक्त विशेषज्ञ समूह ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो कार्बन के उपशमन की प्रमुख क्षमता वाले क्षेत्रकों जैसे – विद्युत, परिवहन, उद्योग, भवन और वानिकी के लिए न्यून कार्बन रणनीति को रेखांकित करती है। इसने इनवेंटरी बिल्डिंग दृष्टिकोण को अपनाते हुए बाटम अप उत्सर्जन कटौती संख्या को भी परिकलित किया है, जो कि कार्यालयी ग्रीन हाउस गैस इन्वेंटरी बिल्डिंग सिस्टम की तरह ही है । यह 2005 के स्तर पर उत्सर्जन घनत्व की कमी को दर्शाती है (जो जी. डी. पी. के प्रत्येक रू. के लिए कार्बन डाइ आक्साइड के बराबर ग्राम में मापित हैं) जो "संकल्पित प्रयासों" के तहत 2020 के परिदृश्य में 23 से 25 प्रतिशत होगी, जो कि "उत्साही प्रयासों के परिदृश्य में" 2020 तक 33 से 35 प्रतिशत तक बढ़ सकती है । "संकल्पित प्रयास" परिदृश्य निपटने वाली नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन को स्वीकारता है, जिसके लिए प्रौद्योगिकी के सतत क्रमोन्नयन तथा पब्लिक और प्राइवेट स्रोतों से भी लगातार वित्त में वृद्धि की जरूरत है । "उत्साही प्रयास" के परिदृश्य में संकल्पित प्रयासों, डिजाइन और नई नीतियों के कार्यान्वयन की अतिरिक्त जरूरत होगी, जिसके लिए अन्तरराष्ट्रीय स्रोतों से वित्त तथा प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होगी।

विशेषज्ञ समूह ने 12वीं योजना के लिए निम्नलिखित बारह ध्यानकेंद्रण क्षेत्रों की पहचान की है :–

1. उन्नत कोयला प्रौद्योगिकी।
2. राष्ट्रीय पवन ऊर्जा मिशन।
3. राष्ट्रीय सौर मिशन।
4. लोह एवं इस्पात उद्योग में प्रौद्योगिकी सुधार।
5. सीमेंट उद्योग में प्रौद्योगिकी सुधार।
6. उद्योग में ऊर्जा कुशलता कार्यक्रम।
7. व्हीकल ईंधन कुशलता कार्यक्रम।
8. माल परिवहन की कुशलता में सुधार।
9. बेहतरीन शहरी पब्लिक और गैर–मोटरीकृत परिवहन।
10. लाइटिंग, लेबलिंग और सुपर–कुशलता उपस्कर कार्यक्रम।
11. ग्रीन बिल्डिंग कोड्स को तीव्रता से अपनाना।
12. वन एवं वृक्ष आच्छादन के स्टॉक में सुधार।

- व्यय वित्त समिति प्रस्ताव

पर्यावरण और वन मंत्रालय की विभिन्न केंद्रीय क्षेत्रक स्कीमों के प्रस्तावों को ई. एफ. सी. ज्ञापनों के अनुसार प्रोसेस किया गया । जनवरी 2012 से मार्च 2013 तक (12 वीं पंचवर्षीय योजना में) निम्नलिखित मूल्यांकन नोट्स जारी किए गए :

1. पानीपत में सफाई कार्यों के लिए ई. एफ. सी. ज्ञापन।
2. "सूरत, गुजरात में मिन्धोला नदी के प्रदूषण को कम करने" हेतु ई. एफ. सी. ज्ञापन।
3. राष्ट्रीय वानिकी सूचना प्रणाली हेतु ई. एफ. सी. ज्ञापन।
4. जलवायु परिवर्तन कार्य योजना पर ई. एफ. सी. ज्ञापन।

5. राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना और राष्ट्रीय वेटलेंड्स संरक्षण कार्यक्रम को मिलाने संबंधी ई. एफ. सी. ज्ञापन।

- **पर्यावरणीय निष्पादन सूचक (ई. पी. आई.)**

बजटीय आवंटनों के माध्यम से पर्यावरणीय निष्पादन हेतु राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए ई. पी. आई. विकसित करने हेतु योजना आयोग कार्रवाई कर रहा है। योजना आयोग की ई. पी. आई. प्रदूषण कम करने, संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के धारणीय प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सकारात्मक प्रोत्साहन हो सकता है। ईपीआई के लिए प्रस्तावित मापदंडों और सूचकों को तालिका 2 में दिया गया है।

- **जैविक विविधता पर सम्मेलन (सी. बी. डी) और ए. आई. सी. एच. आई. लक्ष्य**

जैविक विविधता पर सम्मेलन (सी. बी. डी.) विधिक रूप से अंतरराष्ट्रीय जरूरी करार है, जिसके तीन उद्देश्य हैं – जैविक विविधता का संरक्षण, जैविक विविधता का धारणीय उपयोग, जैनेटिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न लाभों की उचित और समान साझेदारी। इसका समग्र उद्देश्य है ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करना जिससे धारणीय भविष्य बन सके। सी. बी. डी. 2020 आयची बायोडायवर्सिटी और इसके पांच लाभों को भी बढ़ावा दे रहा है :

कार्यनीतिक उद्देश्यः

कार्यनीतिक उद्देश्य – क : सरकार और समाज के

तालिका–2

क्र.सं.	मापदंड	सूचक	भिन्नताओं की संख्या
1	वायु प्रदूषण	एस.ओ.एक्स./एस.पी.एम./आर.एस.पी.एम, एन.ओ.एक्स	3
2	वन	राज्य जी. ए. के. प्रतिशत के रूप में टी. एफ. सी. और राष्ट्रीय औसत में योगदान–वन आच्छादन में कमी/वृद्धि, वनीकरण प्रयास	4
3	जल गुणवत्ता	व्यर्थ जल का प्रतिशत, (डी.ओ.एम.) प्रतिशत, भूजल निकास (बी. ओ. डी., डी. ओ., टी. एफ. सी.), स्थलीय जल गुणवत्ता	3
4	अपशिष्ट प्रबंधन	नगरपालिका ठोस उत्सर्जन, जैव – चिकित्सा उत्सर्जन, औद्योगिक उत्सर्जन – जोखिम	3
5	जलवायु परिवर्तन	एसडीएमए की विद्यमानता, कुल ऊर्जा खपत में जलविद्युत सहित गैर–पारंपरिक ऊर्जा का प्रतिशत, आंतरिक स्रोतों से सीएच 4 उत्सर्जन	3
		कुल	**16**

बीच जैव विविधता को मुख्य धारा में लाते हुए जैव विविधता ह्रास के कारणों का समाधान।

कार्यनीतिक उद्देश्य–खः जैव विविधता पर प्रत्यक्ष दवाबों को कम करना और धारणीय इस्तेमाल को बढ़ावा देना।

कार्यनीतिक उद्देश्य–गः प्रकृति तंत्र, प्रजातियों, जैनेटिक विविधता की सुरक्षा करते हुए जैव विविधता की स्थिति में सुधार करना।

कार्यनीतिक उद्देश्य–घः जैव विविधता और प्रकृति तंत्र सेवाओं के लाभों को सभी के लिए बढ़ाना।

कार्यनीतिक उद्देश्य–ड. सहभागी आयोजना, ज्ञान प्रबंधन एवं क्षमता निर्माण के माध्यम से कार्यान्वयन को बढ़ाना।

वर्ष 2012 में योजना आयोग ने अंतर मंत्रालयी विचार – विमर्श बैठक का आयोजन किया, ताकि इन लक्ष्यों की उपलब्धियों और लक्ष्य क्षेत्र को प्राप्त किया जा सके जो सी. बी. डी. पर सी. ओ. पी.–II की पृष्ठभूमि होगा, (पार्टी सम्मेलन) जो अक्तूबर, 2012 में हैदराबाद में आयोजित किया गया था।

- **अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन**

अपशिष्ट से ऊर्जा संसाधन प्रौद्योगिकी पर एक बैठक उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में नवम्बर 2012 में आयोजित की गई। इस बैठक का उद्देश्य था कि ऐसा मंच सृजित किया जाए, जहां नीतिगत सिफारिशों पर चर्चा की जा सके, जिससे ऐसी प्रौद्योगिकियों को बढ़ाने में सहायता मिलेगी जिससे अपशिष्ट को ऊर्जा स्रोतों में बदला जा सकेगा। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :–

(क) जैव उर्वरकों के लिए नगर पालिका मल जल कीचड़ (बार्क प्रौद्योगिकी)।

कीचड़ हाइजीनाइजेशन अनुसंधान इररेडीएटर (एसएचआरआई) सुविधा, बडोदरा।

(ख) नगरपालिका ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा (एम. एस. डब्ल्यू.) तिमारपुर, ओखला, एम. एस. डब्ल्यू. संशोधन सुविधा, नई दिल्ली।

(ग) जैविक अपशिष्ट से बायोगैस (निसरग्रना – बार्क प्रौद्योगिकी), बायोगैस संयंत्र, दिल्ली सचिवालय।

अब इन सिफारिशों को आगे बढ़ाया जाएगा तथा अपशिष्ट से ऊर्जा संसाधन प्रौद्योगिकियों के लिए नीतिगत समर्थन के लिए तीव्रता से अपनाकर उसका संवर्धन किया जाएगा तथा उसकी और समीक्षा की जाएगी।

- **ग्रीन बोनस पर बी. के. चतुर्वेदी समिति की रिपोर्ट**

पर्यावरण और वन प्रभाग सतत् रूप से वित्तीय संसाधनों की तलाश, ग्रीन ग्रोथ के संतुलन तथा क्षेत्रीय वनीकरण उत्तरदायित्व को युक्तिसंगत बनाने में लगा हुआ है।

4.10. वित्तीय संसाधन प्रभाग

i. राज्यों और केन्द्र के वित्तीय संसाधनों का आकलन योजना प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। योजना बनाते समय संसाधनों की उपलब्धता का पूर्णरूप से मूल्यांकन किया जाता है, संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है और संसाधनों की पूर्व में की गई गतिशीलता पर विचार किया जाता है। केन्द्र और राज्यों की पंचवर्षीय योजना और वार्षिक योजना के आकार का निर्णय करते समय विभिन्न क्षेत्रकों की क्षमता के अध्ययन के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं।

ii. केन्द्र की कुल राजस्व प्राप्तियों और गैर – ऋण पूंजी प्राप्ति गैर – योजना खर्च का नैट होता है तथा बजटीय लेनदारी आधार पर सकल बजटीय सहायता (जी. बी. एस.) का आकार निर्धारित होता है। जी. बी. एस. का एक भाग राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को

केन्द्रीय सहायता (सी. ए.) के रूप में प्रदान किया जाता है। केन्द्रीय योजना परिव्यय में सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्यमों के सी. ए. को जी. बी. एस. से कम कर दिया जाता है। आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय राजस्व (आई. ई. बी. आर.) को भी घटा दिया जाता है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की कुल राजस्व योजना में राज्य के अपने संसाधन (जिसमें उधार भी शामिल हैं) और केन्द्रीय सहायता होती है। वित्तीय संसाधन प्रभाग केन्द्रीय योजना तथा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र योजना दोनों के वित्तीय संसाधनों के आकलन के लिए जिम्मेदार है।

iii. समीक्षाधीन अवधि में वित्तीय संसाधन प्रभाग ने वार्षिक योजना 2012–13 के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वित्तीय संसाधनों का आकलन किया तथा वार्षिक योजना 2013–14 के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों के लिए जी. बी. एस. और इसके आवंटन का परिकलन किया। 2012–13 के लिए वार्षिक योजना बनाते समय विगत वर्षों की वार्षिक योजनाओं के निष्पादन का मूल्यांकन किया।

वार्षिक योजना 2012–13 : केन्द्र

4.10.1 2012–13 के लिए केन्द्र की वार्षिक योजना का परिव्यय अंतिम रूप से रू. 6,51,509 करोड़ था, जिसमें केन्द्रीय योजना के लिए बजटीय सहायता रू. 3,91,027 करोड़ और केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यम का आई. ई. बी. आर. रू. 2,60,482 करोड़ था। केन्द्रीय योजना का वित्तपोषण पैटर्न तालिका 4.10.1 में दिया गया है।

तालिका – 4.10.1

केन्द्र की वार्षिक योजना के लिए जी. बी. एस. वित्त पोषण की योजना

(रू. करोड़ में)

क्र.सं.	संसाधन	2011–12 ब.अ.	2011–12 सं.अ.	2012–13 ब.अ.
1	चालू राजस्व से शेष (बी. सी. आर.), बाह्य अनुदानों सहित	–12865	–114895	–9490
1क	बह्य अनुदान	2173	3477	2887
2	ऋण–भिन्न पूंजी प्राप्तियों से शेष	41595	19519	16925
3	राजकोषीय घाटा	412817	521980	513590
4	**योजना के लिए सकल बजटीय सहायता (1+2+3)**	**441547**	**426604**	**521025**
5	राज्यों और संघ शासित क्षेत्र योजनाओं के लिए सहायता	106026	105199	129998
	(कुल जी. बी. एस. में प्रतिशत हिस्सा)	*(24.01)*	*(24.66)*	*(24.95)*
6	**केन्द्रीय योजना के लिए बजटीय सहायता (4 – 5)**	**335521**	**321406**	**391027**
	(कुल जी. बी. एस. में प्रतिशत हिस्सा)	*(75.99)*	*(75.34)*	*(75.05)*
7	सी. पी. एस. ई. के आई. ई. बी. आर.	256936	236766	260482
8	**केन्द्रीय योजना परिव्यय (6 + 7)**	**592457**	**558172**	**651509**

वार्षिक योजना 2012–13 (सभी राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र)

4.10.2 सभी राज्यों और विधायी कार्य सहित संघ शासित क्षेत्रों की वार्षिक योजना 2012–13 के लिए कुल संसाधन 5,98,662 करोड़ रूपए बैठता है। योजना के वित्त पोषण की संरचना तालिका 4.10.2 में दी गई है।

तालिका – 4.10.2

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल सहित) का कुल योजना संसाधन

(रू. करोड़ में)

वित्त पोषण के स्रोत	2011–12		2012–13
	एपी	आरई / एलई	एपी
राज्यों के अपने संसाधन*	3,81,887.82	3,66,100.81	4,72,038.25
(प्रतिशत हिस्सा)	*(78.6%)*	*(78.4%)*	*(78.8%)*
केन्द्रीय सहायता	1,03,829.63	1,01,276.65	1,26,623.75
(प्रतिशत हिस्सा)	*(21.4%)*	*(21.7%)*	*(21.2%)*
समुच्चय संसाधन	4,85,717.45	4,67,377.46	5,98,662.00

* पी. एस. ई. और स्थानीय निकायों के आई. ई. बी. आर. सहित

4.10.3 सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ में वार्षिक योजना 2013 – 14 के लिए वित्तीय अनुमान संबंधी सरकारी चर्चा (एफ. आर.) जनवरी, 2013 में शुरू हुई थी और उन्हें पूरा कर लिया गया है, सिवाय उन राज्यों के जहां विधान सभा के चुनाव होने हैं। राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजना को अगले वित्त वर्ष से पूर्व अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।

अन्य गतिविधियां – रिपोर्टें, समीक्षा नोट्स आदि

- केन्द्र की वार्षिक योजना 2013–14 के लिए वित्त मंत्रालय के परामर्श के साथ सकल बजटीय सहायता (जी. बी. एस.) को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
- राज्यों की वित्तीय स्थिति पर नोट्स तैयार करना तथा योजना आयोग और राज्य सरकारों के साथ श्रृंखलाबद्ध बैठकों के लिए योजना विलयन हेतु वार्षिक योजना 2012–13 और 12वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देना।
- राज्यों / यू. टी. (ज) की योजना और केन्द्रीय योजना और विकास शीर्ष द्वारा उनकी वार्षिक योजना की उपलब्धियों के वित्तयन पर आर्थिक सर्वेक्षण में योगदान दिया।
- 12वीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज के लिए "योजना के वित्तपोषण " पर अध्याय 3 तैयार करना।
- संघीय बजट 2012–13 की बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए समन्वय।
- 14वें वित्त आयोग के टीओआर्स से संबंधित मुद्दे।

केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम

4.10.4 केन्द्रीय योजना स्कीम मॉनीटरण प्रणाली (सी. पी. एस. एम. एस.) की शुरूआत केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम के रूप में की गई थी जिसका उद्देश्य केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों और केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों के व्यय का वास्तविक समय पर पता लगाना है तथा सार्थक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम. आई. एस.) और निर्णय सहायता प्रणाली (डी. एस. एस.) को

जनरेट करना है। योजना आयोग की योजनागत स्कीम के रूप में इसका कार्यान्वयन भारत के महालेखा नियंत्रक (सी. जी. ए.) कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। अभी तक इस परियोजना की कुछ ठोस उपलब्धियां इस प्रकार हैं : –

- सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को राशि/वित्त सी. पी. एस. एम. एस. की वैब आधारित एप्लीकेशन के जरिए जारी की जाती है, जिसे प्रमुख लेखांकन एप्लीकेशन कम्पेक्ट और ई–लेखा से जोड़ा गया है।
- सी. पी. एस. एम. एस. ने 90 बैंकों की कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सी. बी. एस.) के साथ अन्तर्भीति स्थापित की है।
- सी. पी. एस. एम. एस. चार राज्यों में चार फ्लैगशिप स्कीमों के लिए पायलैट आधार पर सफलतापूर्वक शुरू किया गया हैं।
- लाभार्थियों को प्रत्यक्ष क्रेडिट के माध्यम से ई–भुगतान की सुविधा (स्कीम और बैंक स्वतंत्र रूप से) विक्रेताओं कर्मचारियों और अन्य संस्थानों को प्रदान की जाती है।
- महाराष्ट्र में ट्रेजरी एकीकरण का पायलैट शुरू किया गया है।
- अब 12वीं पंचवर्षीय अवधि में सरकार सी. पी. एस. एम. एस. को राष्ट्रीय स्तर पर शुरू करने के लिए कार्रवाई कर रही है, ताकि देश में विभिन्न स्कीमों के लिए व्यापक और ठीक समय पर वित्त प्रबंधन सूचना निर्णय सहायता प्रणाली स्थापित की जा सके।

4.11 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रभाग

4.11.1 परिचय

4.11.1.1 यह एक मान्य स्वयंसिद्धि है कि स्वास्थ्य क्षेत्रक सुधार राष्ट्र के धारणीय आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए बुनियाद है। देश के स्वास्थ्य को बढ़ाने का स्तर तथा लोगों की शारीरिक एवं मानसिक कुशलता बढ़ाने की आवश्यकता है, चाहे देश में कितनी ही आर्थिक–सामाजिक विविधता क्यों न हो। स्वास्थ्य की बेहतरीन पहुंच और उसका सदुपयोग, परिवार कल्याण और पोषण सेवाएं विकास कार्यनीति के प्रमुख तत्व हैं, जिसे विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बंधित किया जा रहा है।

4.11.1.2 सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रक में विगत छः दशकों से शुरू की गई सरकारी पहलों से देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्तरीय उपलब्धियां सामने आई हैं देश से चेचक और गुनिया के कीटाणु समाप्त कर दिए गए हैं तथा पोलियोमाइसीलाइटिस के कोई प्रकरण विगत दो वर्षो से सामने नहीं आए हैं। समय के साथ स्वास्थ्य सुधारों के रिकॉर्ड के दौरान स्वास्थ्य सूचकों से उच्च रूप में कुपोषण के खतरनाक दर सामने आए हैं, मृत्यु संबंधी प्रकरण विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों में, बच्चों और माता की मृत्यु दर के अच्छे सूचक सामने आए हैं, जिससे पता चलता है कि राष्ट्र अपने सर्वाधिक असुरक्षित सदस्यों की सुरक्षा के लिए कितना अच्छा कार्य कर रहा है। दोनों शिशु और बाल मृत्यु दर ने गिरते हुए रूख दिखाए हैं, जो अब भी भारत में उच्च दर पर है। जनसंख्या का अधिकांश भाग अब भी नई बीमारियों से पीड़ित है और मृत्यु भी हो रही हैं, जो उभर कर सामने आ रही हैं, जो पूर्व में जारी बीमारियों से अलग हैं तथा मौजूदा बीमारियों से ही नई चेतावनियां खड़ी हो रही हैं।

4.11.1.3 लोगों की बढ़ती हुई उम्मीदों तथा बढ़ती स्वास्थ्य देख–भाल की लागत से देश असमंजस में है। दूरदराज स्थित तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की चुनौतियों का सामना तुरंत करना होगा। समस्या की मात्रा को देखते हुए ग्यारहवीं योजना में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल को एक जबावदेही, स्वीकार्य और वहनीय गुणवत्तापूर्ण सेवा में बदलने पर जोर दिया गया था।

4.11.1.4 वचनबद्धताओं की समीक्षा तथा ग्यारहवीं योजना में हुई प्रगति की संतुलित समीक्षा के लिए तथा 12वीं योजना में स्वास्थ्य संबंधी अध्याय में प्रमाण स्थापित करने के लिए क्षेत्रकीय आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है, सरकारी दस्तावेजों और अन्य रिपोर्टों की जांच की गई है। फील्ड के कार्यान्वयन के विभागों और मामले को देख रहे राज्य सरकारों के विभागों के साथ परामर्श किया गया है। तदनुसार, योजना निष्पादन में रही कमियों की पहचान की गई है तथा सुधार के लिए कारणों का पता लगाया गया है, जिनकी जरूरत नीतिगत उपायों, योजना कार्यनीति के लिए है तथा स्वास्थ्य क्षेत्रक में प्राथमिकताओं की पहचान की गई है।

4.11.2 प्रभाग की जिम्मेदारियां :

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आयुष और पोषण तथा लैगशिप राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) के संबंध में विशेष रूप से नीति विकसित कर रणनीतिक दिशा – निदेश उपलब्ध कराना।
- स्वास्थ्य क्षेत्रक में मॉनीटरण प्रवृत्तियों जैसे – महामारी विज्ञान से संबंधित, जनसांख्यिकीय, सामाजिक और प्रबंधकीय चुनौतियां।
- स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और पोषण में मौजूदा नीतियों, रणनीतियों और कार्यक्रमों को केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रक की दृष्टि से जांचना उनमें मध्यावधि सुधार करना तथा उचित संशोधनों हेतु सुधार करना।
- सेवाओं की कुशलता और गुणवत्ता में सुधार हेतु तरीके सुझाना।
- जनता की स्वास्थ्य स्थिति तथा तीव्र जन स्थिरता हासिल करने के लिए आवश्यक बुनियादी, क्लिनिकल और प्रचालनात्मक सुधारों के लिए प्राथमिकताएं विकसित करना।
- अन्तरक्षेत्रकीय मुद्दों को देखना तथा उचित नीतियां और रणनीतियां विकसित करना, ताकि सेवाओं का अभिसारण किया जा सके जिससे वर्तमान में चल रहे कार्यक्रमों का लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंच सके।
- इन सभी क्षेत्रकों के लिए लघु, मध्यम और दीर्घकालीन संदर्श और लक्ष्य तैयार करना।
- प्रभाग निम्नलिखित के लिए योजना आयोग का प्रतिनिधित्व करता हैं : –
  - i. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग आयुष की विभिन्न समितियां तथा महिला और बाल विकास मंत्रालय की विभिन्न समितियां।
  - ii. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुष विभाग राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के एस.एफ.सी./ई.एफ.सी.।
  - iii. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिक सलाहकार समूह, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य फाउंडेशन आदि।

समय – समय पर विशेषज्ञ पैनल भी गठित किए जाते हैं, ताकि स्वास्थ्य परिवार कल्याण और पोषण के संबंध में प्राथतिकताओं और लक्ष्यों के लिए योजना आयोग को सलाह दी जा सकेय संसाधनों, जिनमें जनसाधन और जरूरी सामग्री और शुरू किए जाने वाली कार्यक्रम, निर्माण का स्टैंडर्ड, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उपस्कर तथा स्वास्थ्य अनुसंधान विकास से संबंधित मामले शामिल हैं।

4.11.3 12वीं योजना तैयार करने की प्रक्रिया

4.11.3.1 स्वास्थ्य एवं आयुष पर संचालन समिति – स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के विचार से दो संचालन समितियां – एक

स्वास्थ्य पर तथा दूसरी "आयुष" पर डॉ. सुश्री सैयदा हमीद, सदस्य, योजना आयोग, भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित की गई। यह पहली बार था कि आयुष पर अलग संचालन समिति का गठन किया गया, ताकि आयुष प्रणाली को मुख्य धारा में लाया जा सके और स्वास्थ्य क्षेत्रक में इसकी भूमिका रहे।

निम्नलिखित क्रॉसकटिंग मामलों में संचालन समिति के समक्ष प्रस्तुति दी गई : –

- आवश्यक स्वास्थ्य देख–रेख प्रचालनों का सार्वजनीकरण।
- सभी के लिए आवश्यक दवाईयां सुनिश्चित करना।
- स्वास्थ्य सूचना प्रणाली का निर्माण (जन्म और मृत्यु के सभी के पूर्ण पंजीकरण के आधार पर) तथा बीमारी सर्वेलैंस (संक्रमणीय और एन. सी. डी.)।
- खाद्य एवं ड्रग्स मेडिसिन में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों का पंजीकरण।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए अनुसंधान, क्लिनिकल मार्ग–दर्शन के लिए बनाना और सुनिश्चित करना।
- स्वास्थ्य में मानव संसाधन सुनिश्चित करना : एन. सी. एच. आर. एच.।
- पी. पी. पी. और स्व विलयन मॉडल्स सहित माध्यमिक देख–रेख का सृदृढ़ीकरण।
- अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के साथ अभिसारण, विशेषरूप से आई. सी. डी. एस.।
- वित्तपोषण और निष्पादन साधन के रूप में राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन, सार्वजनिक स्वास्थ्य का समाधान (व्यवहार बदलाव कम्यूनिकेशन सहित), स्वास्थ्य प्रबंधन चुनौतियां।
- स्वास्थ्य अनुसंधान, अध्ययन और प्रैक्टिस में आयुष को शामिल करना।

स्वास्थ्य प्रभाग ने 12वीं योजना हेतु स्वास्थ्य और आयुष पर दोनों संचालन समितियों की रिपोर्ट प्रकाशित करके नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ये दस्तावेज 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए स्वास्थ्य संबंधी मुख्य मुद्दों पर चुनौतियों और अवसरों के समेकन हैं।

4.11.3.2 उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह (एच. एल. ई. जी.) योजना आयोग ने माननीय प्रधानमंत्री के निदेश पर सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज हेतु एक एच. एल. ई. जी. का गठन किया ताकि 12वीं योजना में स्वास्थ्य के लिए व्यापक नीति निर्धारित की जा सके। एल. एच. ई. जी. की अंतिम रिपोर्ट की प्रतियां 25 जनवरी 2012 को प्रस्तुत कर दी गई थीं। योजना आयोग को प्रस्तुत की गई एच. एल. ई. जी. रिपोर्ट स्वीकृत कर ली गई हैं जो 12वीं पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य अध्याय के लिए सामग्री भी बनेगी। इस संबंध में आदर्श स्वास्थ्य कवरेज से संबंधित मुख्य मुद्दों पर योजना आयोग में प्रस्तुतियां भी दी गईं। जांच की रिपोर्ट विशेषज्ञों के साथ व्यापक परामर्श के आधार पर की गई, जो सरकारी और गैर–सरकारी दोनों क्षेत्रों से थे।

4.11.3.3 स्वास्थ्य अध्याय के प्रारूप वर्जन हेतु विस्तृत परामर्श प्रक्रिया : स्वास्थ्य अध्याय तैयार करने की प्रक्रिया क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा की गई व्यापक चर्चा पर आधारित थी, जिसे उपाध्यक्ष, योजना आयोग द्वारा उच्च प्राथमिकता दी गई। विभिन्न भागीदारों के साथ निम्नलिखित परामर्श किया गया :

4.11.3.4 मंत्रालय एवं अन्य सरकारी संगठन : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और सभी चारों विभागों के साथ परामर्श के साथ – साथ अन्य सरकारी संगठनों की टिप्पणियां और विचार भी लिए गए और उन्हें उच्च प्राथमिकता दी गई तथा स्वास्थ्य अध्याय तैयार करने में सतत् परिश्रम किया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को प्रारूप स्वास्थ्य अध्याय तीन बार परिचालित किया गया, ताकि उपलब्धियों,

आख्याओं और टिप्पणियों को भी 12वीं योजना में शामिल किया जा सके। स्वास्थ्य अध्याय की आख्याओं और टिप्पणियों को एन. ए. सी. ओ. विभाग और आयुष के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से दो बार प्राप्त किया। माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री से भी स्वास्थ्य अध्याय पर आख्याएं और टिप्पणियां आमंत्रित की गईं। सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज और स्वास्थ्य क्षेत्रक संबंधी दिशा – निदेशों के लिए 06 अप्रैल, 2012 को माननीय उपाध्यक्ष, योजना आयोग की माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के साथ बैठक आयोजित की गई। सचिव, योजना आयोग और सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्यान मंत्रालय के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान हेतु एक बैठक 17 मई 2012 को आयोजित की गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए पूर्ण योजना आयोग की बैठक के बाद माननीय उपाध्यक्ष, योजना आयोग, सचिव, योजना आयोग, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच 17 सितंबर, 2012 को आयोजित की गई जिसमें 12वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित स्वास्थ्य मुद्दों पर चर्चा की गई।

4.11.3.5 सिविल सोसाइटी : – सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों की टिप्पणियों और आख्याओं के जरिए उनकी सक्रिय सहभागिता हुई। इनमें पब्लिक स्वास्थ्य सेवाएं, भारतीय पापुलेशन फाउंडेशन के प्रतिनिधि तथा सामाजिक विकास परिषद् के प्रतिनिधि शामिल थे।

4.11.3.6 विशेषज्ञ : – 12वीं पंचवर्षीय योजना के स्वास्थ्य अध्याय को तैयार करने में काफी संख्या में विशेषज्ञों का सहयोग लिया गया है। इनमें शामिल हैं – डॉ. विलियम हिसियाओं, प्रोफैसर, हारवर्ड विश्वविद्यालय, श्री मिहिर शाह, सदस्य, योजना आयोग, श्रीमती सुजाता राव, पूर्व सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, प्रो. रणजीत रॉय चौधरी, पूर्व अध्यक्ष, आई. एन. सी. एल. ई. एन., श्री जार्ज मैथ्यू, अध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संस्थान, सुश्री कावेरी गिल, स्वतंत्र शोधकर्ता, डॉ. अभय शुक्ला, सार्वजनिक स्वास्थ्य शोधकर्ता, श्री अनिरबान दासगुप्ता, संकाय – अर्थशास्त्र, दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय, श्री अपरजीत महाजन, संकाय, अर्थशास्त्र विभाग, यू. सी. एल. ए. स्टेनफोर्ड, श्री राजेश भट्टाचार्य, संकाय – अर्थशास्त्र, दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय, श्री रखल गेटोंड, सार्वजनिक स्वास्थ्य शोधकर्ता, श्री जाचरी जोन्स, सी. ई. ओ., पोर्टिया मेडिकल आदि।

4.11.3.7 राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् : राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् के सदस्यों श्री ए. के. शिवकुमार, श्रीमती मिराई चटर्जी की टिप्पणियां भी प्राप्त हुईं। 24 अगस्त, 2012 को राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् के सदस्यों के साथ एक बैठक भी आयोजित की गई, ताकि 12वीं योजना में स्वास्थ्य क्षेत्रक के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की जा सके।

4.11.4 बारहवीं योजना में स्वास्थ्य के लिए प्राथमिकताएं

4.11.4.1 12वीं योजना का स्वास्थ्य अध्याय कार्य समूह की रिपोर्ट, संचालन समितियों की रिपोर्टों, एच. एल. ई. जी. रिपोर्ट, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दी गई रिपोर्टों तथा सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियां द्वारा दी गई रिपोर्ट पर आधारित है। स्वास्थ्य प्रभाग ने अपने सीमित जनसाधनों से स्वास्थ्य अध्याय तैयार करने के लिए पूरी कर्त्तव्य निष्ठा से कार्य किया।

4.11.4.2 12वीं योजना के अध्याय नई विशेषताएं एवं प्राथमिकता वाले क्षेत्र इस प्रकार हैं :

4.11.4.2.1 वित्तपोषण :

- प्रोत्साहन और सुधार के रूप में निधियन एक उपस्कर है। 12वीं योजना में संवर्धित निधियन की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्रीय निधियन में लचीलापन रहेगा, ताकि उनके स्वास्थ्य बजट में उचित विस्तार किया जा सके।

4.11.4.2.2 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

- समग्र स्वास्थ्य प्रणाली दृष्टिकोण के निर्माण हेतु प्रतिमान शिट।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ने इसे व्यापक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में और विस्तारित कर दिया जिसमें सार्वजनिक कवरेज के सिद्धान्त को गुणवत्ता मानकों की उपलब्धि, देखभाल की सततता, प्रभावी शासन संरचना तथा विकेंद्रित योजना आदि सुनिश्चित किया गया।
- क्षेत्रकों के भीतर और बाहर सेवाओं का अभिसारण और समन्वित डिलीवरी।
- आवश्यक जैनेरिक मेडिसिन्स का विकास और उन्हें पब्लिक सुविधा हेतु सभी रोगियों को मुत में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना। आवश्यक दवाइयों की राष्ट्रीय सूची, आयुष सहित स्टैंर्डड इलाज संबंधी दिशा – निदेश जारी करते हुए, प्रचालित की जाएगी।

4.11.4.2.3 विनियमन

- समर्पित जनस्वास्थ्य संवर्ग के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य पर ध्यानकेंद्रण किया जाएगा जिसमें राज्य स्तर पर उचित नियमन होंगे। सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम को अधिनियमित और लागू किया जाएगा। स्वास्थ्य, चिकित्सा प्रैक्टिस, भेषज और खाद्य अधिनियमों/नियमों को लागू किया जाएगा। केंद्रीय क्लिनिकल स्थापना अधिनियम का विस्तारण कर उसे लागू किया जाएगा।

4.11.4.2.4 मानव संसाधन:

- देश में स्वास्थ्य कार्मिकों की मौजूदा उपलब्धता की स्थिति में सुधार करते हुए तेरहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक स्वास्थ्य हेतु जन साधनों का विकास किया जाएगा। न्यूनतम जरूरत एक लाख जनता के लिए 250 कार्मिक तथा एक लाख जनता के लिए 500 स्वास्थ्य कार्यकत्ताओं की नियुक्ति की जाएगी तथा डॉक्टर्स और नर्सों के अनुपात में भी सुधार किया जाएगा, अर्थात् 2012 में 1:1.6 से 2017 में 1:2.8 किया जाएगा तथा 2022 तक 1:3 किया जाएगा।
- राज्यों में चिकित्सा शिक्षा के विस्तारण जो वर्तमान में बहुत कम है, के लिए शिक्षण संस्थाओं में जिला अस्पताल के चिकित्सकों की सेवाएं ली जाएंगी।

4.11.4.2.5 स्वास्थ्य सूचना प्रणाली :

- सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की नेटवर्किंग के माध्यम से स्वास्थ्य सूचना प्रणाली का निर्माण निर्णय लेने के प्रमाणाधार पर बीमारी रूप रेखा आधारित जो राज्य स्तर पर स्थापनानुसार हो, बीमारी सर्वेलेंस की स्थापना की जाएगी, जन्म एवं मृत्यु प्रकरणों का सार्वजनिक पंजीकरण हो, ताकि जनता के स्वास्थ्य की सही तस्वीर प्रस्तुत की जा सके।

4.11.4.2.6 सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज

- सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज की प्रणाली की स्थापना के लिए दीर्घकालीन उद्देश्य रखा जाएगा। प्रत्येक राज्य में 1 से 3 जिलों में कम से कम यू. एच. सी. पायलैट शुरू की जाएंगी।

4.11.5 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राज्य और यू. टी. (ज) के साथ वार्षिक योजना कार्य समूह की चर्चाएं :

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रभाग ने (कार्यसमूहों के साथ) सभी राज्यों/यू.टी.(ज) के साथ व्यापक चर्चाएं हुईं तथा वार्षिक योजना 2012–13 के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ भी विचार – विमर्श बैठक हुई। राज्यों से 2012 – 13 हेतु स्वास्थ्य क्षेत्रक हेतु परिव्यय में वृद्धि हेतु प्रोत्साहित किया गया, ताकि सामान्य लोगों को स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान की जा सकें। वर्ष 2012–13 के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय हेतु वार्षिक योजना परिव्यय में ठोस वृद्धि 31.67 प्रतिशत करते हुए (जिसमें 2011–12 के लिए ए. ई. तथा 2012–13 के लिए बी. ई. सहित स्रोत सी. सी. ए., स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)।

4.11.6 प्लान स्कीमों के संबंध में स्वास्थ्य प्रभाग की भूमिका :

एक गतिविधि, जो पूरे समीक्षाधीन वर्ष जारी रही है, वह प्लान स्कीम के संबंध में है यानी स्थायी वित्त समिति (एस.एफ.सी.)/व्यय वित्त समिति (ई.एफ. सी)/आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सी. सी. ई. ए.), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की स्कीमों के प्रस्ताव के संबंध में, आयुष विभाग, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग और एन. ए. सी. ओ., विभाग के प्रस्तावों की जांच और उन्हें सैद्धान्तिक अनुमोदन देना।

स्वास्थ्य प्रभाग, योजना आयोग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तावों की जांच की गई :

4.11.6.1 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

6.1.1 स्थायी वित्त समिति (एस. एफ. सी.)

- राज कुमारी अमृत कौर नर्सिंग कॉलेज का सुदृढ़ीकरण।
- न्यू प्रयोगशाला भवन के निर्माण के संबंध में एस. एफ. सी. ज्ञापन – प्रयोगशाला –I, प्रयोगशाला– II (तल–2, 3, 4,) तथा मौजूदा मुख्य भवन को जीर्णोद्धार/विस्तार, पुस्तकालय भवन तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य राष्ट्रीय संस्थान (एन. आई. ओ. एच.) भवन, अहमदाबाद में अतिथि गृह का निर्माण रू. 41.10 करोड़ की अनुमानित लागत पर।

4.11.6.1.2 व्यय वित्त समिति (ई. एफ. सी.)

- क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), इम्फाल में रू. 229.43 करोड़ की अनुमानित लागत पर प्रति वर्ष अंतरस्नातकों की सीटें 100 से बढ़ा कर 500 करना।
- वित्त मंत्रालय के एन. एच. यू. एम. के लिए मूल्यांकन नोट।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओवररिचिंग के उप–मिशन के रूप में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए प्रस्ताव।
- कोलकाता में सी. एम. सी. आई. के दूसरे परिसर के विकास का प्रस्ताव।
- बारहवीं योजना अवधि में महामारियों और प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन हेतु प्रयोगशालाओं के नेटवर्क की स्थापना हेतु रू. 1083.63 करोड़ की लागत पर स्थापित करने का प्रस्ताव।
- अखिल भारतीय वाणी एवं अनुश्रवण संस्थान, मैसूर को उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में क्रमोन्नत करने हेतु प्रस्ताव।
- डॉ. वी बॉरवाह कैंसर संस्थान, गुवाहाटी, असम की प्लान फेज IV के पुनरूद्धारीकरण का निधिकरण आणविक ऊर्जा विभाग, असम सरकार और एन. ई. सी. के बीच त्रिपक्षीय समझौते के अधीन करने के लिए 1.4.2012 से 31.3.2017 के दौरान रू. 19.75 करोड़ की लागत पर किया जाना है।
- सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के पुनर्विकास का प्रस्ताव।
- राज कुमारी अमृत कौर नर्सिंग कॉलेज को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में सुदृढ़ीकृत करने हेतु प्रस्ताव।
- डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली के पुनर्विकास का प्रस्ताव।

4.11.6.1.3 मंत्रिमण्डल नोट में निम्नांकित पर टिप्पणी की गई

- भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 में संशोधन।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन. आर. एच. एम.) को 5 वर्ष तक जारी रखना (यानि 12वीं पंचवर्षीय योजना के साथ जारी रखना)।
- चेंगालपट्टू, कांचीपुरम् जिले में एकीकृत टीका परिसर (आई. वी. सी.) की स्थापना

– मैसर्स एच. एच. एल. लाइफ केयर लि. द्वारा।

➢ राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका तंत्र विज्ञान (एन. आई. एम. ए. एन. एस.) बंगलौर बिल 2010 मेंकर्नाटक सरकार की सिफारिशों पर अन्य संशोधन।

➢ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पर अध्यादेश के प्रख्यापन हेतु संबंधी प्रस्ताव।

➢ जापानी इन्सीफालिटिस/एक्यूट एन्सीफालिटिस सिंड्रॉन से बचाव और नियंत्रण हेतु मंत्रिसमूह की सिफारिश के अनुसार हस्तक्षेप/गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु मंत्रिमण्डल प्रस्ताव।

➢ भारत गणराज्य और बंगलादेश लोक गणराज्य के बीच स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन के हस्ताक्षर हेतु अनुमोदन।

➢ न्यू बहुमंजिला कमान अस्पताल परिसर, जिसमें कमान चिकित्सा डेंटल केयर, पुणे के जरूरी श्रेणी के स्टाफ हेतु आवास सहित निर्माण परियोजना हेतु संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन हेतु प्रस्ताव।

4.11.6.1.4 सचिवों की समिति (सी. ओ. एस.) के प्रस्ताव :

➢ मानसिक स्वास्थ्य देख – भाल विधेयक, 2012

4.11.6.1.5 योजना आयोग के भीतर स्वास्थ्य प्रभाग द्वारा आयोजित बैठकें :

➢ सामाजिक क्षेत्रक में नवप्रवर्तन के प्रभार हेतु डॉ. सईदा हमीद, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक दिवसीय कार्यशाला और 16.4.2012 को उनका स्केल अप।

➢ मलेरिया चेयर एम. डी. जी. हैल्थ एलाइन्स यूनाइटेड नेशन्स के प्रतिनिधियों और डॉ. सईदा हमीद, सदस्य योजना आयोग के बीच स्वास्थ्य संबंधी एम. डी. जी. (ज) के संबंध में 27.4.2012 को सम्पन्न हुई।

4.11.6.2 आयुष विभाग

4.11.6.2.1 स्थायी वित्त समिति (एस. एफ. सी.):

➢ 12वीं योजना अवधि के अंत तक परियोजना के अंत तक परम्परागत ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय (टी. के. डी. एल.)।

4.11.6.2.2 मंत्रिमंडल नोट में टिप्पणियां :

➢ आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत गणतंत्र गणराज्य तथा नेपाल फैडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, नेपाल सरकार के स्वास्थ्य एवं जनसंख्या के बीच दवाओं की परम्परागत प्रणालियों पर सहयोग।

4.11.6.3 स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

4.11.6.3.1 स्थायी वित्त समिति (एस. एफ. सी.):

➢ नए पुस्तकालय भवन और स्वास्थ्य विभाग के राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद के मौजूदा मुख्य भवन के जीर्णोद्वार का प्रस्ताव।

➢ प्रयोगशाला भवन, छात्रावास के आवासीय क्वॉर्टर, कैंटीन और मनोरंजन क्लब और राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान, एन. ए. आर. आई. पुणे का जीर्णोद्वार।

➢ राजेन्द्र मैमोरियल आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान, पटना के सुदृढ़ीकरण और स्केलिंग

अप के लिए संशोधित अनुमान लागत हेतु एस. एफ. सी. ज्ञापन, ताकि यह ट्रॉपीकल डिजीज रिसर्च सैंटर के रूप में कार्य कर सके, जिसके लिए रू. 99.64 करोड़ की लागत का अनुमान प्रक्षेपित है।

4.11.6.3.2 व्यय वित्त समिति (ई. एफ. सी.):

- स्वास्थ्य और अनुसंधान के लिए अवसंरचना के विकास के लिए राज्य चिकित्सा कॉलेजों और अनुसंधान संस्थानों में बहु विषयी अनुसंधान की स्थापना का प्रस्ताव।
- अवसंरचना और स्वास्थ्य अनुसंधान के विकास की पहलों के तहत 12वीं योजना के दौरान राज्यों में मॉडल ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान एकक की स्थापना के लिए प्रस्ताव।

4.11.6.3.3 मंत्रिमण्डल नोट्स में टिप्पणियां:

- स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव के अतिरिक्त पद का सृजन।

4.11.6.4 एन. ए. सी. ओ. विभाग

4.11.6.4.1 व्यय वित्त समिति (ई. एफ. सी.):

- ट्रांसमिशन मेडिसिन में उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में चार मेट्रो ब्लड बैंकों के लिए प्रस्ताव।
- ट्रांसमिशन मेडिसिन में उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में मेट्रो के रूप में मेट्रो ब्लड बैंकों की स्थापना संबंधी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का प्रस्ताव।
- 2275 करोड़ रू. की लागत पर विश्व बैंक राष्ट्रीय एच.आई.वी./एड्स केंद्रीय स्पोर्ट परियोजना हेतु प्रस्ताव।
- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण परियोजना फेज – IV के लिए प्रस्ताव।

4.11.6.4.2 मंत्रिमंडल नोट्स पर टिप्पणियां : एच. आई. वी. और एड्स बचाव और नियंत्रण बिल का प्रारूप

4.12 आवास और शहरी मामला प्रभाग

परिचय

4.12.1 भारत में शहरों का जनांकीकीय और आर्थिक महत्व बढ़ा है। अतः उन पर पहले से कहीं और अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। जनगणना अनुमानों के अनुसार 2001 में शहरी जनसंख्या 290 मिलियन थी जो 2011 में 377 मिलियन हो गई, जो देश की कुल जनसंख्या के 31 प्रतिशत से अधिक है। 2001 में कस्बों की संख्या 5161 थी, जो बढ़ कर 2011 में 7935 हो गई। तीव्र शहरीकरण ने आर्थिक विकास के साथ ठोस सकारात्मक संबंध दिखाए हैं। एक अनुमान के अनुसार, 2009–10 में देश के जी. डी. पी. के 62–63 प्रतिशत के लिए भारतीय शहरों का योगदान था। शहरी क्षेत्रों में यह विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अवसर सृजित करता है तथा इसकी उत्पादकता में सहायक है, विशेष रूप से उन ग्रामीण क्षेत्रों में, जो शहरों के साथ निकटस्थता से जुड़े हैं।

4.12.2 अभी तक शहरीकरण की सही स्थिति ज्ञात नहीं है, वर्तमान स्तर पर भारतीय शहर अब भी संघर्ष के दौर पर हैं। हमारे देश के शहरों में जीवन की गुणवत्ता खराब है, चूंकि अधिकांश नागरिकों को धारणीय जीवन यापन के अवसर मुश्किल से ही उपलब्ध होते हैं। अधिकांश शहरी जनता गंदी बस्तियों में रहती है और गंदी बस्ती में रहने वाले काफी लोगों को बुनियादी स्वरूपता संबंधी सुविधाएं और शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं होता हैं। शहरी गरीबी ध्यानकेंद्रण का प्रमुख क्षेत्र है जिसका सामना भारत में किया जाना है। गरीबी सर्व – आयामी अवश्य है। शहरी गरीब लोग विभिन्न प्रकार के वंचनों से पीड़ित हैं, जिनमें शामिल हैं – बुनियादी सुविधाओं का अभाव, जैसे जल आपूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य देख–भाल, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आवास की उचित व्यवस्था तथा शासन की प्रक्रिया में

सहभागिता के अवसरों का अभाव। अनौपचारिक क्षेत्र और शहरी गरीबी में उच्च समरूपता हैं, चूंकि अधिकांश शहरी गरीब लोग समूह अनौपचारिक क्षेत्रक के कार्यों में ही संलग्न रहते हैं, जिनकी उत्पादकता बहुत कम है, आय स्रोत भी बहुत कम है और अधिकांश में असुरक्षा रहती है और वे विभिन्न प्रकार के विनियमों और नियमों को तोड़कर ही रहते हैं। अब तक विनिर्माण क्षेत्रक की भूमिका बहुत कम रही है, जो आंशिक रूप से शहरी क्षेत्रों में विकास की तुलना में गरीबी में कमी की धीमी गति को दर्शाती है।

प्रभाग आवंटन

4.12.3 आवास और शहरी मामले (एच. यू. ए.) प्रभाग की जिम्मेदारी आयोजना, समन्वय, स्वरूपण, प्रक्रिया, जांच, विश्लेषण और मॉनीटरण आदि की है। ये स्कीमें/कार्यक्रम शहरी विकास मंत्रालय (एम.ओ.यू. डी) तथा आवास और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं। प्रमुख क्षेत्रकों में शामिल हैं – सामाजिक आवास, शहरी विकास, शहरी परिवहन, शहरी गरीबी उपशमन, गंदी बस्तियों का क्रमोन्नयन आदि।

4.12.4 इन मुद्दों से पार पाने के लिए, सरकार ने अपना ध्यानकेंद्रण करते हुए स्कीमों की शुरूआत की है, ताकि शहरी नवीकरण और विकास किया जा सके। इसमें जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे. एन. एन. यू. आर. एम.) नामक फ्लैगशिप स्कीम तथा राजीव आवास योजना (आर. ए. वाई.), स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना (एस. आई. एस. आर. वाई.) जैसी अन्य स्कीमें शामिल हैं।

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे. एन. एन. यू. आर. एम.)

4.12.5 जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे. एन. एन. यू. आर. एम.) एक सुधार सम्बद्ध लैगशिप कार्यक्रम है, जो 03 दिसम्बर, 2005 को 7 वर्षों के लिए शुरू किया गया था। 65 मिशन शहरों जिनमें मेगा शहरी, मिलियन से ज्यादा संख्या वाले शहर, ऐतिहासिक या सांस्कृतिक महत्व के अन्य शहर या राज्यों की राजधानियां हैं, को ध्यानकेंद्रण जारी रखने हेतु यह शुरू की गई है। मिशन का उद्देश्य है कि इन 65 मिशन शहरों के एकीकृत विकास का लक्ष्य हासिल किया जाए, जिसके लिए इनमें प्रत्येक शहर को अपनी शहरी विकास योजना (सी. डी. पी.) तैयार करने की जरूरत है, शहर के लिए दीर्घकालीन विजन तैयार करना है तथा अवसंरचना सहायता के माध्यम से इसके प्रयासों में सहायोग देना है। इस मिशन की एक आवश्यक जरूरत है – शहरी सुधारों का कार्यान्वयन। इसका यह भी लक्ष्य है कि विकास में निजी क्षेत्रक की क्षमताओं को भी शामिल किया जाए तथा पी. पी. पी. परियोजनाओं के माध्यम से प्रबंधन और कार्यान्वयन में परियोजनाओं के कार्यान्वयन, व्यवस्था और वित्तियन में उनका सहयोग लिया जाए जहां यह संभव हो।

कार्यान्वयन की स्थिति

4.12.6 जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे. एन. एन. यू. आर. एम.) ने शहरी क्षेत्रक में निवेश के लिए ठोस कदम उठाए हैं। इस कार्यक्रम के तहत 2973 परियोजनाएं, जिनके लिए मिशन अवधि हेतु 62932 करोड़ रू. की केंद्रीय सहायता मंजूर की गई है। बदले में राज्यों से केन्द्रीय सहायता कुल 56054 करोड़ रू. उत्तरदायी वचनबद्धता है और यू. एल. बी. (ज) से शहरी परियोजनाओं के लिए नई निवेश वचनबद्धता कुल रू. 1,18,986 करोड़ रू. हुई है। फिर भी, इस क्षेत्रक में अब भी सेवाओं संरचना समस्याओं, संसाधनों की अत्यधिक अपर्याप्तता का निम्न स्तर ही बना हुआ है तथा सरकार के विभिन्न स्तरों पर क्षमता की कमी बनी हुई है।

4.12.7 सार्वजनिक परिवहन एक प्रमुख क्षेत्र रहा है। शहरी अवसंरचना और निवेश (यू. आई. जी.) और यू. आई. डी. एस. एस. एम. टी. घटक का जे. एन. एन. यू. आर. एम. के तहत रू. 5204 करोड़ की मंजूरी के साथ 21 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं, ताकि सार्वजनिक परिवहन में सुधार किया जा सके। अन्य 117 परियोजनाएं जैसे – सड़क, पुल, सड़कों पर ओवर ब्रिज (आर. ओ. बी.) और पार्किंग परियोजनाएं जिनके लिए 9788 करोड़ रू. की मंजूरी दी गई है, वे यातायात सुधार पार्किंग के लिए है। कार्यक्रम के तहत 65 मिशन शहरों के लिए

15000 बसों की खरीद हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। बड़े शहरों में बी. आर. टी. कोरिडॉर सृजन से संबंधित परियोजनाएं भी इस में शामिल हैं।

मेट्रो रेल परियोजनाएं :

4.12.8 दिल्ली मेट्रो रेल फेज – II, जिसके तहत मेट्रो लाइन को नोएडा, गुड़गांव और गाजियाबाद तक विस्तारित किया जाना है को 11 वीं योजना के तहत सफलता के साथ पूरा कर लिया गया है। बंगलौर, चेन्नै और कोलकाता में मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए रू. 31084 करोड़ निहित है, का कार्यान्वयन सरकारी क्षेत्रक के तहत परियोजनाओं के रूप में हो रहा है। हैदराबाद और मुंबई में परियोजनाओं के लिए 22,000 करोड़ रू. से अधिक का निवेश अपेक्षित है, जिसे सार्वजनिक निजी सहभागिता के जरिए विकसित किया जा रहा है। एन. सी. आर. क्षेत्र में गतिशीलता में सुधार लाने के लिए दिल्ली मेट्रो का फेज–III जिसके लिए 35,342 करोड़ रू. का व्यय होना है और दिल्ली मेट्रो को फरीदाबाद तक पहुंचाने के लिए 2949 करोड़ रू. का व्यय भी मंजूर किया गया है, जो कार्यान्वयन अधीन हैं।

शहरी सुधार

4.12.9 जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे. एन. एन. यू. आर. एम.) ने राज्यों के भीतर और यू. एल. बी. (ज) में शहरी सुधारों हेतु व्यापक प्रक्रियाएं शुरू करने में सहायता की है। फिर भी, सुधारों के तीव्र कदम और गहराई की आवश्यकता है। कार्यक्रम के सात वर्षों के दौरान राज्यों और यू. एल. बी. (ज) के स्तर पर सुधारों में कुछ प्रगति हुई है और कई महत्वपूर्ण सुधार जैसे – संविधान के 74 वें संशोधन अनुसार स्थानीय निकायों को सभी कार्यों का अंतरण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में ओ. एण्ड एम. लागत को कवर करने हेतु युक्तिसंगत उपभोक्ता प्रभारों की वसूली, समाहरण क्षमता और सम्पत्ति कर का कार्यान्वयन अब भी राज्यों/यू.टी. (ज) और यू. एल. बी (ज) के स्तर पर किया जाना है।

शहरी गरीबी का समाधान

(क) गंदी बस्तियों के पुनर्स्थापन में जे. एन. एन. यू. आर. एम.

4.12.10 शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सुविधाओं (बी. एस. यू. पी.) तथा एकीकृत आवास गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम के तहत गंदी बस्तियों के पुनर्स्थापन के लिए प्रमुख पहलों, जिनका कार्यान्वयन 65 शहरों में किया गया है तथा जे. एन. एन. यू. आर. एम. का एकीकृत आवास और शहरी विकास कार्यक्रम (आई. एच. एस. डी. पी.) घटक गैर मिशन शहरों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके तहत 927 कस्बों/शहरों के लिए 1517 परियोजनाएं अनुमोदित की गई और 16,06,917 आवासीय यूनिटों की मंजूरी दी गई, जिसके लिए रू. 21,770 करोड़ की वचनबद्ध केंद्रीय सहायता मंजूर की गई।

(ख) राजीव आवास योजना

4.12.11 गंदी बस्तियों के पुनर्स्थापन में जे. एन. एन. यू. आर. एम. के तहत किए जा रहे पूरक प्रयासों हेतु राजीव आवास योजना का पायलैट फेज जून 2011 में 2 वर्ष के लिए रू. 5000 करोड़ के बजट परिव्यय के साथ शुरू किया गया। इस स्कीम में प्रमुख नवप्रवर्तन यह है कि राज्यों में गंदी बस्तियों में रहने वालों को सम्पत्ति अधिकार प्रदान करने की जरूरत है। आर. ए. वाई. के तहत भी राज्यों को "प्रो–गरीब सुधारों" को राज्यों में विधिक मान्यता की जरूरत है यानी विकसित भूमि में 10–15 प्रतिशत को आरक्षित करना और या आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों/कम आय समूहों के लिए आवास एककों में 20–25 प्रतिशत का आरक्षण तथा सभी नगरपालिकाओं के लिए बजट के 25 प्रतिशत को गैर व्यपगत के रूप में निर्धारित किया जाए, जो उन परियोजनाओं के लिए होगा जो शहरी गरीबों को लाभान्वित करती हैं। स्कीम में दूसरा नवप्रवर्तन है कि क्रेडिट मोरगेज फंड का सृजन करना है, जो कि बैंकों के ऋण के वापसी भुगतान न कर पाने की स्थिति में बैंकों की हानियों को आंशिक रूप से कवर करेगा। यह गंदी बस्तियों की पुनर्स्थापना में सामने आ रही चुनौतियों का संकेतक है। क्षमता का अभाव, कमजोर योजना तथा भूमि का अधिकतम उपयोग न करना आदि इस स्कीम में ढीली स्थूल प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार हैं।

4.12.12 इसके अलावा, दो स्कीम नामतः भागीदारी में वहनीय आवास की स्कीम (ए. एच. पी.) जिसका उद्देश्य है कि विभिन्न लोक सेवाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए, ताकि वहनीय अवास हेतु आर्थिक गतिविधियों

को बढ़ावा दिया जा सके तथा शहरी गरीबों के अवास हेतु ब्याज सब्सिडी स्कीमें शुरू की गई थीं ताकि शहरी गरीबों को संस्थागत उधार के प्रवाह में वृद्धि हो सके। इन स्कीमों से ढ़ीली प्रतिक्रिया ही मिल सकी है तथा शहरी गरीबी आवास आवश्यकताओं के समाधान के लिए व्यापक स्कीम अपनाने के लिए उन्हें रेखांकित करने की जरूरत है।

(ग) स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना (एस. आई. एस. आर. वाई.)

4.12.13 केंद्रीय प्रायोजित स्कीम 1997 में शुरू की गई थी जो कि शहरी बेरोजगारों/अल्प रोजगार प्राप्त लोगों को लाभकारी रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। इस स्कीम की पुनर्संरचना 2009 में की गई तथा वर्तमान में इसकी 5 प्रमुख बातें इस प्रकार हैं : –

(1) शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम।

(2) शहरी महिला स्वयं सहायता कार्यक्रम।

(3) शहरी गरीबों में रोजगार के विकास के लिए दक्षता प्रशिक्षण का प्रावधान।

(4) शहरी दिहाड़ी रोजगार कार्यक्रम।

(5) शहरी समुदाय विकास नेटवर्क।

4.12.14 इन गतिविधियों में शामिल हैं – शहरी गरीबों को सहायता ताकि वे लघुउद्यम स्थापित कर सकें, महिला स्वयं सहायता समूह बनाना, शहरी गरीबों को दक्षता प्रशिक्षण प्रदान करना, थ्रिप्ट और क्रेडिट सोसाइटी स्थापित करना। इस स्कीम के तहत 3941 कस्बों को कवर किया गया है और कुल 3360 करोड़ रू. जारी किए गए। शहरी गरीबों को दक्ष बनाने के महत्व की दृष्टि से उन्हें अनुकूल शर्तों जब जॉब मार्केट में सहभागी बन सकें और रोजगारिता की सतत् आवश्यकता का विकास होता रहे। वास्तविक बजटीय प्रावधान रू. 1750 करोड़ के योजना परिव्यय काफी अधिक था।

(घ) एकीकृत कम लागत स्वच्छता स्कीम (आई. एल. सी. एस.)

4.12.15 स्कीम का उद्देश्य है कि सिर पर मैला उठाने की प्रथा को तेजी से समाप्त किया जाए और कम लागत वाली स्वच्छता यूनिटों जैसे सैनेटरी टूपिट, अपर संरचना सहित पोर फ्लश शौचालय और स्थानीय दशाओं के अनुसार अन्य बदलावों को अपना कर शुष्क और सैनेटरी शौचालय को बदल देना, इसके लिए केंद्र, राज्य और लाभार्थियों के बीच निधिकरण का पैटर्न 75:15:10 रहेगा। इस स्कीम के तहत 28 लाख शौचालय के निर्माण/बदलाव में सहायता मिली है और 60000 से अधिक सिर पर मैला ढ़ोने वालों को मुक्ति मिली है। सभी राज्यों ने सूखे शौचालयों के कलंक से मुक्ति पाने की घोषणा कर दी है।

अन्य गतिविधियां

4.12.16 एच. यू. ए. प्रभाग ने रूचि के साथ विभिन्न नए प्रस्तावों की जांच की है, जिन्हें 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित किया जाना है, जिनमें शामिल हैं – राजीव आवास योजना फेज – II राजीव ऋण योजना और राष्ट्रीय शहरी जीवनयापन मिशन। मंत्रिमंडलीय नोट्स सी. सी. ई. ए. नोट्स, ई.एफ.सी./एस.एफ.सी. प्रस्तावों पर टिप्पणियां भी दी गई। प्रभाग ने 12वीं पंचवर्षीय योजना का अध्याय तैयार करने के लिए व्यापक स्तर पर कार्रवाई की। वर्ष 2012–13 के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों हेतु वार्षिक योजना तैयार करने में भी प्रभाग ने उनके साथ मिलकर कार्य किया है। प्रभाग ने विभिन्न गतिविधियों के लिए कार्य किया, जिनमें शामिल हैं – संसदीय प्रश्नों के उत्तर, पी. एम. ओ./मंत्रिमंडल सचिवालय/वी. आई. पी. संदर्भों के उत्तर, राष्ट्रपति के सम्बोद्धन हेतु सामग्री/सूचना तैयार करना, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट भाषण, लैगशिप कार्यक्रमों जैसे – जे.एन. एन.यू.आर.एम./मेट्रो रेल परियोजनाओं के आवंटन से संबंधित मुद्दे आदि। प्रभाग ने जो कि शहरी विकास मंत्रालय तथा आवास एवं Urban गरीबी उपशमन मंत्रालय से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट 2013–14 को अंतिम रूप भी प्रदान किया है।

4.12.17 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जे. एन. एन. यू. आर. एम. – II को राज्य क्षेत्रक की ए. सी. ए. स्कीम के तहत शुरू किया जाएगा। शहरी सुधारों, क्षमता निर्माण तथा यू. एल. बी. (ज) के बीच राजकोषीय मेघा हासिल करने में सहायता, जिसमें

शहरी गरीबी उपशमन पर ध्यानकेन्द्रण रहेगा, शहरों में सेवा डिलीवरी के मानकों में सुधार किया जाएगा, शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सुविधा हेतु क्षेत्रों जैसे – शहरी स्थानीय निकायों का सशक्तिकरण, सहभागितापूर्ण सुशासन मुहैया कराना, भूमिसंसाधनों का प्रभावपूर्ण प्रबंधन, संधारणीयता का पोषण, समावेशी एवं तीव्र विकास पर ध्यानकेन्द्रण किया जाएगा।

4.13 उद्योग प्रभाग

4.13.1 उद्योग प्रभाग निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों के लिए नोडल प्रभाग है :

- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग।
- कपड़ा मंत्रालय।
- उर्वरक विभाग।
- रसायन और पेट्रो – रसायन विभाग।
- भारी उद्योग विभाग।
- लोक उद्यम विभाग।
- कारपोरेट मामले मंत्रालय।
- इस्पात मंत्रालय।
- फार्माश्यूटिकल विभाग।

4.13.2 उपरोक्त के अलावा, यह प्रभाग निम्नलिखित विभागों के संबंध में योजना स्कीमों के उद्योग घटक के कार्य की भी देखभाल करता है –

- जैव – प्रौद्योगिकी विभाग।
- परमाणु ऊर्जा विभाग।
- वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग।
- पोत परिवहन मंत्रालय।
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय।

4.13.3. उपर्युक्त मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद प्रभाग में वर्ष 2012–13 के लिए स्कीमैटिक वार्षिक परियोजना परिव्यय को अंतिम रूप दिया। इन स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए प्रभाग के अधिकारियों ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की बैठकों में भाग लिया। उद्योग प्रभाग ने निवेश परियोजनाओं के लिए विभिन्न निर्णय निर्माण/अनुमोदनों में भाग लिया। ई.एफ.सी./एस.एफ.सी./ पी.आई.बी. के लिए निवेश प्रस्तावों की तकनीकी आर्थिक दृष्टि से जांच पड़ताल की गई तथा आकलन नोट में शामिल करने के लिए टिप्पणियां प्रदान की गई। भारत सरकार की इक्विटी के भाग को कम करने से संबंधित मामलों की जांच की गई तथा सी. सी. ई. ए. के विचारार्थ टिप्पणियां प्रदान की गई। विभिन्न अन्य मुद्दों के संबंध में मंत्रिमंडल/सी.सी.ई.ए./सी.ओ.एस. के लिए नोटों की प्रभाग में जांच की गई। प्रभाग ने विभिन्न राज्यों की वार्षिक योजनाओं से संबंधित बैठकों में भी भाग लिया।

4.13.4. उद्योग प्रभाग के समीक्षाधीन महत्वपूर्ण स्कीम/कार्यक्रम इस प्रकार हैं :

- एन. ए. टी. आर. आई. पी. – ऑटोमोबाइल्स के लिए परीक्षण सुविधा।
- असम गैस क्रैकर परियोजना।
- सी. पी. एस. ई. (ज) की पुनर्संरचना/विनिवेश।
- उद्योग अवसंरचना/क्रमोन्नयन स्कीम।
- भारत चमड़ा विकास कार्यक्रम।
- एकीकृत टैक्सटाइल पार्क के लिए स्कीम।
- प्रौद्योगिकी क्रमोन्नयन निधि स्कीम (वस्त्र)।
- एकीकृत दक्षता विकास स्कीम।
- तकनीकी टैक्सटाइल्स।
- दिल्ली – मुंबई उद्योग कॉरिडोर परियोजना

4.14. आर्थिक प्रभाग

4.14.1 आर्थिक प्रभाग, भारत का विदेश व्यापार और भुगतान शेष, विदेशी निवेशों से संबंधित मुद्दों और योजना प्रक्रिया के संदर्भ में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से संबंधित मुद्दों के अध्ययन के लिए जिम्मेदार है। प्रभाग, द्विपक्षीय और बहु–पक्षीय आर्थिक सहायोग से सम्बद्ध मुद्दों के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों और संगठनों के साथ समन्वय करता है। प्रभाग विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई. एम. एफ.), एशियाई विकास बैंक (ए. डी. बी.), संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (यू. एन. सी. टी. ए. डी.) और विश्व व्यापर संगठन जैसे संगठनों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय तकनीकी सहयोग से संबंधित कार्यों को और साथ ही एशिया व प्रशान्त के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग और क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई एसोसिएशन जैसी क्षेत्रीय व्यवस्थाओं संबंधी कार्य भी करता है। इस संदर्भ में प्रभाग अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में प्रवृत्तियों और मुद्दों का विश्लेषण करने के कार्य में भी लगा है। प्रभाग, अन्य बातों के साथ–साथ विदेश एवं प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की योजना स्कीमों के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए योजना आवंटनों का कार्य भी देखता है।

4.14.2 उपरोक्त कार्यकलापों के अतिरिक्त, आर्थिक प्रभाग द्वारा वाणिज्य विभाग की विभिन्न योजना स्कीम से संबंधित मदें भी देखी जाती हैं। वाणिज्य विभाग से संबंधित कार्य के अंतर्गत विभिन्न योजना स्कीमें सम्मिलित हैं जैसे कि इन्फ्रास्ट्रक्चर, निर्यात के विकास के लिए राज्यों को सहायता (ए.एस. आई.डी.ई.), कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए.पी.ई.डी.ए.), समुद्रीय उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम.पी.ई.डी. ए.), निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम (ई.सी.जी.सी.), बाजार सुलभता पहल(एम.ए.आई.), राष्ट्रीय निर्यात बीमा लेखा (एन.ई.आई.ए.), टी. बोर्ड, रबड़ बोर्ड, काफी बोर्ड, मसाला बोर्ड व अन्य स्कीमें। यह प्रभाग, डी. ओ. सी. के वार्षिक योजना प्रस्तावों, प्रत्येक स्कीम के निष्पादन/परिणामों के आधार पर परिव्ययों को अंतिम रूप देने तथा विभिन्न योजना स्कीमों की छमाही निष्पादन समीक्षा संबंधी कार्य भी करता है।

वर्ष के दौरान यह प्रभाग को आर्थिक कार्य प्रभाग के रूप में पुनर्नामित किया गया है।

2012–13 के दौरान प्रभाग ने निम्नलिखित कार्य देखे हैं :

I. प्रभाग ने 2012–13 के लिए एम. ई. ए. और डी. ओ. सी. के लिए वार्षिक योजना परिव्ययों को अंतिम रूप दिया, जिसके लिए विदेश मंत्रालय तथा वाणिज्य विभाग के साथ परामर्श भी किया गया।

II. इस प्रभाग से संबंधित सभी संसदीय प्रश्नों और आर. टी. आई. पूछ–ताछों का समाधान।

III. उच्च स्तरीय समितियों जैसे ई. जी. ओ. एम, मंत्रिपरिषद् की बैठकें सचिवों की समिति की बैठक आदि से संबंधित कागजात तैयार किए।

- प्रधान मंत्री की समुद्रपार भारतीयों की वैश्विक सलाहकार परिषद् (पी. एम. जी. ए. सी.) से प्राप्त प्रमुख सुझावों की सिफारिशों की समीक्षा।
- द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और सुरक्षा समझौता/द्विपक्षीय निवेश करार से उत्पन्न की जांच के लिए समिति स्थापित करने का प्रस्ताव।
- बाहर में भारत सरकार की परियोजनाओं के लिए सचिवों के अधिकृत समूह (ई. जी. ओ. एस.) के सृजन का प्रस्ताव।
- व्यापार एवं आर्थिक समिति बैठकों की कार्यसूची के कागजात।

IV. मंत्रिमण्डल नोट्स के प्रारूप की जांच

- भारत सरकार की सहायता से देश से बाहर स्थित परियोजनाओं के लिए सचिवों के अधिकृत समूह (ई. जी. ओ. एस.) के सृजन पर सी. सी. ई. ए. हेतु ड्राट नोट।
- भारत गणराज्य और विभिन्न देशों (डी. टी. ए. ए.) के बीच (कजाकिस्तान गणराज्य, मोरोकवों किंगड्म श्रीलंका गणराज्य) की उपाय पर डबल टैक्स के संबंध में राजकोषीय टाल–मटोल और दोहरे कर से बचने के लिए समझौते का प्रारूप।
- भारत गणराज्य और देश जहां यह समझौता से पहले से ही है, के बीच समझौतें (डी. टी. ए. ए.) में संशोधन हेतु नयाचार संबंधी प्रारूप।

V. निम्नलिखित विषयों की जांच की गई :

- नलंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रस्ताव।
- पाकिस्तान और ट्रेड करने वाले पड़ोसियों पर मंच के निर्माण हेतु पाकिस्तान के प्रस्ताव के संबंध में पाकिस्तान के योजना आयोग से नॉन–पेपर। 21वीं सदी में आर्थिक सहयोग की ट्रांसफोर्मेशन।
- 2015 के बाद की विकास कार्यसूची।
- गिरते निवेश वृद्धि पर जरूरी सार्वजनिक महत्व के मामले।
- विदेश व्यापार नीति (2009–14) के लिए वार्षिक सप्लीमैंट 2012–13
- केरल के मुख्य मंत्री से इलायची मूल्य निर्धारण निधि की स्थापना के लिए प्राप्त प्रस्ताव।
- सभी के लिए धारणीय ऊर्जा हेतु यू. एन. एस. जी. की पहलें।
- परिष्कृत मूल्य निर्धारण नीति (एम. पी. एस. एफ.) स्कीम का कार्यान्वयन तथा परिष्कृत मूल्य निर्धारण (एम. पी. एस.) कार्प्स निधि।

VI. वाणिज्य विभाग तथा विदेश मंत्रालय से प्राप्त निम्न प्रस्तावों की जांच की गई :

- फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान (एफ. डी. डी. आई.), परिसर, गुणा, मध्य प्रदेश की स्थापना।
- 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के लिए ए. एस. आई. डी. ई. स्कीम की सामान्य बास्केट के साथ व्यय वित्त समिति (ई. एफ. सी.) प्रस्ताव।
- केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम "स्वर्णप्रवास योजना" के लिए व्यय वित्त समिति (ई. एफ. सी.) के ज्ञापन का प्रारूप।
- 11वीं से 12वीं योजना से डी. जी. एफ. टी. स्कीम के "आधुनिकीकरण" और "क्रमोन्नयन" को जारी रखने, विचार करने हेतु ई. एफ. सी. ज्ञापन।
- भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली में अतिरिक्त छात्रावास सुविधा के निर्माण हेतु ताकि भारत सरकार द्वारा उच्चतर शिक्षण संस्थानों में ओ. बी. सी. के लिए 27 प्रतिशत सीटों के आरक्षण के कार्यान्वयन संबंधी प्रस्ताव।
- ए. पी. ई. डी. ए. की 12वीं योजना स्कीमें।
- "आई. टी. एस. अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण" संबंधी न्यू स्कीम को शामिल करने हेतु एस. एफ. सी. प्रस्ताव।
- छिंदवाड़ा में एफ. डी. डी. आई. के प्रशिक्षण केंद्र का विस्तार और क्रमोन्नयन।

- एम. पी. ई. डी. ए. बी. 12वीं योजना संबंधी स्कीमें।
- नालंदा विश्वविद्यालय परियोजना पर ई. एफ. सी. प्रस्ताव।
- 12वीं योजना के लिए स्पाइसिज (मशाला) स्कीमें।
- रबर बोर्ड की स्कीमें।
- "निर्यात निरीक्षण परिषद्, फरीदाबाद स्थित एजेंसी के लिए भूमि और भवन की निर्यात निरीक्षण परिषद् की 12वीं योजना की स्कीम।

VII. अन्तर्राष्ट्रीय शिष्टमंडल के दौरों का आयोजनः–

अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रभाग ने योजना आयोग के विभिन्न स्तरों पर अन्तरराष्ट्रीय शिष्टमंडल के दौरों का आयोजन किया।

VIII. निम्नलिखित के कार्यान्वयन हेतु अनुवर्ती कार्रवाई

- राष्ट्रीय विकास और नवप्रवर्तन समिति (एन. डी. आई. सी.), मंगोलिया और योजना आयोग, भारत के बीच सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन।
- भारत–अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन परियोजनाएं।
- योजना आयोग,भारत और अफगान अर्थव्यवस्था मंत्रालय के बीच सहायोग हेतु समझौता ज्ञापन का प्रारूपण।

IX. जांचे गए कागजात/वी.आई.पी. पत्र/मंत्रिमण्डल नोट्स

- संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की सहायता की प्रभावकारिता, कुशलता और महत्व पर सर्वेक्षण।
- थीम विषय व्यापक थीम वर्क के लिए एशिया और पैसिफिक में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ाना।
- निर्माण विकास परियोजनाओं में एफ. डी. आई. नीति के लिए सी. आई. आई. द्वारा की गई सिफारिशों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है नामतः एफ. डी. आई. के मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं अर्थव्यवस्था में मिल जाएं और मौजूदा दिशा – निदेशों को सुस्पष्ट करना।
- महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के विकास से संबंधित मुद्दे।
- प्राकृतिक रबड़ खेती के लिए विशेष विचार के लिए और विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु 12वीं योजना के परिव्यय को बढ़ाने के लिए अनुरोध संबंधी सांसदों से प्राप्त वी. आई. पी. पत्र।
- एन. बी. एफ. सी. (ज) में एफ. डी. आई. नीति की समीक्षा जिन्स ब्रोकिंग में विदेशी निवेश की अनुमति।
- आर्थिक कार्य विभाग का पेपर – एक संयुक्त भागीदारी – भारत और आई. डी. ए.।
- वैश्विक आर्थिक वातावरण और भारत में इसकी विवक्षाएं के अवलोकन संबंधी नोट।
- स्थायी वित्त समिति में उठाए गए विचार – विमर्श के पाठ से उठाए गए बिन्दुओं के उत्तर ताकि, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र पर चर्चा करने हेतु 19 अक्तूबर, 2012 को आयोजित बैठक।
- जी20 के अंतर्गत ऊर्जा धारणीयता कार्य समूह।
- वाणिज्य विभाग, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, प्रवासी भारतीय मामले मंत्रालय, गृह मंत्रालय के मंत्रिमण्डल नोट्स।

- योजना मंत्रालय की अनुदान मांगों (2012–13) की जांच।

X. बैठकें

- वाणिज्य विभाग विदेश एवं प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के एस.एफ.सी./ई.एफ.सी. प्रस्तावों के लिए बैठकें।
- वाणिज्य विभाग, विदेश मंत्रालय एवं प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की अर्धवार्षिक, वार्षिक निष्पादन समीक्षा और वार्षिक योजना की बैठकें।
- बाजार पहुंच मामलों पर उप समिति और अधिकृत समिति की बैठकें।
- डी. ओ. सी. की पहलें।
- भूटान में हाइड्रोपॉवर परियोजना की वार्षिक बैठकें।
- विदेश मंत्रालय, इंडियन ओवरसीज मंत्रालय के प्रस्तावों पर सी. एन. ई. बैठकें, कार्यकारी सचिव के साथ वर्किंग स्तर पर बैठक, अफ्रीका के लिए यू. एन. आर्थिक आयोग।
- पाकिस्तान और इससे ट्रेड करने वाले पड़ोसियों पर फोरम : 21वीं सदी में आर्थिक सहायोग देने के लिए पाकिस्तानी प्रस्ताव के संबधं में अन्तर–मंत्रालयी बैठक।
- बंगलादेश के मंत्रिमण्डल सचिव के भारत दौरे के दौरान रूचिकर संभावित बिन्दुओं पर चर्चा हेतु मंत्रिमंडलीय सचिव द्वारा ली जाने वाली तैयारी बैठक।

4.15 श्रम, रोजगार और जनसाधन प्रभाग

4.15.1 मुख्य कार्य

1. प्राथमिक रूप से एल. ई. एम. रोजगार और दक्षता विकास से संबंधित मामलों को देखता है, जिसमें रणनीतियों एवं नीतियों के निर्माण का कार्य भी शामिल है। प्रभाग सामाजिक सुरक्षा, कर्मकारों के अधिकारों और इस संबंध में विधायी कार्यों के साथ स्कीम और कार्यक्रमों की जांच भी करता है।

2. देश में श्रम बल का अनुसार, कार्य दल तथा रोजगारिता और बेरोजगारी के मामले योजना कार्रवाई के अभिन्न अंग हैं। एन. एम. एस. ओ. सर्वेक्षणों के आधार पर अनुमान लगाए जाते हैं और इन सर्वेक्षणों और अन्य अनुमानों के आधार पर रोजगार संबंधी प्रेक्षण किए जाते हैं। एल. ई. एम. प्रभाग देश में पंचवर्षीय योजनाओं के लिए बेरोजगारी और रोजगारिता के अनुमान लगाने के लिए जिम्मेदार है। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) सात कार्य समूह श्रम संबंधित विषयों पर बनाए गए थे, जिसमें से एक कार्य समूह रोजगार, आयोजना और नीति के लिए था, जिसके प्रभाव का उपयोग "रोजगार और दक्षता विकास" नामक शीर्षक के अध्याय 12वीं योजना के अध्याय के लिए किया गया।

4.15.2 कौशल विकास

3. वर्तमान में "कौशल विकास के लिए समन्वित प्रयासों" की पहलों के अंतर्गत त्रि–स्तरीय संस्थागत संरचना है। प्रधानमंत्री की दक्षता विकास संबंधी राष्ट्रीय परिषद, नीतिगत दिशा – निदेश के लिए सर्वोच्च निकाय है, राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय बोर्ड (एन. एस. डी. सी. बी.), योजना आयोग इसे समन्वय संबंधी सहयोग देता है तथा विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के प्रयासों की सिनर्जी और समन्वय करता है तथा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एन. एस. डी. सी.) राज्य कौशल विकास मिशन भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं।

4. राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय बोर्ड (एन. एस. डी. सी. बी.) उपाध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था, जो दक्षता विकास के लिए प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय परिषद् के निर्णयों के कार्यान्वयन की रणनीतियों को सुनिश्चित करने, उचित प्रचालन दिशा – निदेश तैयार करने, देश की आवश्यकता के अनुसार कौशल विकास के उद्देश्यों को पूरा करने, के लिए अनुदेश तैयार करने के लिए जिम्मेदार है।

4.15.3 कौशल विकास पर क्षेत्रीय सम्मेलन

5. राज्य कौशल विकास मिशनों की पहल पर राज्यों/यू. टी. (ज) की कौशल विकास गतिविधियों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय बोर्ड के दिशा – निदेश पर योजना आयोग ने कौशल विकास पर क्षेत्रीय सम्मेलनों का दूसरा दौर शुरू किया। ये क्षेत्रीय सम्मेलन हैदराबाद, अहमदाबाद, दमण, पंचमढ़ी, देहरादून और अगरतला में आयोजित किए गए। राज्य सरकारों की प्रमुख पहलें, जो इन सम्मेलनों के निष्कर्षों से शुरू की गई थी में शामिल हैं – (प) मिशन मोड पर लक्षित लाभार्थियों के साथ 8 उप मिशनों सहित राजीव युवा किरनालु नामक परियोजना, जिसमें अल्पसंख्यक, ए. टी. (ज), अन्यथा रूप से योग्य व्यक्ति, बायोमेट्रिक उपस्थिति जांच के जरिए प्रशिक्षुओं का मॉनीटरण (आंध्र प्रदेश) (ii) जिला रोजगार कार्यालयों को मानव संसाधन विकास केंद्रों में बदलते हुए करियर परामर्श कार्यों को भी करना, सोटस्किल के लिए प्रशिक्षण प्रदाताओं और प्लेसमैंट एजेंसियों को भी शामिल करना (कर्नाटक) स्थानीय जरूरतों के अनुसार महिला विशिष्ट हेतु उपयोगी सोटस्किल प्रशिक्षण देखने के लिए कौशल वर्धन केंद्र (गुजरात) (iv) दूरदराज क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने तथा स्थानीय भाषा में ई–शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने (अ) कुछ निष्पादन मानदंडों के आधार पर आई.टी. आई. (ज) /आई.टी.सी. (ज) की रेटिंग (मध्य प्रदेश) आदि।

4.15.4 राष्ट्रीय दक्षता विकास प्राधिकरण

6. श्रम शक्ति को कौशल प्रदान करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए) की स्थापना की है।

इस नई स्वायत एजेंसी के कुछ मुख्य कार्यों में (i) 12वीं पंचवर्षीय योजना में और उससे आगे यथापरिकल्पित कौशल लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी संभव कदम उठाना; (ii) कौशल विकास के लिए विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीए) और निजी क्षेत्र के बीच उपागमों में समन्वय और समरस्ता स्थापित करना; (iii) वंचित और उपेक्षित समूहों जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और निशक्तजनों की कौशल आवश्यकताओं की पूर्ति को सुनिश्चित करना शामिल है। एनएसडीए, वित्त मंत्रालय में अवस्थित है। कौशल विकास संबंधी प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय परिषद् (पीएमएनसीएसडी), राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय बोर्ड (एनएसडीसीबी) और कौशल विकास पर प्रधान मंत्री के सलाहकार का कार्यालय एनएसडीए के अंतर्गत सम्मिलित किये गये हैं।

4.15.5 अन्य प्रमुख क्रियाकलाप

7. विश्व बैंक की सहायता से एल. ई. एम. प्रभाग ने एक व्यापक अध्ययन शुरू किया है, ताकि भारत में प्रशिक्षित युवाओं की रोजगारमयता का पता लगाया जा सके। इस सर्वेक्षण में

6 राज्यों को कवर किया जाएगा तथा अन्य के साथ भारत में युवाओं के विभिन्न संस्थानों में दक्षता विकास प्रशिक्षण लेने के बाद भी बेरोजगारी के कारणों का भी पता लगाया जाएगा।

8. एल. ई. एम. प्रभाग ने केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम "पी. पी. पी. के माध्यम से दक्षता विकास में नई पहलों" के अंतर्गत विभिन्न पायलैट परियोजनाएं शुरू की गईं ताकि विभिन्न क्षेत्रों में नवप्रवर्तनकारी दक्षता पहलें शुरू की जा सकें। इनमें शामिल हैं :

(i) गुरू शिष्य परम्परा, कहानी सुनाने की तकनीक/समझौते/सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए दक्षता विपणन की सुविधा के माध्यम से सिमरी के 300 गावों के दस्तकारों के लिए बिहार के मधुबनी जिले में परम्परागत कला की व्यावसायिक दक्षता हेतु दक्षता विकास प्रणाली विकसित करने हेतु कार्य अनुसंधान परियोजना।

(ii) सूक्ष्म, लघु और मध्यम मंत्रालय (एम. एस. एम. ई.) के अंतर्गत केन्द्रीय फुटवेयर प्रशिक्षण संस्थान (सी. एफ. टी. आई.) नामक सोसाइटी द्वारा परियोजना ताकि हाशिए पर रहने वाले युवाओं को दो माह का दक्षता प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। इस पहल के परिणामस्वरूप जूता उद्योग में 90 प्रतिशत छात्रों को रोजगार मिल गया।

(iii) ओडिशा के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित दो जिलों में दक्षता विकास हेतु परियोजना।

(iv) प्रक्रिया–सह–उत्पाद विकास केंद्र (पी. पी. डी. सी.) मेरठ के जरिए, मेरठ खेलकूद वस्तु संकुलों में पिछड़े समुदाय के युवाओं के लिए दक्षता प्रशिक्षण हेतु परियोजना।

9. प्रभाग ने श्रम और रोजगार मंत्रालय के साथ प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण कार्यक्रमों के अंतर्गत कवर की गई स्कीमों की सूचना हेतु समन्वय किया जिन्हें 1 जनवरी, 2013 सें शुरू किया गया है।

4.15.6 एल. ई. एम. प्रभाग द्वारा जांच की गई स्कीमें/प्रस्ताव

10. एल. ई. एम. प्रभाग द्वारा वर्ष 2012–13 के दौरान श्रम और रोजगार मंत्रालय के निम्नलिखित कार्यक्रमों / स्कीमों की जांच की गई और टिप्पणियां भेजी गईं :

i. बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 में संशोधन।

ii. राष्ट्रीय फ्लोर स्तरीय न्यूनतम वेज और राष्ट्रीय न्यूनतम वेज एक्ट, 1948 में प्रस्तावित अन्य संशोधनों के लिए सांविधिक प्रावधान।

iii. खान अधिनियम 1952 में संशोधन।

iv. ठेका श्रम (विनियमन एवं बंदी) अधिनियम, 1970 तथा ठेका श्रम (विनियमन और बंदी) केन्द्रीय नियमावली, 1971 में संशोधन।

v. राष्ट्रीय विनिर्माण नीति – औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अनुच्छेद 25 एफ. एफ. एफ. (1 क) में संशोधन।

vi. श्रम और रोजगार सांख्यिकीय प्रणाली स्कीम पर ई. एफ. सी. प्रस्ताव।

vii. दक्षता विकास पहल स्कीमों पर ई. एफ. सी. प्रस्ताव।

viii. बेंगलुरू और गुलबर्गा में बहु–दक्षता विकास केन्द्रों की स्थापना स्कीम के लिए ई. एफ. सी. प्रस्ताव।

ix. वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित 34 जिलों में दक्षता विकास स्कीम के लिए ई. एफ. सी. प्रस्ताव।

x. निम्नलिखित केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों के लिए सैद्धान्तिक अनुमोदन हेतु प्रस्ताव : (क) व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय परिषद् की रि–इंजीनियरिंग (एन. सी. वी. टी.) और राष्ट्रीय व्यवसायिक योग्यता रूपरेखा (एन. वी. क्यू. एफ.) (ख) अन्तरराष्ट्रीय सहयोग (ग) ई–शिक्षण / दूरस्थ शिक्षण

xi. प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की स्कीम "स्वर्णप्रवास योजना" की योजना के प्रस्ताव का सैद्धान्तिक अनुमोदन।

आई.ए.एम.आर.

11. एल. ई. एम. प्रभाग, योजना आयोग में जन साधन अनुसंधान संस्थान जो प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए एक स्वायत्त निकाय है के प्रशासनिक नियंत्रण और दिशा – निदेश के लिए नोडल प्रभाग के रूप में कार्य करता है। प्रभाग ने निम्नलिखित में योजना आयोग का प्रतिनिधित्व भी किया है (क) सामान्य परिषद् (ख) अधिशासी परिषद् (ग) संस्थान के अनुसंधान कार्यक्रमों पर स्थायी समिति। समिति को अनुदान मांग सहायता के रूप में योजना आयोग से सपोर्ट मिलती है।

4.16. बहुस्तरीय योजना (एम. एल. पी.) प्रभाग

4.16.1 विनिर्धारित क्षेत्रों/इलाकों को उनकी विशिष्ट भू–भौतिक संरचना और खराब समाजार्थिक विकास, विकेन्द्रीकृत योजना और कार्यक्रमों के कारण पेश आने वाली विशेष समस्याओं के संबंध में विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एच.ए.डी.पी.)/पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम (डब्ल्यू.जी.डी.पी.)

4.16.2 पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एच.ए.डी.पी.) असम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के नामोद्दिष्ट पर्वतीय क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम (डब्ल्यू. जी. डी. पी.), पश्चिमी घाट क्षेत्र के 175 तालुकों में कार्यान्वित किया जा रहा है जिनमें महाराष्ट्र (63 तालुक), कर्नाटक (40 तालुक), तमिलनाडु (33 तालुक), केरल (36 तालुक) और गोवा (3 तालुक) के भाग शामिल हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत राज्य हिस्से के रूप में प्रदान की जाती है। एच. ए. डी. पी. के अंतर्गत उपलब्ध निधियां कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित नामोद्दिष्ट पर्वतीय क्षेत्रों तथा पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम (डब्ल्यू. जी. डी. पी.) के अंतर्गत शामिल तालुकों के बीच 60:40 के अनुपात में विभाजित की जाती हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य हैं : जैव विविधता का परिरक्षण और पर्वतीय पारिस्थितिकी का परिरक्षण और बहाली करना। एच. ए. डी. पी. के अंतर्गत कवर हुए पर्वतीय क्षेत्रों के संबंध में उप–योजना दृष्टिकोण अपनाया गया है। संबंधित राज्य सरकारें, एच. ए. डी. पी. के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राज्य योजना और विशेष केन्द्रीय सहायता से निधियों के प्रवाह को मिलाकर कुल योजना तैयार करती हैं। डब्ल्यू. जी. डी. पी. के मामले में, स्कीम – वार दृष्टिकोण का पालन किया गया है क्योंकि सीमांकन के लिए तालुका एक इकाई है जिसके संबंध में राज्य योजना से निधियों के प्रवाह की मात्रा का अनुमान लगाना कठिन है।

4.16.3 वर्ष 2012–13 के दौरान, इन कार्यक्रमों के लिए 333.32 करोड़ रूपए के अनुमोदित आबंटन (300 करोड़ रु. के अनुदान अंश सहित) में से दोनों कार्यक्रमों के लिए 275.00 करोड़ रु. की राशि राज्य सरकारों को विशेष केन्द्रीय सहायता (एस. सी. ए.) के रूप में जारी की गई थी।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

4.16.4 सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सत्रह राज्य सम्मिलित हैं, नामतः अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और पश्चिम बंगाल। कार्यक्रम के अंतर्गत, अनुमोदित स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए 100 प्रतिशत अनुदान के रूप में विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

4.16.5 कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सीमा के निकट स्थित दूरवर्ती और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशेष जरूरतों को पूरा करना है। कार्यक्रम को सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जा रहा है।

4.16.6 वार्षिक योजना 2012–13 के दौरान, 990 करोड़ रूपए के आवंटन के मुकाबले पूरा आवंटन जारी कर दिया गया है।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी. आर. जी. एफ.)

4.16.7 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी. आर. जी. एफ.), पिछड़ेपन के कारणों का मानक सरकारी कार्यक्रमों की तुलना में और अधिक व्यापक ढंग से समाधान करने के लिए वित्त वर्ष 2006–07 में अनुमोदित की गई। इसका उद्देश्य अभिसरण में मदद करना तथा भारत निर्माण व राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम जैसे अन्य कार्यक्रमों जैसे अन्य कार्यक्रमों के मूल्य में वृद्धि करना है जिन्हें ग्रामीण अवस्थापना संबंधी जरूरतों को प्रत्यक्ष रूप से पूरा करने के लिए तैयार किया गया है किन्तु जिनके लिए महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने के लिए पूरकता की जरूरत हो सकती है जिसकी पूर्ति बी. आर. जी. एफ. से हो सकती है। बी. आर. जी. एफ. का उद्देश्य जन भागीदारी के माध्यम से युने गए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन द्वारा विनिर्धारित पिछड़े जिलों का संकेन्द्रित विकास करना है। गांव, मध्यवर्ती से लेकर जिला स्तर तक, संविधान के अनुच्छेद 243 जी की सच्ची भावना के साथ योजना तैयार और कार्यान्वित करने के लिए, पंचायती राज संस्थान (पी. आर. आई.) जिम्मेदार हैं।

4.16.8 बी. आर. जी. एफ. के दो संघटक हैं, नामतः (i) 27 राज्यों के 272 जिलों (22 जिले जून, 2012 में अनुमोदित) को कवर करते हुए जिला घटक, जिन्हें पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है, और (ii) (क) बिहार व (ख) उड़ीसा के के. बी. के. जिलों और (ग) पश्चिम बंगाल के लिए विशेष योजनाएं, जिन्हें योजना आयोग के कृषि प्रभाग द्वारा प्रशासित किया जा रहा है।

(I) जिला संघटक

4.16.9 बी. आर. जी. एफ. के जिला संघटक के अंतर्गत 272 जिले (22 जिले ज्यादातर बी. आर. जी. एफ. जिलों से ही बने हैं) शामिल हैं जिसके अंतर्गत पूर्व राष्ट्रीय सम विकास योजना (आर. एस. वी. वाई.) के अंतर्गत सम्मिलित सभी जिले, पूर्व राष्ट्रीय खाद्य कार्य कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल 150 जिले और कतिपय समाजार्थिक परिवर्तनशीलों के आधार पर पिछड़े के रूप में अगस्त 2004 में योजना आयोग द्वारा स्थापित बढ़ते क्षेत्रीय असंतुलनों का समाधान करने के लिए अंतर–मंत्रालय कार्य समूह (आई. एम. टी. जी.) द्वारा विनिर्धारित 170 जिले शामिल हैं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस घटक के लिए 24110 करोड़ रूपए का वार्षिक योजना आबंटन किया जा रहा है। वर्ष 2012–13 के दौरान इस आबंटन को 5050 करोड रु. किया गया क्योंकि 2013–14 से 2016–17 के शेष वर्षों के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में पुनर्संरचना का कार्य शेष है।

(II) विशेष योजनाएं

(क) बिहार

4.16.10 राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के आधार पर कार्यान्वित करने के लिए बिहार के लिए एक विशेष योजना तैयार की गई ताकि विद्युत और सम्पर्कता, सिंचाई, वानिकी और जल संभर विकास जैसे क्षेत्रकों में सुधार किया जा सके। अधिकांश परियोजनाएं अपने विभागों के माध्यम से कार्यान्वित कर रही है एवं इन योजनाओं के कार्यान्वयन पर निगरानी भी रख रही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस घटक के लिए प्रति वर्ष 1000 करोड़ रूपए का आवंटन बढ़ाकर रू. 2000 करोड़ तथा वार्षिक योजना 2011–12 के लिए रू. 1468 करोड़ कर दिया गया है। इस विशेष योजना को 2012–13 के लिए बढ़ा दिया गया है और परियोजना के शेष लागत को पूरा करने के लिए रू. 1500 करोड़ आवंटित किया गया।

(ख) ओडिशा के के. बी. के जिलों के लिए विशेष योजना

4.16.11 ओडिशा के के. बी. के क्षेत्र के अंतर्गत अविभाजित कालाहाण्डी, बोलांगीर और कोरापुट जिले सम्मिलित हैं जिन्हें अब आठ जिलों में पुनर्गठित कर दिया गया है, नामतः कालाहाण्डी, नुआपाड़ा, बोलांगीर, सोनपुर, कोरापुट, नवरंगपुर, मलकांगिरी और रायगडा। योजना आयोग इस क्षेत्र के लिए 1998–99 से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान कर रहा है। योजना और कार्यान्वयन प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार को एक परियोजना आधारित दृष्टिकोण और नूतन सुपुर्दगी तथा मानीटरन पद्धति का इस्तेमाल करके एक विशेष योजना तैयार करने की सलाह दी गई थी। तदनुसार, राज्य सरकार वर्ष 2002–03 से के. बी. के जिलों के लिए विशेष योजना तैयार कर रही है। विशेष योजना के अंतर्गत सूखा से बचाव, आजीविका समर्थन, संयोजकता, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की मुख्य समस्याओं का समाधान करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। दसवीं योजना अवधि के दौरान इस संघटक के लिए 250 करोड़ रूपए प्रति वर्ष का आबंटन किया गया था। विशेष योजना के अंतर्गत 130 करोड़ रूपए के वार्षिक आबंटन और पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी. आर. जी. एफ.) के जिला संघटक के साथ इतने ही आबंटन को गयारहवीं योजना अवधि के दौरान संरक्षित रखा जा रहा है। वित्त वर्ष 2012–13 के दौरान 250 करोड़ रूपये की राशि आवंटित की गई है।

(ग) पश्चिम बंगाल के लिए विशेष योजना

4.16.12 सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल के लिए विशेष योजना तैयार की गई है, जिसमें बी. आर. जी. एफ. के अंतर्गत राज्य घटक के अंतर्गत रू. 8750 करोड़ केन्द्रीय सहायता के रूप में आवंटित किए गए हैं, ताकि राज्य के पिछड़े क्षेत्रों की विकास आवश्यकताओं का समाधान किया जा सके जिसके लिए वित्त वर्ष 2011–12 से शुरू की गई परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह परियोजना आवास और शहरी विकास विद्युत, जल आपूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य, परिवहन एवं शिक्षा से संबंधित हैं।

(घ) एकीकृत कार्रवाई योजना

4.16.13 साठ चुनिंदा जनजातीय और पिछड़े जिलों के लिए सरकार द्वारा 25.11.2010 को एकीकृत कार्रवाई योजना (आई. ए. पी.) अनुमोदित की गई है। स्कीम, 100 प्रतिशत अनुदान आधार पर ए. सी. ए. है। प्रारंभ में आई. ए. पी. को 2010–11 और 2011–12 के दौरान क्रमशः 25 करोड़ रूपए के ब्लॉक अनुदान और 30 करोड़ रूपए प्रति जिले के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है जिसके लिए निधियां जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति के निपटान पर रखी गई हैं जिनमें जिले का पुलिस अधीक्षक और जिला वन अधिकारी सम्मिलित होता है। वर्तमान में, 9 राज्यों के 82 जिले आई. ए. पी. के तहत कवर किए गए हैं।

4.16.14 जिला स्तरीय समिति को विकास स्कीमों की आवश्यकता के अनुसार इसके द्वारा किए आकलन को मद्दे नजर रख कर व्यय करने की छूट दी गई है। समिति को ऐसी योजना तैयार करनी होगी जिसमें पब्लिक अवसंरचना और संवाओं जैसे स्कूल भवन आंगनवाड़ी केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पेय जल आपूर्ति, गांव की सड़कें, विद्युत – रोशनी आदि की व्यवस्था सार्वजनिक स्थलों जैसे पी. एच. सी. (ज) एवं स्कूल आदि में करनी होगी। इस प्रकार चयन की गई स्कीमों को लघु अवधि में ही परिणाम दिखाने होंगे। राज्य के विकास आयुक्त/विकास के प्रभारी समतुल्य अधिकारी आई. ए.पी. के मॉनीटरण एवं व्यय की जांच के लिए आई.ए.पी. जिम्मेदार ठहराए गए हैं। आई.ए.पी. की वृहद स्तरीय मॉनीटरण, सचिव, योजना आयोग की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की जानी है।

4.16.15 योजना आयोग आई. ए. पी. की समीक्षा संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों/विकास आयुक्तों तथा चुने हुए 60 जिलों के लिए कलेक्टरों/जिला मजिस्ट्रेट के साथ वीडियों कानफ्रेंसिंग के जरिए नियमित रूप से करता है। जिलों की भौतिक और वित्तीय निष्पादन की प्रगति www:// pcserver.nic.in/iapmis प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम. आई. एस.) के माध्यम से अपलोड की जाती है। इसकी समीक्षा भी इन वीडियो कॉनफ्रेंसिंग/बैठकों के जरिए की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके शीघ्र ही इनका प्रभाव जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगे।

पंचायती राज:

4.16.16 विकास कार्यक्रमों की योजना तैयार उनके निष्पादन और मॉनीटरण में समुदाय की भागीदारी आयोजना और प्रभावी कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए जरूरी है। दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले क्षेत्रों में निर्णय निर्माण प्रक्रियाओं में जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। विकास कार्यक्रमों में समुदाय की भागीदारी के लिए पंचायती राज संस्थान एक महत्पूर्ण साधन के रूप में उभरे हैं। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया तथा स्पष्ट रूप से देश के अधिशासन में उनकी भूमिका की व्यवस्था की गई। राज्य सरकारों से उम्मीद की गई थी कि वे पंचायती राज पद्धति की प्रत्येक प्रणाली के अंतर्गत सौंपे गए कार्यों के अनुरूप उन्हें पर्याप्त कार्य, कार्यकर्ता और वित्तीय संसाधन सौंपकर पंचायती राज संस्थानों को सशक्त बनाएंगी।

4.16.17 पी. आर. आई. की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए स्थापित पंचायती राज मंत्रालय ने अपने – अपने कार्यकलाप क्षेत्र में पंचायतों की केन्द्रिकता को समझने की जरूरत तथा पी. आर. आई. को अपने कार्यक्रमों में अधिकारिता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को संवेदीकृत कराने में एक सक्रिय भूमिका निभाई है। संवैधानिक अधिदेश के अनुसार पी. आर. आई. को कार्य सौंपने के लिए मंत्रालय के अनेक उपाय किए हैं।

4.16.18 राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (आर. जी. पी. एस. ए.) को देश में पंचायतों के सुदृढ़ीकरण हेतु शुरू किया गया है। इसके तहत निधिकृत तीन प्रमुख परियोजनाएं हैं (i) ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशासनिक और तकनीकी सहायता का प्रावधान जो पंचायतों के क्रिया कलापों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अन्तरालों की पूर्ति करेगी, (ii) प्रशिक्षण के लिए संस्थागत संरचना का सुदृढ़ीकरण; एवं (iii) पेसा क्षेत्र में ग्राम सभाओं की क्षमता का निर्माण।

4.16.19 विभिन्न स्कीमों के लिए, पंचायत सशक्तिकरण और जवाबदेही, डी. पी. सी. और जिला परिषदों के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण, पंचायत महिला और युवा शक्ति अभियान, मीडिया और प्रचार आदि सहित, मंत्रालय की वार्षिक योजना 2012–13 के लिए 300 करोड़ रूपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

4.17. अल्पसंख्यक प्रभाग

4.17.1 योजना आयोग में 6 दिसंबर, 2012 से अल्पसंख्यक नामक नया प्रभाग का सृजन किया गया है। इस प्रभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि अल्पसंख्यकों के सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजनाएं और कार्यक्रम बनाने में समग्र नीति और दिशा–निदेश उपलब्ध कराए।

अल्पसंख्यक सशक्तिकरण

4.17.2. अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के परिव्यय में ठोस वृद्धि करते हुए इसे 2011–12 के लिए 2850 करोड़ रुपये और 2012–13 के लिए 3135 करोड़ रुपये किया गया ताकि जारी स्कीमों एवं नई स्कीमों का कार्यान्वयन किया जा सके। प्रधान मंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अनुसरण में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय तीन फ्लैगशिप स्कीमों का कार्यान्वयन करता है, जो इस प्रकार हैं : (i) मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति स्कीम; (ii) अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों में शिक्षा का संवर्धन करने के लिए कक्षा 10 से आगे मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति; और (iii) स्नातक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले अल्पसंख्यक छात्रों के लिए योग्यता – सह – साधन आधारित छात्रवृत्ति स्कीमें। इन छात्रवृत्ति स्कीमों के अंतर्गत कुल छात्रवृत्तियों का 30 प्रतिशत अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं के लिए निर्धारित किया जाता है। बहुक्षेत्रकीय विकास कार्यक्रम (एन.एस.डी.पी.) पहचान किए गए अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों (एम. सी. डी.) में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस स्कीम का उद्देश्य है कि विशेष रूप से अल्पसंख्यक लोगों और सामान्य रूप से समाज में वंचित रहे वर्ग की समाज–आर्थिक दशाओं और जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। "विकास त्रुटि" के रूप में पहचान किए जिलों में लोगों के जीवन की गुणवत्ता में शिक्षा, सफाई, पक्के घर, पेय जल, विद्युत आपूर्ति के लिए बेहतरीन अवसंरचना जिला विशिष्ट योजनाओं के तहत प्रावधानों के माध्यम से सुधार के अलावा आय सृजन के अवसर उपलब्ध कराने के लिए लाभार्थी उन्मुख स्कीमें।

4.17.3 "अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण" पर योजना आयोग ने एक संचालन समिति का गठन डॉ. सईदा हमीद, सदस्य, अल्पसंख्यक, योजना आयोग की अध्यक्षता में किया गया है, ताकि 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) तैयार की जा सके। अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण पर संचालन समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी, जिसे योजना आयोग की वैबसाइट पर भी अपलोड किया गया है।

4.17.4. अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण पर 12वीं योजना (2012–17) के अध्ययन को अंतिम रूप दे दिया गया है और उसे योजना दस्तावेज में शामिल कर लिया गया है, जिसे दिसंबर में एन. डी. सी. द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित कर दिया गया था।

4.17.5 योजना आयोग 04 मई, 2011 को डॉ. सैयदा हमीद, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में मूल्यांकन एवं निगरानी प्राधिकरण (ए. एम. ए.) का गठन किया था इस ए. एम. ए. का उद्देश्य है कि विकास लाभों के विस्तार का मूल्यांकन किया जाए, जो विभिन्न कार्यक्रमों के जरिये विभिन्न सामाजिक – धार्मिक समुदायों (एस. आर. एस.) तक पहुंच सकें।

4.17.6 वार्षिक रिपोर्ट 2012–13 को अंतिम रूप देने के लिए अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के साथ व्यापक विचार – विमर्श भी किया गया है। तत्पश्चात् मंत्रालय के साथ परामर्श करके वार्षिक योजना के लिए स्कीम – वार आवंटन परिव्यय को अंतिम रूप दिया गया।

4.17.7 राज्य वार्षिक योजना 2012–13 को अंतिम रूप देने के लिए कार्य समूहों की बैठकें/चर्चाएं सलाहकार (एस. जे. ई.) की अध्यक्षता में की गई, जिसमें राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके

अलावा, विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों की प्रगति की पुनरीक्षा राज्य समूहों द्वारा भी की गई और प्रत्येक राज्य के लिए वित्तीय जरूरतों का आकलन किया गया तथा क्षेत्रक के लिए संसाधनों के आवंटन की सिफारिश की गई और संक्षिप्त नोट तैयार किए गए जिससे उपाध्यक्ष, योजना आयोग तथा मुख्य मंत्रियों के साथ हुई बैठकों के लिए सामग्री उपलब्ध कराई गई, जिससे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजनाएं तैयार की गई।

4.17.8 परियोजना मूल्यांकन एवं प्रबंध प्रभाग (पी. ए.एम.डी.) से घनिष्ट परामर्श के बाद अल्पसंख्यक प्रभाग ने 6 स्थायी वित्त समिति (एस.एफ.सी.) और व्यय वित्त समिति (ई.एफ.सी.) के प्रस्तावों की जांच की। अल्पसंख्यक प्रभाग ने 3 प्रस्तावों पर अपनी टिप्पणियां भी दीं।

4.18 योजना समन्वय एवं प्रबंधन प्रभाग (पी. सी. एम. डी.)

4.18.1 पी. सी. एम. डी. योजना आयोग के सभी प्रभागों की गतिविधियों का समन्वय करता है। इसकी जिम्मेदारी है कि योजना अयोग के सभी प्रभागों के कार्यकलापों को समन्वित करता है। विशेष रूप से इस पर पंचवर्षीय योजनाओं, वार्षिक योजनाओं को तैयार करने के काम को समन्वित करने की जिम्मेदारी है, जिसमें केन्द्रीय क्षेत्रक की योजना के क्षेत्रकीय आबंटन, योजना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने और संसदीय कार्य के समन्वय की जिम्मेदारी भी शामिल है। योजना अयोग की आंतरिक बैठकों, पूर्ण योजना आयोग की बैठकों और राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों का आयोजन और समन्वय भी योजना समन्वय प्रभाग द्वारा किया जाता है।

4.18.2 पी. सी. एम. डी. ने क्रमशः 15 सितम्बर, 2012 और 27 दिसंबर, 2012 को पूर्ण योजना आयोग की बैठक तथा राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक का आयोजन किया, जिनकी अध्यक्षता माननीय प्रधान मंत्री जी ने की थी, ताकि 12वीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज के प्रारूप को अनुमोदित किया जा सके।

4.18.3 वर्ष 2012–13 के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के अंतिम योजना परिव्यय को केन्द्रीय बजट 2012–13 में शामिल किए जाने हेतु वित्त मंत्रालय को सिफारिश की गई। केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे पी. सी. एम. डी. द्वारा तैयार मार्गनिर्देशों को ध्यान में रखते हुए वार्षिक योजना 2013–14 तैयार करें। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के परिव्ययों को अंतिम रूप देने के लिए दिसम्बर, 2012 में वार्षिक योजना 2012–13 के परिव्ययों पर चर्चा करके अंतिम रूप दिया गया।

4.18.4 प्रभाग ने, वार्षिक योजना दस्तावेज 2012–13 तैयार करने के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के संबंध में सूचना और सामग्री संकलित और समेकित की।

4.18.5 दोनों सदनों के माननीय सांसदों के बीच वितरित करने के लिए प्रत्येक वर्ष लोकसभा और राज्य सभा के प्रकाशन काउन्टरों पर योजना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है। वर्ष 2011–12 के लिए वार्षिक रिपोर्ट तैयार की गई और उसे सदन के दोनों पटलों पर बजट सत्र 2012 के दौरान रखा गया। वार्षिक रिपोर्ट 2012–13 तैयार करने का काम प्रगति पर है। रिपोर्ट के अंग्रेजी और हिन्दी रूपांतर विभागीय स्थायी समितियों को विचारार्थ अनुदान मांगे भेजे जाने से पहले सांसदों को उपलब्ध करा दिए जाएंगे। प्रतियों की अपेक्षित संख्या, संसद के दोनों पटलों पर प्रस्तुत करने के लिए संसद के दोनों सचिवालयों को भी भेजा जाएगा।

4.18.6 अनुदान मांगों पर स्थायी वित्त समिति द्वारा मांगी गई सूचना, योजना आयोग की वार्षिक योजना प्रस्तावों 2012–13 के लिए भेजी गई।

4.18.7 सी. एस. एस. के विषय का समन्वय, योजना समन्वय और प्रबंध प्रभाग द्वारा किया जाता है। अतः केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की पुनर्संरचना पर बी. के. चतुर्वेदी समिति ने अपनी रिपोर्ट पी. ए. एम. डी. को प्रस्तुत कर दी थी और रिपोर्ट पर ड्राट नोट आंतरिक योजना आयोग और पूर्ण योजना आयोग को उनके विचार हेतु परिचालित कर दिया गया था। तदुपरांत सुझावों को शामिल करते हुए बी. के. चतुर्वेदी समिति पर मंत्रिमंडल नोट तैयार किया गया और संबंधित मंत्रालयों/विभागों को परिचालित किया गया। मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त टिप्पणियों को, संशोधित मंत्रिमंडल नोट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में, मंत्रिमंडल नोट और पीसीएमडी में शामिल कर लिया गया था।

संसद अनुभाग

4.18.8 संसद अनुभाग संसदीय प्रश्नों, ध्यानाकर्षण सूचनाओं, आधे घंटे की चर्चाओं, संकल्पों, गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों, अनियत दिन वाले प्रस्तावों, नियम 377 के अधीन लोक सभा में उठाए गए मामलों और राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामलों, संसदीय आश्वासनों, संसदीय समितियों की बैठकों, वित्त संबंधी स्थायी समिति, संसद की दोनों सदनों में प्रतिवेदनों और पत्रों को रखे जाने, योजना आयोग के अधिकारियों के लिए अस्थायी और सत्र–वार सामान्य और आधिकारिक दीर्घा प्रवेश–पत्रों और संसद में उठाए जाने हेतु संभावित मुद्दों, सरकारी कार्य और योजना आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्यों और अधिकारियों में वितरण के लिए बजट दस्तावेज, रेल बजट, आर्थिक सर्वेक्षण और संसद की दोनों सभाओं को दिए गए राष्ट्रपति के भाषण की प्रतियों को प्राप्त किए जाने समेत योजना आयोग के संसद से संबंधित अन्य कार्यों के संबंध में कार्रवाई करता है। संसद अनुभाग लोक सभा/राज्य सभा के तारांकित प्रश्नों से संबंधित प्रधानमंत्री के विवरण के संबंध में जरूरी कार्रवाई भी करता है।

4.18.9 इस वर्ष के दौरान इस अनुभाग ने 26 तारांकित और 397 अतारांकित प्रश्नों के लिए राज्य मंत्री (योजना) का अनुमोदन प्राप्त किया और लोक सभा और राज्य सभा के लिए सही समय पर सेटों को तैयार कराया। इसने साथ ही लोक सभा और राज्य सभा के वेब पोर्टल पर इतने ही प्रश्नों को अपलोड भी किया। योजना मंत्रालय की वर्ष 2012–13 की अनुदान मांगों के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति की बैठक के लिए भी आवश्यक व्यवस्थाएं की गईं। स्थायी समिति की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई की गई और की–गई–कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन (53वां) से संबंधित विवरण संसद में भेजा गया। आईएएमआर (इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैनपावर रिसर्च) का 2010–11 का वार्षिक प्रतिवेदन, आईईजी का 2011–12 का वार्षिक प्रतिवेदन, योजना मंत्रालय का 2012–13 का परिणामी बजट और अनुदान मांगे, 2012–13 को संसद की दोनों सभाओं के समक्ष रखी गयीं। योजना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन (2011–12) प्रकाशन पटल के माध्यम से संसद की दोनों सभाओं के संसद सदस्यों को परिचालित किया गया। लोक सभा में दिए गए इक्कीस आश्वासन और राज्य सभा में दिए गए तेरह आश्वासन इस अवधि के दौरान पूरे किए गए। इस अनुभाग ने लोक सभा में नियम 377 के अधीन उठाए गए छह मामलों के संबंध में और राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए तीन मामलों के संबंध में संबंधित संसद सदस्यों को उत्तर भेजने के लिए भी समन्वय कार्य किया।

4.19. विद्युत एवं ऊर्जा प्रभाग

4.19.1 विद्युत एकक

- मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएम) द्वारा विचार किए जाने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा परिचालित विभिन्न कार्यसूचियों पर विवरण तैयार किए गए। कुछ प्रस्ताव अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना, वित्तीय मुद्दों संबंधी उप–समिति, विद्युत क्षेत्र से संबंधित मुद्दों से संबंधित थे।
- एनडीसी की 57वीं बैठक में विद्यमान कार्यरत संयंत्रों के लिए कोयले और प्राकृतिक गैस की

अपर्याप्त उपलब्धता और 12वीं योजना के दौरान आगामी विद्युत परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक संयोजन से संबंधित अनिश्चितता के संबंध में मुख्यमंत्रियों द्वारा उठाए गए मुद्दे को राज्य सरकार के साथ उठाया गया।

- 'मुख्य राज्यों की वितरण सुविधाओं में आमूल–चूल परिवर्तन' विषय पर सदस्य (ऊर्जा) की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समूह में भागीदारी की।
- परियोजनाओं के संबंध में सीसीईए/पीआईबी/ईएफसी/एसएफसी के प्रस्तावों तथा विद्युत क्षेत्र से संबधित अन्य नीतिगत मुद्दों की परीक्षा और संबंधित प्राधिकारी को योजना आयोग के विचारों को संसूचित करना।
- वर्ष 2012–13 के लिए 'विद्युत क्षेत्र के मुख्य नीतिगत लक्ष्य' विषय पर अनुमोदन के लिए विद्युत मंत्रालय के परामर्श से सचिवों की समिति (सीओएस) के लिए एक टिप्पण तैयार करने हेतु निविष्टियां प्रदान की गईं।
- सदस्य (ऊर्जा) द्वारा सचिव, विद्युत मंत्रालय के साथ तय किए गए निगरानी किए जाने योग्य तिमाही–वार लक्ष्यों के लिए एक पार्श्व टिप्पण तैयार किया।
- इस एकक के अधिकारियों ने निष्पादन समीक्षा, इस क्षेत्र की, पुनर्संरचित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आरएपीडीआरपी)संबंधी संचालन समिति और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) की सहमति ज्ञापन संबंधी बैठकों में भाग लिया।
- इस एकक ने चल रही प्रमुख परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की जांच की और योजना आयोग के विचारों को संबंधित मंत्रालयों को सूचित किया।
- उच्च–मांग वाले विद्युत संयंत्रों (पीकिंग पावर प्लांट) और पर्याप्त प्रणाली भंडार के सृजन संबंधी टास्क फोर्स की बैठक में भाग लिया।
- उत्तर–पूर्व में पनबिजली के विकास को निर्देशित और त्वरित करने के लिए एक उपयुक्त संरचना विकसित करने हेतु जल संसाधन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक अंतरमंत्रालयी समूह में भाग लिया।
- इस एकक के अधिकारियों ने वित्तीय संसाधनों एवं कार्य समूह की बैठकों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों में भाग लिया।

4.19.2 कोयला एकक

- कोयला एकक को कोयला खनन से जुड़े पर्यावरणीय और विकासात्मक मुद्दों तथा अन्य विकास परियोजनाओं पर विचार करने के लिए वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह (जीओएम) को सेवा प्रदान करने का कार्य सौंपा गया। इसके बाद मंत्री समूह ने मंत्री समूह के विचारार्थ विषय पर चिंतन करने और समाधान सुझाने के लिए सदस्य (ऊर्जा) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति ने सभी हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चाएं की और मंत्री समूह को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। समिति की अधिकतर सिफारिशों को मंत्री समूह द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।
- उत्तरी करनपुरा विद्युत परियोजना के स्थानांतरण का मुद्दा भी मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा उपर्युक्त मंत्री समूह को सौंपा गया। तत्पश्चात् मंत्री समूह ने इस मुद्दे पर विचार करने और सभी को स्वीकार्य उपयुक्त समाधान सुझाने के लिए सदस्य (ऊर्जा) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। विद्युत मंत्रालय और कोयला मंत्रालय दोनों के साथ विस्तृत

चर्चाएं हुईं और अंतिम प्रतिवेदन मंत्री समूह को इसके विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

- चल रही प्रमुख कोयला और लिग्नाइट परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की जांच और सदस्य (ऊर्जा) की अध्यक्षता में योजना आयोग में आयोजित हुई तिमाही निष्पादन समीक्षा (क्यूपीआर) बैठकों में विचार किए जाने के लिए मुद्दों को उद्घाटित करना।
- कोयला और लिग्नाइट क्षेत्र के विकास से जुड़े अति विशिष्ट व्यक्तियों (वीआईपी) के उल्लेखों/संसदीय प्रश्नों/संसदीय आश्वासनों तथा अन्य अंतःक्षेत्रीय नीतिगत मुद्दों की जांच।
- कोयला खनन परियोजनाओं के सीसीईए/पीआईबी/आईएमजी के प्रस्तावों तथा कोयला क्षेत्र से जुड़े अन्य नीतिगत मुद्दों की जांच करना और संबंधित को योजना आयोग के विचारों को सूचित करना।
- प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से कोयला ब्लॉकों के आबंटन, कोयले के लिए पूल कीमत–निर्धारण, ताप विद्युत संयंत्रों के लिए कोयला स्थायी संपर्क समिति (दीर्घकालिक); सीमेन्ट संयंत्रों एवं स्पन्ज लौह, अंतरमंत्रालयी समूह; इत्यादि से संबंधित बैठकों में भाग लिया ताकि निवेश निर्णयों इत्यादि को लेने के लिए योजना आयोग के विचारों को सूचित किया जा सके।
- कोयला मंत्रालय की 2013–14 की वार्षिक योजना के निर्माण के लिए आंकड़ों का समेकन और विश्लेषण, वर्ष के लिए कोयला संबंधी मांग निर्धारित करने के लिए अंतरमंत्रालयी चर्चा और पूर्व वर्ष के लिए कोयला खपत क्षेत्र के निष्पादन और कोयला उत्पादन कंपनियों के निष्पादन की समीक्षा।
- इस एकक के अधिकारियों ने निष्पादन समीक्षा, इस क्षेत्र की सहमति ज्ञापन बैठकों में, और विभिन्न शोध संस्थानों द्वारा आयोजित कोयला और ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न संगोष्ठियों में भाग लिया।
- इस एकक के अधिकारियों ने ताप विद्युत संयंत्रों के लिए स्थायी संपर्क समिति (दीर्घकालिक), सीमेन्ट संयंत्रों एवं स्पन्ज लौह से संबंधित बैठकों में भाग लिया ताकि योजना आयोग के विचारों को सूचित किया जा सके।

4.19.3 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एकक :

यह एकक वर्ष 2012–13 के दौरान निम्नलिखित कार्यों में संलिप्त रहा–

क) मंत्रिमंडल सचिव द्वारा समीक्षा किए जाने के लिए एकीकृत ऊर्जा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में सेवा प्रदान करना और कार्यसूची टिप्पण तैयार करना

ख) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की वर्ष 2012–13 की वार्षिक योजना के छमाही निष्पादन की समीक्षा।

ग) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय क्षेत्र के संदर्भ में वार्षिक योजना 2013–14 को अंतिम रूप प्रदान करना।

घ) दिल्ली में स्वच्छ ऊर्जा विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (डीसीईसी–12) आयोजित करना। यह कार्यक्रम अप्रैल, 2013 में निर्धारित स्वच्छ ऊर्जा मंत्रालयी सम्मेलन के पूर्व कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया था।

ड) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मंत्रिमंडल टिप्पणों और नीतियों से जुड़ें पत्रों की जांच करना, जिन्हें नीचे सूचीबद्ध किया गया है :

क. पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस संबंधी मूल्य निर्धारण

ख. अंतर्राष्ट्रीय गैस पाइपलाइन; (टीएपीआई)

ग. ओवीएल द्वारा विदेशी तेल एवं गैस परिसंपत्तियों का अधिग्रहण

घ. अन्य देशों से एलएनजी के रूप में गैस का आयात

ड. नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति

च. देश में सामरिक कच्चे तेल का भंडारण

छ. हाइड्रोकार्बनों का साथ–साथ प्रचालन

ज. कोल इंडिया लिमिटेड को आबंटित कोयला खनन पट्टे के अधीन आने वाले क्षेत्रों से कोल बेड मीथेन (सीबीएम) का अन्वेषण एवं दोहन

झ. एलपीजी और मिट्टी के तेल पर राजसहायता का प्रत्यक्ष नकद लाभ स्थानांतरण

ञ. बायो–एथेनॉल की कीमत–निर्धारण

ट. कृष्णा गोदावरी–डी 6 (केजी–डी 6) गैस के परस्पर प्राथमिकता आवंटन पर ईजीओएम नोट

ठ. "भारत में शेल गैस– चुनौतियां और संभावनाएं" विषय पर आधार–पत्र तैयार किया गया और अन्य मंत्रालयों को उनकी टिप्पणियों और समुक्तियों के लिए परिचालित किया गया।

ड. संसदीय प्रश्नों/वीआईपी उल्लेखों से संबंधित मामलों पर कार्रवाई।

ढ. 12 वीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज के लिए पेट्रोलियम और प्रा.तिक गैस संबंधी अध्याय तैयार करना।

ण. भारत–अमरीका, भारत–ऑस्ट्रेलिया और भारत–कनाडा ऊर्जा वार्ताओं तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों से जुड़ें मुद्दों पर कार्रवाई करना। इस एकक ने भारत–चीन एसईडी संरचना के अधीन "नीति समन्वय कार्य समूह" के कार्य का समन्वय भी किया।

4.19.4 नवीकरणीय एकक

यह एकक निम्नलिखित कार्य करता है:–

क) 12 वीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज के लिए नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी अध्याय तैयार करना।

ख) वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी वार्षिक योजना को अंतिम रूप से तैयार करना।

ग) राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान और भारतीय जैव ऊर्जा निगम साहित एमएनआरई के पर्यवेक्षण के अधीन नई संस्थाओं के सृजन के लिए प्रस्तावों की जांच करना।

घ) एमएनआरई की वर्ष 2012–13 की वार्षिक योजना के छमाही निष्पादन की समीक्षा करना।

ङ) सौर, पवन और बायोमास परियोजनाओं के संबंध में ईएफसी टिप्पणों पर कार्रवाई करना।

च) राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एन सी ई एफ) के अंतर्गत प्रस्तावों की जांच करना। एन सी ई एफ के लिए प्रस्तुत अधिकांश प्रस्ताव नवीकरणीय ऊर्जा के विकास से संबंधित विषय पर आधारित थे।

4.20 परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग

कार्य

4.20.1. योजना आयोग में परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग भारत सरकार में परियोजना मूल्यांकन की प्रणाली को संस्थागत करने के लिए 1972 में स्थापित किया गया था। परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग को निम्नलिखित कार्यों के निष्पादन का कार्य सौंपा गया है;

- तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन के लिए परियोजनाओं और कार्यक्रमों हेतु प्रस्तावों को प्रस्तुत किए जाने के लिए दिशानिर्देश विहित करना और प्रारूप तैयार करना।
- परियोजनाओं और कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए पद्धति और प्रक्रिया में सुधार करने हेतु सहायता शोध अध्ययन करना।
- सार्वजनिक क्षेत्रों में प्रमुख परियोजनाओं और कार्यक्रमों का तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन करना।

- परियोजनाओं और कार्यक्रमों के प्रतिवेदनों को तैयार करने के लिए समुचित प्रक्रियाएं स्थापित करने में केन्द्रीय मंत्रालयों की सहायता करना।

मूल्यांकन कार्य

4.20.2. एक तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन के भाग के रूप में, परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग योजना के 100 करोड़ रूपये और उससे अधिक की लागत वाले कार्यक्रमों और परियोजनाओं का एक समग्र मूल्यांकन करता है और योजना आयोग के विषय प्रभागों के परामर्श से मूल्यांकन टिप्पण तैयार करता है। परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग द्वारा मूल्यांकन टिप्पण को जारी किए जाने के लिए निर्धारित समय–सीमा ईएफसी/पीआईबी ज्ञापन की प्राप्ति की तिथि से **चार सप्ताह** है। परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग द्वारा मूल्यांकन से प्रस्तावों की प्र.ति और आकार के आधार पर सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी), व्यय वित्त समिति (ईएफसी) और सार्वजनिक निवेश बोर्ड समिति (सीपीआईबी) द्वारा विचारित परियोजनाओं/योजनाओं के संबंध में निर्णय लेने में सुविधा होती है। यह प्रभाग 300 करोड़ रूपये और उससे अधिक की लागत वाले रेल मंत्रालय के प्रस्तावों का भी मूल्यांकन करता है जिनपर विस्तारित रेलवे बोर्ड (ईबीआर) द्वारा विचार किया जाना होता है। प्रभाग द्वारा लागत और समय के निर्धारित सीमा से अधिक हो जाने से उत्पन्न होने वाले कारकों का और व्यवहार्यता पर उनके प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए संशोधित लागत प्राक्कलन (आरसीई) प्रस्तावों का भी मूल्यांकन किया जाता है।

4.20.3. विभिन्न श्रेणियों की योजनाओं/परियोजनाओं के लिए दिनांक 1 अप्रैल, 2010 से मूल्यांकन मंचों की वित्तीय सीमाओं और अनुमोदन प्राधिकारियों की सूचनाएं निम्नलिखित हैं।

मूल्यांकन मंच (सीमाएं करोड़ रुपये में)

< 25.0 सामान्य स्थिति मे मंत्रालय

≥ 25.0 और < 100.0 स्थायी वित्त समिति

≥ 100.0 और < 300.0 प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति (ईएफसी)

≥ 300.0 सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी)/व्यय वित्त समिति (ईएफसी); ऐसी परियोजनाओं/स्कीमों पर पीआईबी द्वारा विचार किया जाएगा जिनमें वित्तीय आय परिमाणात्मक हो तथा अन्य पर ईएफसी द्वारा विचार किया जाएगा।

अनुमोदन मंच की सीमा (करोड़ रुपये में)

< 25.0 प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग का सचिव।

≥ 25.0 और < 150.0 मंत्रालय/विभाग का प्रभारी मंत्री।

≥ 150.0 और < 300.0 मंत्रालय/विभाग का प्रभारी मंत्री एवं वित्त मंत्री।

≥ 300.0 मंत्रीमंडल/आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रीमंडल समिति (सीसीईए)।

नोटः उपर्युक्त वित्तीय सीमाएं परियोजना/स्कीम के कुल आकार के संदर्भ में हैं, जिनमें बजटीय सहायता, आंतरिक संसाधन, बाह्य सहायता, ऋण इत्यादि शामिल हो सकते हैं।

मुख्य बातें (2012–13)

- ✓ ईएफसी/पीआईबी प्रस्तावों से संबंधित 143 मूल्यांकन टिप्पण, जिनमें 6,05,655.13 करोड़ रूपये का परिव्यय शामिल था, अप्रैल–जनवरी 2013 के दौरान जारी किए गए हैं।
- ✓ परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग ने अप्रैल–जनवरी 2013 के दौरान 21 मंत्रिमंडल/सीसीईए टिप्पणों और 6 एसएफसी प्रस्तावों की जांच की और टिप्पणियां प्रदान कीं।
- ✓ परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग ने अप्रैल–जनवरी 2013 के दौरान सैद्धांतिक अनुमोदन के 81 प्रस्तावों को संसाधित किया और उनपर सलाह दी तथा समय और लागत के निर्धारित सीमा से अधिक होने के संबंध में 6 स्थायी समिति बैठकों में भाग लिया।
- ✓ परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग के सलाहकार अथवा मनोनित अधिकारियों ने 80 ईएफसी/पीआईबी/ईबीआर बैठकों में भाग लिया।

सैद्धांतिक' प्रस्तावों संबंधी प्रक्रिया

4.20.4. योजना में नई स्कीमों को लागू करने के लिए प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने के उद्देश्य से, योजना आयोग ने यू. ओ. सं. एन–11016/4/2006–पीसी दिनांक 29–08–2006 के तहत दिशानिर्देशन और अनुपालन हेतु केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के सभी सचिवों, योजना आयोग में नियुक्त निजी सलाहकारों/वरिष्ठ परामर्शदाताओं/सलाहकारों के लिए 11वीं योजना हेतु दिशानिर्देश तैयार किए और जारी किए। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, ऐसी स्कीम/परियोजना/ किसी विद्यमान स्कीम में अतिरिक्त घटक के लिए, जिन्हें पर्याप्त प्रावधान के साथ पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं किया जा सका, स्कीम/परियोजना को लागू करने के लिए मंत्रालयों/विभागों द्वारा समुचित प्राधिकारियों का मूल्यांकन और अनुमोदन प्राप्त करने से पहले योजना आयोग का 'सैद्धांतिक' अनुमोदन (सचिव का विशिष्ट अनुमोदन) प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। विद्युत मंत्रालय और कोयला मंत्रालय की स्कीमों/परियोजनाओं को 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रणाली से छूट प्रदान की गई है।

4.20.5. इन दिशानिर्देशों के आधार पर, परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग ने यूओ ओ–14015/1/2011–पीएएमडी दिनांक 06–06–2012 और 26–07–2012 के तहत योजना आयोग के विषय प्रभागों को सैद्धांतिक अनुमोदन के प्रस्तावों पर कार्रवाई करते समय अनुसरण किए जाने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए थे।

- ❖ केन्द्रीय क्षेत्र, ऐसी केन्द्र प्रायोजित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन जरूरी होगा जो बारहवीं योजना दस्तावेज में शामिल नहीं हैं।
- ❖ विद्युत मंत्रालय और कोयला मंत्रालय की नई स्कीमों/परियोजनाओं के लिए योजना आयोग के सैद्धांतिक अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।
- ❖ नई स्कीमों/परियोजनाओं का लागत अनुमान/परिव्यय चाहे कुछ भी हो, उनके लिए सैद्धांतिक अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
- ❖ केवल ऐसी स्थिति को छोड़कर जिसमें कोई मंत्रालय/विभाग किसी विनिर्दिष्ट समयावधि में कोई पायलट परियोजना चलाने का प्रस्ताव रखता है, ऐसी नई केन्द्र प्रायोजित योजना को लागू करने के किसी भी प्रस्ताव पर सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए विचार नहीं किया जाना चाहिए जो प्रतिवर्ष 300 करोड़ रूपये से कम का परिव्यय रखती है।
- ❖ विषय प्रभागों को सैद्धांतिक अनुमोदन पर विचार करने से पहले, प्रस्तावित स्कीमों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विद्यमान स्कीमों का रूपांतरण करने और स्कीमों का अभिसरण करने की संभावना पर विचार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, वित्तीय सहबद्धता, केन्द्र प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्र के रूप में योजना के वर्गीकरण और नई केन्द्र प्रायोजित स्कीम के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों की प्रतिबद्धता जैसे मुद्दों की सैद्धांतिक अनुमोदन के चरण पर जांच की जानी चाहिए और मूल्यांकन/अनुमोदन के चरण पर उलझन से बचने का संकल्प करना चाहिए।
- ❖ विषय प्रभाग को पहले दिशानिर्देश के अनुसार मंत्रालय से प्राप्त प्रस्ताव की जांच करनी चाहिए और सचिव, योजना आयोग का सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करने से पहले अन्य संबंधित विषय प्रभागों और परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग से अनिवार्य रूप से परामर्श करना चाहिए।
- ❖ यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सैद्धांतिक अनुमोदन की प्रक्रिया मंत्रालय/विभाग से प्रस्ताव की प्राप्ति की तारीख से चार सप्ताह की समय–सीमा के भीतर पूरी कर ली जाए।

4.20.6. आगे और व्याख्या यूओ ओ–14015/1/2011–पीएएमडी दिनांक 10–10–2012 के तहत संसूचित की गई।

- ❖ प्राथमिकता वाले प्रस्तावों पर त्वरित कार्रवाई करने और पर्याप्त योग्यता/निधियां नहीं रखने वाले प्रस्तावों को हटाने के लिए यह निर्णय

लिया गया कि सैद्धांतिक अनुमोदन चाहने वाली सभी नई स्कीमों की 12वीं योजना में निधियन के स्पष्ट निर्देशन के साथ एसएफसी/ईएफसी प्रारूप में जांच की जाएगी। इसने 2012–13 के दौरान उपलब्ध निधियों के भीतर प्राथमिकता वाले प्रस्तावों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की है।

ईएफसी/पीआईबी प्रस्तावों की मूल्यांकन प्रक्रिया

4.20.7. परियोजना प्रस्तावों के मूल्यांकन में होने वाली देरी में कमी करने और पीआईबी/ईएफसी ज्ञापन की प्राप्ति से चार सप्ताह की निर्धारित समय सीमा के भीतर विभागों/मंत्रालयों से पीआईबी/ईएफसी का निर्णय सुनिश्चित करने के लिए, पीएएमडी ने 22 नवंबर 2007 दिनांकित यू.ओ. सं. ओ–14015/1/2006–पीएएमडी के मार्फत योजना आयोग में ईएफसी/पीआईबी प्रस्तावों के प्रसंस्करण की संशोधित प्रक्रिया जारी की है। संशोधित प्रक्रिया की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(क) ईएफसी/पीआईबी ज्ञापन की प्राप्ति के बाद पीएएमडी ईएफसी/पीआईबी प्रबंधन सलाहकार के रूप में कार्य करेगा। ईएफसी/पीआईबी ज्ञापन और अन्य प्राप्त सूचनाओं में दी गई जानकारी के आधार पर, मूल्यांकन किया जाएगा और ईएफसी/पीआईबी के लिए प्रबंधन सलाह प्रस्तुत दी जाएगी।

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीएएमडी द्वारा किया गया मूल्यांकन व्यापक और सार्थक है, परियोजना अधिकारियों/प्रशासनिक मंत्रालयों से पहले से ही केवल ऐसे प्रस्तावों को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है, जो सभी मामलों में पूरे हों। तथापि, ऐसे मामलों में जहां ईएफसी/पीआईबी ज्ञापन में प्रासंगिक जानकारी शामिल नहीं है, पीएएमडी ऐसे अंतरालों की पहचान करेगा और मंत्रालयों से इस तरह की जानकारी की मांग करेगा।

(ग) पीएएमडी द्वारा प्रबंधन की सलाह देने के लिए अधिकतम सीमा ईएफसी/पीआईबी ज्ञापन की प्राप्ति की तारीख से 4 सप्ताह तय की गई है। ऐसे मामले में जहां 4 सप्ताह की अवधि के भीतर पीएएमडी द्वारा प्रबंधन सलाह नहीं दी जाती है, ईएफसी/पीआईबी की बैठक बुलाई जा सकती है और बैठक के दौरान उनके विचार प्राप्त किए जाएंगे।

4.20.8. वर्ष 2011–12 में 3,74,680.95 करोड़ रुपये के परिव्यय के 94 प्रस्तावों की तुलना में वर्ष 2012–13 (अप्रैल–जनवरी, 2013) के दौरान पीएएमडी ने ईएफसी/पीआईबी/ईबीआर के 6,05,655.13 करोड़ रुपये के परिव्यय सहित 143 प्रस्तावों का मूल्यांकन किया है, जिनमें नए प्रस्तावों के साथ–साथ संशोधित लागत के प्रस्ताव भी शामिल हैं।

2012–13 के लिए तथ्य और आंकड़े (अप्रैल–जनवरी, 2013)

क.	मूल्यांकित परियोजनाओं की संख्याः	143
ख.	शामिल लागतः 6,05,655.13 करोड़ रुपये	
ग.	मूल्यांकित परियोजनाओं की संख्या	
	– कृषि	8 (1.08 प्रतिशत)
	– ऊर्जा	9 (16.67 प्रतिशत)
	– परिवहन	30 (15.68 प्रतिशत)
	– उद्योग	10 (3.94 प्रतिशत)
	– एस एवं टी	2 (0.05 प्रतिशत)
	– सामाजिक क्षेत्र	42 (51.57 प्रतिशत)
	– संचार	9 (1.35 प्रतिशत)
	– अन्य	33 (9.66 प्रतिशत)
	कुल	**143(100 प्रतिशत)**

4.20.9. पीएएमडी ने क्षेत्रवार समस्या को अधिक व्यापक रूप से सुलझाने और इच्छित परिणामों के लिए मौजूदा नई पहलों को एकीकृत कर केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं को मजबूत करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। योजनाओं की बहुलता से बचने के लिए मंत्रालयों से योजनाओं को बजट लाइन के साथ युक्तिसंगत रूप से व्यवस्थित करने का अनुरोध किया गया है।

4.20.10. पीएएमडी ने योजना आयोग की चल रही योजनाओं की एक व्यापक समीक्षा की है और 12वीं योजना में अनुमोदन के लिए उन पर विचार करने से पहले योजनाओं के विलय, निराई और समेकन की सिफारिश की है। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित पूर्वी राज्यों के लिए पीएएमडी द्वारा योजना आयोग की एकी.त कार्य योजना का विस्तृत मूल्यांकन किया गया था।

4.20.11. हालांकि अंतरिक्ष विभाग और परमाणु ऊर्जा विभाग ईएफसी/पीआईबी की मूल्यांकन प्रणाली से बाहर हैं, चालू वर्ष से उनकी योजना और परियोजनाओं के संबंध में निर्णय लेने में सुविधा के लिए पीएएमडी के प्रतिनिधि को इन विभागों के एसपीएसी (स्थायी परियोजना मूल्यांकन समिति) में आमंत्रित सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है।

4.20.12. पर्वतीय राज्यों पर समितिः प्रधानमंत्री से प्राप्त दिशानिर्देश के अनुसरण में श्री बी.के. चतुर्वेदी, सदस्य, योजना आयोग, की अध्यक्षता में और बुनियादी ढांचे के निर्माण, आजीविका और मानव विकास पर विशेष ध्यान के साथ वन भूमि के प्रबंधन से उत्पन्न होने वाले पहाड़ी राज्यों में विकास के अध्ययन के लिए एक समिति का गठन किया गया है। पीएएमडी समिति का संयोजक है।

4.20.13. मूल्यांकन पद्धति का शोधनः पीएएमडी समय–समय पर मूल्यांकन कार्य–प्रणाली का शोधन करती है। तदनुसार आईआईएम, बंगलौर को परियोजनाओं के मूल्यांकन की अवसंरचना के मूल्यांकन पर एक अध्ययन का कार्य सौंपा गया था। मूल्यांकन कार्य–प्रणाली के सुधार की दिशा में आवश्यक दिशानिर्देश तैयार करने के लिए अध्ययन रिपोर्ट पीएएमडी में परीक्षण के तहत है।

4.20.14. प्रशिक्षणः पीएएमडी के अधिकारियों को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नासा आदि द्वारा समय–समय पर आयोजित कार्यशालाओं में परियोजना मूल्यांकन कार्यप्रणाली पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राज्यों के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए संकाय सदस्यों के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है।

4.20.15. वर्ष 2011–12 और वर्ष 2012–13 (अप्रैल–जनवरी 2013) के दौरान मूल्यांकित परियोजनाओं का क्षेत्रवार वितरण संलग्न तालिका में दिया गया है।

क्षेत्रों के प्रमुख समूहों से संबंधित सूचना संक्षेप में नीचे दी गई है:

क्रम सं.	क्षेत्र	2011–12			2012–13 (जनवरी–13 तक)		
		संख्या	लागत (रु. करोड़ में)	प्रतिशत	संख्या	लागत (रु. करोड़ में)	प्रतिशत
1	कृषि	5	2355.43	0.63	8	6558.00	1.08
2	ऊर्जा	5	6740.32	1.80	9	100981.74	16.67
3	परिवहन	23	27240.51	7.27	30	94978.01	15.68
4	उद्योग	13	20079.00	5.36	10	23832.91	3.94
5	एस एवं टी	4	1128.37	0.30	2	308.42	0.05
6	सामाजिक सेवाएं	22	283415.21	75.64	42	312325.75	51.57
7	संचार	2	313.00	0.08	9	8165.00	1.35
8	अन्य #	20	33409.11	8.92	33	58505.30	9.66
	कुल	**94**	**374680.95**	**100.00**	**143**	**605655.13**	**100.00**

गृह मंत्रालय एवं कार्मिक, पर्यटन, वाणिज्य, ई एवं एफ, न्याय, जल संसाधन, एनईआर, उपभोक्ता मामले, वित्त, प्रशासनिक सुधार, विदेश मंत्रालय, योजना आयोग, यूआईडीएआई और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग आदि शामिल हैं।

संलग्नक

पीएएमडी में ईएफसी/पीआईबी के मूल्यांकित प्रस्तावों की क्षेत्रवार संख्या और लागत

क्रम सं.	क्षेत्र	2011–12		2012–13 (जनवरी–13 तक)	
		संख्या	लागत (रु. करोड़ में)	संख्या	लागत (रु. करोड़ में)
	कृषि				
1	कृषि – क्षेत्र तथा संबद्ध	5	2355.43	8	6558.00
	ऊर्जा				
2	विद्युत	5	6740.32	7	86105.74
3	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस				
4	नई एवं अक्षय ऊर्जा	–	–	2	14876.00
	परिवहन				
5	रेल	9	10650.10	7	88796.70
6	भूतल परिवहन	9	14643.13	20	5731.25
7	नागर विमानन	2	182.27	1	149.95
8	जहाजरानी (नौवहन)	3	1765.01	2	300.11
	उद्योग				
9	उद्योग और लघु उद्योग	3	1177.02	2	1179.00
10	इस्पात और खान				
11	पेट्रो रसायन एवं उर्वरक	1	8879.21	–	–
12	वस्त्र	4	7391.55	2	12403.00
13	खाद्य संसाधन	5	2631.22	6	10250.91
	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी				
14	जैव प्रौद्योगिकी	–	–	1	158.42
15	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	2	589.70		
16	भू–विज्ञान	2	538.67	1	150.00
	समाजिक सेवाएं				
17	मानव संसाधन विकास/संस्कृति	5	3075.00	5	33213.00
18	युवा एवं खेल मामले	–	–	3	963.93
19	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	7	3185.04	9	58658.35
20	महिला एवं बाल विकास	3	257895.00	1	5000.00
21	श्रम	–	–	3	4905.16
22	सामाजिक न्याय	1	7750.00	4	6165.00
23	शहरी विकास	2	6146.00	5	42983.67
24	ग्रामीण विकास	2	4046.00	6	77764.64
25	अल्पसंख्यकों के मामले	1	750.00	3	18230.00
26	जनजातीय मामले	–	–	1	2229.00
27	पेयजल आपूर्ति	–	–	1	58716.00
28	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	1	568.17	1	3497.00
	संचार				
29	सूचना एवं प्रसारण	1	166.00	6	2207.00
30	डाक	–	–	1	4900.00
31	सूचना प्रौद्योगिकी	1	147.00	1	280.00
32	संचार	–	–	1	778.00
	अन्य				
33	गृह मंत्रालय	4	10582.64	10	16202.99
34	कार्मिक और प्रशिक्षण	–	–	1	287.03
35	वाणिज्य	3	542.38		
36	पर्यावरण एवं वन	1	133.00	3	1095.62
37	जल संसाधन	3	4207.55	14	33262.75
38	पूर्वोत्तर क्षेत्र (पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग)	6	1473.19	2	618.90
39	वित्त/कारपोरेट मामले	1	100.00	–	–
40	योजना आयोग	2	16370.35	1	5061.00
41	विदेश मंत्रालय (विदेशी मामले)	–	–	2	1977.01
	कुल	**94**	**374680.95**	**143**	**605655.13**

4.21 भावी योजना प्रभाग

भावी योजना प्रभाग में प्रमुख गतिविधियां

4.21.1. भावी योजना प्रभाग का कार्य संभावनाओं और बाधाओं को अंकित कर योजना को वृहद आर्थिक ढांचे में समग्र रूप से एकीकृत करते हुए और क्षमता, बाधाओं और महत्वपूर्ण मुद्दों के संदर्भ में लंबी अवधि के विकास हेतु दूर दृष्टि प्रस्तुत करनी होती है।

4.21.2. प्रभाग योजना और नीति के मुद्दों में आयोग की मदद करता है, जो अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रकों से संबंधित होते हैं। योजनाओं में अंतर क्षेत्रकीय तालमेल लाने के लिए, योजना मॉडल और उप मॉडलों की एक प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। प्रभाग के कार्यों से बचत, निवेश, आयात, निर्यात, सरकारी वित्त के प्रक्षेपण के साथ–साथ सामाजिक विकास संकेतकों आदि के लिए समग्र वृहद आर्थिक ढांचे को विकसित करने में मदद मिलती है।

4.21.3. नियमित गतिविधियों के भाग के रूप में प्रभाग की भूमिका:

(i) विकास की उपयुक्त रणनीति के लिए लंबी अवधि के उद्देश्यों के निहितार्थ विश्लेषण कर मध्यम और लंबी अवधि की योजना के लिए एक समग्र ढांचा तैयार करता है;

(ii) योजना के उद्देश्यों और योजना आवंटन, विकास की क्षेत्रीय जरूरतों के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के परिव्यय के क्षेत्रीय वितरण की अनुरूपता, विभिन्न आय समूहों के लोगों की खपत के स्तर पर मूल्य वृद्धि के प्रभाव, बचत, निवेश और अर्थव्यवस्था में विकास में रुझान, विदेश व्यापार के रुझान और सार्वजनिक निवेश के लिए अर्थव्यवस्था में विभिन्न विकास के निहितार्थों की स्थिरता का अध्ययन करता है;

(iii) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा किए गए घरेलू उपभोग व्यय पर वृहद् प्रतिदर्श सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों से प्रति व्यक्ति मासिक खपत व्यय (एमपीसीई) आंकड़े के आधार पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राज्यवार गरीबी अनुपात का अलग–अलग अनुमान लगाता है और गरीबी सूचकांकों में परिवर्तन का विश्लेषण करता है;

(iv) विभिन्न समितियों, विशेषज्ञ समूह आदि के साथ ही अंतरराष्ट्रीय निकायों द्वारा परिगणित वैकल्पिक गरीबी अनुपात और सूचकांक की जांच करता है;

(v) योजना बनाने की प्रक्रिया से संबंधित तकनीकी मुद्दों पर अपनी राय बनाने, एक सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यक्रम को सरकारी खर्च के गैर–योजना से योजना में में लेने और निकालने, बदलाव और अंतर–सरकारी संसाधन अन्तरण एवं राजकोषीय संघवाद से संबंधित अन्य मुद्दों में योजना आयोग की मदद करता है;

(vi) संसद, अर्थशास्त्रियों और राज्यों के मंच, संबंधित नोडल मंत्रालयों के माध्यम से अन्य देशों और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के प्रतिनिधिमंडल द्वारा दिए उत्पन्न योजना प्रक्रिया से संबंधित मुद्दों पर योजना आयोग द्वारा जवाबी कार्रवाई में योगदान देता है;

(vii) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और भारत के महापंजीयक के योजना प्रस्तावों के लिए योजना आयोग में नोडल प्रभाग की भूमिका अदा करता है;

(viii) सार्क विकास लक्ष्यों के लिए नोडल प्रभाग (एसडीजी);

(ix) सहस्त्राब्दि (मिलेनियम) विकास लक्ष्यों के लिए नोडल प्रभाग (एमडीजी) है।

4.21.4 प्रभाग निम्न में योजना आयोग का प्रतिनिधित्व करता है:

(i) एनएसएसओ की शासी परिषद।

(ii) भारतीय सांख्यिकी संस्थान की शासी परिषद।

(iii) राष्ट्रीय लेखा पर सीएसओ की सलाहकार समिति।

(iv) राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग।

(v) आर्थिक विकास संस्थान शासी बोर्ड, (आईईजी) नई दिल्ली।

(vi) भारतीय सांख्यिकी संस्थान, दिल्ली केंद्र की योजना एवं नीति अनुसंधान इकाई (पीपीआरयू) की सलाहकार समिति।

(vii) विश्व बैंक की सहायता से भारत सांख्यिकीय सु.ढ़ीकरण परियोजना' के राज्य सांख्यिकी ब्यूरो को मजबूत बनाने की विशिष्ट आवश्यकता की पहचान घटक कार्य समूह (टास्क फोर्स)।

(viii) सांख्यिकी और पीआई मंत्रालय द्वारा स्थापित सहस्राब्दि विकास संकेतकों के संकलन और रिपोर्टिंग के लिए रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए अंतर–मंत्रालयी विशेषज्ञ समिति।

4.21.5. प्रभाग के अधिकारियों को निम्नलिखित गतिविधियों के साथ संबद्ध किया गया है: –

(i) श्री रमेश कोली, पूर्व एडीजी, एनएडी, सीएसओ की अध्यक्षता में 1993–94 श्रृंखला बनाम 2004–05 श्रृंखला पर आधारित नई श्रृंखला के तहत औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक के घटकों के विकास दर में भिन्नता के कारणों में देखने के लिए उप समूह की रिपोर्ट पेश की।

(ii) प्रो एस.आर. हाशिम की अध्यक्षता में शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान के लिए विस्तृत पद्धति की सिफारिश के लिए विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट पेश की।

(iii) निवेश, उसकी संरचना और बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–13 से 2016–17 तक) के लिए रुझान के आकलन पर काम कर रहे समूह की रिपोर्ट प्रस्तुत की।

(iv) बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के लिए उप–राष्ट्रीय स्तर पर विकास और उन्नयन से संबंधित मुद्दों पर काम कर रहे समूह की रिपोर्ट प्रस्तुत की।

(v) बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–13 से 2016–17 तक) के लिए निजी बचत पर सार्वजनिक क्षेत्र के ड्राट पर उप समूह की रिपोर्ट प्रस्तुत की।

(vi) सार्क क्षेत्रीय गरीबी प्रोफाइलः 2010 भारत देश की रिपोर्टः गरीब और सामाजिक समावेश के लिए खाद्य सुरक्षा की चुनौतियां तैयार किया।

(vii) डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में 'गरीबी के मापन के लिए क्रियाविधि की समीक्षा' के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन पृष्ठभूमि नोट और अन्य संबंधित तकनीकी नोट्स की तैयारी।

(viii) एक स्थूल आर्थिक स्थिरता ढांचे के भीतर लक्षित विकास दर के क्षेत्रवार मानकों के साथ–साथ स्थूल आर्थिक मॉडल का विकास और स्थूल आर्थिक अनुमान।

(ix) एमपीएलएडीएस के कार्यान्वयन के लिए दिशा–निर्देशों में संशोधन पर आयोग की टिप्पणियों की जांच की और योजना तैयार की।

(x) एमपीएलएडीएस पर राज्यसभा उप–समिति में योजना आयोग का प्रतिनिधित्व किया।

(xi) एमडीजी, एसडीजी के तहत की गई प्रगति की आवधिक निगरानी और योजना आयोग के उप–अध्यक्ष एवं सदस्य के लिए संक्षिप्त नोट तैयार करना।

(xii) आर्थिक सर्वेक्षण और बजट भाषण के लिए सामग्री।

(xiii) "12वीं पंचवर्षीय योजना पर परिप्रेक्ष्य" और "आय असमानताओं की तुलना में विकास पर योजना का प्रभाव और उदारीकरण के युग के बाद सामाजिक इक्विटी ग्रोथ" पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के लिए पृष्ठभूमि नोट का मसौदा तैयार किया।

(xiv) योजना के कार्यान्वयन की रणनीति', 'पूंजी निवेश की प्रभावकारिता' और 'भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन' पर भारत–चीन समन्वय की नीति पर कार्य समूह के लिए पृष्ठभूमि नोट्स की तैयारी।

4.21.6 अन्य समितियों के सदस्यः

1. एनएसएसओ के 68वें दौर पर कार्य समूह
2. छठी आर्थिक जनगणना पर कार्य समूह
3. औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक (आईआईपी) में कार्य समूह

4.22 ग्रामीण विकास प्रभाग

ग्रामीण विकास (आरडी) प्रभाग योजना आयोग में गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन कार्यक्रम और भूमि दस्तावेज आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) से संबंधित मामलों के लिए नोडल प्रभाग है। यह संबंधित विकास के मुद्दों पर ग्रामीण विकास (ग्रामीण विकास विभाग और भूमि संसाधन विकास विभाग) मंत्रालय के साथ नियमित रूप से सूचना का आदान प्रदान भी करता है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना की तैयारी के लिए ग्रामीण विकास प्रभाग को ''ग्रामीण आजीविका और ग्रामीण प्रशासन'' पर एक संचालन समिति के रूप में स्थापित किया गया था। इसके अलावा, 12वीं पंचवर्षीय योजना के ग्रामीण विकास अध्याय की जानकारी प्रदान करने के लिए इस समिति के तहत चार कार्यसमूह गठित किये गए। ये कार्यसमूह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पेश प्रमुख योजनाओं को कवर कर रहे थे और उन्हें (i) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) (ii) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) (iii) ग्रामीण आवास (iv) ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के प्रावधान (पुरा) पर कार्य समूह के रूप में नामित किया गया। इसमें पृष्ठभूमि के कागजातों की तैयारी, परस्पर योजना प्राथमिकताओं पर चर्चा, योजना के उद्देश्यों और दृष्टिकोण के संबंध में योजना प्रस्तावों की महत्वपूर्ण परीक्षा, कार्य समूह के रिपोर्ट की तैयारी, अन्य बातों के साथ–साथ, परिव्यय और भौतिक लक्ष्य शामिल है।

12वीं पंचवर्षीय योजना की ग्रामीण विकास अध्याय की तैयारी में उपर्युक्त समूहों और संचालन समितियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का इनपुट के रूप में इस्तेमाल किया गया।

योजना आयोग की बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के लिए, ग्रामीण विकास पर अध्याय को ग्रामीण विकास प्रभाग में निपटाया गया है। मनरेगा के परिचालन दिशानिर्देश की समीक्षा और सहायता करने के लिए डॉ. मिहिर शाह (सदस्य), योजना आयोग की अध्यक्षता में डॉ. मिहिर शाह समिति गठित की गई थी। समितियों की सिफारिश का ध्यान रखते हुए, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा के परिचालन दिशानिर्देश को संशोधित किया गया है।

2012–13 की वार्षिक योजना के लिए और ग्रामीण विकास विभाग (डीओआरडी) और भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) के वार्षिक योजना के प्रस्तावों और बजट अनुमान की प्रभाग द्वारा विस्तार से जांच की गई। इसके अलावा, ग्रामीण विकास क्षेत्र के अंतर्गत

राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की वार्षिक योजना के प्रस्तावों की जांच की गई और राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के वार्षिक योजना परिव्यय को अंतिम रूप देने के लिए संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों के अधिकारियों के साथ चर्चा की गई।

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए गए मनरेगा, आईएवाई, एसजीएसवाई/एनआरएलएम और एनएसएपी इत्यादि जैसे सरकार के प्रमुख फ्लैगशिप कार्यक्रम ग्रामीण विकास प्रभाग द्वारा संचालित किए जाते हैं। मनरेगा के अंतर्गत, वर्ष 2012–13 के दौरान 213.41 करोड़ कार्यदिवस का सृजन करते हुए लगभग 4.82 करोड़ परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इसी प्रकार, 2012–13 में आईएवाई के अंतर्गत 30.10 लाख भवनों के वार्षिक लक्ष्य की तुलना में 20.59 लाख भवनों का निर्माण किया गया है। एसजीएसवाई/एनआरएलएम के अंतर्गत, वर्ष 2012–13 के दौरान 11.44 लाख स्वरोजगारियों को आर्थिक कार्यकलाप करने हेतु सहायता दी गई।

प्रभाग द्वारा ग्रामीण विकास विभाग और भूमि संसाधन विभाग के संदर्भ में व्यय वित्त समिति (ईएफसी) प्रस्तावों, मंत्रिमंडल पत्रों की जांच की गई और उस पर टिप्पणी की गई। ग्रामीण विकास मंत्रालय के ईएफसी की बैठकों के लिए परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग को आवश्यक जानकारी भी भेजी गई थी।

दिनांक 01.10.2012 से इंदिरा गांधी विधवा पेंशन स्कीम (आईजीएनडब्ल्यूपीएस) और इंदिरा गांधी अशक्तता पेंशन स्कीम के अंतर्गत 200 रु. प्रतिमाह की पेंशन राशि को बढ़ाकर 300 रु. प्रतिमाह करने और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) की राष्ट्रीय परिवार लाभ स्कीम (एनएफबीएस) के अंतर्गत 18.10.2012 से 10,000 रु. की बजाय 20,000 रु. की राशि प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार करते हुए मंत्रिमंडल ने दिनांक 04.10.2012 को आयोजित अपनी बैठक में ग्रामीण विकास मंत्रालय को यह निर्देश दिया है कि वह व्यापक राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम पर एक प्रस्ताव तैयार करे। तदनुसार, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने योजना आयोग के सदस्य डा. मिहिर शाह की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया है। कार्यदल ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ विश्व बैंक द्वारा हाथ में लिये गये पांच राज्यों (दिल्ली, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश) के जारी कार्य निष्पादन विश्लेषण की समीक्षा की। कार्यदल ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के अपर सचिव की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट से प्राप्त सूचना और जानकारी को भी ध्यान में रखा है। कार्यदल ने 18 जनवरी, 2013 को आयोजित एक बैठक में सिफारिशों को अंतिम रूप प्रदान किया। ये सिफारिशें मुख्यतः योग्यता मानदंड, सहायता की मात्रा, पहचान से संबंधित प्रक्रियाएं, स्वीकृति एवं संवितरण और प्रशासनिक संरचना के सुदृढ़ीकरण से संबंधित हैं।

इंदिरा आवास योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए प्रारूप मंत्रिमंडल नोट की जांच की गई और प्रभाग के विचार/टिप्पणियां मंत्रालय को प्रस्तुत की गई। सामग्री की लागत में अत्यधिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 10 जनवरी, 2013 को आयोजित अपनी बैठक में मैदानी क्षेत्रों में नये निर्माण के लिए इकाई सहायता को बढ़ाकर 45,000 रु. से 70,000 रु. और पर्वतीय/ दुर्गम/आईएपी जिलों में 48,500 रु. से 75,000 रु. करने तथा गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले ऐसे ग्रामीण परिवारों, जिनके पास न तो कृषि भूमि है और न ही आवास बनाने के लिए जमीन है, हेतु आवास स्थल के क्रय/प्राप्ति के लिए दिनांक 01.04.2013 से 10,000 रु. की राशि को बढ़ाकर 20,000 रु. करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन विधेयक–2011 के सरकारी संशोधन पर विचार किया है।

मनरेगा, आईएवाई इत्यादि पर अध्ययन का संचालन करने/सेमिनार आयोजित करने के लिए समाजार्थिक अनुसंधान (एसईआर) प्रभाग से प्राप्त कई अनुसंधान प्रस्तावों की जांच की गई और उन पर टिप्पणी की गई।

प्रभाग ने संसद के प्रश्नों, संसदीय आश्वासनों, निजी सदस्य के संकल्प जैसे संसदीय मामलों, समय–समय

पर प्राप्त वीआईपी संदर्भों, पीएमओ और अन्य अभ्यावेदनों के संदर्भ से संबंधित कार्य भी संभाले।

योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर वित्त संबंधी स्थायी समिति द्वारा की गई टिप्पणियों को परखा गया। योजना मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर वित्त संबंधी स्थायी समिति की 53वीं रिपोर्ट में निहित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से संबंधित सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर बिंदु–वार जवाब भी दिए गए हैं।

वर्ष 2012–13 के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं पर कई आरटीआई मामलों के जवाब भी दिए गए।

सदस्य (आरडी), योजना आयोग की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास प्रभाग द्वारा समय–समय पर ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं के प्रदर्शन की समीक्षा की गई। प्रभाग ने भी आर्थिक संपादकों के सम्मेलन (ईईसी) – 2012 के लिए नोट्स तैयार किए हैं।

प्रभाग के अधिकारियों ने कई समितियों में सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व किया जिनमें (i) केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद (ii) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत केन्द्रीय स्तर की समन्वय समिति (iii) एसजीएसवाई/एनआरएलएम की विशिष्ट परियोजनाओं के लिए परियोजना अनुमोदन समिति, (iv) डीआरडीए प्रशासन योजना पर विशेषज्ञ समिति और (v) पुरा प्रस्तावों पर परियोजना जांच समिति आदि शामिल हैं। वरिष्ठ सलाहकार/सलाहकारों और प्रभाग के निदेशक ने उपरोक्त समितियों की कई बैठकों में भाग लिया।

4.23 विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रभाग

विज्ञान एव प्रौद्योगिकी प्रभाग परमाणु ऊर्जा विभाग (अनुसंधान एवं विकास क्षेत्र), अंतरिक्ष विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सीएसआईआर सहित वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग और भू–विज्ञान मंत्रालय जैसे केन्द्रीय वैज्ञानिक विभागों/एजेंसियों के योजना और कार्यक्रमों के साथ–साथ विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों को भी संभालता है।

2012–13 के दौरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग द्वारा की जाने वाली प्रमुख गतिविधियां इस प्रकार हैं:–

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर 12वीं योजना के अध्याय का मसौदा तैयार कर इसे अंतिम रूप दिया गया है। बारहवीं योजना के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र का प्रमुख ध्यान ज्ञान के आधार, एस एवं टी मानव संसाधन विकास और विश्वविद्यालय सहभागिता के संवर्धन, विकासात्मक आवश्यकताओं के लिए एस एंड टी को पंक्तिबद्ध करने, राष्ट्रीय मिशनों के कार्यान्वयन, विज्ञान की बड़ी परियोजनाओं, परिवर्तनकारी बदलावों की रणनीतियों और प्रदर्शन मापन प्रणालियों आदि पर केंद्रित है।
- केन्द्रीय वैज्ञानिक विभागों/एजेंसियों के वार्षिक योजना (2012–13) प्रस्तावों की जांच की गई और सलाहकार स्तर पर उन पर गहराई से चर्चा करने के पश्चात् वार्षिक योजना (2012–13) की आवश्यकताओं के अंतिम अनुमान के लिए संबंधित एस एवं टी विभागों के सचिवों के साथ सदस्य स्तरीय बैठकें हुईं।
- 12वीं पंचवर्षीय योजना का पहला वर्ष होने की वजह से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित एस एण्ड टी मंत्रालयों/विभागों के कई एसएफसी/ईएफसी/प्रारूप मंत्रिमंडल नोट/मंत्रिमंडल नोट के प्रस्तावों की वार्षिक योजना (2012–13) के दौरान जांच और मूल्यांकन किया गया है। इसमें 6 प्रस्तावों को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करना, लगभग 37 एसएफसी/एसपीएसी प्रस्तावों, 15 ईएफसी और 14 प्रारूप मंत्रिमंडल नोट/मंत्रिमंडल नोट की जांच एवं मूल्यांकन करना शामिल हैं।

- आयोग में राष्ट्रीय डेटा शेयरिंग और उपयोग नीति (एनडीएसएपी) के कार्यान्वयन को प्रभाग द्वारा समन्वित किया जा रहा है। 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार, डेटा पोर्टल पर 21 डेटा सेट अपलोड किए गए थे।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए संबंधित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की वार्षिक योजना (2012–13) के प्रस्तावों की विस्तार से जांच की गई और एस एवं टी क्षेत्र के अंतर्गत वार्षिक योजना 2012–13 के परिव्यय को अंतिम रूप देने के लिए कार्य कर रहे समूह की बैठकों में इस पर चर्चा की गई। राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में एस एवं टी के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों को कई बहुमूल्य सुझाव प्रदान किए गए। विचार विमर्श के दौरान, प्रमुख जोर राज्य विशिष्ट मुद्दों की पहचान और इन मुद्दों को हल करने के लिए राज्यों में केंद्रीय एस एवं टी विभागों/एजेंसियों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों की तैनाती, युवा प्रतिभाओं को विज्ञान की दिशा में आकर्षित करने, केंद्रीय वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों के साथ लगातार बातचीत कर राज्य एस एवं टी परिषदों की गतिविधियों को मजबूत बनाने पर था।
- इसके अतिरिक्त, वर्ष 2012–13 के दौरान वार्षिक योजना दस्तावेज के एस एवं टी अध्याय की तैयारी, वार्षिक रिपोर्ट और संसदीय प्रश्नों और वीआईपी संदर्भ आदि के लिए जानकारी प्रदान करने जैसे कार्य भी किए गए हैं।
- प्रभागों के अधिकारी एसएफसी/ईएफसी/ शासी निकायों/संबंधित विभागों की परिषद की कई बैठकों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।

4.24 पीपीपी एवं अवसंरचना प्रभाग

अवसंरचना संबंधी समिति के लिए सचिवालय

4.24.1. प्रभाग को विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाओं के समयबद्ध सृजन को सुनिश्चित करने वाली नीतियों के निर्माण के साथ, बुनियादी ढांचे में निवेश के वित्त पोषण, बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण और ओ एवं एम के लिए पसंदीदा तरीके से सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) को बढ़ावा देने, संस्थागत, विनियामक और प्रक्रियात्मक सुधार के लिए सुझाव देने, पीपीपी दस्तावेजों के मानकीकरण, सरकार द्वारा विचार करने के लिए उपयुक्त सुधार और नीतिगत पहलों को विकसित करने और पीपीपी परियोजनाओं के मूल्यांकन का काम सौंपा गया है।

बारहवीं योजना की रणनीति और निवेश अनुमान

4.24.2. बारहवीं योजना में बुनियादी ढांचे के विकास की रणनीति, जहां भी वांछनीय और संभव हो, सीधे और साथ ही पीपीपी के विभिन्न रूपों के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करती है।

4.24.3. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना(2007–12) के दौरान किए गए 24,24,277 करोड़ रुपये के निवेश की जगह बारहवीं योजना अवधि (2012–17) के दौरान योजना की बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में 55,74,663 करोड़ रुपये का निवेश प्रत्याशित है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में निवेश के मामले में, ग्यारहवीं योजना में किए गए 7.21 प्रतिशत की तुलना में योजना अवधि के दौरान योजना का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 8.18 प्रतिशत का निवेश हासिल करना प्रत्याशित है। तालिका–1 में बारहवीं योजना के लिए वर्ष और क्षेत्र–वार अनुमानों को दर्शाया गया है।

4.24.4. बुनियादी ढांचे में निवेश में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी को ग्यारहवीं योजना के 37 प्रतिशत की तुलना में क्रमशः बढ़ाकर बारहवीं योजना में लगभग 48 प्रतिशत तक करने की अपेक्षा है। उम्मीद की जाती है कि प्रतिस्पर्धा और निजी निवेश केवल क्षमता का ही विस्तार नहीं करेगा, बल्कि यह सेवा की गुणवत्ता में सुधार के अलावा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में लागत और समय को भी कम करेगा। यह योजना शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं, और कौशल विकास जैसे सामाजिक क्षेत्रों के विकास में पीपीपी दृष्टिकोण अपनाने पर भी जोर देती है।

नीतिगत पहलें

4.24.5. निजी भागीदारी के लिए एक समर्थनकारी माहौल बनाने के दृष्टिकोण के साथ, सरकार ने कई

पहलें आरंभ की है। इन प्रयासों में से कुछ पर नीचे चर्चा की जा रही है।

निवेश पर कैबिनेट समिति

4.24.6. सक्षम नीतिगत ढांचा और पीपीपी परियोजनाओं को कुशल निगरानी प्रदान करने के लिए, सरकार ने अगस्त 2004 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ऐसी नीतियों को बनाने के उद्देश्य से बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) पर एक समिति (सीओआई) का गठन किया था, जो विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के समयबद्ध निर्माण, अंतरराष्ट्रीय मानकों से मेल खाते सेवाओं के वितरण, पीपीपी की भूमिका को अधिकतम करने वाली संरचनाओं के निर्माण और स्थापित लक्ष्यों को प्रमाणित करने के लिए प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निगरानी को सुनिश्चित करें। जुलाई 2009 में, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पहलों को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए सीओआई को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बुनियादी ढांचे पर मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीआई) से प्रतिस्थापित कर दिया गया। सीसीआई ने बुनियादी ढांचा के सभी क्षेत्रों में नीतियों और परियोजनाओं की समीक्षा की और उन्हें मंजूरी दे दी है। इसने बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए आवश्यक वित्तीय, संस्थागत और कानूनी उपायों पर विचार किया और निर्णय लिए।

4.24.7. जनवरी, 2013 में, सरकार ने निवेश पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया है। समिति के प्रमुख कार्यों में 1000 करोड़ या अधिक रुपये के निवेश वाली परियोजनाओं

तालिका–1

बारहवीं योजना में बुनियादी सुविधाओं पर अनुमानित निवेश

(मौजूदा कीमतों पर करोड़ रुपए)

क्षेत्रक	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में कुल	बारहवीं योजना के अनुमान					
		2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	बारहवीं योजना में कुल
विद्युत	7,28,494	2,28,405	2,59,273	2,94,274	3,33,470	3,86,244	15,01,666
अक्षय ऊर्जा	89,220	31,199	42,590	58,125	79,075	1,07,637	3,18,626
सड़कें एवं पुल	4,53,121	1,50,466	1,64,490	1,80,415	1,98,166	2,21,000	9,14,536
दूरसंचार	3,84,962	1,05,949	1,36,090	1,76,489	2,30,557	2,94,814	9,43,899
रेलवेज	2,01,237	64,713	78,570	96,884	1,21,699	1,57,355	5,19,221
एमआरटीएस	41,669	13,555	17,148	22,298	29,836	41,322	1,24,158
सिंचाई (वाटरशेड सहित)	2,43,497	77,113	87,386	99,178	1,12,506	1,28,186	5,04,371
जल आपूर्ति एवं सफाई	1,20,774	36,569	42,605	49,728	58,084	68,333	2,55,319
बंदरगाह (+आईएलडब्ल्यू)	44,536	18,661	25,537	35,260	49,066	69,256	1,97,781
हवाई अड्डे	36,311	7,691	10,716	15,233	21,959	32,116	87,714
तेल एवं गैस पाईपलाइन	62,534	12,211	16,604	23,833	36,440	59,845	1,48,933
भंडारण	17,921	4,480	6,444	9,599	14,716	23,202	58,441
कुल	**24,24,277**	**7,51,012**	**8,87,454**	**10,61,316**	**12,85,573**	**15,89,308**	**55,74,663**

की पहचान या बुनियादी ढांचे, निर्माण इत्यादि के लिए समयबद्ध आधार पर कार्यान्वित करने की आवश्यकता वाली कोई भी अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं, संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपेक्षित अनुमोदन और मंजूरी के लिए समय सीमा निर्धारित करना, चिह्नित परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी, परियोजनाओं के कार्यान्वयन में निर्धारित समय सीमा से परे की गई देरी की समीक्षा, मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुमोदन और मंजूरी देने/इनकार करने में अपनाई गई प्रक्रिया की समीक्षा, अनावश्यक रूप से देरी करने वाली विशिष्ट परियोजनाओं के लिए अनुमोदन/मंजूरी देने/इंकार करने पर निर्णय लेना, संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नियमों/प्रक्रियाओं के सरलीकरण सहित चिह्नित क्षेत्रों में अनुमोदन/मंजूरी देने/इंकार करने पर निर्णय में तेजी लाने के उपाय तय करना और निवेश और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अधिकारों का प्रयोग करने और कार्यों का निर्वहन करने के लिए सांविधिक प्राधिकारियों की आवश्यकता भी शामिल है। निवेश पर मंत्रिमंडलीय समिति के गठन के साथ, बुनियादी ढांचे पर मंत्रिमंडल समिति का आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल की समिति(सीसीईए) के साथ विलय कर दिया गया।

मानक दस्तावेज और प्रक्रियाएं

4.24.8. सरकार ने पीपीपी रियायतों के लिए बोली लगाने और सौंपने के मानक दस्तावेजों को तैयार करने का फैसला किया है। एक मानकीकृत ढांचे को अपनाना जोखिमों, लागतों और दायित्वों के आवंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ–साथ विवादों और दुष्त्य की संभावना को भी कम करता है।

4.24.9. विभिन्न क्षेत्रों के लिए योजना आयोग द्वारा प्रकाशित नमूना (मॉडल) रियायत करार (एमसीएएस) नीचे सूचीबद्ध हैं। केन्द्रीय तथा राज्य पीपीपी परियोजनाओं की एक बड़ी संख्या में इन दस्तावेजों का उपयोग किया जा रहा है।

पीपीपी परियोजनाओं के लिए नमूना (मॉडल) रियायत करार (एमसीए)

- राष्ट्रीय राजमार्ग
- राज्य राजमार्ग
- राजमार्गों का प्रचालन और रखरखाव
- राष्ट्रीय राजमार्ग (छः लेन)
- कंटेनर ट्रेनों का प्रचालन
- रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास
- इंजनों के खरीद – सह रखरखाव के लिए करार
- गैर–मेट्रो हवाई अड्डे
- ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे
- पोर्ट टर्मिनल
- बिजली का पारेषण
- शहरी मेट्रो रेल

विद्युत के वितरण, बिजली उत्पादन, आधुनिक भंडारण सुविधाओं, अस्पतालों, स्कूली शिक्षा, ड्रिप सिंचाई और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पीपीपी के लिए एमसीए तैयारी की प्रक्रिया में हैं।

4.24.10. पीपीपी परियोजनाओं के लिए बोली की प्रक्रिया से संबंधित मुख्य सिद्धांतों को शामिल करने वाले मानकीकृत दिशानिर्देश और मॉडल दस्तावेज भी विकसित किये गए हैं। ये नीचे संकेतित हैं:

पीपीपी परियोजनाओं के लिए मॉडल बोली दस्तावेज

- पीपीपी परियोजनाओं के योग्यता दस्तावेज (आरएफक्यू) के लिए मॉडल अनुरोध
- पीपीपी परियोजनाओं के प्रस्ताव (आरएफपी) दस्तावेज के लिए मॉडल अनुरोध
- तकनीकी परामर्षदाताओं के चयन के लिए मॉडल आरएफपी दस्तावेज
- कानूनी सलाहकारों के चयन के लिए मॉडल आरएफपी दस्तावेज
- वित्तीय परामर्शदाताओं और लेन–देन सलाहकारों के चयन के लिए मॉडल आरएफपी दस्तावेज

- पारेषण परामर्शदाताओं के चयन के लिए मॉडल आरएफपी दस्तावेज

4.24.11. सरकार की नीतियों और प्रक्रियाओं में सुधार के लिए कई क्षेत्रों की पहचान की है।ऊपर वर्णित पहलों के अनुसरण में कई दिशानिर्देश और नियमावलियां जारी की गई हैं। ये नीचे संकेतित हैं:

दिशानिर्देश और मैनुअल्स

- बुनियादी ढांचे में पीपीपी को वित्तीय सहायता के लिए दिशानिर्देश (वीजीएफ योजना)
- पीपीपी परियोजनाओं के निरूपण, मूल्यांकन और अनुमोदन पर दिशानिर्देश (पीपीपीएसी)
- बुनियादी ढांचे में संयुक्त उद्यम की स्थापना के लिए दिशानिर्देश
- पीपीपी परियोजनाओं की निगरानी के लिए दिशानिर्देश
- आईआईएफसीएल के माध्यम से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए योजना
- राजमार्गों को दो लेन का बनाने के लिए निर्दिष्टीकरण और मानक की नियमावली (मैन्युअल)
- राजमार्गों को चार लेन का बनाने के लिए निर्दिष्टीकरण और मानक की नियमावली (मैन्युअल)

इंजीनियरिंग, खरीद, निर्माण (ईपीसी) अनुबंध

4.24.12. यह मान कर कि पारंपरिक आइटम दर अनुबंधों के उच्च लागत और अधिक समय प्रवणता को ध्यान में रखते हुए, योजना आयोग ने लिए विशेष रूप से राजमार्ग क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श कर राजमार्गों के लिए एक नमूना (मॉडल) ''इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी)'' अनुबंध बनाया और प्रकाशित किया गया है। इस नमूना (मॉडल) ईपीसी अनुबंध के तहत, ठेकेदार टर्नकी आधार और एक निश्चित मूल्य पर डिजाइन और निर्माण के लिए जिम्मेदार होगा जिससे समय और लागत में कमी आएगी। मॉडल ईपीसी अनुबंध को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है और यह उम्मीद है कि इस मॉडल के तहत लगभग 20,000 किमी राष्ट्रीय राजमार्गों को 2 लेन में विकसित किया जाएगा।

विद्युत उत्पादन में निजी भागीदारी

4.24.13. प्रभाग एमपीपीए सहित नए मानक बोली दस्तावेजों (एसबीडी) के निर्माण में विद्युत मंत्रालय की सहायता कर रहा है। एमपीपीए में निहित ढांचा उन मुद्दों को हल करता है जो निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण हैं और साथ ही कर्ज के लिए सीमित वित्तपोषण संसाधन का सहारा लेता है। इन मुद्दों में जोखिमों की कमी को दूर करना, जोखिम और पुरस्कारों का आवंटन, प्रमुख पार्टियों के बीच दायित्वों की समरूपता, लागत और दायित्वों की सटीकता और अनुमेयता, लेनदेन की लागत में कमी, अप्रत्याशित घटना और समाप्ति शामिल हैं। यह उपभोक्ता संरक्षण, स्वतंत्र निगरानी और विवाद समाधान जैसे अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी करता है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए विश्वसनीय और लागत प्रभावी बिजली उपलब्ध कराने के साथ–साथ जनता के पैसे के लिए मूल्य सुरक्षित करना है।

विद्युत वितरण में निजी भागीदारी

4.24.14. बिजली क्षेत्र की लाभप्रदता गंभीर रूप से वितरण क्षेत्र के स्वास्थ्य पर निर्भर है। वितरण ऊर्जा क्षेत्र में सबसे कमजोर कड़ी है जो बड़े नुकसान के साथ वित्तीय अलाभप्रदता की ओर ले जाती है। बजटीय संसाधनों की कमी को देखते हुए, इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और परिचालन क्षमता लाने के लिए निजी निवेश की आवश्यकता है। बिजली के वितरण में, विशेष रूप से पीपीपी के माध्यम से, निजी भागीदारी को सक्षम करने के एक ढांचे के विकास के लिए, नवम्बर, 2010 में श्री बी. के.चतुर्वेदी, योजना आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

4.24.15. बिजली के वितरण के पीपीपी मॉडल में एक लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र में बिजली के वितरण से संबंधित सभी कार्य और दायित्व शामिल हैं। प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से चयनित रियायत प्राप्त कर्ता, वितरण नेटवर्क के रखरखाव, संचालन और उन्नयन तथा विनियमित उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार होगा। एटी एवं सी नुकसानों में कमी, बिजली की आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार, वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाना, ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार और खुले उपयोग के माध्यम से प्रतियोगिता की शुरूआत पीपीपी मॉडल की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। पीपीपी मॉडल सीमित सहारा वित्तपोषण और व्यवहार्यता अंतर अनुदान (वीजीएफ) सहायता देने में भी सक्षम होगा।

4.24.16. प्रभाग जम्मू और कश्मीर (जे एवं के) राज्य में रियायतों की संरचना, रियायती समझौते का मसौदा तैयार करने और बिजली के वितरण में पीपीपी प्रक्रिया के लिए बोली प्रक्रिया का आयोजन करने के लिए भी सहायता प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त असम, उत्तर प्रदेश और बिहार के राज्यों ने हानि में कमी लाने और अधिक विश्वसनीय बिजली की आपूर्ति करने के लिए वितरण में पीपीपी को आरंभ करने में रुचि दिखाई है।

हवाई अड्डों के लिए वित्त पोषण योजना

4.24.17. बारहवीं योजना अवधि के लिए हवाई अड्डे के वित्त पोषण की एक योजना की सिफारिश करने के लिए श्री बी. के. चतुर्वेदी, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक कार्य बल (टास्क फोर्स) गठित किया गया था। कार्य बल प्रभाग द्वारा सेवित था और उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इसने योजना अवधि के दौरान हवाई अड्डों के विकास के लिए 71,000 करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान लगाया है, जिसमें से 56,500 करोड़ रुपये निजी क्षेत्र से हासिल करने की अपेक्षा की गई है।

प्रमुख बंदरगाहों में प्रशुल्क के निर्धारण के लिए दिशानिर्देश

4.24.18. प्रमुख बंदरगाहों में प्रशुल्क स्थापित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए प्रभाग द्वारा प्रमुख बंदरगाहों में प्रशुल्क स्थापित करने का निर्धारण करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किया गया है। दिशानिर्देश को विचार के लिए नौवहन मंत्रालय को भेजा गया है।

ड्रिप और छिड़काव सिंचाई में पीपीपी के लिए योजना

14.24.19. प्रभाग ने, जल संसाधन मंत्रालय के परामर्श से, सिंचाई दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से ड्रिप और छिड़काव सिंचाई प्रणाली की स्थापना के लिए एक योजना तैयार की है। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा 12 वीं योजना अवधि के दौरान योजना को कार्यान्वित करने की उम्मीद है।

शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक–निजी भागीदारी

4.24.20. बारहवीं योजना में पीपीपी पद्धति के तहत 2,500 स्कूलों की स्थापना की योजना आरंभ की गई है। योजना का उद्देश्य शोषित बच्चों को सस्ती और गुणवत्ता युक्त शिक्षा तक पहुँच प्रदान करने के लिए विश्व स्तर के स्कूलों की स्थापना के सरकार के उद्देश्य को पूरा करना है। उम्मीद है कि इस योजना से 40 लाख बच्चों के लिए गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने की क्षमता का निर्माण करने में मदद मिलेगी, जिनमें से 25 लाख बच्चे शोषित वर्ग से होंगे।

4.24.21. निजी संस्था और सरकार के संबंधित अधिकारों और दायित्वों को पूर्व शर्त के साथ एक समझौते में संहिताबद्ध किया जाएगा जो सरकार द्वारा एक एकात्मक शुल्क के भुगतान पर सेवा देने पर सहमत होगा। वंचित श्रेणियों के 1,000 छात्रों को केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय विद्यालय में एक छात्र पर खर्च की जाने वाली राशि के सममूल्य पर पुनरावर्ती ट्यूशन के लिए समर्थन प्रदान किया जाएगा। पूंजी का कोई समर्थन नहीं होगा और जमीन निजी संस्था द्वारा खरीदी जाएगी। रियायत दस वर्ष की अवधि के लिए होगी। कोई वित्तीय

बोली नहीं लगाई जाएगी। निजी संस्थाओं के चयन में क्षमता के पूर्व निर्धारित मापदंड और संबंधित आवेदकों के ट्रैक रिकॉर्ड का ध्यान रखा जाएगा। योजना को आरंभ करने और पुरस्कार ब्लॉक स्तर पर स्कूलों को सौंपने के लिए योग्यता प्रक्रिया को पहले ही शुरू कर दिया गया है।

खाद्यान्नों के भंडारण में पीपीपी

4.24.22. खाद्यान्न के लिए पर्याप्त भंडारण सुविधाएं बनाने के संबंध में सरकार की चिंताओं के अनुसरण में, योजना आयोग ने खाद्य सुरक्षा प्रदान करने, देश भर में मध्यवर्ती भंडार बनाने, संग्रहित अनाज की गुणवत्ता को बनाए रखने और अपव्यय को कम करने के उद्देश्य से पीपीपी के माध्यम से आधुनिक भंडारण सुविधाओं की स्थापना की एक योजना तैयार की है। वीजीएफ योजना के तहत पीपीपी के माध्यम से 2 एमएमटी के आधुनिक भंडारण सुविधाओं की स्थापना करने के लिए योजना बनाई गई है।

4.24.23. इस योजना के अंतर्गत, पीपीपी मोड के तहत बुखारियों (साइलो) का निर्माण और संचालन किया जाएगा। लाइसेंस पर निजी संस्थाओं को बुखारियों के लिए भूमि और वीजीएफ के रूप में कुल परियोजना लागत का 20 प्रतिशत तक प्रदान किया जाएगा। रियायत प्राप्तकर्ता एक आवर्ती भंडारण शुल्क प्राप्त करने का हकदार होगा जो प्रदर्शन और रखरखाव के मानकों के अनुपालन पर देय होगा।

4.24.24 उम्मीद है कि पहले चरण में, पीपीपी मोड के तहत 2 लाख मीट्रिक टन की बुखारी (साइलो) क्षमता को बनाया जाएगा। प्रभाग द्वारा भारतीय खाद्य निगम और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के साथ परामर्श कर एमसीए तैयार किया जा रहा है और 2012–13 में भारतीय खाद्य निगम द्वारा परियोजनाओं के आबंटन को अंतिम रूप देने की उम्मीद है। इसके अलावा, मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने राज्य में दस स्थानों पर पीपीपी के माध्यम से अनाज के भंडारण के लिए इस्पात की बुखारियों को स्थापित करने का फैसला किया है। प्रभाग आरएफक्यू, आरएफपी और रियायत के समझौते सहित बोली दस्तावेजों की तैयारी में राज्य सरकार की सहायता कर रहा है। उपरोक्त के अलावा, पंजाब की राज्य सरकार भी योजना आयोग की सहायता से बुखारियां स्थापित करने के लिए उत्सुक है।

पीपीपी के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण

4.24.25. सरकार के कौशल विकास के लिए कार्यक्रमों को बढ़ाने की पहल के हिस्से के रूप में, प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से 1500 तक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) स्थापित करने की घोषणा की थी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के साथ विचार–विमर्श कर प्रभाग ने, असेवित ब्लॉकों में पीपीपी के माध्यम से में आईटीआई स्थापित करने के लिए एक योजना तैयार की है। इसका उद्देश्य है विशेष रूप से कम आय वाले परिवारों के युवाओं के लिए लाभकारी रोजगार पाने की उनकी संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के केन्द्रों का निर्माण करना। बारहवीं योजना के दौरान कुल 3,000 ब्लॉकों को शामिल करने के लिए कार्यक्रम का विस्तार किया जाएगा।

4.24.26. उम्मीद की जाती है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों से 15 लाख युवाओं सहित 30 लाख युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का काम शुरू किया जाएगा और वे इस योजना के तहत स्थापित आईटीआई के माध्यम से कौशल हासिल करेंगे। योजना के लिए ईएफसी नोट सरकार के विचाराधीन है।

पीपीपी परियोजनाओं की निगरानी

4.24.27. पीपीपी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को प्रदान करने के लिए पसंदीदा तरीका बन गया है। 432 पीपीपी परियोजनाओं को पूरा किया गया है जबकि 585 पीपीपी परियोजनाओं का कार्यान्वयन हो रहा हैं। इसलिए, सरकारी खजाने और उपयोगकर्ता के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य के लिए रियायत समझौते के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, एक अंतर–मंत्रालयी समूह (आईएमजी) द्वारा पीपीपी परियोजनाओं की निगरानी पर दिशानिर्देश तैयार किए गए थे। आइएमजी द्वारा प्रस्तावित दिशानिर्देश

पर विचार किया गया और बुनियादी ढांचे पर मंत्रिमंडल समिति (सीसीआई) ने 12 जुलाई, 2012 को आयोजित बैठक में इसे मंजूरी दे दी है। दिशानिर्देश एक संस्थागत ढांचे का सुझाव देते हैं जो यह सुनिश्चित करेगा कि रियायत प्राप्तकर्ता परियोजना के लिए रियायत के समझौते के अनुसार अपने दायित्वों को वहन कर रहा है।

4.24.28. परियोजना स्तर पर एक निगरानी इकाई की स्थापना की जायेगी, जबकि पीपीपी प्रदर्शन समीक्षा इकाई, मामले के अनुसार, मंत्रालय या राज्य सरकार के स्तर पर गठित की जाएगी। निगरानी मुख्य रूप से एक रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से की जा रही है। प्रत्येक परियोजना के निगरानी रिपोर्ट में अनुबंध की शर्तों का अनुपालन, समय सीमाओं का पालन, प्रदर्शन का मूल्यांकन, उपचारात्मक उपाय और दंड का अधिरोपण शामिल होगा। रियायत समझौते की शर्तों का अनुपालन न करने पर हर तिमाही में एक बार सीसीईए के समक्ष रखे जाने के लिए एक समेकित रिपोर्ट तैयार करने के लिए संबंधित मंत्रालयों द्वारा इसके बारे में योजना आयोग और वित्त मंत्रालय को सूचित किया जाएगा।

सार्वजनिक–निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी)

4.24.29. 2012–13 (15 जनवरी, 2013 तक) के दौरान प्रभाग ने 31,740.51 करोड़ रुपये की अनुमानित परियोजना लागत के साथ 43 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया है, जो कि नीचे सारणीबद्ध है:

तालिका–2

2012–13 में मूल्यांकित पीपीपी परियोजनाओं का क्षेत्र वार विवरण

(15 जनवरी, 2013 के अनुसार)

क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	निवेश (रुपये करोड़ में)
सड़क	31	27,684.72
नौवहन	12	4,055.79
कुल	**43**	**31,740.51**

4.24.30. केन्द्रीय सरकार की परियोजनाओं के अलावा, प्रभाग वित्तपोषण अंतराल की व्यवहार्यता (वीजीएफ) के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की परियोजनाओं का मूल्यांकन भी करता है। 2012–13 के दौरान (15 जनवरी, 2013 तक) प्रभाग द्वारा 35 राज्य परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया है जिसमें एक अनुमान के अनुसार, लगभग 19,810.71 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है। राज्यवार विवरण नीचे तालिका–3 में सारणीबद्ध हैं:

तालिका–3

2012–13 में वीजीएफ अनुदान के लिए मूल्यांकित राज्यवार पीपीपी परियोजनाएं

(15 जनवरी, 2013 के अनुसार)

क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	निवेश (रुपये करोड़ में)
आंध्र प्रदेश	2	2,663.08
कर्नाटक	5	1,287.10
मध्य प्रदेश	7	1,517.86
महाराष्ट्र	7	11,911.21
उड़ीसा	1	1,292.56
राजस्थान	12	784.25
उत्तर प्रदेश	1	354.65
कुल	**35**	**19,810.71**

4.25. राज्य योजना प्रभाग

योजना आयोग में राज्य योजना प्रभाग को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की वार्षिक योजनाओं और पांच वर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप देने में सहायता करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रभाग दिशानिर्देश जारी करने, योजनाओं का आकार तय करने के लिए उपाध्यक्ष और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों/राज्यपालों/उप–राज्यपालों के बीच बैठकों का आयोजन करने जैसी योजनाओं को बनाने से संबंधित सभी गतिविधियों का समन्वय करने के साथ–साथ राज्य/केंद्र शासित क्षेत्रों के क्षेत्रवार परिव्यय को अंतिम रूप देने के लिए कार्य समूह की बैठकों का आयोजन करता है।

प्रभाग विशिष्ट योजनाओं/परियोजनाओं के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की मंजूरी से संबंधित मामलों और तथा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं और संशोधित परिव्यय के प्रस्तावों को भी संभालता है। प्रभाग राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों के योजना परिव्यय और व्यय से संबंधित विस्तृत जानकारी का भंडार है।

वर्ष 2012–13 के दौरान, प्रभाग ने उपरोक्त कार्यों के निष्पादन के अलावा, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के वार्षिक योजना परिव्यय, संशोधित परिव्यय, व्यय और बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं आदि से संबंधित वीआईपी संदर्भ और संसदीय प्रश्नों को भी निपटाया।

वार्षिक योजना 2012–13 :

विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वार्षिक योजनाओं (2012–13) पर चर्चा के लिए वर्ष 2012–13 के दौरान राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ उप–अध्यक्ष के स्तर पर बैठकें आयोजित की गई थीं और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की योजनाओं को अनुमोदित किया गया।

2012–13 के बजट अनुमान में राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में कुल 1,29,998.00 करोड़ रुपये प्रदान किए गए थे जिसमें से 25,589.00 करोड़ सामान्य केन्द्रीय सहायता के खाते में 9,571.00 करोड़ रुपए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में, 6005.00 करोड़ रुपये विशेष योजना सहायता के रूप में, 4,577.00 रुपये अनुच्छेद 275 (1) के प्रावधान के तहत पहाड़ी क्षेत्रों, जनजातीय उपयोजना, सीमा क्षेत्र और पूर्वोत्तर परिषद के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता अनुदान के रूप में, 13,500.00 करोड़ रुपये बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में, 1261.00 करोड़ रुपये अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में और शेष 69,495.00 करोड़ रुपये पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (बीआरजीएफ), जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम), त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) आदि जैसे विशेष कार्यक्रमों के लिए थे। योजना के उद्देश्यों के अनुसार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निवेश सुनिश्चित करने के दृष्टिकोंण से, चयनित योजनाओं/ परियोजनाओं के तहत परिव्यय की निर्धारित प्रथा को जारी रखा गया था।

द्वीप विकास प्राधिकरण (आईडीए)

द्वीप विकास प्राधिकरण प्रकोष्ठ का गठन सन् 1986 में प्रधानमंत्री के अधीन द्वीप विकास प्राधिकरण तथा योजना आयोग के उप सभापति के अधीन इसकी स्थायी समिति के सचिववालय के तौर पर किया गया था। भारत के सुदूर द्वीपीय प्रदेशों की समस्याओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए तथा उनका रचनात्मक समाधान सुझाने करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण संस्था है। आईडीए अंडमान तथा निकोबार एवं लक्षदीप द्वीपों के एकीकृत विकास के लिए पर्यावरणीय सुरक्षा तथा द्वीपों की विशेष तकनीकी एवं वैज्ञानिक जरूरतों के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए योजनाओं एवं कार्यक्रमों का निर्णय लेता है। यह विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति एवं प्रभाव की भी समीक्षा करता है।

अंडमान तथा निकोबार द्वीपों एवं लक्षद्वीप जैसे केन्द्र शासित प्रदेशों से संबधित समस्याओं एवं विकास संबधी मुददों पर चर्चा करने के लिए आईडीए की चौदहवीं स्थायी समिति की सभा 17 अक्तूबर, 2012 को आयोजित की गयी। साथ ही इसमें आईडीए की दिनांक 03.05.2011 को आयोजित तेरहवीं स्थायी समिति की सभा में लिये गये निर्णयों की प्रगति की भी समीक्षा की गयी।

4.26. पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास (डोनर)

विकास योजनाओं का प्राथमिक उद्देश्य संतुलित विकास के लिए तेज, धारणीय एवं और अधिक समावेशी विकास करना रहा है जो कि मुख्यत संबधित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। कुछ राज्य/क्षेत्र अपनी पृथक भूभौतिकीय संरचना तथा स्थिति एवं संबद्ध सामाजिक–आर्थिक मुददों की वजह से पैदा होने वाली विकास संबधी समस्याओं का सामना करते हैं। इस संबध में योजना आयोग की रणनीति इस प्रकार के लाभविहिन क्षेत्रों जैसे उत्तरी पूर्वी क्षेत्र को चिन्हित करते हुए विशेष प्रावधानों सहित राज्य सरकार के प्रयासों में सहयोग प्रदान करने की रही है, जिसमें भौतिक बुनियादी ढांचे में पूंजी निवेश के लिए धन, योजना रूपरेखा/ योजनाबद्ध ढांचें में परिवर्तन, सामाजिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाना इत्यादि

शामिल हैं। क्षेत्रीय योजना तंत्र के रूप में 1972 में गठित उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) ने क्षेत्रीय प्राथमिकताओं वाली योजनाओं को लेते हुए उत्तर पूर्व क्षेत्र के संतुलित विकास का उददेश्य बनाया है। उत्तर पूर्व राज्यों को उनकी योजनाओं के लिए उदारपूर्ण शर्तों पर केन्द्रीय योजना की मदद प्रदान करने हेतु विशिष्ट श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के योजना बजट में कम से कम 10 प्रतिशत का निर्धारण इस तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है। अनिवार्य रूप से 10 प्रतिशत बजटीय आवंटन की अक्षय राशि में से 1997–98 में बनाये गये संसाधनों के गैर लैपसेबिल पूल(एनएलसीपीआर) ने बुनियादी ढांचों जैसे सड़कें तथा पुल, विद्यालय, अस्पताल, जल आपूर्ति, विद्युत पैदावार तथा संचरण इत्यादि में अन्तर को भरने में वास्तव में काफी योगदान किया है।

सितम्बर 2001 में गठित उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय (डोनर) ने सभी मंत्रालयों के सम्मिलित प्रयासों द्वारा क्षेत्र के विकास के लिए तालमेल बैठाया है। ग्यारहवीं योजना (2007–12) तथा वार्षिक योजना 2012–13 के आवंटनों के दौरान उत्तर पूर्व क्षेत्र के विकास के योजनापरक आवंटन तथा खर्च का विवरण निम्नवत दर्शाया गया है।

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	योजना	वार्षिक योजना 2011–12		कुल ग्यारहवीं योजना (2007–12)		वार्षिक योजना 2012–13
		बजट	खर्च	बजट	खर्च	बजट
1	2	3	4	5	6	8
(A)	**केन्द्रीय क्षेत्र योजना (सी एस)**					
1	विज्ञापन तथा प्रचार	7.00	7.00	34.00	28.70	7.00
2	क्षमता निर्माण तथा तकनीकी सहायता	20.00	19.82	77.00	74.58	20.00
3	एनईडीएफआई को ऋण	60.00	60.00	300.00	300.00	60.00
4	उत्तर पूर्वी राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम (एनईएसआरआईपी)–ईएपी	68.00	0.00	137.51	0.09	45.00
5	एनईआर जीविका परियोजना–ईएपी	35.00	2.64	71.50	5.89	35.00
6	एडीबी सहायता प्राप्त उत्तर पूर्वी सड़क परियोजना प्रबंधन इकाई	1.00	0.06	1.50	0.00	2.00
7	एनएलसीपीआर–केन्द्रीय	0.0	0.0	0.00	0.00	36.00
उप–कुल केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना		**191.00**	**89.52**	**621.51**	**409.26**	**205.00**
(B)	राज्य योजना के अंतर्गत योजनाएं					
1	राज्य योजना के अर्न्तगत योजनायें (एनईसी)	700.00	688.18	3248.00	3187.89	770.00
2	उत्तर पूर्वी परिषद की योजनायें (एनएलसीपीआर)	800.00	798.99	3585.00	3569.78	880.00#
3	कारबी एंगलांग (विशेष पैकेज)	.....	.....	.....	.....	
4	बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद (विशेष पैकेज)	50.00	50.00	350.00	270.00	50.00
उप–कुल राज्य क्षेत्रीय योजना		**1550.00**	**1537.17**	**7183.00**	**7027.67**	**1700.00**
कुल योग		**1741.00**	**1626.69**	**7804.51**	**7436.93**	**1905.00**

- कारबी एंगलांग पैकेज के लिए धनराशि का निर्धारण होना है जो कि प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण पर निर्भर करेगा

उत्तर पूर्व क्षेत्र के विकास की केन्द्रीय योजनाओं में विज्ञापन तथा प्रचार, क्षमता निर्माण तथा कठिन क्षेत्रों में उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एनईडीएफआई को 'आसान ऋण' उपलब्ध करवाना शामिल है। इसके अतिरिक्त, एनएलसीपीआर (केन्द्रीय) उत्तर पूर्व क्षेत्र के विकास द्वारा प्रारंभ की गयी एक नयी योजना है जो कि संबधित मंत्रालय को उन महत्वपूर्ण क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे वाली योजनाओं को लेने में मदद करती है जिसके लिए वह संसाधनों की बाध्यता का सामना कर रहा हो। एडीबी सहायता प्राप्त उत्तर पूर्वी राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम (एनई एसआरआइपी) तथा विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त जीविका योजना ऐसे दो ईएपी हैं। हालाकि, इन दोनों योजनाओं को अभी शुरू किया जाना बाकी है।

एनएलसीपीआर तथा एनईसी के अर्न्तगत आने वाले कार्यक्रम उत्तर पूर्व क्षेत्र के विकास द्वारा स्वीकृत तथा राज्य सरकारों द्वारा लागू किये जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के लिए धनराशि को राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के तौर पर वर्गीकृत किया जाता है। इसके अतिरिक्त, बीटीसी पैकेज के लिए केन्द्रीय सहायता उत्तर पूर्व क्षेत्र के विकास के बजट द्वारा ही प्रदान की जा रही है। इस विशिष्ट पैकेज के अर्न्तगत धनराशि असम सरकार के जरिये से उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय से निकालकर बीटीसी को दी गयी है।

इसके शासनादेश का अंश होने के नाते उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय लाइन मंत्रालयों के विकास कार्यक्रमों /गतिविधियों को बनाने से संबद्ध है। उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय केन्द्र तथा राज्य सरकारों के साथ समन्वय में भी शामिल है जिससे कि बुनियादी योजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन में बाधा पैदा करने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों को पहचाना जा सके। मंत्रालय लाइन मंत्रालयों द्वारा निर्धारित धनराशि के उपयोग पर भी नजर रखता है। उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय लाइन मंत्रालयों के साथ मिलकर विभिन्न चल रही योजनाओं के शीघ्र पूर्ण होने का ध्यान रखता है, जैसे पूर्व पश्चिम कोरिडोर (670 किमी आसाम में), पहचान किये गये जिलों को साथ जोड़ने वाला ट्रान्स अरूणाचल मुख्यमार्ग, ब्राड गेज (लाइन रूपान्तरण) गुवाहाटी–डिबरूगढ़–तिनसुकिया को जोड़ता हुआ, रगियां–मुरकोनसेलेक पुल (रेल तथा सड़क) बोगीबील पर ब्रह्मपुत्र के पार, न्यू मोयनागुरी से जोगीघोपा तक का बीजी रास्ता, गुवाहाटी, डिबरूगढ, सिलचर, अगरतला, शिलांग, इम्फाल, दीमापुर हवाई अडडों का उन्नयन, तथा ब्रह्मपुत्र एवं बराक राष्ट्रीय जलमार्ग में आई डब्ल्यू टी का विकास।

4.27. अनुसंधान प्रभाग

अनुसंधान के लिए सहायता अनुदान

4.27.1 अनुसंधान प्रभाग योजना कार्यप्रणाली में अध्ययनों एवं खोजों को सहयोग देने के लिए अनुसंधान की स्कीम पर कार्य करता है, साथ ही विश्वविद्यालयों /अन्वेषण संस्थानों को खोज अध्ययन कराने तथा सेमिनार एवं गोष्ठी कराने के लिए जो कि योजना आयोग के कार्यक्रमों तथा नीतियों के लिए उपयोगी हो, सहायता अनुदान प्रदान करता है।

4.27.2 साल 2011–12 के दौरान रू. 206.26 लाख तक की सहायता अनुदान जारी की गयी जिसमें रू. 124.71 लाख अध्ययन हेतु तथा रू. 81.55 लाख सेमिनारों/कार्यशालाओं के लिए थे। साल 2012–13 के लिए आरई रू. 210.00 लाख थी।

4.27.3 31 अध्ययन तथा 16 सेमिनारों के लिए सहायता अनुदान का प्रस्ताव वर्ष 2011–12 के दौरान स्वीकृत किया गया। 10 चल रहे अध्ययनों के संदर्भ में अन्तिम रिपोर्ट वर्ष 2011–12 के दौरान प्राप्त की गयी। इनको संलग्नक–4.24.1 में सूचीबद्ध किया गया है।

4.27.4 साल 2012–13* के दौरान रू. 151.24 लाख तक की सहायता अनुदान जारी की गयी जिसमें रू. 72.99 लाख अध्ययन हेतु तथा रू. 64.89 लाख सेमिनारों/कार्यशालाओं के लिए थे।

सहायता अनुदान (2012–13)	स्वीकृत (बीई)	जारी (लाख रुपये में)
कुल	210.00	151.24
अध्ययन		73.00
सेमिनार		78.24

* 31 दिसम्बर, 2012 तक

संलग्नक–4.24.1

योजना आयोग की अनुसंधान स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2011–12 के दौरान निम्न अध्ययन पूर्ण किए गए हैं:–

क्र. सं.	अध्ययन का शीर्षक	संस्थान / शोधकर्ता
1.	पिछले तीन दशकों में तमिलनाडु की नदी घाटियों में कृषि का निष्पादन	तमिलनाडु **संस्थान / शोधकर्ता** कृषि विश्वविद्यालय, कोयंबटूर
2.	भारत में स्वास्थ्य बीमा	भारतीय जन स्वास्थ्य फाउंडेशन (पीएचएफआई), पीएचडी भवन, द्वितीय तल, 4 / 2 श्री संस्थान क्षेत्र, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली– 110016
3.	कृषि एवं संबद्ध कार्यक्रमों के माध्यम से उद्यमिता विकास।	भारत का चकाला समुदाय संघ (कम्युनिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया), केरल
4.	जैविक खेती का प्रभाव मूल्यांकन एवं कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में उत्पादकता वृद्धि में इसका योगदान।	नेचुरल रिसोर्सेस इंडिया फाउंडेशन, ई –301, सतीसर अपार्टमेंट, प्लॉट 6, सेक्टर–7, द्वारिका, नई दिल्ली–75
5.	स्ट्रीम टैंक कुंओं के एकीकरण का सामाजिक आर्थिक लाभ जिसमें किसानों की भागीदारी शामिल है।	भारत एकीकृत सामाजिक कल्याण एजेंसी, दानापाली, बुधराजा संबलपुर– 768 004 (ओडिसा)
6.	दिल्ली के स्लम क्षेत्रों का सामाजिक–आर्थिक विश्लेषण एवं पुनर्वास की वैकल्पिक रणनीतियां	वैश्विक शोध केंद्र, (सीजी रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड), सी –207, निर्माण विहार, दिल्ली– 110092
7.	क्लस्टर विश्लेषण का उपयोग करते हुए गरीबी मानचित्रण	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हौज खास, दिल्ली– 110016
8.	भारत में गैर–सरकारी विकास क्षेत्रः ढांचा, लिंकेज, एवं अवसर	लघु उद्यम एवं विकास संस्थान, आईएसईडी भवन, आईएसईडी मार्ग, वन्नाला, कोचीन– 682 028.
9.	मध्य प्रदेश के उच्चतम एवं निम्नतम बालिका लिंगानुपात वाले दो जिलों में कन्या भ्रूण हत्या का मुद्दा, पीसी पीएनटीडी अधिनियम, 1994 एवं 2002 संशोधन के संदर्भ के साथ	संस्थान एकीकरण और विकास कार्य समिति, जबलपुर
10.	ग्रामीण राजस्थान, छत्तीसगढ़ गुजरात और मध्य प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों पर कल्याण कार्यक्रम के प्रभाव का अध्ययन।	सोनाली पब्लिक शिक्षा समिति, गुरूद्वारा रोड, पंजाबी मौहल्ला, गुना–473001(मध्य प्रदेश)

4.27.5 वर्ष 2012–13 के लिए 1 अध्ययन (स्कीम के अंतर्गत "प्राथमिकता अध्ययन" के रूप में स्वीकृत किया गया है) और 32 सेमीनार के लिए अनुदान सहायता के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। ये संलग्नक–4.24.2 और संलग्नक 4.24.3 में सूचीबद्ध हैं।

संलग्नक–4.24.2

वर्ष 2012–13* के दौरान निम्न अध्ययन स्वीकृत किए जा चुके हैं:

क्रम सं.	अध्ययन का शीर्षक	संस्थान / शोधकर्ता
(1)	(2)	(3)
1.	आर.पी. 'हरियाणा में मेवात क्षेत्र के पिछड़ेपन की पहचन करना : ए ब्लाक स्तरीय विश्लेषण	एस.एम. सहगल फाउंडेशन, हरियाणा

* 31 दिसंबर, 2012 तक

संलग्नक–4.24.3

वर्ष 2012–13* के दौरान निम्न सेमीनार स्वीकृत किए गए हैं:

क्र. सं.	सेमीनार का शीर्षक	संस्थान का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत महिलाओं के समावेषित विकास की दिशा में सरकारी सहयोग और बारहवीं पंचवर्षीय योजना से पहले चुनौतियों का आकलन करना	इलाश्री सेवा संस्थान, मधुबनी, बिहार
2.	ढांचागत वित्त के मोर्चों पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन	भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, खड़गपुर
3.	इंडियन सोसायटी ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स का 53वां वार्षिक सम्मेलन	इंडियन सोसायटी ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स
4.	इकोटॉक्सिकोलॉजी एवं पर्यावरण विज्ञान पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीईईएस 2011)"	इकोटॉक्सिकोलॉजी एवं पर्यावरण विज्ञान संस्थान, कोलकाता
5.	पश्चिम बंगाल में पंचायती राज की अधिकारिता प्राप्त आदिवासी महिला सदस्यों की भूमिका एवं जिमेदारी	ट्यूटपारा सोसायटी फॉर रूरल डेवलपमेंट, 24 परगना (एन), पश्चिम बंगाल
6.	अविष्कार एवं प्रौद्योगिकी (आईसीआईटीटी)–2012)	इंडियन एसोसिएशन फॉर प्रोडेक्टीविटी, कोलकाता
7.	झारखंड के आदिवासी इलाकों में आजीविका प्रोत्साहन के लिए प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग एवं मूल्य वर्धन	ग्रामीण विकास केंद्र, बिहार
8.	"वैश्वीकरण पैराडॉक्सः वैश्विक बाजार, राज्य और लोकतंत्र का अस्थित क्यों नहीं हो सकता" पर भरतराम स्मृति सेमिनार	श्रीराम औद्योगिक संबंध एवं मानव संसाधन केंद्र, नई दिल्ली
9.	कृषि विपणन पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन	इंडियन सोसयटी ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, नागपुर
10.	महिला अधिकारिता के लिए प्रौद्योगिकी–मुद्दें एवं चुनौतियां	कोचीन विज्ञान एंवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यलय, केरल
11.	जैविक खेती ओर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों मे उत्पादकता बढ़ान में इसका योगदान	सद्भावना, असम
12.	जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभाव को कम करने के लिए अनुभव साझे करने का भागीदारी दृष्टिकोण	राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सतत विकास एवं जन नेतृत्व परिषद् (एनसीसीएसडी), अहमदाबाद, गुजरात स्थायी विकास एवं जन नेतृत्व
13.	इनपुट–आउटपुट रिसर्च एसोसिएशन (आईओआरए), भारत का 16वां अंर्तराष्ट्रीय सम्मेलन	गोखले राजनीति एवं अर्थशास्त्र संस्थान, पुणे
14.	"माल एवं सेवा की आपूर्ति पर कराधानः 'राज्य' नीति, शासन और कल्याण से सबंधित मुद्दों" पर सेमिनार	भारत विश्वविद्यालय का राष्ट्रीय विधि विद्यालय, बंगलौर

क्र. सं.	सेमीनार का शीर्षक	संस्थान का नाम
(1)	(2)	(3)
15.	"जन अंतरराष्ट्रीय कानून में उभरती चिंताएं" पर 23–25 फरवरी, नई दिल्ली में हुआ आठवां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन	इंडियन सोसायटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ, नई दिल्ली –110001
16.	"भारत में शिक्षा सुधार में शिक्षा अधिनियमों/विधान का भूमिका" पर 25 और 26 फरवरी, 2012 को टाउन हॉल, मधुबनी में सेमिनार"	समाधान, कामेश्वरी निवास, विनोदानंद झा कालोनी, मधुबनी–(बिहार)
17.	उड़ीसा में व्यष्टि, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए संभावनाएं एवं चुनौतियों पर 22 एवं 23 मार्च, 2012 को भुवनेश्वर में होने वाला सेमीनार	सोसायटी फॉर एग्रीकल्चर, हैल्थ, अवेयरनैस एंड रूरल डेवलपमेंट (सहारा), भुवनेश्वर –751001 (उड़ीसा)
18.	महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ हिंसाः 'उभरता स्वरूप, मुद्दे एवं आगे के रास्ते पर" 22 एवं 23 अप्रैल, 2012 को तुमकुर (कर्नाटक) में होने वाली राष्ट्रीय सेमिनार	श्री वीरभद्र स्वामी शिक्षा सोसायटी, तुमकुर–572102, कर्नाटक
19.	"पश्चिम बंगाल में क्षमता निर्माण के माध्यम से पंचायती राज संस्थान के सदस्यों की अधिकारिता पर 22 मार्च, 2012 को कोलकाता में होने वाला सेमिनार	डनलप वुमन एसोसिएशन फॉर सोशल एक्शन, कोलकाता – 700108
20.	"प्राथमिक शिक्षा प्रबंधन एवं भारत में सिस्टम में सुधार" पर अप्रैल, 2012 को सीडीएस परिसर में होने वाली सेमिनार	सिटीजनशिप डेवलपमेंट सोसायटी, दिल्ली –110091
21.	"भारत के पूर्वी क्षेत्र में संसाधन संरक्षण के माध्यम से आजीविका एवं पर्यावरणीय सुरक्षा (एलईएसआरसी–2012)" पर 5–7 अप्रैल, 2012 को भुवनेश्वर में होने वाला राष्ट्रीय सम्मेलन	भारतीय मृदा एवं जल संरक्षणविद संघ (आईएएसडब्लूसी), केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण शोध प्रशिक्षण संस्थान, शोध केंद्र, सुनावेदा –763002, कोरापुट, उड़ीसा
22.	कृषि में महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन	कृषि में लिंग पर अनुसंधान संघ (आरएजीए)
23.	"गुजरात के विकासगाथा को समझना" पर 7–8 मई, 2012 को अहमदाबाद में होने वाला सेमिनार	सेंटर फॉर डेवलपमेंट अल्टेरनेटिव्ज, अहमदाबाद
24.	प्रोफेसर डी.टी. लाकडावाला स्मृति व्याख्यान 2012–श्रृंखला में बारहवां	समाज विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
25.	उड्डयन एवं अंतरिक्ष अनुप्रयोगों में उभरती प्रवृत्तियां : कानूनी, सुरक्षा, एवं नीतिगत मुद्दें पर 25 से 29 अप्रैल, 2012 को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में होने वाली तीसरी कार्यशाला एवं अंर्तराष्ट्रीय सम्मेलन	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, सेक्टर–14, द्वारिका, नई दिल्ली – 110 078
26.	इंजीनियरिंग में बेहतर रोजगार–योग्यता के लिए इंजीनियरिंग शिक्षा में सुधार पर मई/ जून, 2012 में गोलमेज	भारत की इंजीनियरिंग परिषद्

क्र. सं.	सेमीनार का शीर्षक	संस्थान का नाम
(1)	(2)	(3)
27.	"पर्यावरणीय प्रभाव आकलन; मुद्दें, चुनौतियां एवं भारत में नीतिगत निहितार्थ" पर 9 से 10 जून, 2012 के दौरान भुवनेश्वर में होने वाली राष्ट्रीय कार्यशाला	आईआईटी भुवनेश्वर
28.	"कृषि में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण जैव–प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप के प्रोत्साहन एवं सार्वजनिकीकरण" पर 15.07.2012 से 16.07.2012 को होने वाली दो दिवसीय सेमिनार	ग्रामीण विकास केंद्र, बिहार शरीफ, नालंदा–803101
29.	"ग्रामीण आजीविका सुधारने के लिए ई–शासन के अनुप्रयोग एवं अभ्यास" पर 24/6/ 2012 को होने वाली क्षेत्रीय कार्यशाला/सेमिनार	केरल शैक्षणिक विकास एवं रोजगार सोसायटी (केईडीईएस)
30.	जलवायु के अनुरूप कृषि के लिए जिला स्तर पर व्यष्टि स्तरीय कार्ययोजना पर 29–30 जून, 2012 को होने वाली राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला	जलवायु परिवर्तन सतत् विकास एवं जन नेतृत्व के लिए राष्ट्रीय परिषद् (एमसीसीएसडी)
31.	"विकास हानि एवं नक्सल आंदोलन के भौगोलिक परिप्रेक्ष्य" पर राष्ट्रीय सेमिनार	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी
32.	इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के 94वें वार्षिक सम्मेलन के लिए प्रकाशन अनुदान	इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन, पटना, बिहार

* 31 दिसंबर, 2012 तक

4.27.6 वर्ष 2012–13* के दौरान, 7 शोध अध्ययन पूर्ण किए गए। ये *संलग्नक–4.24.4* पर सूचीबद्ध हैं।

4.27.7 शोध एवं आयोजना विकास में व्यापर रूप से प्रयोग किए जाने के लिए अब तक कुल 203 अध्याय रिपोर्ट्स योजना आयोग की वेबसाइट पर डाले जा चुके हैं।

संलग्नक–4.24.4

* वर्ष 2012–13 के दौरान निम्न अध्ययन पूर्ण किए जा चुके हैं:

क्र. सं.	अध्ययन का शीर्षक	संस्थान/ शोधकर्ता
1.	हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में खाद्य, पोषण एवं आजीविका सुरक्षा के लिए सतत उत्पादन प्रणाली	सीएसके एच.पी. कृषि विश्वविद्यालय (कृषि अर्थशास्त्र विभाग), विस्तार शिक्षा एवं ग्रामीण समाजशास्त्र, पालमपुर – 176 062 (एच.पी)
2.	पर्यावरणीय नीतियों एव कार्यक्रमों के राज्यों द्वारा क्रियान्वयन के सफल मॉडल	प्रेस्टेल्स, , 112, पारस चैम्बर्स, लक्ष्मी नारायण सिनेमा के पास, पार्वती मार्ग, पुणे –411 009
3.	विशेष श्रेणी के राज्यों (उत्तराखंड, एचपी, एवं जे एण्ड के) के पैकेज के प्रभाव का मूल्यांकन	स्टेलर सोसायटी, (त्रिवेणी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस), सिरमौर (एच.पी.)

क्र. सं.	अध्ययन का शीर्षक	संस्थान / शोधकर्ता
4.	हथकरघा उद्योग नीति एवं स्कीम के लिए क्षेत्रवार लक्ष्य विशेष सिफारिशों के लिए भारत भर में कथकरघा विभिन्नता के आकलन के लिए बुनाई क्लस्टर।	क्राफ्ट पुनरुद्धार ट्रस्ट, एस–4, खिड़की विस्तार, नई दिल्ली –110017
5.	भारत में कृषि व्यापार का उभरता परिदृश्य।	प्रेसीडेंसी यूनीवर्सिटी, 86/1, कालेज स्ट्रीट, कोलकाता –700 073
6.	पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं बिहार में आदिवासी/ लोक कला एवं संस्कृति।	ग्रामीण विकास सेवा संस्थान, जिला 24 परगना, पश्चिम बंगाल
7.	कुशल रोजगार सृजन एवं लघु एवं व्यष्टि–उद्यम विकास के लिए नीति विकल्पः आरईजीपी क्रियान्वयन एवं पूर्वी भारत में पीएमईजीपी लागू करने का आकलन	डी.जे. शोध एवं परामर्श प्राइवेट लिमिटेड, एन–1/69, आईआरसी गांव, नायापल्ली, भुवनेश्वर – 751015 (उड़ीसा)

* 31 दिसंबर, 2012 तक

4.27.8 योजना आयोग अध्ययन रिपोर्ट हार्ड कॉपी के साथ ही सीडी/लॉपी पर प्राप्त करता है। आसान पहुंच के लिए एवं बेहतर उपयोग एवं दृष्टिकोण के आदान–प्रदान के लिए ये रिपोर्ट्स योजना आयोग की वेबसाइट पर डाली जाती है। इनकी प्रतियां केंद्र एवं राज्यों में संबंधित विभागों/मंत्रालयों और योजना आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों को भी प्रसारित की जाती हैं। योजना आयोग की संबंधित डिवीजन बिंदुवार तरीके से अध्ययन रिपोर्ट पर काम करते हैं।

4.27.9 रिपोर्ट के वर्ष के दौरान, डिवीजन का नाम तारीख 28.01.2013 को जारी कार्यालय आदेश संख्या ए–22/01/2003–ओएम एवं सी (प) के आधार पर बदलकर शोध डिवीजन कर दिया गया।

4.27.10 वर्ष के दौरान डिवीजन ने पिछले 10 वर्षों के दौरान प्राप्त शोध अध्ययनों की एक सूची संकलित की है।

4.27.11 डिवीजन कई आरटीआई प्रश्नों, संसदीय प्रश्नों एवं वीआईपी संदर्भों को देखती है।

4.28. परिवहन प्रभाग

सामान्य कार्य

- कुशल, टिकाऊ, पर्यावरण के अनुकूल एवं क्षेत्रीय रूप से संतुलित परिवहन प्रणाली को ध्यान में रखते हुए परिवहन क्षेत्र के लिए एकीकृत दृष्टिकोण उपलब्ध कराना। इस संबंध में योजना आयोग (परिवहन डिवीजन) द्वारा राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति समिति गठित की गई है।
- 12वीं पंचवर्षीय योजना के सूत्रीकरण के लिए तैयारी से संबंधित सभी प्रयास करने एवं परिवहन क्षेत्र के लिए योजना के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार।
- नियामक मुद्दें देखना जैसे रेलवे में टैरिफ नियामक प्राधिकरण का गठन करना, टीएएमपी दिशा–निर्देशों का युक्तिकरण, डीजीसीए में नीतिगत सुधार, आदि।
- जहाजरानी उद्योग में कर विसंगतियों, एटीएफ के मूल्यनिर्धारण आदि परिवहन क्षेत्र में अनुकूल स्थितियों को प्रभावित करने वाले मुद्दों का परीक्षण करना।

क्षेत्रक विशिष्ट कार्य

रेलवे

- डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर (डीएफसी) का क्रियान्वयन, रोलिंग स्टॉक का निर्माण करना, कंटेनरीकरण की प्रगति, इंटर–मॉडल हब्स की स्थापना आदि।
- उच्च गति रेल, विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन, लॉजिस्टिक पार्क, लॉग हॉल ट्रेन आदि में निवेश से संबंधित मामले।
- व्यापार लाईन पर भारतीय रेलवे के पुनर्संगठन, लेखाकरण सुधार, एपीवी का गठन आदि।
- रेलवे राष्ट्रीय परियोजनाएं एवं रणनीतिक महत्व की परियोजनाएं।
- पीपीपी सहित वित्त के वैकल्पिक माध्यमों, रेलवे में रोलिंग स्टॉक एवं कनेक्टीविटी में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन देना।
- दोहरी लाईन, नई लाईन, आमान परिवर्तन एवं विद्युतीकरण जैसे क्षमता विस्तार से संबंधित रेलवे परियोजनाएं।

सडकें

- पीएमजीएसवाई–1 का क्रियान्वयन एवं पीएमजीएसवाई–2 से संबंधित नीतिगत मुद्दें
- एसएआरडीपी–एनई का क्रियान्वयन एवं एलडब्लूई जिलों में रोड कनेक्टीविटी।
- 50 छोटे समुद्री बंदरगाहों, 24 हवाई अड्डों के लिए रोड कनेक्टीविटी का विकास, जे एंड के राज्य में रणनीतिक सड़कों आदि।
- एनएचडीपी एवं गैर–एनएचडीपी परियोजनाएं
- एनएच नेटवर्क का विस्तार
- एसआरटीयू की बैंचमार्किंग एवं प्रदर्शन सहित सार्वजनिक परिवहन के प्रोत्साहन के लिए नीति एवं बेहतर नीतिगत प्रचलनों का निर्देशन
- सड़क सुरक्षा एवं सड़क द्वारा सहज माल परिवहन का प्रोत्साहन

बंदरगाह एवं जहाजरानी

- तट–व्यापार नीति एवं भारतीय जहाजरानी के प्रोत्साहन के लिए नीति
- टीएएमपी द्वारा बदंरगाह नियमन एवं टैरिफ निर्धारण
- बंदरगाहों का मसौदा बढ़ाने के लिए पूंजी निष्कर्षण
- बंदरगाह ट्रस्टों द्वारा निर्णय लेने के लिए अधिक लोचनीयता की ओर बढ़ना
- भारतीय जहाजरानी के प्रोत्साहन के लिए नीति
- अंतर्देशीय जलमार्ग एवं तटीय जहाजरानी के प्रोत्साहन के लिए नीति
- भारत में हब–बंदरगाहों का विकास

नागरिक उड्डयन

- उड्डयन क्षेत्र में एफडीआई से संबंधित नीति मामले।
- टीयर–II और टीयर–III शहरों में हवाई अड्डों का विकास।
- भारतीय उद्योग द्वारा नागरिक विमान के निर्माण से संबंधित नीति।
- दुर्गम क्षेत्रों के लिए सेवाओं में सुधार के लिए मार्ग प्रसार दिशा–निर्देशों पर संशोधित नीति।
- विमान मालभाड़ा एवं लॉजिस्टिक्स को प्रोत्साहन।

निर्माण क्षेत्रक

- 12वीं योजना निर्माण अध्याय का सूत्रीकरण

- 12वीं योजना में पहचाने गए निर्माण क्षेत्र में बाधाओं को आसान करने में सहायता
- भारत–जापान निर्माण मंच एवं निर्माण क्षेत्र के प्रोत्साहन के लिए इस तरह के अन्य द्विपक्षीय मंचों का आयोजन

कार्य के अन्य आइटम

- चार मंत्रालयों (पीएमजीएसवाई के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को छोड़कर) अर्थात रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालय की वार्षिक योजना को अंतिम रूप देना एवं जीबीएस आवंटन
- ऊपर उल्लेखित मंत्रालयों के लिए भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना और इन लक्ष्यों की तिमाही रूप से निगरानी करना।
- ऊपर दिए गए मंत्रालयों से संबंधित ईएफसी/एसएफसी प्रस्ताव
- ऊपर दिए गए मंत्रालयों (जिनमें निजी निवेश शामिल हैं, उनके अलावा) से संबंधित कैबिनेट नोट्स
- एसीए के लिए प्रस्तावों के परीक्षण सहित परिवहन क्षेत्र में राज्य विशेष मुद्दों से संबंधित सभी मामले।
- अंर्तराष्ट्रीय परिवहन मंच से संबंधित सभी मामले।
- निर्माण क्षेत्र से संबंधित सभी मामले (श्री अरुण मायरा, सदस्य को रिपोर्ट)

परिवहन प्रभाग द्वारा वर्ष के दौरान किए गए प्रमुख कार्य निम्न प्रकार हैं:

12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए परिवहन अध्याय को अंतिम रूप

12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए परिवहन अध्याय का प्रारूपण डिवीजन द्वारा किया गया। यह योजना आयोग द्वारा बनाए गए कार्य समूह के माध्यम से संबंधित मंत्रालयों से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित था। यह 11वीं योजना अवधि के दौरान क्षेत्र की समीक्षा और प्रत्येक परिवहन क्षेत्र के लिए विशेष कार्य बिंदुओं के साथ भविष्य में स्थायी परिवहन के प्रोत्साहन की रणनीति उपलब्ध कराता है। परिवहन डिवीजन ने इंडिया 2013–वार्षिक संदर्भ के लिए परिवहन क्षेत्र पर अध्याय का भी योगदान किया है।

परिवहन क्षेत्रक में निवेश प्रस्तावों का परीक्षण एवं संबंधित मंत्रालयों की बैठकों में भागीदारी

केंद्रीय मंत्रालयों के वार्षिक योजना 2012–13 प्रस्तावों को चर्चा की गई और गहराई से परीक्षण के बाद सिफारिशें की गईं।

रेल, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, जहाजरानी और नागरिक उड्डयन के केंद्रीय मंत्रालयों से प्राप्त निवेश प्रस्ताव पर व्यय वित्त समिति (ईएफसी), सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी), एवं रेलवे के विस्तारित बोर्ड (ईबीआर) द्वारा विचार किए जाने से पूर्व परियोजना मूल्यांकन एवं प्रबंधन डिवीजन के सहयोग से इनका परीक्षण किया गया।

परिवहन डिवीजन में दिसंबर, 2012 तक परीक्षण किए गए ईएफसी, एसएफसी, एवं पीआईबी नोट्स की संख्या (क्षेत्र वार) निम्न प्रकार है:

	ईएफसी नोट्स	एसएफसी नोट्स	पीआईबी नोट्स
सड़क	10	1	5
नागरिक उड्डयन	3	4	–
रेल	–	–	–
जहाजरानी	2	2	–
कुल	**15**	**7**	**5**

प्रभाग के अधिकारी केंद्रीय सड़कों, ग्रामीण सड़कों, बंदरगाहों एवं जहाजरानी, नागरिक उड्डयन, सड़क परिवहन, एसएआरडीपी–एनई पर उच्चाधिकार समिति

आदि पर विभिन्न समितियों/समूहों की बैठकों में शामिल हुए।

राष्ट्रीय राजमार्ग घोषणापत्र पर अंतर–मंत्रालयी समिति में सलाहकार (परिवहन) योजना आयोग का प्रतिनिधित्व करता है। समिति की अध्यक्षता सचिव–सड़क परिवहन मंत्रालय एवं राजमार्ग (एमओआरटीएच) द्वारा की जाती है और यह राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किए जाने के लिए सड़कों की पहचान के तार्किक मापदंड तैयार करती है। वर्ष के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की कई बोर्ड बैठकें हुईं। एजेंडा आइटम, जिसमें ठेके देने के लिए एनएचडीपी के विभिन्न खंडों के लिए विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट शामिल हैं, परीक्षण के लिए प्राप्त किए गए और एनएचएआई की बैठकों में निर्णय लेने के लिए सूचनाओं के रूप में टिप्पणियां दी गईं।

परिवहन क्षेत्रक में नीति से संबंधित मुद्दों का परीक्षण

कई महत्वपूर्ण नीति मुद्दे अंतर–मंत्रालयी परामर्श के हिस्से के रूप में योजना आयोग को संदर्भित किए गए। कई कैबिनेट नोट्स का परीक्षण किया गया जिसकी संख्या दिसंबर, 2012 तक निम्न प्रकार थी:

क्षेत्र	कैबिनेट नोट्स
सड़कें	7
नागरिक उड्डयन	12
रेल	13
जहाजरानी	11
कुल	**43**

योजना आयोग उच्च गति रेलवे एवं मुंबई में एलीवेटेड सब अर्बन कॉरीडोर पर परियोजना संचालन समूह का सदस्य है।

तिमाही निष्पादन समीक्षा:

परिवहन क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न योजना स्कीम की प्रगति की निगरानी के लिए तिमाही प्रदर्शन समीक्षा (क्यूपीआर) बैठकें हुईं।

ये बैठकें प्रत्येक परिवहन क्षेत्र अर्थात सड़क, रेल, बंदरगाहों एवं नागरिक उड्डयन पर की गईं। इन बैठकों में अत्यंत उपयोगी चिंताओं के क्षेत्र की पहचान करने और उपचारात्मक कार्रवाई करने में बेहद उपयोगी रहीं, ताकि लक्ष्य हासिल किया जा सके।

राज्य एवं राज्य सड़क परिवहन उपक्रम

वार्षिक योजना 2012–13 में राज्य सरकारों/केंद्र शासित क्षेत्र के सबंध में किए गए प्रस्तावों पर चर्चा की गई और गहराई से परीक्षण के बाद सिफारिशें की गईं।

अतिरिक्त केंद्रीय सहायता, विशेष योजना सहायता, विशेष केंद्रीय सहायता आदि के लिए राज्य योजना बोर्ड से प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों का परीक्षण किया।

वार्षिक योजना 2012–13 के लिए कुछ राज्यों के लिए बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं पर चर्चा की और गहराई से परीक्षण के बाद सिफारिशें की गई।

राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति समिति (एनटीडीपीसी)

परिवहन डिवीजन से अधिकारियों ने राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति समिति (एनटीडीपीसी) के विचार–विमर्श में भागीदारी की।

डिवीजन ने 12वीं योजना को तैयार करने में अंतिम अंतरिम रिपोर्ट और समिति द्वारा तैयार की गई कार्य समूहों की रिपोर्ट का भी प्रयोग किया।

अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम

सलाहकार (परिवहन) ने मई, 2012 को लीपझिंग में हुई अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वह क्षेत्रीय कनेक्टीविटी पर पैनल डिस्कशन में आमंत्रित सभापति थे।

निर्माण क्षेत्रक

12वीं योजना में निर्माण पर योजना अध्याय का प्रारूपण डिवीजन द्वारा किया गया। यह अध्याय कई नीति कार्रवाइयों की पहचान करता है जो 12वीं योजना के

दौरान इस क्षेत्र के प्रोत्साहन के लिए की जाने की आवश्यकता होगी। परिवहन डिवीजन, निर्माण उद्योग विकास परिषद् के साथ भागीदारी में कई गतिविधियों में शामिल हुई, जैसे 12वीं योजना पर अंर्तराष्ट्रीय सम्मेलन, नई दिल्ली में 31.10.2012 को हुए दूसरा भारत–जापान निर्माण फोरम में और विश्वकर्मा पुरस्कार समारोह में।

4.29 पर्यटन प्रकोष्ठ

पर्यटन प्रकोष्ठ प्रमुख रूप से पर्यटन क्षेत्र की आयोजना, प्रोत्साहन और विकास की प्रक्रिया मे शामिल है जिससे देश में पर्यटन का संतुलित एवं टिकाऊ विकास सुनिश्चित हो सके। यह पर्यटन क्षेत्र को देश की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए इससे संबंधित नीतियों के सूत्रीकरण/क्रियान्वयन से भी संबंधित रहा है। वर्ष 2012–13 के दौरान की गई महत्वपूर्ण गतिविधियां नीचे इंगित की गई हैं:

- देश में पर्यटन क्षेत्र की संपूर्ण योजना बनाना।
- पर्यटन क्षेत्र के लिए वार्षिक योजना परिव्यय तैयार करना।
- बड़ी पर्यटन परियोजनाओं /स्कीम की प्रगति की समीक्षा।

पर्यटन प्रकोष्ठ द्वारा वर्ष के दौरान की गई प्रमुख गतिविधियां निम्न प्रकार हैं:

- पर्यटन मंत्रालाय के वार्षिक योजना 2012–13 प्रस्तावों पर चर्चा की और गहराई से परीक्षण के बाद सिफारिशें की गईं।
- वार्षिक योजना 2012–13 के लिए विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों से संबंधित पर्यटन क्षेत्र के लिए कार्य समूह डिस्कशन की सिफारिशों पर चर्चा की और परिव्यय को अंतिम रूप दिया।
- 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के लिए पर्यटन क्षेत्र के अध्याय को तैयार किया।
- 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के लिए पर्यटन मंत्रालय के स्कीम–वार योजना परिव्यय को अंतिम रूप दिया गया।
- राज्य योजना डिवीजन से प्राप्त विभिन्न अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के प्रस्तावों और की गई मूल टिप्पणियों/दृष्टिकोण का परीक्षण किया गया।
- राज्य योजना डिवीजन से प्राप्त विभिन्न विशेष योजना सहायता प्रस्तावों एवं की गई मूल टिप्पणियों/ दृष्टिकोण का परीक्षण किया गया।
- पर्यटन मंत्रालय से प्राप्त निवेश प्रस्तावों पर स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) द्वारा विचार–विमर्श किए जाने से पहले परियोजना मूल्यांकन एवं प्रबंधन डिवीजन के सहयोग से इसका परीक्षण किया गया।
- प्रधानमंत्री के कार्यालय/वीआईपी से प्राप्त प्रस्तावों एवं की गई उपयुक्त टिप्पणियों/ दृष्टिकोण का परीक्षण किया गया।

4.30 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

यूआईडीएआई का गठन और इसका अधिदेश

4.30.1. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) का गठन अधिसूचना संख्या ए–43011/02/2009–एडमिन I तारीख 28 जनवरी, 2009 के माध्यम से देश के प्रत्येक निवासी को विशिष्ट पहचान संख्या जारी करने के शासनादेश के साथ योजना आयोग के संबद्ध कार्यालय के रूप में किया गया था। विशिष्ट पहचान संख्या एक 12 अंकीय यादृच्छिक संख्या है। यह एकल सार्वभौमिक संख्या है। यह अनिवार्य, सशर्त एवं वैकल्पिक जनांकिकी आंकड़ों का सेट है जैसे नाम, जन्मतिथि, लिंग, और माता–पिता का नाम, रिहायशी पते के साथ ही

बायोमीट्रिक विशेषताओं जैसे फोटोग्राफ, सभी दस अंगुलियों के फिंगर–प्रिंट और परितारिका छवियां मिलाकर एक निवासी की पहचान स्थापित करने और पुष्ट करने की उम्मीद की जाती है।

4.30.2. यूआईडीएआई की भूमिका और जिम्मेदारियां 28 जनवरी, 2009 की अधिसूचना के रूप में परिभाषित हैं, जिसमें वह विशिष्ट पहचान (यूआईडी) स्कीम के क्रियान्वयन के लिए योजना एवं नीतियां तैयार करना, यूआईडी डेटाबेस रखना एवं आपरेट करना और इसके अपडेशन और चालू आधार पर इसके रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा। यूआईडी स्कीम का संख्या जनरेशन के क्रियान्वयन निवासियों के लिए यूआईडी के एसाइनमेंट पर जोर देता है; भागीदार डेटाबेस के साथ यूआईडी के अंतर–संबंध के लिए तंत्र एवं प्रक्रिया को निर्धारित करता है; यूआईडी जीवन के सभी चरणों का परिचालन एवं प्रबंधनय अपडेशन तंत्र के लिए नीतियां एवं प्रक्रियाएं तैयार करना, चालू आधार पर यूआईडी डेटाबेस का रखरखाव और अन्यों में विभिन्न सेवाओं की डिलिवरी के लिए उपयोग एवं प्रयोज्यता परिभाषित करना।

लक्ष्य एवं वर्तमान स्थिति

4.30.3.

(i) यूआईडीएआई को भारत के सभी निवासियों की विशिष्ट पहचान संख्या बनाने और जारी करने के लिए आदेशित किया गया है। यूआईडीएआई को मार्च 2014 तक संलग्नक–I के अनुसार 18 राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों में एकाधिक निबंधकों के माध्यम से 60 करोड़ लोगों के नामांकन के लिए अधि.त किया गया है। 31.12.2012 तक कुल 24,93,18,775 आधार नंबर बनाए जा चुके हैं। राज्यवार विवरण संलग्नक–II में दिया गया है। मार्च, 2013 तक नामांकनों की संख्या करीब 33 करोड़ तक पहुंच जाने की उम्मीद है जबकि इसी समय अवधि में तैयार आधार 30 करोड़ के आसपास हो जाने चाहिए।

(ii) आधार नामांकन के चरण– II के दौरान 18 राज्य/केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए निवासियों का नामांकन निर्धारित यूआईडीएआई पैनल/गैर–पैनल नामांकन एजेंसियों के माध्यम से 50 से अधिक सरकारी/गैर सरकारी निबंधकों द्वारा किया जा रहा है।

(iii) यूआईडीएआई योजना शेष आबादी का नामांकन करने और पहले से नामांकित निवासियों के जनांकिकी एवं बायोमीट्रिक विशेषताओं को अपडेट करने के लिए देशभर में 5,000 स्थायी नामांकन केंद्रों (पीईसी) को चलाने की है। यूआईडीएआई द्वारा नवंबर, 2012 में एक वेब आधारित पोर्टल और डाक के जरिये निवासियों की जनांकिकी सूचनाओं के अपडेशन/संशोधन के लिए सुविधा शुरू की गई।

(iv) जनांकिकी डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, यूआईडीएआई (मुख्यालय) के साथ ही क्षेत्रीय कार्यालयों मे भी डेटा पैकेट्स की गुणवत्ता की समीक्षा के लिए गुणवत्ता जांच टीम तैनात की गई है। इस गुणवत्ता जांच के निष्कर्षों का प्रयोग नामांकन की गुणवत्ता के सुधार के साथ ही क्षेत्र में एकत्र डेटा की गुणवत्ता में सुधार के लिए आपरेटरों एवं पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण में किया जाता है।

(v) भारतीय निर्वाचन आयोग ने यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार नंबर को मतदान के दिन मतदाता पहचान पत्र के लिए वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में मान्य किया है। विदेश मंत्रालय ने भी यूआईडीएआई को साधारण एवं तत्काल पासपोर्ट, दोनों आवेदनों के पता एवं फोटो पहचान सत्यापित करने के लिए पता/पहचान के निर्धारित अन्य दस्तावेजों के संयोजन के वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में शामिल किया है।

संलग्नक–I

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1.	आंध्र प्रदेश
2.	चण्डीगढ़
3.	दमन एण्ड दीव
4.	गोआ
5.	गुजरात
6.	हरियाणा
7.	हिमाचल प्रदेश
8.	झारखंड
9.	कर्नाटक
10.	केरल
11.	मध्य प्रदेश
12.	महाराष्ट्र
13.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र–दिल्ली
14.	पुडुचेरी
15.	पंजाब
16.	राजस्थान
17.	सिक्किम
18.	त्रिपुरा

संलग्नक–II

आधार सृजन रिपोर्ट (31.12.12 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जोड़
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1,59,702
2	आंध्र प्रदेश	5,06,04,303
3	अरूणाचल प्रदेश	703
4	असम	20,237
5	बिहार	21,51,340
6	चण्डीगढ़	6,99,570
7	छत्तीसगढ़	3,45,551
8	दादर एण्ड नागर हवेली	29,676
9	दमन एवं दीव	1,31,063
10	दिल्ली	1,24,39,965
11	गोआ	11,64,751
12	गुजरात	67,50,232
13	हरियाणा	30,11,053
14	हिमाचल प्रदेश	47,13,356
15	जम्मू और कश्मीर	49,511
16	झारखंड	1,05,75,829
17	कर्नाटक	1,67,79,674
18	केरल	1,96,25,942
19	लक्षद्वीप	45,694
20	मध्य प्रदेश	1,51,67,585
21	महाराष्ट्रा	4,32,19,467
22	मणिपुर	5,97,638
23	मेघालय	918
24	मिजोरम	8,498
25	नागालैंड	1,95,899
26	उड़ीसा	49,63,242
27	पुडुचेरी	8,87,756
28	पंजाब	1,17,84,441
29	राजस्थान	1,15,44,609
30	सिक्किम	4,80,084
31	तमिलनाडु	84,19,099
32	त्रिपुरा	29,57,828
33	उत्तर प्रदेश	1,00,09,532
34	उत्तराखंड	10,25,470
35	पश्चिम बंगाल	87,58,557
	कुल योगः	**24,93,18,775**

परियोजना का क्रियान्वयन

4.30.4 देशभर में निवासियों को विशिष्ट पहचान उपलब्ध कराने के लिए 2009 में भारत के विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की स्थापना के फलस्वरूप स्कीम के चरण– I के लिए प्रस्ताव स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) द्वारा स्वीकृत किए गए और बाद में वित्त मंत्रालय द्वारा 12 महीने की शुरुआती अवधि के दौरान मुख्यालयों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए अनिवार्य ढांचा की स्थापना और पायलट एवं प्रूफ ऑफ कंसेप्ट (पीओसी) प्रयोगों को चलाने के लिए परीक्षण सुविधाएं तैयार करने के लिए होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए 147.31 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई।

4.30.5 योजना के चरण–II के रूप में एक से अधिक निबंधकों के माध्यम से 10 करोड़ यूआईडी नंबर (आधार नंबर) जारी करने के लिए प्रस्ताव में शामिल मार्च, 2014 तक की अवधि के लिए लागत अनुमान, अन्य परियोजना घटक एवं आवर्ती स्थापना लागतों के लिए 3,023.01 करोड़ रुपये के परिव्यय की सिफारिश जून 2010 में व्यय वित्त समिति (ईएफसी) द्वारा की गई थी, जिसे बाद में यूआईडीएआई से संबंधित मुद्दों पर कैबिनेट समिति (सीसी–यूआईडीएआई) ने 22 जुलाई, 2010 की अपनी बैठक में स्वीकृत कर दिया था।

4.30.6 आगे, यूआईडी स्कीम के चरण III के लिए प्रस्तावों में मार्च, 2012 तक एक से अधिक निबंधकों के माध्यम से 20 करोड़ निवासियों को यूआईडी नंबर (आधार नंबर) जारी करने की दिशा में अनुमानित लागत, डेटा तैयार होने, भंडारण एवं रखरखाव के लिए एवं मार्च, 2017 तक संपूर्ण अनुमानित आबादी के लिए आधार के उपयोग के लाभ के लिए सेवा के लिए तकनीकी एवं सहयोगी ढांचा लागत के रूप में चरण–II के लिए स्वीकृत किए गए 3,023.01 करोड़ रुपये को शामिल करते हुए 8,814.75 करोड़ रुपये के परिव्यय का मूल्यांकन सितंबर, 2011 में ईएफसी द्वारा किया गया, जिसे बाद में सीसी–यूआईडीएआई द्वारा 27 जनवरी, 2012 को हुई उसकी बैठक में स्वीकृत कर दिया गया।

4.30.7 सीसी–यूआईडीएआई ने 27 जनवरी 2012 को हुई अपनी बैठक में 18 राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में बहु पंजीकरण योजना के माध्यम से अन्य 40 करोड़ निवासियों के नामांकन के लिए अनुमोदन को अनुमोदित किया है। इस नामांकन के आधार पर लगभग सभी राज्यों/संघीय प्रदेशों में प्रगति हो रही है जहां पर यूआईडीएआई को अपने बहु पंजीकरण मॉडल के माध्यम से आधार का नामांकन करने की अनुमति दी गई है। यूआईडी के चौथे चरण के लिए प्रस्ताव में बहु पंजीकरण पंजीयकों के माध्यम से नामांकनों को 20 करोड़ से बढ़ाकर 40 करोड़ तक करने के लिए सतत नामांकन हेतु नामांकन लागत को पूरा करने के लिए 3,441 करोड़ रु. की राशि की लागत से तथा सभी तरीकों के माध्यम से नामांकित हुए नागरिकों के लिए आधार पत्र मूल्यों को मुद्रण व वितरण लागतों तथा अन्य परियोजना लागतों को ईफसी ने 27 सितंबर को हुई अपनी बैठक में अनुशंसित किया था, यूआईडी योजना के चौथे चरण के लिए रू. 3,436.16 करोड़ का एक सीसी–यूआईडीएआई नोट को प्रस्तुत किया जाना है।

(I) जरूरी प्रौद्योगिकी अवसंरचना का सृजन

यूआईडीएआई ने यूआईडी योजना के दूसरे चरण के एक हिस्से के रूप मे 10 करोड़ अनुमोदनों की पूर्ति करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना की स्थापना की है। बंगलुरू में एक डेटा केन्द्र ने सितंबर 2010 से डेटा केन्द्र सेवा प्रदाता (डीसीएसपी) की सुविधा के साथ प्रचालन आरंभ किया है। ग्रेटर नोएडा डेटा केन्द्र में एक आपदा सुधार सुविधा स्थापना भी डीसीएसपी की सह–स्थान सुविधा के साथ हुई है। यूआईडीएआई ने अपने केन्द्रीय पहचान डेटा कोश (सीआईडीआर) के लिए एक प्रबंधित सेवा प्रदाता (एमएसपी) की नियुक्ति की है। एमएसपी 7 अगस्त, 2012 को चालू हो गई है। यह परियोजना एमएसपी के साथ परिवर्तनों के विविध स्तरों पर है।

यूआईडीएआई सामर्थ्यता के बायोमेट्रिक केन्द्र (यूबीसीसी) का भी गठन किया गया है। अपनी सेवाओं में वृद्धि करने के लिए यूआईडीएआई ने निम्न कार्यों को आरंभ किया है (क) यूआईडीएआई के लिए जोखिम अनुपालन सुशासन तथा निश्पादन सेवा प्रदाता (जीआरसीपी – एसपी) की नियुक्ति तथा (ख) बंगलुरू व दिल्ली/रा.रा.क्षेत्र में डेटा केन्द्र स्थाान व सुविधाओं को किराए पर लेना।

(i) माणेसर तथा बंगलुरू में यूआईडीएआई डेटा केन्द्रों की स्थापना यूआईडी डेटाबेस के संचालन तथा रखरखाव के लिए माणेसर व बंगलुरू में दो डेटा केन्द्रों की स्थापना की गई है जो अभी किराये के स्थानों पर संचालित हो रहे हैं तथा निर्माण पहले ही आरंभ हो चुका है। माणेसर तथा बंगलुरू डेटा केन्द्रों में निम्न सुविधाओं/संस्थानों के लिए गैर डेटा केन्द्र भवन भी होगाः–

(क) मानेसर में गैर डेटा केन्द्र भवन

(i) यूआईडीएआई कम्पीटेंस के बायोमेट्रिक केन्द्र (यूबीसीसी)

(ii) यूआईडीएआई में राष्ट्रीय प्रशिक्षण सुविधाएं

(iii) 'आधार' एप्लीकेशन एवं प्रमाणन

(ख) बंगलुरू में गैर–डेटा केन्द्र भवन

(i) केन्द्रीय कार्यालय, यूआईडीएआई, बंगलुरू

(ii) आधार परियोजना के लिए ऑनसाइट विकास उपकरण (बैक एंड तथा फ्रंट एंड)

(iii) आधार सृजन का गुणवत्ता नियंत्रण तथा निगरानी और

(iv) डेटा केन्द्र के कार्यों का प्रबंधन करने के लिए नामांकन संस्थाओं/पंजीयकों के लिए प्रौद्योगिकी सहायता सुविधा

मानेसर में डेटा केन्द्र के निर्माण के लिए उसकी नींव में पहला पत्थर हरियाणा के मुख्य मंत्री द्वारा 7 जनवरी, 2013 को डाला गया। इन दो सीआईडीआर की संकल्पना, क्रियान्वयन, संचालन तथा रखरखाव के लिए डेटा केन्द्र विकास संस्था (डीसीडीए) को भी नियुक्त किया गया है।

(ii) यूआईडीएआई मुख्यालय भवन का निर्माणः बंगला साहिब रोड नई दिल्ली में 1.099 एकड़ भूमि को यूआईडीएआई मुख्यालय भवन के लिए अधिग्रहित किया गया है तथा प्रारंभिक गतिविधियां जैसे परियोजना प्रबंधन सलाहकार तथा वास्तुकार की नियुक्ति कथित निर्माण के लिए पूर्ण हो चुकी है। यूआईडीएआई मुख्यालय भवन में दिल्ली का क्षेत्रीय कार्यालय भी होगा जो कि अभी किराए के स्थान से संचालित हो रहा है।

(II) सहायता अवसंरचनाः

(i) लॉजिस्टिक

लोगों तक आधार संख्याओं को मुद्रित पत्रों द्वारा तथा डाक विभाग के द्वारा वितरित कराया जाता है। यूआईडी सम्बंधित समस्याओं पर लोगों के साथ बातचीत करने के लिए लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए एक सम्पर्क केन्द्र की स्थापना भी की जा चुकी है जिसमें शिकायत का निपटारा भी किया जाता है। और नागरिकों को उनके विद्युतीय रूप से सृजित पत्र ई–आधार को यूआईडीएआई की वेबसाइट डाउनलोड करने के लिए एक 'नागरिक पोर्टल' को भी शुरू किया गया है। साथ ही चुनिदां जिलों में 'प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण' के क्रियान्वयन को लागू करने के लिए झारखंड, मध्यप्रदेश, राजस्थान व दिल्ली के राज्यों में जिला स्तर के अधिकारियों को 'ई–आधार पोर्टल'

उपलब्ध कराया है। यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित मानकों तथा शर्तों के अनुसार आम सेवा केन्द्रों (सीएससी) के माध्यम से आधार पत्रों के मुद्रण व वितरण के लिए विद्युत तथा सूचना तकनीक विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए है।

(ii) ज्ञान प्रबंधन विंग की परियोजनाएं

1. आधार दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली

नामांकन के समय नागरिकों द्वारा दस्तावेज को संरक्षित करने के उद्देश्य के लिए एक आधार दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली का चयन 2011 – 2012 में किया गया। जुलाई 2011 से अपने आरंभ होने से लेकर अबतक संस्था ने पहले तथा दूसरे चरण में क्रमशः 18 करोड़ नागरिकों तथा 27 लाख नागरिकों के दस्तावेज एकत्र किए हैं।

2. इंट्रानेट व ज्ञान प्रबंधन पोर्टल

बढ़ते संवाद को बढ़ावा देने के लिए, सूचनाओं के बेहतर आदान प्रदान के लिए तथा यूआईडीएआई कर्मियों के बीच में समन्वयन के लिए एक ऑनलाइन, समुदाय आधारित मंच की स्थापना करने के लिए, यूआईडीएआई ने "इंट्रानेट व के एम पोर्टल" के कार्य को स्थापित करने का प्रयास किया है। हमारा लक्ष्य कागजरहित कार्यालय का है। परियोजना का प्रथम चरण पूर्ण हो गया है तथा प्रयोग के लिए तैयार है। निम्न कार्य प्रथम चरण के अंतर्गत विकसित हुए हैं:

i. केएम पोर्टलः

- एडी एकीकरण (आरओ, टीडीयू सहित)
- केएम पोर्टल का विकसित संस्करण
- संपर्क प्रबंधन
- उद्यम खोज
- डीएमएस/एचआरएमएस/परिसंपत्तियों के साथ एकीकरण
- इकाई कार्य स्थान
- अभ्यास के समुदाय
- मीडिया तथा संवाद
- प्रशिक्षण व परीक्षण
- आरएसएस फीड
- रणनीतियां तथा ऑडिट प्रयोग

ii. इंट्रानेटः

1. कार्यालय प्रबंधन प्रणाली (फाइल प्रबंधन प्रणाली)
2. परिसम्पत्ति प्रबंधन प्रणाली
3. मानव संसाधन प्रबंधन मॉड्युल
4. ई–खरीद

3. कारोबारी रणनीति, समीक्षा तथा संगठन डिजाइन

सेवाओं के वितरण के लिए वृहद स्तर पर नामांकन तथा आधार को प्रभावी बनाने के लक्ष्य को देखते हुए, यूआईडीएआई की व्यापारिक रणनीति तथा संगठन डिजाइन का मूल्यांकन करने तथा पुनःरेखित करने की आवश्यकता है तथा यह निर्णय लेने की कि कैसे एक मानक तरीके में संस्थान के आदेशों को वितरित करने में अधिक प्रभावी रूप से संलग्न होना है। इस उद्देश्य के लिए, यूआईडीएआई ने यूआईडीएआई की व्यवसाय समीक्षा तथा संस्थान संकल्पना पर एक परियोजना को आरंभ किया है। इसके लिए सलाहकार संस्था का चयन हो गया है। परियोजना में वितरित किए जाने वाले मसौदे प्रस्तुत किए जा चुके हैं। परियोजना के 31.03.2013 तक पूर्ण होने की संभावना है।

(III) प्रशिक्षण

यूआईडीएआई ने नामांकित कर्मियों, पीआरआई/यूएलबी सदस्यों, जिला स्तर के अधिकारियों तथा सत्यापकों के लिए एक विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाया है। प्रशिक्षण सामग्री विविध प्रारूपों जैसे टेक्स्ट

आधारित, कंप्यूटर आधारित तथा आईएलटी आधारित है। नामांकन डेटा गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए नामांकित कर्मियों के लिए एक कार्य पर प्रशिक्षण कार्यक्रम – आधार क्षेत्र निष्पादन कोचिंग का आरंभ किया जा चुका है। इसी प्रकार नामांकन कर्मियों को अभ्यास कराए जाने के लिए एक प्रशिक्षण मॉनीटर भी विकसित किया गया है। बीसी तथा अन्य एयूए के कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए वित्तीय समावेशन तथा प्रमाणन सम्बंधी प्रक्रिया को भी विकसित किया गया है। नामांकित कर्मियों के लिए फिल्म आधारित विषय भी विकसित किए गए हैं। अन्य पणधारियों तथा नागरिकों को सजग बनाने के लिए एक अन्य फिल्म अनोखी पहचान को विकसित किया गया है। प्रशिक्षण तथा प्रमाणपत्र ने अब तक विविध क्षेत्रीय भाषाओं में 1.5 लाख से अधिक नामांकित कर्मियों को प्रमाणन दिया जा चुका है। जांच तथा प्रमाणपत्र क्षमता में वृद्धि हो चुकी है तथा यह अब 35 राज्यों के 219 शहरों में व संघ शासित राज्यों में 350 केन्द्रों में उपलब्ध है।

(IV) जागरूकता तथा संचार का विकास

यूआईडीएआई व्यापक स्तर पर नागरिकों तक पहुंचने के लिए आधार के आउटडोर तथा मल्टीमीडिया प्रचार प्रसार के लिए एक विस्तृत जागरूकता तथा संचार रणनीति को क्रियान्वित कर रहा है। संचार तथा पहुंच के सभी संभावित माध्यम तथा तरीकों में प्रिंट, श्रव्य दृश्य, लोक मीडिया तथा सामाजिक मीडिया का इस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जा रहा है।

वित्तीय समावेशन

4.30.8. धन आधार देने संबंधी नियमों से बचाव के अंतर्गत राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय ने आधार को एक वैध दस्तावेज अधिसूचित किया है। परिणाम स्वरूप वित्तीय क्षेत्र नियामक जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, आईआरडीए तथा सेबी भी बैंकिंग, बीमा तथा प्रतिभूति के लिए आधार के प्रयोग को अधिसूचित कर चुके हैं। इसने देश में एक एकीकृत भुगतान नेटवर्क की स्थापना के लिए तथा निर्धनों के लिए वित्तीय उत्पादों के विकास जैसे सूक्ष्म ऋण, सूक्ष्म बीमा तथा सूक्ष्म म्यूच्युअल फंड निधि के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त किया है।

4.30.9 वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को जोड़ने के लिए, यूआईडीएआई ने आधार के नामांकन के समय खाता खोलने के समय बैंक खाता खोलने के लिए कई बैंकों के साथ हाथ मिलाया है। बैंकों ने भी आधार डेटा के आधार पर इच्छुक नागरिकों का खाता खोलने के लिए यूआईडीएआई के साथ अनुबंध किया है जो बैंकों को यूआईडीएआई द्वारा बैंकों को विभिन्न आधारों पर दिया जाएगा। एईबीए (आधार सक्षम बैंक खाता) खोलने की प्रक्रिया कर्नाटक के टुंकुर जिले में आरंभ हुई है तथा 26 बैंकों में अब तक इसे अपनाया जा चुका है। अब तक इन बैंकों ने लगभग 14.39 लाख खाते खोले हैं। यह उन 36. 50 लाख खातों के अतिरिक्त हैं जो स्वतंत्र रूप से खोले गए तथा /या बैंकों द्वारा आधार से जोड़े गए हैं।

4.30.10 एकीकृत भुगतान नेटवर्क 'आधार सक्षम भुगतान प्रणाली' (एईपीएस) बनायी गयी है तथा बैंकों में सूक्ष्म एटीएम का प्रयोग शुरू किया गया है। वर्तमान में 10 बैंक ऐसे सूक्ष्म एटीएम के माध्यम से भुगतान कर रहे हैं जहां पर नागरिक केवल अपनी आधार संख्या, उंगलियों के निशान तथा किए जाने वाले लेन देन के प्रकार तथा राशि को प्रदान कर रहे हैं। यह प्रणाली एक छोटे उपकरण सूक्ष्म एटीएम के माध्यम से मोबाइल सिम कार्ड कनेक्टिविटी का प्रयोग कर कार्य करती है, नागरिकों को आधार संख्या और उंगली के निशानों के आधार पर प्रमाणित करती है, यदि यह वित्तीय लेनदेन के लिए बैंक सीबीएस सर्वर के माध्यम से मिलती है तो कार्रवाई पूर्ण हो जाता है। यदि प्रमाणन असफल हो जाता है तो वैसा ही संदेश नागरिकों को चला जाता है।

4.30.11 आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली (एपीबी) की भी स्थापना एक स्थापित भुगतान व्यवस्था के रूप में एनपीसीआई द्वारा की जा चुकी है। यह आधार संख्या के आधार पर लाभार्थी के बैंक खाते में राशि के

हस्तांतरण को सक्षम बनाती है। यह सरकारी विभागों द्वारा सुलभ निधियों के संवितरण की प्रक्रिया को सरल करती है, तथा डेटाबेस की सफाई व सरल प्रशासन की वजह से लागतों मे भी कमी आई है। अब तक इस प्रणाली के माध्यम से 5.44 करोड़ राशि के 90,000 भुगतान किए जा चुके हैं।

सरकार ने एपीबी को प्रभावी बनाते हुए 1 जनवरी, 2013 से प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है।

ऑनलाइन प्रमाणन

4.30.12 जनवरी 2009 की अधिसूचना के आधार पर अपनी भूमिकाओं तथा दायित्वों का पालन करते हुए, यूआईडीएआई एक अलग तथा लागत अनुकूल ऑनलाइन प्रमाणन प्रणाली शुरू करना चाहती है। अवधारणा अध्ययनों के प्रमाण की विविध कार्रवाई करने के बाद आधार ऑन लाइन प्रमाणीकरण रूपरेखा की सेवा डिलीवरी की स्थापना की गई है, जो नागरिकों की आधार संख्या के अतिरिक्त अन्य मानकों (बायोमेट्रिक्स सहित) का भी सत्यापन करती है जैसे प्रमाणन व आधार संख्या की प्रमाणिकता व पीओआई एवं पीओए के रूप में कार्य करती है। ऑनलाइन प्रमाणीकरण सुविधाएं औपचारिक रूप से 7 फरवरी, 2012 को आरंभ हो चुकी हैं।

4.30.13 विविध सेवाओं के वितरण को बेहतर बनाने के लिए आधार ऑनलाइन सत्यापन को स्वीकृत करने के लिए तथा समालोना के लिए सेवाएं यूआईडीएआई द्वारा दिसंबर, 2013 तक निशुल्क प्रदान की जाएंगी। इसके बाद एक पृथक मूल्यन नीति शुरू की जाएगी। आधार सत्यापन सेवाएं यूआईडीएआई पर बिना किसी बाध्यता के प्रदान की जाएंगी।

4.30.14 मनरेगा भुगतानों, निवासियों की आधार संख्या के साथ राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम छात्रवृत्तियों को जोड़ने के लिए एक मुख्य योजना तथा आधार समर्थित बैंक खाते के माध्यम से भुगतानों को झारखंड राज्य में कराया गया है। इसी प्रकार एलपीजी सिलेंडरों तथा संभावित लाभार्थियों के लिए एलपीजी पर छूट का प्रत्यक्ष स्थानांतरण मैसूर में प्रगति पर है।

4.30.15 वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण में की गई घोषणाओं के आधार पर प्रायोगिक रोल आउट के लिए पहचान किए 51 जिलों में आधार आधारित भुगतान मुख्य योजनाओं के रोल आउट में संलग्न विभिन्न चरणों को दर्शाने के लिए आधार आधारित सेवा वितरण पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रमाणन रूपरेखा तथा आधार समर्थित भुगतान प्रणाली की मुख्य विषेशताओं को बताने के अतिरिक्त, विविध राज्य सरकार विभागों, बैंक व आधार के अन्य पणधारियों जिन्होनें विविध मुख्य योजनाएं साझा की हैं, ने अपने अनुभवों, सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं तथा मुख्य योजनाओं के दौरान हासिल की गई जानकारी को साझा किया। राज्य निवासी डेटा केन्द्र एप्लीकेशन रूपरेखा कार्य यूआईडीएआई द्वारा विकसित की गयी, जो आधार संख्याओं को विभिन्न विभागीय डेटाबेस में प्रयोग करेगी, का भी निष्पादन कार्यशाला में किया गया।

आधार एप्लीकेशन

4.30.16 अब वह स्थिति बना ली गई है, जब केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा एप्लिकेशन का निर्माण करने तथा विविध सामाजिक योजनाओं के शासन में सेवा वितरण, उत्तरदायित्व तथा पारदर्शिता को बेहतर बनाने के लिए आधार की संभावना को समझते हुए आवश्यक अवसंरचना का निर्माण कर रहे हैं। केन्द्रीय मंत्री/विभाग आधार के साथ एकीकरण के लिए दिशानिर्देश बना रहे हैं। यूएडीएआई ने आधार संख्या को प्रभावी बनाने के लिए एप्लिकेशन विकसित करने के लिए मंत्रियों/विभागों के साथ बात करने; विविध सामाजिक क्षेत्र योजनाओं के सुविधा वितरण को बेहतर करने के लिए आधार समर्थित लेनदेनों तथा अवसंरचनाओं को विकसित करने के लिए सुझाव दिया है। यूआईडीएआई आधार एकीकरण के लिए वर्तमान प्रक्रिया के दोबारा निर्माण के लिए राज्य

सरकारों को आईसीटी अवसंरचना के लिए सहायता प्रदान करता है। अब तब 15 राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में रू. 13.70 करोड़ की निधि की सहायता प्रदान की गई है। यूआईडीएआई ने सलाहकारों तथा सॉफ्टवेयर समाधान प्रदाताओं को भी पैनल बद्ध किया है जिनकी सेवाओं का प्रयोग राज्य सरकारें तथा साथ ही केन्द्र सरकार मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रयोग किया जा सकता है।

4.30.17 यूआईडीएआई ने राज्य निवासी डेटा केन्द्र (एसआरडीएच) नामक एप्लिकेशन फ्रेमवर्क का विकास राज्यों की विभिन्न कल्याण योजनाओं में आधार संख्या का प्रयोग करने के लिए तथा निवासियों के बैंक के खातों को आधार संख्या के साथ जोड़ने के लिए किया गया है जिन्हें निवासियों को सुविधा वितरण करने के लिए आधार को एकीकृत करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। एसआरडीएच संरचना को तीन राज्यों में आरंभ किया जा रहा है अर्थात महाराष्ट्र, केरल तथा नई दिल्ली तथा जो सभी राज्यों, संघ शासित प्रदेशों तथा अन्य जैव व्यवस्था सहयोगियों के लिए उपलब्ध होगी। एसआरडीएच अनुपालन दिशानिर्देश को यूआईडीएआई द्वारा बनाया गया है जो राज्यों को उनके निवासियों के आंकड़ों को प्रयोग करने की स्वतंत्रता प्रदान करती हैं। एसआरडीएच एप्लिकेशन के राज्यों में प्रयोग से एक निवासियों का डेटाबेस अपने निवासियों को जाने (केवाईआर) फील्ड में बनने में सहायता मिलेगी जिसमें आधार संख्या, नाम, पता, लिंग, आयु, जन्म तिथि आदि सम्मिलित होगी। प्रक्रिया को आगे करने के लिए महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, झारखंड तथा दिल्ली, व दमन व दीव संघ शासित प्रदेशों के बीच में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जो एसआरडीएच एप्लिकेशन के प्रयोग से अपने निवासियों की सूचनाओं को अपनाने, स्वामित्व में लेने, संचालित करने तथा प्रबंधन करने के इच्छुक हैं।

4.30.18 आधार को विभिन्न राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा पीओआई व पीओए के लिए घोषित किया जा चुका है। संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अधिसूचित किया है कि आधार को टेलीफोन व मोबाइल कनेक्शन हासिल करने के लिए आधार सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से पहचान व पते को सुनिश्चित करने के बाद एक वैध पीओआई व पीओए माना जाए। वित्त मंत्रालय ने आधार को बैंक खाता खोलने के लिए एक वैध पीओआई व पीओए माना है। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एलपीजी गैस कनेक्शन हासिल करने के लिए आधार को एक वैध पीओआई व पीओए माना है। सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए आधार को एक वैध पीओआई एवं पीओए के रूप में पहचान प्रदान करने के लिए आवश्यक अधिसूचना जारी कर दी है। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय भी आधार को एक वैध पीओआई व पीओए के रूप में गरीबी रेखा के नीचे निवास कर रहे लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक वैध पीओआई व पीओए के रूप में मान्यता प्रदान कर चुका है, जो जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे है तथा किसी भी सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों/संस्थानों या किसी सरकारी अस्पताल में राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं। रेलवे मंत्रालय भी रेल यात्रा के लिए आधार को एक मान्य पीओए व पीओआई मान चुका है। निर्वाचन आयोग ने भी मतदाता पहचान पत्र के अभाव में आधार के आधार पर चुनावों के समय मतदान करने की स्वतंत्रता दी है। विदेश मंत्रालय ने आधार पर आधार सामान्य तथा तत्काल पासपोर्ट जारी करने के लिए अनुमति दी है। कुछ राज्यों तथा संघ शासित राज्यों जैसे सिक्किम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, चंडीगढ़, नगालैंड, हरियाणा, मणिपुर तथा राजस्थान ने अपने नागरिकों की विभिन्न योजनाओं के लिए आधार को एक वैध पीओआई व पीओए माना है।

वित्तीय निष्पादन

4.30.19. यूआईडी परियोजना के लिए वार्षिक बजट आवंटन तथा व्यय का विवरण तालिका–1 में दिया गया है:

तालिका–1

वर्ष	वार्षिक बजट (वित्तीय आवंटन) (करोड़ रू. में)	किया गया व्यय (करोड़ रू.में)
2009–10	26.38	26.21
2010–11	273.80	268.41
2011–12	1470.00	1187.50
2012–13 (दिसम्बर, 2012 तक)	1350.00	818.44

2012–13 के दौरान बजट अनुमान एवं व्यय का विवरण

4.30.20 वर्ष 2012 – 13 के लिए वित्तीय प्रदर्शन (दिसंबर, 2012 तक) तथा बजट अनुमान को तालिका–2 में दिया गया है।

(आंकड़े करोड़ रू. में)

तालिका–2

मद		बजट अनुमान/आय अनुमान 2012–13	दिसम्बर, 2012 तक व्यय
आय बजट			
(–16405913)	स्थापना	110.00	64.75
(–16405912)	निवासी नामांकन के लिए पंजीयक को सहायता	615.00	411.94
(–16405911)	सूचना तकनीक	375.00	232.83
	कुल आय	**1100.00**	**709.52**
पूंजी बजट			
(i)	सार्वजनिक कार्यों पर पूंजीगत आउटले	0.00	0.00
(ii)	मुख्य कार्यों सामान्य बचत के कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	40.00	9.24
(iii)	मशीन व उपकरण	210.00	99.68
	कुल पूंजी	250.00	108.92
	कुल योग (आय + पूंजी)	**1350.00**	**818.44**

4.30.21 राजस्व अनुभाग में स्थापना व्यय के अतिरिक्त वे व्यय भी सम्मिलित होते हैं जो नामांकन लागत के रूप में नामांकन के लिए पंजीयक को सहायता के लिए प्रदान किए जाते हैं तथा साथ ही वे व्यय जो सलाहकारों की पेशेवर सेवाओं, पीएमयू संसाधनों, विद्युत तथा डेटा केन्द्र परिचालन के लिए बैंड चौड़ाई लागतों के लिए होते हैं। पूंजी संबंधि व्यय में अनुभाग में हार्डवेयर तथा सॉटवेयर की वृद्धि, भूमि का अधिग्रहण तथा दो डेटा केन्द्रों के निर्माण के सम्बंध में निर्माण अग्रिम हेतु जो यूआईडीएआई मानेसर (गुड़गांव) तथा बंगलुरू में बनाने का प्रस्ताव है।

4.31. ग्राम एवं लघु उद्यम प्रभाग

ग्राम एवं लघु उद्यम प्रभाग खादी एवं और क्वॉयर क्षेत्रक सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को कवर करता है। यह प्रभाग वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत हथरकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्रक तथा खाद्य प्रसंस्करण उघोग मंत्रालय के अंतर्गत खाद्य संसाधन क्षेत्र को भी कवर करता है।

4.31.1. इस प्रभाग ने मंत्रालयों/विभागों के साथ गहन परीक्षण और विचार–विमर्श के बाद वर्ष 2012–2013 के लिए योजनाबद्ध वार्षिक योजना परिव्यय को अंतिम रूप दिया, मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न राज्य वार्षिक योजना बैठकों तथा अन्य महत्त्वपूर्ण बैठकों में भाग लिया। टेक्नों–आर्थिक दृष्टिकोण से ईएफसी/एसएफसी नोट की जांच की गई तथा ईएफसी/एसएफसी नोट में समावेशन हेतु टिप्पणियां की गई। महिलाओं, अ.जा, अ.ज.जा, अल्पसंख्यकों आदि की आवश्यकताओं पर विचार करते हुए विभिन्न मंत्रालयों द्वारा वीएसई क्षेत्र में कार्यान्वयनाधीन विकासात्मक स्कीमों/कार्यक्रमों की जांच की गई।

4.31.2. एन.एम.सी.पी के अंतर्गत एम.एस.एम.ई. में आईसीटी उपस्करों का संवर्द्धन नामक नई स्कीम को ''सैद्धांतिक'' अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है, ताकि एम.एस.एम.ई. क्षेत्रक तक लाभ पहुंचाए जा सकें। एम.एस.एम.ई. मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीम–पी.एम.ई.जी.पी. पर मूल्यांकन अध्ययन एक स्वतंत्र परामर्शी फर्म को सौंपा गया है, ताकि रोजगार सृजन के लिए स्कीम के प्रभाव का आकलन किया जा सके और अध्ययन द्वारा संस्तुत उपायों से और दृष्टिगोचर प्रभाव प्राप्त किए जा सके और आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित मंत्रालय को भी सूचित कर दिया गया है। के.आर.डी.पी. की प्रगति की समीक्षा भी की गई है, ताकि खादी करघा शिल्पकारों पर इसके लाभ के प्रभाव का आकलन किया जा सके तथा स्पर्धा में और सुधार लाया जा सके।

4.31.3. विकेन्द्रीकृत कार्यान्वयन पर अत्यधिक बल देने तथा राज्यों को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य संसाधन मिशन नामक केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) आरंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। मिशन में अनेक पहलें/स्कीमें शामिल होंगी जैसे प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम, शीतलन श्रृंखला स्कीम, कसाई खाने के आधुनिकीकरण की स्कीम आदि। खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है।

4.32. स्वैच्छिक कार्रवाई प्रकोष्ठ

देश के विकास में स्वैच्छिक क्षेत्र की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण मानी जाती है। स्वैच्छिक संगठन देश के सभी कोने तक पहुंचते है जो भूमि पर लोगों तक उनकी समीपता उनका सबसे बड़ा लाभ है। उन्हें अब मात्र सरकारी स्कीमों के कार्यान्वयन और जागरूकता बढ़ाने वालों के बजाए विकास में साझेदारों के रूप में माना जाता है।

2012–13 के दौरान ग्रामीण एवं लघु उद्यम के कार्यक्षेत्र में प्रमुख कार्यक्रम और परिव्यय

क्र. सं.	कार्यक्रम	परिव्यय (करोड़ रूपये में)
1.	एमएसएमई समूह विकास कार्यक्रम	32.00
2.	क्रैडिट सम्बद्ध पूंजीगत छूट स्कीम	369.00
3.	एमएसई की क्रैडिट गारंटी निधि स्कीम	35.00
4.	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)	1276.28
5.	खादी सुधार कार्यक्रम	50.00
6.	हथकरघा बुनकर वृहद कल्याण	150.00
7.	एकीकृत हथकरघा विकास स्कीम	195.00
8.	हथकरघा का विपणन एवं निर्यात संवर्धन	53.00
9.	बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना	50.00
10.	एकीकृत कारीगर वृहद कल्याण	30.00
11.	रेशम उत्पादन में उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सीडीपी)	202.00
12.	विशाल समूह स्कीम	13.05
13.	कॉयर उद्योग का नवीकरण, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन	16.00
14.	खाद्य संसाधन उद्योग हेतु संरचनात्मक विकास स्कीम	191.00
15.	खाद्य संसाधन उद्योग संबंधी राष्ट्रीय मिशन	250.00

वर्ष 2012–13 के दौरान योजना आयोग स्वैच्छिक क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों के साथ–साथ 'स्वैच्छिक क्षेत्र' संबंधी राष्ट्रीय नीति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कार्य–व्यवहार कर रहा है।

'स्वैच्छिक क्षेत्र' (2007) संबंधी राष्ट्रीय नीति स्वैच्छिक संगठनों की डाटाबेसों की आवश्यकताओं को उजागर करती है। "विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न स्तरों पर कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों के डाटाबेस स्वैच्छिक क्षेत्र और सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के भीतर संप्रेषण के लिए उपयोगी हैं, सरकार इस प्रकार के डेटाबेस तैयार करने का कार्य उपयुक्त एजेंसियों को सौंपेगी।" इस सिफारिश की कार्यान्वित करने के लिए एनआईसी के सहयोग और प्रमुख सहभागी मंत्रालयों और स्वायत्त निकायों की सहकारिता से 2009 में योजना आयोग द्वारा एनजीओ साझेदारी पद्धति, जो एक वेब आधारित पोर्टल है, अभिकल्पित, विकसित किया गया है तथा कार्यचालित किया गया है। यह पोर्टल (http://ngo.india.gov.in) वर्तमान में एनजीओ को (i) समस्त भारत के स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों के विवरण, (ii) एनजीओ के लिए उपलब्ध प्रमुख मंत्रालयों/विभागों की अनुदान स्कीमों के विवरण तथा (iii) अनुदान प्राप्त करने हेतु एनजीओ के लिए ऑन लाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान करता है। एनजीओ को दिए जाने वाले अनुदान की पद्धति में

अधिक पारदर्शिता, कुशलता और जवाबदेही लाने के लिए सचिव योजना आयोग ने सहभागी मंत्रालयों/विभागों के सभी सचिवों से अनुरोध किया कि योजना आयोग के एनजीओ–पी एस को 'हस्ताक्षरित' न करने वाले एनजीओ को किसी अनुदान की संस्वीकृति न दें। एनजीओ सहभागिता पद्धति के कार्यान्वयन पहलूओं संबंधी प्रगति की समीक्षा करने तथा पोर्टल को और अधिक गतिशील, सहयोगात्मक और ओजस्वी एनजीओ साझेदारी में कार्यचालित करने के लिए इस अवधि के दौरान सभी भागीदार मंत्रालयों/विभागों के साथ एनजीओ साझेदारी पद्धति पर दो बैठकें आयोजित की गईं। सभी सहभागी मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वयन में अनुरूपता लाने के लिए इसकी एक बैठक में निर्णय लिया गया कि वही डाटावेस लिया जाए जिसका उपयोग सीएपीएआरटी कर रहा है तथा जो अधिकांशतः स्थायी डाटाबेस है। एनजीओ–पी एस हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में आने वाली कठिनाइयों पर विचार करते हुए लगभग 46,325 स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों ने एनजीओ–पीएस (21.01.2013 की स्थिति के अनुसार) को 'हस्ताक्षरित' किया है।

12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के लिए 'स्वैच्छिक क्षेत्र' संबंधी संचालन समिति का गठन 7 जून, 2011 को किया गया। संचालन समिति की रिपोर्ट को अंतिम दे दिया गया है तथा योजना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। क्षेत्र का वित्त–पोषण; स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों के मानकों में सुधार करने के लिए मान्यता और प्रमाणन; व्यावसायिकों का क्षमता निर्माण; तथा स्वैच्छिक क्षेत्र संबंधी राष्ट्रीय नीति के अनुरुप राज्य स्वैच्छिक क्षेत्र नीतियां बनाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना जैसी इसकी अधिकांश सिफारिशों को 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के अभिशासन संबंधी अध्याय में दर्शाया गया है।

स्वैच्छिक कार्रवाई प्रकोष्ठ की विभिन्न बैठकों तथा विकास संबंधी विभिन्न विषयों पर स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों/सीएसओ के प्रतिनिधियों के सिविल सोसायटी विंडो (सीएसडब्ल्यू) प्रतिवेदनों का आयोजन करता है, जो मूलभूत संगठनों की प्रभावशीलता और अंशदान का आदान प्रदान करने के लिए मंच प्रदान करता है। इन बैठकों/सीएसडब्ल्यू प्रतिवेदनों में सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों के उच्चाधिकारी तथा योजना आयोग के संबंधित विषयों के सभी सलाहकारों को आमंत्रित किया जाता है कि वे इसमें भाग लें तथा स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों से मिलें। सभी प्रतिवेदनों को कार्यालयी/सार्वजनिक उपयोग हेतु योजना आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। बैठकों के कार्यवृत भी टिप्पणियों एवं अनुवर्ती कार्रवाई हेतु विभागों के सचिवों को भेजे जाते हैं। पिछले एक वर्ष (2012) में विभिन्न विषयों पर निम्नलिखित सात बैठकें/सीएसडब्ल्यू प्रतिवेदन आयोजित किए गए :

1. डॉ. नरेन्द्र गुप्ता, सचिव, प्रयास, चित्तौरगढ़ द्वारा 1 फरवरी, 2012 को आयोजित "स्वास्थ्य देखरेख में जेब से अधिक व्यय – भारत के पांच राज्यों में अध्ययन के परिणाम"।
2. डॉ. शांतिलाल कोठारी, अध्यक्ष, पोषण सुधार अकादमी, नागपुर द्वारा 23 फरवरी, 2012 को आयोजित "स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों, रीति एवं सांस्कृतिक रिवाजों के उपयोग से कारीगरों के बीच कुपोषण, भूख और आत्म–हत्या को कम करने एवं नियंत्रित करने के संबंध में"।
3. 27 जून, 2012 को आयोजित "हरियाणा के मेवात जिले के विकास में एनजीओ के संभावित सहयोग पर उनसे पारस्परिक संबंध"।
4. श्रीमती वंदना प्रसाद, राष्ट्रीय संयोजक, लोक स्वास्थ्य संसाधन सोसायटी, नई दिल्ली द्वारा 7 अगस्त, 2012 को आयोजित "राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई)"।
5. श्रीमती ममता प्रधान, वरिष्ठ संचार एवं केएम समन्वयक, आईएफपीआरआई, एनएएससी परिसर, नई दिल्ली द्वारा 13 अगस्त, 2012 को आयोजित "पोषण परियोजना के अंतर्गत पोषण नीतियों के भूदृश्य निर्माण संबंधी निष्कर्ष"।

6. श्रीमती अंजली बोरहडे, सहायक प्रोफेसर, भारतीय लोक स्वास्थ्य संस्थान दिल्ली द्वारा 4 अक्तूबर, 2012 को आयोजित "सुरक्षित श्रम प्रवास हेतु 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रवासी कामगारों की सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय गठबंधन की सिफारिशें"।

7. प्रोफेसर रजनी बग्गा, प्रधानाचार्य, प्रबंधन विज्ञान विभाग, एनआईएचएफडब्ल्यू, नई दिल्ली द्वारा 22 नवंबर, 2012 को आयोजित "नर्सिंग और दाई संबंधी डब्ल्यूएचओ द्वारा समर्थित अध्ययन की रिपोर्ट के निष्कर्ष और इसे प्रस्तुत किया जाना"।

4.33 जल संसाधन प्रभाग

योजना आयोग के जल संसाधन प्रभाग को जल संसाधन से संबंधित योजना, कार्यक्रमों और नीतियों के गठन और मॉनीटरिंग का दायित्व सौंपा गया है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ सिंचाई (बड़ी, मध्यम और छोटी परियोजनाएं), बाढ़ नियंत्रण (समुद्र–रोधी अपरदन कार्य सहित) तथा कमान क्षेत्र विकास शामिल हैं। यह प्रभाग ठोस और द्रव्य अपशिष्ट प्रबंधन सहित ग्रामीण और शहरी जल आपूर्ति एवं मल–निकासी व्यवस्था की योजना, कार्यक्रमों और नीतियों के लिए भी उत्तरदायी है। प्रभाग को एकीकृत जलोत्सारण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम से संबंधित कार्यों का दायित्व भी सौंपा गया है। यह प्रभाग राष्ट्रीय जल मिशन के कार्यों को देखने के लिए नोडल प्रभाग भी है जो जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना का एक भाग है।

सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और कमान क्षेत्र विकास

(i) राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के लिए वार्षिक योजना 2012–13 बनाने का कार्य पूरा किया गया। जल संसाधन केन्द्रीय मंत्रालय की 2012–13 की वार्षिक योजना भी पूरी की गयी। जल संसाधन केन्द्रीय मंत्रालय की 2013–14 की वार्षिक योजना बनाने का कार्य प्रगति पर है।

(ii) जल संसाधन मंत्रालय के परिणामी बजट को मंत्रालय के परामर्श से अंतिम रूप दिया गया।

(iii) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के जल संसाधन एवं मल–निकासी व्यवस्था क्षेत्र संबंधी संचालन समिति की रिपोर्ट तथा बारहवीं योजना दस्तावेज के 'जल' संबंधी अध्याय को पूरा किया गया।

(iv) डॉ. मिहिर शाह, सदस्य (जल संसाधन एवं ग्रामीण विकास), योजना आयोग की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा पंजाब में जल–ग्रसन संबंधी उच्च स्तरीय समति गठित की गई। समिति ने पंजाब में जल–ग्रसन वाले क्षेत्र का दौरा किया तथा राज्य के मुख्यमंत्री से मुद्दे को संबोधित करने के लिए उनके आदानों की जानकारी प्राप्त करने के लिए मुलाकात की। समिति ने दिसंबर, 2012 में योजना आयोग के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

(v) तत्कालीन सदस्य सचिव, योजना आयोग की अध्यक्षता में सलाहकार (डब्ल्यूआर) तथा संयुक्त सलाहकार (डब्ल्यूआर) टीम के भाग बने तथा जनवरी, 2012 में कुट्टानंद पैकेज की समीक्षा करने के लिए केरल का दौरा किया।

(vi) जल संसाधन प्रभाग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित की जाने वाली जल संसाधन मंत्रालय की दस केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों और तीन राज्य क्षेत्र की स्कीमों के लिए जल संसाधन मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए व्यय वित्त समिति ज्ञापन–पत्र को संसाधित किया और टिप्पणी की।

(vii) योजना आयोग ने वर्ष 2012 के दौरान 27 परियोजनाओं के लिए निवेश अनापत्तियां जारी

कीं। इन परियोजनाओं में 7 बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं थीं, 11 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं थीं तथा 9 विस्तारण, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण परियोजनाएं थीं। परियोजनाओं की सूची अनुबंध पर है। इसके अलावा, बिना किसी अधिक लागत के 23 परियोजनाओं के समय के विस्तार की भी स्वीकृति प्रदान की गई।

(viii) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत 2011–12 में 12,620.00 करोड़ रुपये (केन्द्रीय अनुदान) के बी.ई. की तुलना में 2012–13 में 14,242.00 करोड़ रुपये (केन्द्रीय अनुदान) का आबंटन (बी.ई.) प्रदान किया गया है।

(ix) प्रभाग ने वित्तीय संसाधनों के अधिकतम उपयोगन के इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना में व्याप्त जल संसाधन प्रबंधन के प्रत्येक उप–क्षेत्र के लिए योजना की रूपरेखा बनाने के लिए डॉ. मिहिर शाह, सदस्य, जल संसाधन की अध्यक्षता में जल संसाधन क्षेत्र में बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए सहायता एवं समन्वय समिति गठित की है। सलाहकार(डब्ल्यूआर) तथा संयुक्त सलाहकार (डब्ल्यूआर) भी समिति के सदस्य होते हैं।

(x) प्रभाग के अधिकारियों ने गृह मंत्रालय/कृषि मंत्रालय द्वारा गठित अंतर्मंत्रालीय केन्द्रीय टीम के सदस्यों के रूप में योजना आयोग का प्रतिनिधित्व किया तथा आपदा राहत कोषों के मूल्यांकन हेतु असम, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों का दौरा किया।

पेय जल एवं स्वच्छता

(i) ग्रामीण जल आपूर्ति, ग्रामीण स्वच्छता व्यवस्था, शहरी जल आपूर्ति एवं शहरी सीवर–प्रणाली और स्वच्छता के लिए विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की वार्षिक योजना 2012–13 से संबंधित कार्य पूरे किए गए। पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय की वार्षिक योजना 2012–13 भी पूरी की गयी। पेय जल और स्वच्छता मंत्रालय की वार्षिक योजना 2013–14 को अंतिम रूप देने का कार्य प्रगति पर है।

(ii) पेय जल और स्वच्छता मंत्रालय के परिणामी बजट को मंत्रालय के परामर्श से अंतिम रूप दिया गया।

(iii) वर्ष के दौरान, अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता/विशेष योजना सहायता के अंतर्गत निधियां जारी करने से पहले राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त पेय जल आपूर्ति और स्वच्छता के प्रस्तावों की तकनीकी जांच की गई है तथा उस पर टिप्पणियां की गई हैं।

(iv) बारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु ग्रामीण विकास संबंधी अध्याय में 'ग्रामीण पेय जल और स्वच्छता' तथा जल संबंधी अध्याय में 'शहरी जल और अपशिष्ट प्रबंधन' के खण्डों की तैयारी को अंतिम रूप दिया गया।

(v) ग्रामीण पेय जल और ग्रामीण स्वच्छता के संबंध में देश में केन्द्र द्वारा प्रायोजित क्रमशः दो स्कीमें नामतः (क) 'राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)' और (ख) 'निर्मल भारत अभियान (एनबीए)' कार्यान्वित की जा रही हैं।

क. राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम

(vi) केन्द्र सरकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सुविधाएं प्रदान करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रयोजित स्कीम अर्थात 'राष्ट्रीय ग्रामीण पेय

जल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)' के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरक सहायता दे रही है।

(vii) ग्रामीण पेय जल आपूर्ति, 2005 में भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए "भारत निर्माण" नामक ग्रामीण आधारिक संरचना का निर्माण करने के कार्यक्रम के घटकों में से एक है। कार्यक्रम के अतंर्गत सभी गैर–व्याप्त निवासियों को शीघ्रातिशीघ्र सुरक्षित पेय जल प्रदान किया जाता है। भारत निर्माण के अंतर्गत पहचाने गए सभी 55067 गैर–व्याप्त निवासियों को व्याप्त किया गया है तथा जल गुणवत्ता प्रभावित 2.17 लाख निवासियों में से 1,31,525 निवासियों को 2012 तक की भारत निर्माण अवधि के दौरान सुरक्षित पेय जल प्रदान किया जा रहा है। अप्रैल 2012–13 के दौरान 26,521 गुणवत्ता प्रभावित निवासियों के लक्ष्य की तुलना में दिसम्बर, 2012 तक कुल 1196 निवासियों को भी व्याप्त किया गया है।

(viii) पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय के वर्ष 2012–13 के बजट में एनआरडीडब्ल्यूपी के लिए 10,500 करोड़ रुपये का योजना परिव्यय तैयार किया गया है, जिसमें से दिसम्बर, 2012 तक राज्यों को 5,142.70 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत निवासियों की लक्ष्य संख्या 1,58,730 की तुलना में 2012–13 के दौरान 66,952 निवासियों को दिसम्बर, 2012 तक पेय जल आपूर्ति के साथ पूर्णतया व्याप्त किया गया है।

(ix) जल संसाधन प्रभाग ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के आशोधनों संबंधी मंत्रिमंडल के प्रारूप नोट को संसाधित किया तथा टिप्पणियां दीं, जिसे मंत्रिमंडल द्वारा 14 जून, 2012 को अनुमोदन दिया गया है।

(x) अब 12वीं योजना में सामाजिक अथवा आर्थिक भेदभाव की बाधाओं के बिना उनके घर के परिसर के भीतर अथवा उनके घर से 100 मीटर की परिधि (तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 10 मीटर की ऊंचाई के भीतर) के भीतर सुरक्षित पाइप लाइन पेय जल आपूर्ति आरंभ की गई है।

(xi) सभी सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ियों (सरकारी अथवा सामुदायिक भवनों में) को मौजूदा स्कूलों के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी तथा एसएसए के अंतर्गत स्थापित नए स्कूलों के लिए एसएसए के सम्मिलन द्वारा सम्बद्ध गुणवत्ता मानकों के अनुसार पीने के लिए तथा शौचालय के लिए जल आपूर्ति प्रदान की जाएगी। निजी स्कूलों के लिए जल की आपूर्ति शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के उपबंधों के प्रवर्तन द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

(xii) जल संसाधन प्रभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में अकाल की स्थिति से निपटने के लिए पेय जल आपूर्ति हेतु (क) कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों तथा (ख) महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, पंजाब और हरियाणा राज्यों को एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत विपत्ति संघटक से निधियां जारी करने के लिए सशक्त मंत्री समूह (ईजीओएम) के नोटों को संशोधित किया तथा टिप्पणियां दीं, जिसे सशक्त मंत्री समूह द्वारा क्रमशः 31 जुलाई, 2012 तथा 11 सितंबर, 2012 को अनुमोदित किया गया।

ख. निर्मल भारत अभियान (एनबीए)

(xiii) भारत सरकार खुले में शौच करने की रीति को समाप्त करने तथा स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करने के मुख्य लक्ष्य के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम, निर्मल भारत अभियान (एनबीए) संचालित करती है। यह कार्यक्रम केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सीआरएसपी) के रूप में 1986 में आरंभ किया गया तथा 1999 में पूर्ण

स्वच्छता अभियान (टीएससी) के रूप में प्रवर्तित हुआ। पूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) का अब 1.04.2012 से निर्मल भारत अभियान (एनबीए) के रूप में पुनःनामकरण किया गया है। वर्ष 2012–13 के लिए एमओडीडब्ल्यूएस के बजट में एनबीए के लिए 3500 करोड़ रुपये (आरईः 2500 करोड़ रुपये) का योजना परिव्यय तैयार किया गया है, जिसमें से दिसम्बर, 2012 तक राज्यों को 1392.12 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

(xiv) अभियान के अंतर्गत स्कीम के आरंभ से दिसम्बर, 2012 तक परियोजना लक्ष्य 12.57 करोड़ व्यक्तिगत घरेलू शौचालय, 13.75 लाख स्कूल शौचालय, 5.34 लाख आंगनवाड़ी शौचालय तथा 33,684 स्वच्छता परिसर के विरुद्ध 9.00 करोड़ व्यक्तिगत घरेलू शौचालय, 12.62 लाख स्कूल शौचालय, 4.26 लाख आंगनवाड़ी शौचालय तथा 25,270 स्वच्छता परिसर भौतिक उपलब्धियां हैं।

(xv) जल संसाधन प्रभाग ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के पूर्ण स्वच्छता अभियान के संघटकों में परिशोधन हेतु आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) के एफएफसी मीमो तथा तदुपरांत प्रारूप नोट को संशोधित किया तथा टिप्पणियां दीं, जिसे 7 जून, 2012 को सीसीईए द्वारा अनुमोदित किया गया।

(xvi) एपीएल–बीपीएल अंतर और व्यक्तिगत शौचालयों पर ध्यान केन्द्रण का स्थान आवासन संतृप्ति दृष्टिकोण द्वारा लिया जा रहा है। निर्मल भारत अभियान (एनबीए) के रूप में पुनरूनामित यह कार्यक्रम प्रत्येक बस्ती में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शारीरिक विक्लांग, छोटे और सीमांत कृषकों और महिला–प्रधान गृहस्थियों को व्याप्त करेगा।

(xvii) लाभार्थी द्वारा 10000 रुपये तक व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों की यूनिट लागत एमजीएनआरईजीएस के साथ अभिसरण के माध्यम से प्राप्त की जाएगी।

(xviii) ठोस और द्रव अपशिष्ट प्रबंधन को निर्मल ग्रामों में प्राथमिक आधार पर लिया जाना है जिसके लिए पुनर्संरचित एमजीएनआरईजीए से 5,00,000 रुपये प्रति 1000 लोग की सहायता उपलब्ध होगी।

2012 में योजना आयोग द्वारा निवेश अनापत्ति प्रदान की गई परियोजनाओं की सूची

क्र. सं.	दिनांक	विषय	अनुमानित लागत	राज्य
1	27–01–2012	"हरियाणा सिंचाई नेटवर्क(ईआरएम–मुख्य) के अत्यधिक क्षतिग्रस्त जलमार्गों का पुनर्वास, नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण, हरियाणा" – स्कीम हेतु निवेश अनापत्ति, अनुमानित लागतः 115.94 करोड़ रुपये(2011 मूल्य स्तर)	115.94 करोड़	हरियाणा
2	16–02–2012	"अहाजी नहर का आधुनिकीकरण" तथा इसकी समापन अवधि के विस्तारण की परिशोधित परियोजना की निवेश अनापत्ति – एआईबीपी – जम्मू और कश्मीर राज्य	20.51 करोड़	जम्मू और कश्मीर
3	13–03–2012	गुजरात के काकड़ापुर दाहिनी तटीय मुख्य नहर (आरएमबीसी), यूकाई दाहिनी तटीय मुख्य नहर, तथा यूकाई बांयी तटीय मुख्य नहर (एलएमबीसी)(नवीन–ईआरएम) का सुधार – स्कीम हेतु निवेश अनापत्ति। अनुमानित लागत 2009 के मूल्य स्तर पर 296.51 करोड़ रुपये।	296.51 करोड़	गुजरात

क्र. सं.	दिनांक	विषय	अनुमानित लागत	राज्य
4	26–03–2012	"महाराष्ट्र की पूर्ण बांध – 2 नहर (नेट धमन) मध्यम सिंचाई परियोजना(परिशोधित माध्यम)"– संबंधी स्कीम हेतु निवेश अनापत्ति, अनुमानित लागत 617.46 करोड़ रुपये (मूल्य स्तर 2009–10)	617.46 करोड़	महाराष्ट्र
5	04–11–2012	मध्य प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना (एमपीडब्ल्यूएसआरपी) मध्य प्रदेश – स्कीम हेतु निवेश अनापत्ति, अनुमानित लागत 1919 करोड़ रुपये (मूल्य स्तर 2011–12)	1919 करोड़	मध्य प्रदेश
6	14–05–2012	"हरियाणा सिंचाई नेटवर्क(ईआरएम–मुख्य) के अत्यधिक क्षतिग्रस्त जलमार्गों का पुनर्वास, नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण, हरियाणा" – स्कीम हेतु निवेश अनापत्ति, अनुमानित लागतः 115.94 करोड़ रुपये(2011 मूल्य स्तर)	115.94 करोड़	हरियाणा
7	17–05–2012	माही दांये तटीय नहर गुजरात (नवीन ईआरएम)– स्कीम हेतु निवेश अनापत्ति, अनुमानित लागत, 2009 के मूल्य स्तर पर 300.01 करोड़ रुपये	300.01 करोड़	गुजरात
8	22–05–2012	"पंजाब के गुरदासपुर, होशियारपुर और कपूरथला जिलों में नदी तल के दायें और बांयें तट पर बाढ़ सुरक्षा कार्य" स्कीम की निवेश अनापत्ति। अनुमानित लागतः 2009 के मूल्य स्तर पर 46.12 करोड़ रुपये।	46.12 करोड़	पंजाब
9	28–05–2012	बिहार की उदेस्थान बैराज स्कीम तथा अन्य अंतर्संबद्ध और अंतर्निभर स्कीमों की निवेश अनापत्ति। अनुमानित लागतः 2011–12 के मूल्य स्तर पर 531.01 करोड़ रुपये।	531.01 करोड़	बिहार
10	13–06–2012	"मुर्शिदाबाद जिले (पश्चिम बंगाल) के कांदी और अन्य पड़ोसी क्षेत्रों में पुश्ता सुधार और अनुषंगी कार्य" स्कीम की निवेश अनापत्ति। अनुमानित लागतः 2011 के मूल्य–स्तर पर 438.94 करोड़ रुपये।	438.94 करोड़	पश्चिम बंगाल
11	26–06–2012	"बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में गंडक नदी के बाएं तट पर बागा तोवान सुरक्षा कार्य(फेज–1)" स्कीम की निवेश अनापत्ति। अनुमानित लागतः 2011–12 के मूल्य–स्तर पर 48.91 करोड़ रुपये।	48.91 करोड़	बिहार
12	26–06–2012	बिहार के भागलपुर जिले में गंगा नदी के बाएं तट पर विक्रमशिला पुल के इस्लामपुर से बिंडटोली तक के प्रवाह पर तटीय सुरक्षा कार्य स्कीम की निवेश अनापत्ति – अनुमानित लागत 2011–12 के मूल्य स्तर पर 23.39 करोड़ रुपये।	23.39 करोड़	बिहार
13	08–08–2012	"दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार(परिशोधित–मुख्य)" स्कीम की निवेश अनापत्ति – अनुमानित लागत– 2009–10 के मूल्य स्तर पर 983.10 करोड़ रुपये।	983.10 करोड़	बिहार
14	17–7–2012	'बिहार के चरामरी से झब्बुटोला उबदेर कटिहार जिले तक गंगा नदी के बायें तट पर एक बाढ़ रोधी जलद्वार तथा दस जलमग्न तल रोधिका (21 मी ग 9 मी) के साथ अपसरित पुश्ते (3.50 किमी) के निर्माण का अपरदन–रोधी कार्य' स्कीम की निवेश अनापत्ति। 998.34 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर।	998.34 लाख	बिहार

क्र. सं.	दिनांक	विषय	अनुमानित लागत	राज्य
15	29–08–2012	'गंडक नदी के दायें तट पर अपरदन–रोधी कार्य, पिपरा–पिपरासी पुश्ते (पीपीई) के 0.00 किमी से 35.00 किमी तक तथा पिपरा–पिपरासी पुश्ते (पीपीई)के जीएच–भाग के 0.00 किमी. से 6.68 किमी तक' स्कीम की निवेश अनापत्ति। अनुमानित लागत 1460.655 लाख रुपये।	1460.655 लाख	बिहार
16	09–12–2012	14.80 करोड़ रुपये (मूल्य स्तर 2010–11) की अनुमानित लागत पर ब्रह्मपुत्र बोर्ड की बाढ़ प्रबंधन स्कीम, बटभाग अपवहन–तंत्र विकास स्कीम(परिशोधित अनुमानित) की निवेश अनापत्ति।	14.80 करोड़	असम
17	09–12–2012	पूर्वी गंडक नहर प्रणाली(गंडक फेस–2) (ईआरएम) बिहार की निवेश अनापत्ति, अनुमानित लागत 2011–12 के मूल्य स्तर पर 1799.50 करोड़ रुपये।	1799.50 करोड़	बिहार
18	09–12–2012	थोबल बहु–उद्देशीय परियोजना, मणिपुर(परिशोधित मुख्य) संबंधी स्कीम की निवेश अनापत्ति, अनुमानित लागत 1387 करोड़ रुपये (2011 मूल्य स्तर)	1387.85 करोड़	मणिपुर
19	19–9–2012	खुगा बहु–उद्देशीय परियोजना (मध्यम परिशोधित) मणिपुर संबंधी स्कीम की निवेश अनापत्ति, अनुमानित लागत 433.91 करोड़ रुपये (2011 मूल्य स्तर)	433.91 करोड़	मणिपुर
20	20–9–2012	दौलइथाबी बैराज परियोजना (मध्यम परिशोधित), मणिपुर संबंधी स्कीम की निवेश अनापत्ति, अनुमानित लागत 360.05 करोड़ रुपये (2011 मूल्य स्तर)	360.05 करोड़	मणिपुर
21	21–9–2012	राजस्थान की राजगढ़ मध्यम सिंचाई परियोजना (नया माध्यम) स्कीम की निवेश अनापत्ति। अनुमानित लागत 2010–11 के मूल्य स्तर पर 192.13 करोड़ रुपये।	192.13 करोड़	राजस्थान
22	21–9–2012	8.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर जम्मू और कश्मीर में बसन्तर और देवक नदी पर रक्षा चौकी की सुरक्षा करने के लिए पुश्ता मेहमेजों और पलस्तर के रूप में बाढ़ सुरक्षा कार्यों का निर्माण" स्कीम की निवेश अनापत्ति।	8.00 करोड़	जम्मू और कश्मीर
23	24–9–2012	2011 के मूल्य स्तर पर 167.03 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर बिहार के सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा जिलों में अधवाड़ा और खिरोई के बायें पुश्ते को आरडी 0.0 किमी. से आरडी 43.60 किमी तक और आरडी 44.00 कमी से आरडी 90.50 किमी. तक तथा दाएं पुश्ते पर आरडी 0.0 किमी. से आरडी 81.50 किमी. तक ऊंचा करने तथा मजबूत करने की स्कीम की निवेश अनापत्ति।	167.03 करोड़	बिहार
24	27–9–2012	14.2078 करोड़ रुपये (मूल्य स्तर 2011–12) की अनुमानित लागत पर ब्रह्मपुत्र नदी(सीएच. 9560 मी. पर भूमि महमेज का निर्माण) के अपरदन से मकाधुज क्षेत्र(जिला कामरूप, असम) की सुरक्षा की स्कीम की निवेश अनापत्ति	14.2078 करोड़	असम
25	11–01–2012	जिला कामरूप, असम में (सीएच. 27.80 किमी से सीएच 35.00 किमी तक) बांध के क्षतिपूरण सहित गुमि से कलाटोली (सीएच 21.30 किमी से 27.80 किमी तक) तक ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट पर ब्रह्मपुत्र बांध को ऊंचा करने तथा मजबूत करने की स्कीम के संबंध में निवेश की अनापत्ति। अनुमानित लागत 14.49 करोड़ रुपये।	14.49 करोड़	असम

क्र. सं.	दिनांक	विषय	अनुमानित लागत	राज्य
26	14–12–2012	तुमरिया– बहल्ला और नकटिया फेडर(मध्यम–ईआरएम), उत्तराखण्ड की लाइन बिछाने के निर्माण की स्कीम की निवेश अनापत्ति, 2010–11 के मूल्य स्तर पर अनुमानित लागत 11.20 रुपये।	11.20 करोड़	उत्तराखण्ड
27	14–12–2012	मध्य प्रदेश की बिलगांव सिंचाई परियोजना (नवीन माध्यम) स्कीम की निवेश अनापत्ति, अनुमानित लागत 182.2234 करोड़ रुपये (मूल्य स्तर 2009)	182.2234 करोड़	मध्य प्रदेश

4.34. महिला एवं बाल विकास प्रभाग

4.34.1 महिला एवं बाल विकास प्रभाग पंचवर्षीय योजनाओं में की गई प्रतिबद्धताओं के अनुरूप राष्ट्र की महिलाओं और बच्चों की संपूर्ण उत्तरजीविता, सुरक्षा और भागीदारी सुनिश्चित करने से संबंधित नीतियों का निरीक्षण करने के लिए उत्तरदायी है। केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के अलावा, प्रभाग राज्यों के साथ कार्य करता है तथा राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के योजना प्रस्तावों की जांच करता है, केन्द्र सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के उनके कार्यान्वयन की समीक्षा करता है तथा परिव्यय की सिफारिश करता है। 2012–13 के दौरान प्रभाग के प्रमुख क्रियाकलाप निम्नानुसार हैं:–

4.34.2 वर्ष के दौरान प्रभाग ने महिला एजेन्सी एवं सशक्तिकरण कार्यशील समूह, बाल अधिकार कार्यशील समूह तथा पोषण संबंधी कार्यशील समूह के साथ योजना आयोग द्वारा गठित विषयक उप समूहों की रिपोर्टों और सिफारिशों के आधार पर 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए महिला एजेन्सी एवं बाल अधिकार संबंधी संचालन समिति रिपोर्ट की तैयारी में समन्वय किया। लिंग भेद के माध्यम से 12वीं योजना के लिए कार्यशील समूहों और संचालन समितियों की क्षेत्रवार रिपोर्टों की जांच करने तथा लिंग मुद्दों और लिंग समानता संबंधी सुझाव देने के दृष्टिगत 12वीं पंचवर्षीय योजना में नारी अर्थशास्त्रियों के कार्यशील समूह का पुनर्गठन किया गया। प्रभाग द्वारा स्वैच्छिक वेश्याओं और एकल महिलाओं के प्रतिनिधियों के साथ अतिरिक्त परामर्श भी आयोजित किए गए। महिला एजेन्सी और बाल अधिकार के संबंध में बारहवीं पंचवर्षीय योजना का अध्याय भारत की जनसंख्या के 70 प्रतिशत से अधिक भारत की महिलाओं और बच्चों की प्रमुखता को मान्यता देता है। बारहवीं योजना की समावेशन कार्यनीति विकास नियोजन की उत्पत्ति तथा इसे और अधिक बाल–केन्द्रित बनाने पर विचार करती है। बारहवीं योजना में महिला एजेन्सी की प्रमुख कार्यनीतियां इस प्रकार हैं;–(i) आर्थिक सुदृढ़ीकरण; (ii) सामाजिक और भौतिक ढांचा; (iii) समर्थकारी विधान; (iv) शासन में महिलाओं की भागीदारी; (v) असुरक्षित महिलाओं के सभी वर्गों का समावेशन, (vi) राष्ट्रीय नीतियां/कार्यक्रम बनाना। ये कार्यनीतियां शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा असुरक्षा तथा मीडिया की भूमिका द्वारा उत्पन्न नई और उभरती हुई चुनौतियों सहित महिला एजेन्सी और सु.ढ़ीकरण के पारंपरिक निर्धारकों जैसे परिसम्पत्ति स्वामित्व, कौशल विकास, तथा वित्तीय समावेशन द्वारा उत्पन्न महत्त्वपूर्ण चुनौतियों को उद्घाटित करती हैं। समावेशन हेतु कार्यनीतियों के लिए असुरक्षित महिलाओं जैसे अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति(एसटी) तथा अल्पसंख्यक; एकल महिलाओ, विकलांग महिलाओं; प्रवासी और तस्करित महिलाओं की भी पहचान की गई है। बारहवीं योजना में महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास उत्पन्न करने की विशिष्ट पहलों की रूपरेखा बनाई गई है। अध्याय बच्चों के उत्तरजीविता, सुरक्षा, भागीदारी और विकास के अधिकारों को पूरा करने के लिए

बारहवीं योजना की कार्यनीति को भी प्रकाशित करता है। बच्चों की वर्तमान स्थिति के विश्लेषण के आधार पर यह अध्याय बच्चों के ले बारहवीं योजना कार्यनीति के दर्शन, प्रमुख प्राथमिकताओं तथा मॉनीटर करने योग्य लक्ष्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इसमें बाल विशिष्ट तथा बच्चों से संबंधित नीति और कार्यक्रम दोनों उपाय शामिल हैं जिनकी प्रकृति बहु–क्षेत्रीय है। ये संबंधित हैं (i) बाल उत्तरजीविता एवं विकास जिसमें आईसीडीएस पुनर्संरचना शामिल है; (ii) बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा; (iii) बाल सुरक्षा एवं भागीदारी; (iv) कन्या तथा (v) किशोर। बारहवीं योजना में पोषण कार्यनीति 200 उच्च भारित जिलों में क्षेत्रीय कार्यक्रमों पर दृढ़ पोषण ध्यान केन्द्रण आरंभ करने, संस्थागत व्यवस्थाओं और बहु–क्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम को सशक्त करने तथा पुनःसक्रिय करने सहित पोषण हेतु बहु–क्षेत्रीय उपाय विकसित करने की रूपरेखा तैयार करती है।

4.34.3 बारहवीं योजना इस तथ्य को संज्ञान में रखती है कि नीतियों और कार्यक्रमों का पुरूषों और महिलाओं पर अलग–अलग प्रभाव पड़े तथा शासन के सभी स्तरों पर लिंग को मुख्यधारा में लाने के प्रयासों को सुदृढ़ करना और लिंग प्रतिसंवेदी बजटीकरण का अनुकरण करना आवश्यक है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि योजना प्रक्रिया में लिंग बजटीकरण और लिंग निर्धारण परिणाम का एकीकरण करें।

4.34.4 राष्ट्रीय विकास परिषद की 27 दिसम्बर, 2012 को आयोजित 57वीं बैठक में प्रधानमंत्री ने बल देकर कहा कि कन्याओं और महिलाओं जो कुल जनसंख्या का लगभग आधा भाग हैं, को शामिल करने के लिए समावेशी विकास की आवश्यकता है। इस बात पर बल दिया गया कि विकास और सामाजिक उद्धार का अर्थ सार्वजनिक क्षेत्रों में महिलाओं का उत्कर्ष भी है। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि सरकार लिंग समानता तथा कन्याओं और महिलाओं की सुरक्षा, अभिरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा बल देकर कहा कि केन्द्र और राज्य दोनों ही इस महत्त्वपूर्ण क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दें।

4.34.5 प्रभाग ने बारहवीं योजना/महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वार्षिक योजना के प्रस्तावों की जांच की तथा वित्तीय वर्ष के दौरान योजनावार वित्तीय अपेक्षाओं का मूल्यांकन किया।

4.34.6 प्रभाग द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की वार्षिक योजना 2012–13 को अंतिम रूप देते हुए राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ उपाध्यक्ष की अपनी बैठकों में उपयोगार्थ महिला एवं बाल विकास के संबंध में क्षेत्रीय आदान भी तैयार किए गए। प्रभाग ने प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश की वार्षिक योजना 2012–13 में महिला एवं बाल विकास क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रीय परिव्ययों को अंतिम रूप देने हेतु राज्यवार कार्यशील समूहों की बैठकें आयोजित कीं।

कुपोषण का समाधान करनाः एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र

4.34.7 योजना आयोग के संयोजन और सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में मातृत्व और कुपोषण के शिकार बच्चे को संबोधित करने के लिए बहु–क्षेत्रीय समीक्षाएं की गईं। बारहवीं योजना की आधी अवधि तक कुपोषण का शिकार बच्चा के निवारण और कमी लाने को बारहवीं योजना के अति प्रमुख मॉनीटर करने योग्य लक्ष्यों में से एक के रूप में मान्यता प्रदान की गई। योजना आयोग के संयोजन से "क्षेत्रीय कार्यक्रमों में दृढ़ पोषण ध्यान–केन्द्रण लाना" पहल के प्रमुख परिणाम महिला एवं बाल विकास, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पेयजल एवं स्वच्छता तथा जनजातीय संबंध मंत्रालयों की दृढ़ संबद्धता बनाने से संबंधित हैं।

4.34.8 इस वर्ष भी प्रमुख उपलब्धि यह रही है कि आई. सी. डी. एस. से संबंधितों – मनरेगा, एस. आर. एल. एम. और आई. सी. डी. एस. का माता एवं शिशु

की देखभाल के लिए और पोषण परिणामों हेतु आपस में मिला दिया गया। इससे मनरेगा की अनुसूची–1 में संशोधन को अधिसूचित किया गया (पैरा 1 बी.) और (XVक) "आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण" नामक खण्ड को 22–11–2012 को जोड़ा गया तथा ए. डब्ल्यू. सी. के निर्माण को मनरेगा के अंतर्गत स्वीकार्य कार्यों में शामिल किया गया। इसके अलावा, मनरेगा के लिए नए दिशा – निदेशों के तहत नए प्रचालनों में आंगनवाड़ी शौचालयों को भी स्वीकार्य कार्यों के तहत लिया गया, जिससे ए. डब्ल्यू. सी. (ज) पर अधिक स्वास्थ्य अनुकूल होंगी और समुदाय के स्तर पर प्रदर्शन प्रभाव भी पड़ेगा। इन लिंकेज के बारे में सचिव, योजना आयोग ने सभी संबंधित मंत्रालयों और राज्य मुख्य सचिवों को भी सम्बोधित किया तथा पोषण हस्तक्षेप और ए. डब्ल्यू. सी. निर्माण के सुदृढ़ीकरण हेतु बी. आर. जी. एफ. निधियों के सदुपयोग हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया।

4.34.9 पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा मौजूदा प्रावधानों की सुदृढ़ीकरण किया गया है, ताकि सभी ए. डब्ल्यू. सी. (ज) स्वास्थ्य उपकेंद्रों और स्कूलों में परिष्कृत माता और शिशु पोषक परिणाम और स्वच्छ पेयजल और शोचालयों का प्रावधान सुनिश्चित किए जा सकें।

4.34.10 पंचायती राज्य मंत्रालय को पी. आर. आई. (ज) के प्रशिक्षण में, विशेष रूप से पंचायत की महिला सदस्यों के लिए पोषण को मुख्य धारा में लाने के लिए अभिसारण में तेजी लाई जा सके ताकि पंचायतें कुपोषण से मुक्त हो सकें, उनके लिए कुछ वार्ड भी निर्धारित किए जाएं। राज्यों को भी सलाह दी गई है कि वे ग्राम स्वास्थ्य का विस्तारित अधिदेश, स्वच्छता और पोषण समितियां (वी. एच. एस. एन. सी.(ज) को ग्राम पंचायत की उप समितियों के रूप में मान्यता दी गई है और रेखांकित किया गया है कि ग्राम पंचायतों को यह एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है।

4.34.11 स्वास्थ्य हेतु 12वीं पंचवर्षीय योजना की रणनीति में पोषण को सुदृढ़ता के साथ लिया गया है तथा इसे व्यापक स्वास्थ्य देख–भाल के दृष्टिकोण का एक सामाजिक स्वास्थ्य निर्धारकों को अभिन्न अंग के रूप में माना गया है। पोषण अभिसारण संबंधी पहलों के अभिसारण को लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ सुदृढ़ बनाने हेतु इस वर्ष सचिव, योजना आयोग ने महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को स्पष्ट रूप में अभिसारण क्षेत्रों की सिफारिश की है।

4.34.12 छठें एन. आर. एच. एम. सामान्य समीक्षा मिशन को भी एक प्लेटफार्म के रूप में उपयोग किया गया है, ताकि 15 राज्यों से पोषण संबंधी अभिसारण पहलों के बारे में बहुमूल्य क्षेत्र आधारित अर्न्तदृष्टि सृजित की जा सके (विशेष रूप से वी. एच. एस. सी. (ज) को शामिल करते हुए) तथा उसे योजना आयोग के विभिन्न क्षेत्रकीय प्रभागों के प्रतिनिधित्व के साथ सुदृढ़ता हेतु सिफारिश की जा सके।

4.34.13 बहुक्षेत्रकीय परामर्शों का निर्माण तथा उत्तरोत्तर एन. आर. एम. और सी. आर. एम्स की सिफारिशों के अनुसार एन. आर. एच. एम. राज्य कार्यान्वयन योजनाओं का पोषण घटक को उत्तरोत्तर रूप से सुदृढ़ किया जा रहा है तथा विशेष रूप से उच्च भार वाले राज्यों में इसके तहत शिशु और युवा बच्चों और पोषण पुनर्स्थापन केन्द्रों को सहायता देना शामिल है। संज्ञान के तौर पर शहरी स्वास्थ्य संबंधी पहलों में भी पोषण को शामिल किया गया हैं।

4.34.14 डब्ल्यू. सी. डी. प्रभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि एन. एफ. एच. एस. 4 में पोषण और अल्परक्तता से संबंधित 12वीं योजना के मॉनीटरणयोग्य लक्ष्यों की उपलब्धि के संबंध में मध्यावधि मूल्यांकन हेतु आवश्यक डेटा शामिल हों, प्रस्तावित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 4 हेतु एम. एच. एफ. डब्ल्यू. तकनीकी, तकनीकी सलाहकार समूह में भी भाग लिया।

4.34.15 बहुक्षेत्रकीय पोषण पहलों के माध्यम से डब्ल्यू. सी. डी. प्रभाग ने अन्य नीतिगत पहलों जैसे – इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के संबंध में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रारूप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल, सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह, संबंधित राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् की सिफारिशें तथा

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की पुनर्संरचना संबंधी सिफारिशों सहित पोषण नीतिगत विकास और लिंकेजिज के बीच सौहार्दता उत्पन्न की। इसने ड्राफ्ट राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल, 2011 पर उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा प्रस्तुति का आयोजन भी करवाया तथा उसके बाद उपभोक्ता मामले, खाद्य और उसके बाद सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के साथ बहुक्षेत्रकीय समीक्षा से सिफारिशों के संश्लेषण का पारस्परिक आदान प्रदान भी विचारार्थ किया गया।

200 उच्च भार वाले जिलों में मातृ और बाल कुपोषण के समाधान हेतु बहुक्षेत्रकीय कार्यक्रम

4.34.16 बहुक्षेत्रकीय प्रमुख समूह के माध्यम से डब्ल्यू. सी. डी. प्रभाग ने चुनींदा 200 उच्च भार वाले जिलों में मातृ और बाल कुपोषण के समाधान हेतु बहुक्षेत्रकीय कार्यक्रम की डिजाइन में अपना योगदान दिया। आई. सी. डी. एस. की पुनर्संरचना की अंतिम रूपरेखा समन्वय किया। एम. सी. डब्ल्यू. डी. ने कार्रवाई के लिए रूपरेखा संबंधी प्रारूप में सुधार भी किया जिसके लिए सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में 23 मई, 2012 को आयोजित बैठक में परामर्शी प्रक्रिया अपनाई गई, ताकि संबंधित व्यक्तियों की प्रतिक्रिया ली जा सके। आरम्भ में 9 राज्यों के उच्च भार वाले 100 जिलों में इसे शुरू करने का प्रस्ताव है तथा ए. एच. एस., 2010–11 से पांच बाल नश्वरता डाटा के तहत विश्वसनीय जांचे गए, पुख्ता आंकड़ों का उपयोग किया गया। डब्ल्यू. सी. डी. प्रभाग ने सितंबर 12 और जनवरी, 2013 में बहुक्षेत्रकीय कार्यक्रम पर राज्य डब्ल्यू. सी. डी. मंत्रियों और सचिवों के परामर्श में भी योगदान दिया, ताकि उच्च भार वाले चुने हुए 200 जिलों में मातृ और बाल कुपोषण का समाधान किया जा सके, इसमें नव प्रवर्तनकारी पंचायत चालित मॉडल भी शामिल हैं।

कुपोषण के विरूद्ध सूचना, शिक्षा और संचार संबंधी राष्ट्रव्यापी अभियान

4.34.17 समिति कार्यक्रम और अन्य रूप में "कुपोषण भारत छोड़ो" राष्ट्रव्यापी सूचन, शिक्षा और संचार के कुपोषण विरोधी अभियान में सहभागिता के जरिए डब्ल्यू. सी. डी. प्रभाग ने अपना योगदान दिया। इसका विकास महिला और बाल विकास विभाग द्वारा किया गया था और इसकी शुरूआत 19 नवंबर, 2012 को भारत के राष्ट्रपति जी द्वारा की गई थी।

आई. सी. डी. एस. का सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्संरचना

4.34.18 आई. सी. एस. पुनर्संरचना के संबंध में अंतरमंत्रालयी समूह की सिफाारिशों के आधार पर सदस्य, योजन आयोग की अध्यक्षता में एम. सी. डब्ल्यू. डी. द्वारा एकीकृत बाल विकास सेवा (आई. सी. डी. एस.) स्कीम के पुनर्संरचना और सुदृढ़ीकरण पर व्यापक प्रस्ताव तैयार किया गया। 24 सितंबर, 2012 को अर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इसे अनुमोदित करके 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मिशन मोड पर आई. सी. डी. एस. के कार्यान्वयन हेतु 1,23,580 करोड़ रू. के आवंटन का प्रावधान (भारत सरकार के हिस्से) के रूप में किया। वर्ष 2012–13 के लिए 15,850 करोड़ रू. का आवंटन किया गया।

4.34.19 परिष्कृत और सुदृढ़ीकृत आई. सी. डी. एस. में आरंभिक बला देखभाल और विकास में एकीकृत जीवन चक्र दृष्टिकोण निहित किया गया। पुनर्संरचित आई. सी. डी. एस. का उद्देश्य है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक तीन मुख्य लक्ष्य हासिल किए जाएं नामत; (1) 0 से 3 वर्ष के बच्चों को कुपोषण से बचाने एवं उसमें कमी लाने के लिए कुपोषण को 10 प्रतिशत बिन्दुओं तक नीचे लाना; (2) छः वर्ष से कम आयु वाले बच्चों में शिक्षण संबंधी परिणामों और आरंभिक विकास में वृद्धि और (3) लड़कियों और महिलाओं की देखभाल और पोषण में सुधार तथा युवा बच्चों, लड़कियों और महिलाओं में अल्परक्तता में 20 प्रतिशत की कमी लाना।

4.34.20 कार्यक्रमित, प्रबंधन और संस्थागत सुधारों को इस आशय से शुरू करना है कि सेवाओं का व्यापक और संशोधित पैकेज उपलब्ध कराया जाए जिसमें वित्तीय मानदंडों / आवंटनों और परिणामों में राज्यों को अधिक लचीलापन देते हुए कार्यान्वयन में आवश्यक बदलावों हेतु उसे मोटे तौर पर रूपरेखा के अनुसार किया जाए, ताकि नवप्रवर्तन की गुंजाइश रह सके। सभी नए घटकों के लिए लागत की शेयरिंग में स्टाफ वेतन संबंधी अनुपात केंद्र और राज्यों के बीच 75:25 और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए यह 90:10 होना चाहिए।

4.34.21 गर्भवती और बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं तथा तीन वर्ष से छोटे बच्चों पर ध्यानकेंद्रण के माध्यम से पोषणात्मक प्रभाव को बढ़ाया जाएगा और संशोधित पोषण और खान – पान मानदंडों का कार्यान्वयन चरणबद्ध रूप में किया जाएगा। पूरक पोषण की लागत प्रति बालक बढ़ाकर रू. 6 तथा गंभीर रूप से कम भार वाले बच्चों के लिए रू. 9 तथा गर्भवती महिलाओं और बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं के लिए रू. 7 रखी जाएगी, उपर्युक्तानुसार कार्यक्रम को चरणबद्ध रूप से संबंधित जिलों में लागू किया जाएगा। केंद्र और राज्यों के बीच मौजूदा 50:50 के अनुपात को जारी रखा जाएगा, पूर्वोत्तर को छोड़कर जहां यह केन्द्र और राज्य के बीच 90:10 है।

4.34.22 ए. डब्ल्यू. सी. (ज) को सशक्त, शिशु अनुकूल ई. सी. डी. केंद्रों के रूप में पुनः संस्थापित किया जाएगा, जो विस्तारित अवधि (6 घंटे) के भीतर मुहैया कराया जाएगा और 200 उच्च भार वाले जिलों में अतिरिक्त ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. भी उपलब्ध कराई जाएंगी (राज्य की मांग के आधार पर) और 5 प्रतिशत ए. डब्ल्यू. सी. (ज) में क्रैच सेवाएं प्रायोगिक आधार पर दी जाएंगी। स्वास्थ्य, पोषण, आरंभिक लर्निंग, के लिए ये प्रथम गांव आउटपोस्ट के रूप में कार्य करेंगे तथा अन्य महिला और बाल संबंधित सेवाएं सम्पन्न करेंगे। इससे अन्य सेवाएं जैसे – मां, शिशु और स्कूल न जाने वाले किशोरियों की देख भाल, किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी स्कीम के जरिए करेंगे।

4.34.23 इसके लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना की जाएगी। योजना आयोग विभिन्न कार्यक्रमों जैसे – मनरेगा, बी. जी. आर. एफ., आई. ए. पी., आर. आई. डी. एफ., एम. एस. डी. पी. और एम. पी. एल. ए. डी., ए. डब्ल्यू. सी. निर्माण हेतु के अभिसारण के जरिए संशाधनों की गतिशीलता और व्यवस्था को संभव बना करा है तथा सचिव, योजना आयोग ने संबंधित मंत्रालयों तथा रज्यों के मुख्य सचिवों को भी संबोधित किया है। आई. सी. डी. एस. के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के माध्यम से ए. डब्ल्यू. सी. (ज) को प्रोत्साहित किया जा रहा है। पुनर्संरचित आई. सी. डी. एस. में उसे 3–6 वर्ष के बच्चों के लिए, जिसमें 5 वर्ष से बड़े बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारियों संबंधी हस्तक्षेप भी शामिल हैं में सुखद लर्निंग पूर्व दृष्टिकोण का प्रसार किया जाएगा, ऐसा स्कूल या ए. डब्ल्यू. सी. (ज) में किया जाएगा (यह राज्य के संदर्भ में निर्भर करेगा)। आई. सी. डी. एस., ए. डब्ल्यू. सी. (ज) में सहशिक्षा स्कूल के साथ होगी, जिसका स्थानीय रूप से निर्णित किया जाएगा जिससे संशाधनों की शेयरिंग हो सकेगी, ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. (ज) का बेहतरीन देख–रेख, स्कूल जाने की अच्छी तैयारी और आना – जाना आसान हो जाएगा।

4.34.24 डब्ल्यू. सी. डी. प्रभाग ने राज्य डब्ल्यू. सी. डी. मंत्रियों और आई. सी. डी. एस. सचिवों के साथ सितंबर, 2012 और जनवरी, 2013 में उसकी पुनर्संरचना और सुदृढ़ीकरण के संबंध में परामर्श कर अपना योगदान दिया। राष्ट्रीय आई. सी. डी. एस. मिशन संचालन समूह और अधिकृत कार्यक्रम समिति का भी गठन किया गया है, जिसमें योजना आयोग के प्रतिनिधि भी लिए गए हैं।

प्रतिकूल, घट रहे बाल लिंग अनुपात का समाधान

4.34.25 प्रतिकूल एवं 950 तक तेजी से गिर रहे बाल लिंग अनुपात में सुधार को रहा है और अब इसे 12वीं पंचवर्षीय योजना के व्यापक मॉनीटरणीय लक्ष्य के रूप में माना जाने लगा है। दोनों अध्यायों महिला एजेंसियों और बाल अधिकार और स्वास्थ्य में क्षेत्रकीय लक्ष्य के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

4.34.26 जेंडर आधारित असमानताओं का रणनीतिक विश्लेषण और मैपिंग कार्य पूरा कर लिया गया है, ताकि छः साल से छोटे बच्चों में बाल लिंग अनुपात पर विखण्डित राज्य और जिला विशिष्ट आंकड़ा शामिल किया जा सके, शहरी ग्रामीण भविष्य तथा जन्म के समय लिंग अनुपात की दृष्टि से निक्शारित शिशु एवं पांच वर्ष से नीचे की दर जैंडर अन्तर का विश्लेषण किया जाएगा। मुख्य मंत्रियों के साथ राज्य वार्षिक योजना विमर्श में इस विश्लेषण के माध्यम से सूचित किया कि, विशेष रूप से उन राज्यों में जहां गिरावट काफी तीव्र रही है और या अनुपात प्रतिकूल रहे हैं जैसे जम्मू–कश्मीर, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा अन्य राज्यों में हैं। प्रतिकूल बाल लिंग अनुपात वाले चयनित राज्यों में ध्यान केंद्रित दौरों के और जहां बाल लिंग अनुपात तेजी से गिरा है, इस वर्ष भी जारी रहा है, योजना आयोग के सदस्य ने उस टीम का नेतृत्व किया है, जिसने राजस्थान का दौरा किया है। बालिका शिशु की देखभाल एवं सुरक्षा के लिए राज्य कार्यदल के गठन में राजस्थान पहला राज्य रहा है, यह मामला महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्य मंत्री के 7 सूत्री कार्यक्रम से जुड़ा है।

4.34.27 उपर्युक्त प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त महत्वपूर्ण अन्तर्दृष्टि 17 अक्तूबर, 2012 को मंत्रिमण्डलीय सचिव की अध्यक्षता में महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन की अन्तरमंत्रालयी समन्वय समिति की बैठक में डब्ल्यू. सी. डी. प्रभाग द्वारा डाली गई, जिसमें गिरते शिशु लिंग अनुपात के समाधान हेतु राष्ट्रीय पहलों के दिशा – निदेश वाली बातें निहित थीं। डब्ल्यू. सी. डी. प्रभाग ने राष्ट्रीय परामर्श में ठोस योगदान दिया एवम् महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कार्य योजना हेतु कार्य समूह के गठन में भी काफी योगदान दिया।

4.34.28 डब्ल्यू. सी. डी. प्रभाग ने पंचायती राज मंत्रालय के साथ वृहद् अभिसारण पहलों में भी योगदान दिया, जिसमें बाल लिंग अनुपात में सुधार करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत किया जा रहा है और अतिरिक्त उदान संसाधनों के जरिए जाने माने (राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार) से प्रोत्साहित किया जाता है, मलिा सभाओं को सक्रिय बनाया जा रहा हैं और बालिका शिशु के लिए समर्पित विशेष ग्राम सभा बैठकों का आयोजन किया जा रहा है।

4.34.29 सदस्य योजना आयोग की अध्यक्षता में बाल लिंग अनुपात पर डब्ल्यू. सी. डी. प्रभाग ने भारत के सहपंजीयक की प्रस्तुति का आयोजन कराया, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से आग्रह किया गया है कि योजना अवधि के अंत में 2017 में बाल लिंग अनुपात के राज्यवार अनुमानों के एम. आर. एस. उपलब्ध कराए जाएं, चूंकि जनगणना आंकड़े मात्र 2021 में ही उपलब्ध होंगे।

4.34.30 मौजूदा सशर्त नकद प्रोत्साहन, अन्य स्कीमों तथा गरीबों के लिए प्लान स्कीमैटिक हस्तक्षेप तथा मध्य और उच्च आय वाले परिवारों के मूल्यांकन पर एन. ए. सी. की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश योजना आयोग ने हाल ही में यू. एन. एफ. पी. ए. से अनुरोध किया है कि वे सरकार की सशर्त नकद अंतरण स्कीमों – धनलक्ष्मी तथा लाभार्थी प्रतिक्रिया पर आधारित राज्य सरकार की अन्य स्कीमों का व्यापक मूल्यांकन शुरू करना चाहिए। अध्यय के सुझावों और सिफारिशों से महिला और बाल विकास विभाग को 12वीं योजना में धनलक्ष्मी पायलट नकद अंतरण स्कीम लागू करने में सहायता मिलेगी।

4.34.31 प्रभाग ने परामर्शी मूल्यांकन – सह – मॉनीटरण समिति (सी. ई. एम. सी.) की प्रथम बैठक में भी सहभागिता की जो डॉ. सईदा हमीद, सदस्य योजना आयोग की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी जिसने "उज्ज्वल" के मूल्यांकन अध्ययन के संबंध में मार्गदर्शन भी दिया था। "वाणिज्यिक यौन शोषण की शिकार हुई महिलाओं की ट्रेफिकिंग से बचाव, पुनर्स्थापन औन पुनः एकीकरण पर व्यापक स्कीम प्रासंगिक सुझाव उपलब्ध करा कर, जिसमें उद्देश्यों के पुनः डिजाइन, अन्य स्कीमों के साथ अभिसारित करने के पहलुओं की पहचान, सूचकों, स्कीम के

प्रभाव फील्ड के दौरों की सहायता तथा फील्ड स्तर पर एन. जी. ओ. (ज) के सुझावों को मिला कर शामिल किया जाएगा।

4.34.32 राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन (एन. एम. ई. डब्ल्यू.) की शुरूआत भारत सरकार द्वारा अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस पर 2010 में की गई थी, जिसका उद्देश्य समस्त प्रक्रियाओं जो महिलाओं के सर्वमुखी विकास को सुदृढ़ करना है। योजना आयोग ने महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन की स्कीम को अनुमोदित करते हुए इसके अभिसारण के नवप्रवर्तकारी पायलैट मॉडल शुरू करने की सिफारिश की। विभिन्न अन्य मॉडल्स का अन्वेषण करते हुए एन. बी. टी., दिल्ली सरकार के मिशन अभिसारण कार्यक्रम के आधार पर जिला, तहसील/वार्ड और ग्राम स्तर पर अभिसारण – सह – फेसिलिटेशन यूजर्स द्वारा पाली जिला (राजस्थान) की 150 ग्राम पंचायतों तथा असम के कामरूप मेट्रोपुलिटिन जिले की 10 ग्राम पंचायतों में अपनाया गया। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन (एन. डब्ल्यू. सी. डी.), महिला और बाल विकास मंत्रालय और भारतीय लोक प्रशासन विभाग (आई. आई. पी. ए.) ने "एन. एम. ई. डब्ल्यू. पायलैट पर ब्रेनस्टॉर्मिंग वर्कशॉप" का आयोजन शनिवार, 12 मई, 2012 को आई. आई. पी. ए. में किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य था कि अभिसारण के माध्यम से महिला सशक्तिकरण हेतु पायलैट के कार्यान्वयन के लिए मोडलिटीज के बारे में सिफारिशें करना है। प्रभाग ने इस कार्यशाला में भाग लिया और जोर दिया कि अभिसारण न केवल सरकारी तंत्र को कार्यशील बनाता है बल्कि इससे महिला सशक्तिकरण होता है। भागीदार मंत्रालयों, राज्य सरकारों, एस. सी. ओ. (ज) के साथ मिलकर थीमेटिक पायलैट को शुरू किया गया हैं। इसका एक उदाहरण है 12 पायलट जिलों में पंचायती राज मंत्रालय के साथ गिरते शिशु लिंग अनुपात पर अभिसारण संबंधी कार्य।

4.34.33 जेंडर आधारित असमानताओं को दूर करने के लिए 12वीं योजना में भेदभाव और अहिंसा दूर करना एक अधिभावी प्राथमिकता है। शिकार हुई महिलाओं को सुरक्षा, आश्रम और पुनर्स्थापना हेतु उन्हं अपराधों से बचाने के लिए तुरन्त कार्रवाई की आवश्यकता है। प्रधान मंत्री ने 27 दिसंबर, 2012 को आयोजित राष्ट्रीय विकास परिषद् की 57 वीं बैठक को सम्बोधित करते हुए उद्घाटन भाषण में दिसंबर में युवा महिला पर किए गए क्रूर हमले का जिक्र करते हुए सुझाव दिया कि "सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के आने से जो कि सामाजिकता का एक आवश्यक अंग है, उनकी सुरक्षा में चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। हमें इस समस्या पर प्रति कार्रवाई करनी होगी, जो देश के हर राज्य और क्षेत्र में होती रहती है और इस पर केंद्र और राज्यों को अधिक ध्यान देने की जरूरत हैं। तदनुसार, 12वीं पंचवर्षीय योजना में महिलाओं की घरेलू उत्पीड़न से सुरक्षा (पी. डब्ल्यू. डी. वी. ए.) और दहेज निषेध अधिनियम (डी. पी. ए.) के कार्यान्वयन में सुधार किया जाएगा। जिसके लिए नई स्कीम के तहत सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी और साथ में पूर्णकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा में दहेज निषेध अधिकारियों की नियुक्ति भी की जाएगी। तीव्रता से गिरते और प्रतिकूल बाल लिंग अनुपात के समाधान के लिए बालिका शिशु विशिष्ट जिला योजना स्कीमों आश्रय के लिए वन स्टॉप क्राइसिस सैंटर्स, पुलिस डैस्क, विधिक, चिकित्सा एवं परामर्श सेवाएं तथा महिला सहायक रेखा (हैल्पलाइन) जैसी नई पहलों का कार्यान्वयन किया जाएगा। बलात्कार की शिकार हुई महिलाओं को पूर्वावस्था में आने संबंधी न्याय दिलाने संबंधी स्कीम के तहत 12वीं योजना में वित्तीय सहायता और सहयोगी सेवाओं का कार्यान्वयन किया जाएगा, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार होगी। इस संबंध में तैयार की जाने वाली स्कीमों के लिए प्रभाग ने महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ निकटता से मिल कर सहयोग दिया है, ताकि उन स्कीमों के पहलुओं का विकास किया जा सके। 08 जनवरी, 2013 को प्रभाग ने महिलाओं के ट्रैफिकिंग

से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर एक परिचर्चा भी आयोजित कराई है। इस विचार विमर्श में प्रेजीडेंट, न्यूयार्क विश्व विद्यालय से छात्रों और समूचे विश्व से अपने आप महिलाओं ने भाग लिया।

4.34.34 आर्थिक सर्वेक्षण 2012–13 के लिए महिला और बाल क्षेत्रक से संबंधित सामग्री भेजने, संसद के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति जी तथा स्वाधीनता दिवस पर प्रधान मंत्री जी के भाषण, वित्त मंत्री के बजट भाषण–वी. आई. पी. संदर्भों और इंडिया–2013–संदर्भ–वार्षिक हेतु सामग्री देने में भूमिका निभाई है। प्रभाग ने संसदीय प्रश्नों से संबंधित कार्य को भी संभाला है तथा योजना आयोग के विषय प्रभागों को संदर्भित सामग्री उपलब्ध कराई हैं तथा मंत्रालयों/विभागों को भी उससे प्राप्त संसदीय प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी उत्तर हेतु सामग्री उपलब्ध कराई हैं। योजना आयोग के प्रतिनिधि ने बच्चों पर संसदीय मंच की बैठक में भाग लिया जो 08. 05. 2012 को आयोजित हुई थी, जिसमें "आरम्भिक बचपन की देखभाल और पोषण" और "खाद्य एवं कुपोषण" पर इनपुट्स उपलब्ध कराए गए। प्रभाग ने योजना आयोग की ओर से 3–4 अक्तूबर, 2012 को नई दिल्ली में जैंडर सेंसिटिव पार्लियामेंट्स पर पार्लियामैंट की महिला स्पीकर्स की 7वीं बैठक में भाग लिया। महिला और बाल विकास से संबंधित टिप्पणियों संसदीय स्थाई समिति के बैठकों में भी दी गई।

4.34.35 समाज–आर्थिक अनुसंधान (एस. ई. आर.) प्रभाग के माध्यम से प्राप्त अनुसंधान अध्ययनों, सेमिनारों, सम्मेलनों, ड्राट अनुसंधान अध्ययन रिपोर्टों जो महिला एवं बाल विकास क्षेत्रक से संबंधित थी, की जांच की गई और उनके संबंध में टिप्पणियां की गई।

4.34.36 वर्ष के दौरान प्रभाग ने परियोजना प्रबंधन एवं मूल्यांकन प्रभाग पी. ए. सम. डी. से मिलकर, आई. सी. डी. एस. के सुदृढ़ीकरण और पुनर्संरचना प्रस्ताव आई. डी. ए. (विश्व बैंक) के लिए ई. एफ. सी. ज्ञापनों में महिला और बाल विकास विभाग के प्रस्तावों की जांच की सहायता प्राप्त एकीकृत प्रणाली सुदृढ़ीकरण, पोषण सुधार परियोजना, राष्ट्रव्यापी सूचना शिक्षा तथा कुपोषण के विरूद्ध संचार अभियान, कुपोषण पर बहुक्षेत्रकीय कार्यक्रम, आंगनवाडी कार्यकर्ताओं के लिए राष्ट्रीय बीमा योजना, आई. सी. डी. एस. के अंतर्गत आंगनवाडी हेल्पर्स, स्वाधार को मिलाना, अल्प अवधि निवास गृह स्कीम तथा राष्ट्रीय महिलाकोष और एकीकृत बाल सुरक्षा स्कीम (आई.सी. पी. एस.) को शामिल करने हेतु वित्तीय सहायता आदि की जांच की। महत्वपूर्ण उद्देश्यों तथा समय – समय पर योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निर्धारित प्रक्रियात्मक दिशा – निदेर्शों को मद्देनजर रखते हुए इनकी जांच की गई। जसौला, नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग (एन. सी. डब्ल्यू.) के कार्यालय भवन के निर्माण के लिए स्थायी वित्त समिति के प्रस्तावों और महिलाओं की स्थिति पर उच्च स्तरीय समिति के प्रस्तावों की जांच भी इस प्रभाग द्वारा की गई।

4.34.37 योजना आयोग का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रभाग ने सबला, सक्षम की राष्ट्रीय मॉनीटरण और पर्यवेक्षण समिति, बाल सुरक्षा, महिला और बाल ट्रैफिकिंग पर राष्ट्रीय संचालन समिति, का गठन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है, की बैठकों में भाग लिया। प्रभाग ने योजना आयोग की ओर से अनुसूचित जाति महिला और अनुसूचित जन जाति महिलाओं डब्ल्यू. सी. डी. राज्य मंत्रियों की बैठकों और राज्य डब्ल्यू. सी. डी. सचिवों की अन्य बैठकों में प्रतिनिधित्व किया। प्रभाग ने योजना आयोग की ओर से राष्ट्रीय महिला कोष (आर. एम. के.) के शासी बोर्ड में बतौर सदस्य प्रतिनिधित्व किया केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सी. एस. डब्ल्यू. बी.) की सामान्य निकाय बैठक,

सार्वजनिक सहयोग एवं बाल विकास राष्ट्रीय संस्थान (एन. आई. पी. सी. डी.) की सामान्य निकाय और अधिशासी निकाय की बैठकों में भाग लिया। प्रभाग ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्टैप परियोजना आधार गृह समिति, अनुसंधान सलाहकार समिति की बैठकों में भी बतौर सदस्य भाग लिया।

4.34.38 डब्ल्यू. सी. डी. प्रभाग ने भारत सरकार की भागीदारी के साथ बला सुरक्षा के लिए वैश्विक ब्रैस्टफीडिंग के तहत आयोजित विश्व ब्रैस्टफीडिंग कान्फ्रेंस 2012 के सत्र की तकनीकी डिजाइन की सलाहकार समिति के सदस्य की हैसीयत से योगदान दिया।

4.34.39 ई. सी. सी. ई. पर दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सम्मेलन : नीति एवं प्रणालियां – 2015 की ओर तथा उससे आगे, तथा चेयर के रूप में तकनीकी कोर कमेटी के संचालन के माध्यम से ई. सी. सी. ई. के लिए क्षेत्रीय रणनीति के विकास भारत के भविष्य की शेयरिंग में योगदान दिया।

4.34.40 डब्ल्यू. सी. डी. प्रभाग ने जी. ओ. आई. युनिसैफ कंट्री एक्शन प्लान 2013 – 17 और विश्व बैंक कंट्री प्रोग्राम स्ट्रेटजी के मूल्यांकन और उसे बारहवीं योजना की रणनीति से जोड़ कर वहां तक प्रभावपूर्ण रूप में पहुंचाने में योगदान दिया है। योजना आयोग और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन और यू. एन. संयुक्त मिशन को 18 दिसंबर, 2012 को आयोजित कराने तथा जैंडर प्रक्रियावादी नीतियां तैयार कराने में पणधारियों को विमर्श कराने में भी डब्ल्यू. सी. डी. प्रभाग की भूमिका रही है। यू. एन. एफ. पी. ए. के साथ मिलकर किशोरियों के लिए थीमैटिक दृष्टिकोंण के विकास हेतु पणधारी परिचर्चा हेतु तकनीकी सामग्री उपलब्ध कराई। भारतीय परिप्रेक्ष्य में बहुमूल्य अन्तर्दृष्टि यूनेस्केप को दी गई। क्षेत्रीय सहयोग पर उच्च स्तरीय नीतिपरक वार्ता तथा दक्षिण और दक्षिण – पश्चिम एशिया में सामवेशी विकास को सतत् कार्यसूची को दर्शाते हुए तथा सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों की चुनौतियों को दिखाते हुए राष्ट्रों के बीच समावेशी और धारणीय विकास सुनिश्चित करते हुए, विशेष रूप से दक्षिण एशिया क्षेत्र में, अपना योगदान दिया। इसी प्रकार डब्ल्यू. सी. डी. प्रभाग द्वारा चौथे विश्व डब्ल्यू. सी. डी. जैंडर मंच, जिसका आयोजन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया गया था, जिसमें जैंडर थीम लाइफ कोर्स और सामाजिक समूहों पर ध्यान केन्द्रण किया गया था, हेतु तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई गई।

4.35. प्रशासन एवं अन्य सेवाएं

4.35.1 प्रशासन

1. योजना आयोग को भारत सरकार के विभाग का स्तर दिया गया है, अतः भारत सरकार के नोडल विभाग कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी सभी अनुदेश और प्रावधान जो विभिन्न सेवा नियमावली के तहत केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए रखे गये हैं, वे ही योजना आयोग में कार्यरत कर्मचारियों पर लागू होते हैं। सामान्य रूप से प्रशासन इन दिशा निर्देशों और विभिन्न सेवा नियमों के अनुसार कार्य करता है। योजना आयोग यहां कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए गम्भीर है और इस संबंध में समय – समय पर उचित कदम उठाता रहता है। साथ ही में, प्रशासन अपने स्टाफ की जरूरत को ठीक करने पर भी ध्यान देता रहता है और इस संबंध में विवेक के साथ कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग के अनुदेशों को सिविल पदों की सीधी भर्ती के लिए लागू करता है। योजना आयोग ने स्नातकोत्तर / अनुसंधान छात्रों के लिए प्रशिक्षु

स्कीम भी आरंभ की है ताकि उन्हें योजना प्रक्रिया से अवगत कराया जा सके।

4.35.2 कैरियर प्रबंधन कार्यकलाप

वित्त वर्ष 2012–13 (अप्रैल से दिसम्बर) के दौरान 21 अधिकारियों को अंतरराष्ट्रीय कार्यशालाओं /संगोष्ठियों /बैठकों आदि में योजना आयोग/भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने अथवा अंतरराष्ट्रीय संगठनों, जैसे कि विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ए. पी. ओ. आदि द्वारा विभिन्न देशों में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भेजा गया। इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान उपाध्यक्ष के 8 विदेश दौरों, सार्वजनिक सूचना, अवसंरचना एवं नवप्रवर्त्तन पर प्रधानमंत्री के सलाहकार (कैबिनेट मंत्री स्तर) के 3 विदेशी दौरे योजना राज्य मंत्री के दौरा प्रधानमंत्री की ई. ए. सी. के सचिव के 02 विदेशी दौरे और योजना आयोग के सदस्यों द्वारा 23 दौरों संबंधी प्रस्तावों पर भी करियर प्रबंधन डेस्क द्वारा कार्रवाई की गई तथा एक मिडल स्तरीय अधिकारी के लिए फैलोशिप हेतु प्रक्रिया की गई।

इस अवधि के दौरान, बीच के स्तर के 17 मध्यस्तरीय अधिकारयों को विदेशों में विभिन्न प्रशिक्षण/ कार्यशालाओं/सम्मेलनों में भाग लेने के लिए भेजा गया। योजना आयोग और कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के आई. ई. एस., आई. एस. एस., जी. सी. एस., पुस्तकालय स्टाफ आदि के लगभग 38 अधिकारियों को आर्थिक मामले विभाग, सांख्यिकी विभाग, आर. बी. आई. सी. ए. बी., पुणे तथा विभिन्न अन्य सरकारी और स्वायत्त संस्थानों/ संगठनों द्वारा देश में विभिन्न स्थानों पर प्रायोजित/आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भेजा गया। इसके अलावा, सी. एस. एस., सी. एस. सी. एस. और सी. एस. एस. एस. के लगभग 30 अधिकारियों/स्टाफ को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा आयोजित अनिवार्य व अन्य विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भेजा गया।

4.35.3 संगठन एवं पद्धति तथा समन्वय अनुभाग

शुरू की गई गतिविधियां

1. सभी अनुभागों/प्रभागों के लिए ओ. एण्ड एम. निरीक्षण कार्यक्रम बनाए जा चुके हैं, जिन्हें 2011–12 में पूरा किया जाना था। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के सभी 15 फील्ड कार्यालयों के निरीक्षण का कार्यक्रम बनाया जा चुका है।
2. योजना आयोग और कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन में वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियों का प्रत्यायोजन। विभिन्न आवधिक विवरणियों का मंत्रिमंडल सचिवालय, संघ लोक सेवा आयोग/कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग आदि के लिए संकलन/समेकन और प्रस्तुतीकरण।
3. दो नए प्रभाग यानि अल्पसंख्यक प्रभाग और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रभाग सृजित किए गए हैं। इसके अलावा, "अन्तरराष्ट्रीय इकॉनोमिक्स प्रभाग" और "समाज – आर्थिक अनुसंधान प्रभाग" को नया नाम "इकॉनोमिक प्रभाग" और "अनुसंधान प्रभाग" दिया गया। अवसंरचना प्रभाग को दो भागों में बांटकर "अवसंरचना वित्त एकक" और "सार्वजनिक निजी सहभागिता मूल्यांकन एकक" कर दिया गया है।
4. **लोक/ स्टाफ शिकायत समाधान तंत्र**

   योजना आयोग अपने दिन – प्रतिदिन के कामकाज में जनता के साथ कोई पारस्परिक संवाद नहीं करता है। फिर भी, आयोग ने जनता की ओर से कर्मचारियों की शिकायतों से निपटने के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार एक शिकायत समाधान तंत्र की स्थापना की है। परामर्शदाता (प्रशासन) शिकायत निदेशक के रूप में कार्य करता है और उसकी सहायता निदेशक / उप सचिव के स्तर के तीन स्टाफ शिकायत अधिकारी करते हैं। स्टाफ की शिकायतों से निपटने वाले अधिकारियों के पास कर्मचारी जा सकते हैं, जो उनकी शिकायतों को सुनते हैं और ऐसी शिकायतें तत्काल दूर की जाती हैं।

4.35.4 हिन्दी अनुभाग

हिन्दी अनुभाग द्वारा वार्षिक योजना 2011–12, बारहवीं पंचवर्षीय योजना तथा राष्ट्रीय विकास परिषद की सामग्री के अनुवाद का पर्यवेक्षण एवं प्रूफ पठन किया गया।

योजना आयोग के विभिन्न प्रभागों / अनुभागों से राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(iii) के तहत प्राप्त दस्तावेजों / कागजातों का हिन्दी अनुवाद भी किया। इसके अलावा अनुभाग द्वारा संसदीय आश्वासनों, प्रश्नों, स्थायी वित्त समिति से संबंधित सामग्री, अनुदान मांगों, वार्षिक रिपोर्ट, परिणाम बजट, मंत्रिमंडलीय नोट, नयाचार एवं अन्य समझौता ज्ञापनों, परिपत्रों और प्रारूपों आदि का अनुवाद भी किया गया।

योजना आयोग के अनुभागों और अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त तिमाही हिन्दी प्रगति रिपोर्टों और वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्टों की समीक्षा की गई और समेकित रिपोर्ट राजभाषा विभाग को भेजी गई।

योजना आयोग एवं अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों / कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा कार्य हिन्दी में करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। स्टाफ को प्रोत्साहित करने और हिंदी में कार्य करने की उनकी झिझक को दूर करने के लिए हिन्दी अनुभाग द्वारा अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए हिन्दी सम्मेलन आयोजित किया गया।

वर्ष के दौरान योजना आयोग तथा इसके नियंत्रणाधीन कार्यालयों में योजना आयोग और इसके नियंत्रणाधीन कार्यालयों में हिन्दी के उपयोग में तेजी लाने के लिए वर्ष भर प्रयास किए गए। क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय हैदराबाद, लखनऊ और कार्यक्रम मूल्यांकन कार्यालय बंगलौर में राजभाषा निरीक्षण सम्पन्न किए गए।

हिन्दी टंकण एवं हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित कर्मचारियों की सेवाओं के सदुपयोग पर जोर दिया गया। ई–मेल एवं अन्य सरकारी सूचनाएं भी हिन्दी में प्रेषित की गईं।

योजना आयोग के कार्य से संबंधित तकनीकी विषयों के लिए उच्चस्तरीय मूल हिन्दी लेखन को बढ़ावा देने के लिए योजना आयोग में "कौटिल्य पुरस्कार योजना" भी लागू की गई है।

14 सितम्बर को हिन्दी दिवस के अवसर पर माननीय गृहमंत्री एवं मंत्रिमंडलीय सचिव के संदेशों को सभी अनुभागों एवं योजना आयोग के अधीनस्थ कार्यालयों में परिचालित किया गया। राजभाषा नीति, अधिनियम एवं अन्य प्रावधानों के संबंध में जानकारी को सुदृढ़ करने के लिए एक राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया।

योजना आयोग एवं उसके अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। हिन्दी टंकण, हिन्दी टिप्पण व आलेखन, हिन्दी आशुभाषण, हिंदी वाद विवाद आदि प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन किया गया। एम.टी.एस. स्टाफ को भी हिंदी कार्य के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए उनके लिए विशेष हिंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

प्रतियोगिताओं में विजयी रहे कार्मिकों को सलाहकार (राजभाषा) योजना आयोग द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए। विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले सभी कर्मचारियों को सांत्वना पुरस्कार दिए गए। अधिकांश कार्य हिंदी में करने वाले अनुभागों को राजभाषा ट्रॉफी प्रदान की गई।

4.35.5. पुस्तकालय एवं प्रलेखन केन्द्र

योजना आयोग के ज्ञान एवं सूचना केन्द्र की हैसीयत से पुस्तकालय एवं दस्तावेजन केंद्र, पुस्तकें, पत्रिकाएं, रिपोटर्स आदि योजना आयोग के सभी स्टाफ सदस्यों के उपलब्ध कराता है। यह संदर्भ सेवा और उधार सुविधा पुस्तकालय के सदस्यों को उपलब्ध कराता है। पुस्तकालय योजना आयोग के इन्टरनेट पर विभिन्न प्रकार के डेटाबेस भी उपलब्ध कराता है। कर्मचारियों को आंतरिक रूप से परामर्श सुविधा भी संस्थानों / विश्वविद्यालयों के साथ नामांकित अनुसंधान स्कॉलर्स और

अन्य विभागों के कर्मचारियों के माध्यम से प्रदान की गई।

2. पुस्तकाल के भण्डार में लगभग 2 लाख पुस्तकें, रिपोटर्स, बाउंड वोल्यूम जर्नल्स तथा श्रव्य – दृश्य आइटम्स उपलब्ध हैं। वर्तमान में पुस्तकालय में 198 पत्रिकाएं हिन्दी और अंग्रेजी में आती हैं। वर्तमान पुस्तकालय में विश्व बैंक ई–पुस्तकालय, इंडिया स्टैट एण्ड स्टेज सब्जैक्ट (शहरी अध्ययन और आयोजना) का डेटाबेस है। पुस्तकालय यू. जी. सी. इन्फोनेट डाटाबेस की सुविधा भी उपलब्ध कराती है। पुस्तकालय के सदस्यों को जर्नल्स की ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध कराता है। पुस्तकालय सोफ्टवेअर लिब्सिज प्रिमा के माध्यम से पूरी तरह ऑटोमेटिड (स्वचालित) की गई है।

3. पुस्तकालय निम्नलिखित प्रकाशन भी निकालता है।

   i) **डॉकप्लान** : यह मासिक प्रकाशन है, जिसमें रचनाओं के उद्धृण होते हैं, जो पुस्तकालय में प्राप्त पत्रिकाओं से लिए जाते हैं, जो योजना आयोग द्वारा देखे जा रहे विषयों से संबंधित होते हैं।

   ii) **हाल ही में शामिल की गई नई सूची** : यह मध्यम प्रकाशन है, जिसमें पुस्तक की सूची के जोड़े गए दस्तावेज / पुस्तकालय के उपयोग हेतु अन्य प्राप्त सामग्री की सूची के ब्यौरे आदि।

4. रिपोर्ट अधीन अवधि में 1575 पुस्तकें, जिनमें 69 सी.डी. भी शामिल की गई हैं, संग्रहित की गई। इसके अतिरिक्त पुस्तकालय में 198 समसामयिक पत्रिकाएं मंगवाई जाती हैं। पुस्तकालय ने 5000 संदर्भ पूछताछों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है तथा पाठकों की विशिष्ट जरूरतों का भी ध्यान रखा है। संदर्भ कार्य और परामर्श के लिए लगभग 8600 पाठकों ने पुस्तकालय का दौरा किया।

4.35.6. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र–योजना भवन एकक

सभी सरकारी विभागों का तंत्र आई. सी. टी. पर निर्भर करता है, जो कि सरकारी कार्यों का सतत् संचालन करते हुए, सेवा प्रदान कर लोगों की बेहतरीन सेवा संबंधी उम्मीदों को पूरी करती है, जिससे अधिक पारदर्शी सरकार का सृजन होता है। तीन प्राथमिकताओं – बेहतरीन सेवाओं की सुपुर्दगी, तीव्रता और सरकारी सेवा सुपुर्दगी में सुधार के माध्यम से उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। सरकार में प्रत्येक विभाग को क्षमता के निर्माण की आवश्यकता है, ताकि लोगों की आवश्यकताओं को और अधिक अच्छे रूप में पूरा किया जा सके तथा सुधार के साथ सेवाएं दी जा सकें, जिन्हें एन. आई. सी. के माध्यम से पूरा किया जा सकता है तथा इसे उस मंत्रालय / विभाग की संबंधित एन. आई. सी. द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। एन. आई. सी. को वचनबद्ध होना होगा तथा विभाग को एन. आई. सी क्षमता के और अधिक प्रभावी इस्तेमाल के जरिए और अधिक बेहतरीन सेवाएं उपलबध करानी चाहिए, जो एन. आई. सी. प्रकोष्ठ उपलबध करा सकता है।

प्रौद्योगिकीय समाधान एवं सेवा प्रदाता होने के नाते अधिकांश सूचना प्रौद्योगिकी (आई. टी.) संबंधित हार्डवेयर, सॉटवेयर, स्टोरेज बैक – अप सेवा नेटवर्क संबंधित सूचना प्रणाली (एम आई एस) आवश्यकताओं के अनुसार डेटाबेस विकास / सॉटवेयर एप्लीकेशन योजना आयोग के विभिन्न प्रभागों की अवसंरचना सचिवालय (एस. ओ. आई.), सूचना अवसंरचना और नवप्रवर्त्तन पर प्रधान मंत्री के सलाहकार का कार्यालय, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकारण की एन. आई. सी. एकक की देख रेख भी राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा की जा रही है। योजना भवन इकाई योजना भवन में ही स्थित है। चालू वित्त वर्ष 2012–13 के

दौरान इसके द्वारा शुरू की गई कार्रवाईयों का संक्षिप्त ब्यौरा जिसमें दिसम्बर, 2012 तक की मुख्य उपलब्धियों को नीचे दर्शाया गया है।

1. अवसंरचना विकास

i) **हार्डवेयर** : हार्डवेयर की जरूरी कम्प्यूटर आवश्यकता और एन. आई. सी. एन. ई. टी. (इंटरानेट और इंटरनेट संबंधी नेटवर्क) की सहायता योजना आयोग, स्थित अवसंरचना सचिवालय (एस. ओ. आई.) सूचना एवं नवप्रवर्तन अल्पसंरचना पर प्रधानमंत्री के सलाहकार के कार्यालय और प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् को प्रदान किया जाता है। नए प्रापणों को न्यूनतम 4 जी.बी. रैम, 17"/19" टी. एफ. टी. प्रदर्शन प्रणाली और डी. वी. डी. राइटर के साथ नवीनतम डी. जी. एस. एण्ड डी. प्रणाली के अनुरूप मानकी.त किया गया है। डी. जी. एस. एण्ड डी. रेट कंट्रेक्ट के अनुसार डी. वी. डी. राइटर इसके अतिरिक्त वित्त मंत्रालय के मार्गनिर्देशों के अनुसार उप सचिव स्तर के अधिकारियों के लिए नवीनतम खाका वाली नोटबुक उन अधिकारियों को भी दी जा रही है, जिनके कार्य को प्रभाग के प्रमुख ने उचित ठहराया है और जिन्हें सदस्य, सचिव, योजना आयोग से अनुमोदन मिला है, जो सक्षम प्राधिकारी है।

ii) **लैन** : आज की स्थिति के अनुसार स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (लैन) को पी. जी. सी. आई. एल. 1 गीगा बाइट आप्टिकल फाइबर लिंक और अन्य 1 गीगा बाइट एम. टी. एन. एल. लोड, बैलिंसिंग के साथ साइबर लिंक सम्पर्कता बनाई गई है। पावर ग्रिड कारपोरेशन लिमिटेड (पी. जी. सी. एल.) की मौजूदा पट्टाशुदा लाइन को योजना भवन प्रयोक्ताओं के लिए एड. आन 1000 एम. बी. पी. एस. एम. टी. एन. एल. अतिरिक्त फाइबर कनेक्टिविटी के साथ 34 एम. बी. पी. एस. से 1000 एम. बी. पी. एस. के रूप में स्तरोन्नत कर दिया गया है। एल सी से आर सी पैच कोडों के माध्यम से सभी स्विचों को आप्टिकल फाइबर संयोज्यता से जोड़कर आंतरिक लैन का भी स्तरोन्नयन कर दिया गया है और प्राक्सी नए ले आउट के अनुसार अधिक तेज और सुरक्षित नेटवर्क संयोज्यता सहित पुनः संरूपित कर दी गई है। इस समय योजना आयोग के इंटरनेट में लगभग 750 ग्राहक, विभिन्न सर्वर और नेटवर्क प्रिंटर हैं।

iii) **वीलैन कार्यान्वयन** : प्रत्येक तल पर बेहतर, तेज ओर सुरक्षित नेटवर्क के लिए 'वीलैन' को योजना भवन में कार्यान्वित कर दिया गया है तथा सभी कंप्यूटरों को एक नेटवर्क नेबरहुड में एकीकृत करने के वास्ते उसके लिए 'वीलैन' पर एक वेब आधारित 'नेटशेयर' अनुप्रयोग विकसित किया गया है ताकि फाइलों / फोल्डरों का आदान–प्रदान किया जा सके। स्पैम / वायरस आक्रमण को रोकने तथा इसे एक सुरक्षित नेटवर्क बनाने के लिए प्रत्येक मंजिल पर अप्रयुक्त 1.2 पोर्टों को निष्क्रिय कर दिया गया।

iv) **वाई – फाई समर्थित वायरलैस इंटरनेट एक्सेस नेटवर्क कनेक्टिविटी** : पहले चरण में, 'वीलैन' 4400 सीरीज़ नियंत्रक के माध्यम से 'सिस्को' प्रबंधित एक्सेस पाइंटों के जरिए विज्ञान भवन में पहली और दूसरी मंजिल के प्रयोक्ताओं के लिए एक कुशल आधुनिकतम तीव्र और सुरक्षित 'वीफी' समर्थित वायरलैस इंटरनेट एक्सेस नेटवर्क स्थापित किया गया है, जिससे कि सभी वरिष्ठ अधिकारी बैठकों में भाग लेते समय अपने लैपटाप पर डाटा आसानी से प्राप्त कर सकें। इसके साथ ही, पहली और दूसरी

मंजिल पर सभी समिति कक्ष पूर्णतः 'वीफी' हैं। इस कंट्रोलर का यह लाभ है कि इन एक्सेस पाइंटों का प्रबंधन किसी भी निश्चित पूर्व परिभाषित पाइंट से किया जा सकता है, जहां इसे नेटवर्क पर दूरस्थ वायरलैस के जरिए कायम किया जा सकता है। एल. ए. पी. सिस्को यूनिफाइड वायरलैस नेटवर्क आर्किटेक्चर का भाग है। सम्पर्कता के लिए किसी को भी मैक एड्रैस से जुड़ना होता है तथा उचित लोग्स के लिए आंतरिक वाई – फाई से गुजरना होता है, ताकि सुरक्षित उपभोक्ता आई. डी. / पासवर्ड प्राप्त करना होता है और तब ही उसे नैटवर्क से सम्पर्कता मिल सकती है। इसके साथ, उपाध्यक्ष, राज्य मंत्री, सदस्यों, सभी प्रधान सलाहकारों / वरिष्ठ सलाहकारों, सलाहकारों के चेंबर और पहली व दूसरी मंजिल पर समिति कक्ष पूर्णतः वाई–फाई सुविधा से युक्त हैं।

v) **'निकनेट' के साथ वी. पी. एन. (वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क) संयोज्यता का सुदृढ़ीकरण :** वी. पी. एन. पर फाइल अंतरण प्रोटोकाल (एफ. टी. पी.) का प्रयोग करके योजना आयोग के प्रशासनिक नियंत्रण में वेबसाइटों के स्थानीय रूप से दूरस्थ अपडेशन के लिए वी. पी. एन. (विशुद्धतः निजी नेटवर्क) संयोज्यता भी स्थापित कर दी गई है।

vi) **'निकनेट' पर डेस्कटॉप 'एक्जीक्यूटिव वीडियो कांफ्रेंसिंग सिस्टम' (ई. वी. सी. एस.) की स्थापना करना – एन. आई. सी. की एक ई – शासन पहल :** भारत सरकार पिछले कुछ वर्षों में आयोजित की जा रही ई – शासन पहल को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करती है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी नूतनताओं और इनके कार्यान्वयन से हमारे दिन – प्रतिदिन के कार्यों के निष्पादन की विधियों में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। यह प्रौद्योगिकी वीडियो कांफ्रेंसिंग जैसे विकल्पों की व्यवस्था करके यात्राओं की जरूरत का स्थान ले रही है। तुरन्त निर्णय लेने को सुगम बनाने के लिए राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों के सभी मुख्य सचिवों / प्रशासकों तथा भारत सरकार के सभी सचिवों के डेस्कों पर कार्यकारी वीडियो काफ्रेंसिंग सिस्टम (ई. वी. सी. एस.) स्थापित करने का निर्णय लिया गया। उपरोक्त के अनुसार, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के 35 मुख्य सचिवों / प्रशासकों और भारत सरकार के 102 सचिवों के डेस्कों पर 'निकनेट' पर कार्यकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग पद्धति (ई. वी. सी. एस.) इससे पहले ही स्थापित कर दी गई है जिससे कि अंतरमंत्रालयी परामर्शों और तुरन्त निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न न हो। ई. वी. सी. एस. से जुड़े किसी भी व्यक्ति द्वारा पाइंट से पाइंट तक वीडियो कांफ्रेंसिंग शुरू की जा सकती है और एन. आई. सी., दिल्ली के माध्यम से बहु – पाइंट वीडियो कांफ्रेंसिंग की व्यवस्था की जा रही है।

वीडियो कांफ्रेंसिंग प्रौद्योगिकी अब सम्मेलन कक्षों से बाहर आ गई है। यहां यह पारंपरिक रूप से सीमित थी। इसका श्रेय वीडियो काफ्रेंसिंग उपस्करों की औसत कीमत में भारी कटौती और नेटवर्क ढांचे और बैंडविड्थ क्षमताओं में कुल मिलाकर हुए सुधार को जाता है। 'निकनेट' नामक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के विद्यमान आई पी आधारित नेटवर्क ढांचे का उपयोग, उत्तम कोटि की वीडियो काफ्रेंसिंग के लिए आवश्यक उच्च गति बैंडविड्थ (4 एम. बी. पी. एस.) की व्यवस्था करने के लिए किया गया है।

प्रमुख तकनीकी चुनौती एक ही वर्चुअल बैठक में पूरी नेटवर्क विश्वसनीयता के साथ और यह सुनिश्चित करते हुए ई. वी. सी. एस. नेट पर संचार सुरक्षित है, सभी राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों में 35 मुख्य सचिवों / प्रशासकों को जोड़ने की है। एक अन्य तकनीकी चुनौती 'निकनेट' पर सेवा की कोटि कार्यान्वित करने की है, जो आई. पी. नेटवर्क पर वीडियो कांफ्रेंसिंग जैसे रियल टाइम अनुप्रयोगों पर अमल करने के लिए बहुत जरूरी है।

संचार के लिए कम लागत वाले निकनैट से एन. आई. सी. योजना भवन एकक ने उसे कार्यान्वित करने की पहल की है ताकि शीर्षस्थ अधिकारी आई. पी. पर संचार की बेहतर प्रणाली का उपयोग कर सकें, उपयोग के लिए प्रशिक्षण नहीं दिया गया है और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए प्रदर्शन भी किया गया है। यह परियोजना मौजूदा आईपी आधारित नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पर कार्यान्वित की है। संचार के लिए निकनैट की लागत भी कम पड़ती है। कलेन्डर वर्ष के दौरान उपाध्यक्ष, योजना आयोग, सदस्य और सचिव, योजना आयोग की अध्यक्षता में और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की लगभग 100 विडिया कांफ्रेंसिंग कराई और इस सेवा व्यापक स्तर पर उपयोग किया जा रहा है। वामपंथी जिलों, सुनामी पुनर्वास, अन्य मामलों के संबंध में अनेक अवसरों पर राज्यों के मुख्य सचिवों से मल्टि कांफ्रेंसिंग कराई गई। ईवीसीएस की अत्यधिक सफलता को देखते हुए यही विषय मंत्रिमंडल सचिव के निदेश पर सभी राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों के पुलिस महानिदेशकों (डी. जी. पी.) तक निकनेट के माध्यम से सफलता के साथ पहुँचाई गई और वे भी सुरक्षित वातावरण में इसका उपयोग कर रहे हैं एवं इसका व्यापक स्तर पर उपयोग हो रहा है।

vii) **इंटरनेट और मेल सुविधा** : इंटरनेट और ई–मेल की सुविधाओं के लिए समर्थन योजना आयोग, अवस्थापना सचिवालय, ई. ए. सी., अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान (आई. ए. एम. आर.), नरेला और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के सभी अधिकारियों को दिया गया है। योजना आयोग के मेल खातों का अद्यतन और नियमित अनुरक्षण किया जाना जारी है। संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर के सभी अधिकारियों को निकनेट टेलीकंप्यूटिंग प्रोग्राम के अंतर्गत उनके निवास स्थान पर कंप्यूटर प्रणालियां अर्थात डेस्कटॉप / लैपटॉप तथा ब्राडबैंड संयोज्यता प्रदान कर दी गई है।

viii) **प्रणाली संचालन** : मौजूदा प्राक्सी सर्वर को अधुनातन आई. एस. ए. 2004 सर्वर के साथ स्तरोन्नत कर दिया गया है। सभी सर्वरों अर्थात प्राक्सी सर्वर, डाटाबेस सर्वर, पीसी सर्वर, एंटी वायरस और पैच मैनेजमेंट सर्वर का संचालन किया गया तथा वह चल रहा है। सर्वरों के बचाव और सुरक्षा के लिए समय – समय पर सभी सर्वरों के लिए आधुनिक सेवा पैक, सिक्युरिटी पैच तथा एंटी वायरस अपडेट्स स्थापित किए गए हैं।

ix) **प्रयोक्ता सहयोग** : योजना आयोग के प्रयोक्ताओं को तथा विज्ञान भवन में प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति (ई. ए. सी.) को, जब कभी आवश्यक होता है, तकनीकी सहयोग (हार्डवेयर / साटवेयर की सेवाएं प्रदान की जाती हैं जैसे कि एंटीवायरस पैकेज, इंटरनेट और नेटवर्क संयोज्यता के लिए प्रयोक्ता की मशीन का समरूपण, ई–मेल आदि जैसे विभिन्न साटवेयरों की स्थापना) प्रदान किया जाता है। प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में विज्ञान भवन में आयोजित आधारभूत ढांचे संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन और 27 दिसंबर, 2012 के दौरान विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय विकास परिषद की 57वीं बैठक और हाल ही में पूर्ण योजना आयोग की बैठक प्रधानमंत्री की

अध्यक्षता में आयोजित की गई। राष्ट्रीय विकास परिषद् की सभी बैठकों में उद्घाटन और समापन भाषण के सत्र का एन आई सी द्वारा इंटरनेट पर सजीव वेबकास्ट भी किया गया जिससे किसी भौतिक अथवा भौगोलिक सीमाओं के बिना यह राष्ट्रीय घटना विश्व के सभी कोनों में पहुंच सके।

x) **सेंट्रलाइज्ड एंटी वायरस साल्यूशन :** योजना भवन, ई. ए. सी. और एन. के. सी. में ट्रेंड माइक्रो – आफिस स्केन इंटरप्राइजेज एडीशन साटवेयर वर्जन 10.6.2192 के साथ एंटी–वायरस सोल्यूशन हेतु एक अद्यतन सेंट्रलाइज सर्वर स्थापित किया गया है। नेटवर्क में वर्म्स को फैलने से रोकने के लिए योजना आयोग में एक पैच मैनेजमेंट सर्वर भी स्थापित कर दिया गया है। सर्वर और ग्राहकों पर एंटी–वायरस और पैचेज का नियमित अद्यतनीकरण / स्तरोन्नयन किया गया है। रोजमर्रा के आधार पर संक्रमित मशीन पर निगरानी रखी गई है तथा वायरस की समय–समय पर सफाई की गई है।

xi) **योजना आयोग में 'योजना के लिए मल्टी लेयर जी आई एस (ज्योग्राफिकल इनफारमेशन सिस्टम) हेतु स्पेटिअल डाटा इनफ्रास्ट्रक्चर' के लिए आधारित ढांचे की स्थापना :** योजना आयोग में स्थित एन आई सी यूनिट जी. आई. सी. के क्रियान्वयन के लिए सभी आवश्यक सहायता दे रहा है। एन. आई. सी. – योजना भवन यूनिट, योजना आयोग ने योजना आयोग के सभी अधिकारियों के लिए वीडियो – वॉल पर राष्ट्रीय जी. आई. एस. पोर्टल को दिखाने की भी व्यवस्था की। योजना भवन में आयोजित वार्षिक योजना पर चर्चा के दौरान राज्यों के मुख्य मंत्रियों को जी. आई. एस. के क्रियाकलाप भी दिखाए गए। उल्लेखनीय है कि योजना आयोग ने दो जी. आई. एस. परियोजनाएं शुरू की हैं, अर्थात

(क) स्पेटिअल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मल्टी–लेयर जी. आई. एस. फॉर प्लानिंग (राष्ट्रीय जी. आई. एस.)।

(ख) कंप्यूटर एडिड डिजिटल मैपिंग ऑफ सिक्स मेगा सिटीज।

इन परियोजनाओं को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा आयोजित किया जाता है। उपरोक्त प्रोजेक्ट 'नेशनल जी. आई. एस. वेब पोर्टल' के रूप में 'फ्रेमवर्क सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर' सृजित करने में समर्थ है जिससे बहु–स्रोतों से डाटा की हिस्सेदारी और लीवरेज के स्थान का लाभ उठाने में सुविधा मिलती है। विशिष्ट जी. आई. एस. सेवाएं, जिनसे योजना और ई–शासन प्रोसेस में सम्मिलित विभिन्न पणधारियों (स्टेकहोल्डर्स) की जरूरत के अनुसार और अधिक प्रथागत बनाया जा सकता है।

II. वेब आधारित एम आई एस और डाटाबेस

1. केन्द्रीय योजना मानिटरिंग सूचना पद्धति (सी. पी. एल. ए. एन. – एम. आई. एस.)

यह एक वेब आधारित सूचना पद्धति है जिसे योजना आयोग द्वारा योजना आयोग की एन. आई. सी. एकक को विकास के लिए सौंपा गया है जिससे कि सभी मंत्रालयों / विभागों द्वारा वर्ष 2013–14 के लिए केन्द्रीय क्षेत्रक और केन्द्र प्रायोजित योजना और बारहवीं योजना की चर्चा के लिए आनलाइन डाटा प्रविष्टि / अद्यतन बनाने का काम किया जा सके।

डाटा प्रविष्टि और ऑनलाईन सूचना अद्यतन करने हेतु यह एप्लीकेशन पहले से ही संचालित है। लगभग 74 मंत्रालय/विभागों हेतु यूजर्स बना दिये गये है। सभी मंत्रालय/विभाग इस वित्तीय वर्ष 2013–14 जीबीएस एक्ससाईज ऑनलाईन हेतु आंकड़ों का अद्यतन इस पैकेज के माध्यम से कर रहे हैं।

परिणामी बजट 2012–13 के अनुसार परिव्यय और परिणाम / लक्ष्य – 2012–13 का विवरण और अद्यतन वार्षिक उपलब्धि, विशेष रूप से देशज संसाधनों द्वारा अथवा विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित करने के लिए परियोजनाओं / कार्यक्रम, जो स्कीम समाप्त कर दी गई है अथवा जिन्हें मिला दिया गया है, आदि का ब्यौरा इस एम आई एस के जरिए सृजित किया जाएगा। इसके लिए एक वेब आधारित एम. आई. एस. डिजाइन और विकसित की गई है अर्थात यू. आर. एल. http://pcserver.nic.in/cplan

इसे चालू वार्षिक योजना (2013–14) पर चर्चा के लिए योजना आयोग की आवश्यकता के अनुसार संशोधित किया गया। प्रस्ताव, जिसमें विभिन्न स्कीमों / कार्यक्रमों के लिए योजना व्यय दिया गया है, बाहरी और घरेलू संसाधन घटक दिए गए हैं, 12वीं योजना के लिए आंतरिक और बाहरी बजटीय संसाधन का पी एस ई.वार प्राक्कलन दिया गया है, को प्रस्तुत करने के लिए इनपुट प्रोफार्मा को 08 परिशिष्टों (12 फारमेट) में मानकीकृत किया गया है। विकास शीर्ष–वार योजना परिव्यय आदि साइट में उपलब्ध किया गया है जिससे प्रयोक्ता फारमेट को डाउनलोड कर सकें और सभी 12 प्रोफार्मा के लिए ऑनलाइन डाटा प्रविष्टि कर सकें / माड्यूल को अद्यतन बना सकें। सॉटवेयर अनुप्रयोग में निम्नलिखित सुविधाएं हैं :

प्रमाणीकरण के साथ पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है। तीन प्रकार के प्रयोक्ता हैं, प्रशासन जो प्रयोक्ता का प्रोफाइल, मंत्रालय / विभाग के लिए मास्टर सारिणी बनाता है अथवा गलत प्रविष्टि को लोप करता है योजना आयोग का प्रयोक्ता जो विभिन्न मंत्रालय प्रभाग का काम देखता है, वह विभिन्न मंत्रालयों / विभागों द्वारा भरी गई सूचना की स्थिति को देखता है। 74 मंत्रालय / विभाग स्तर के प्रयोक्ता ऑनलाइन सूचना को अद्यतन करते हैं।

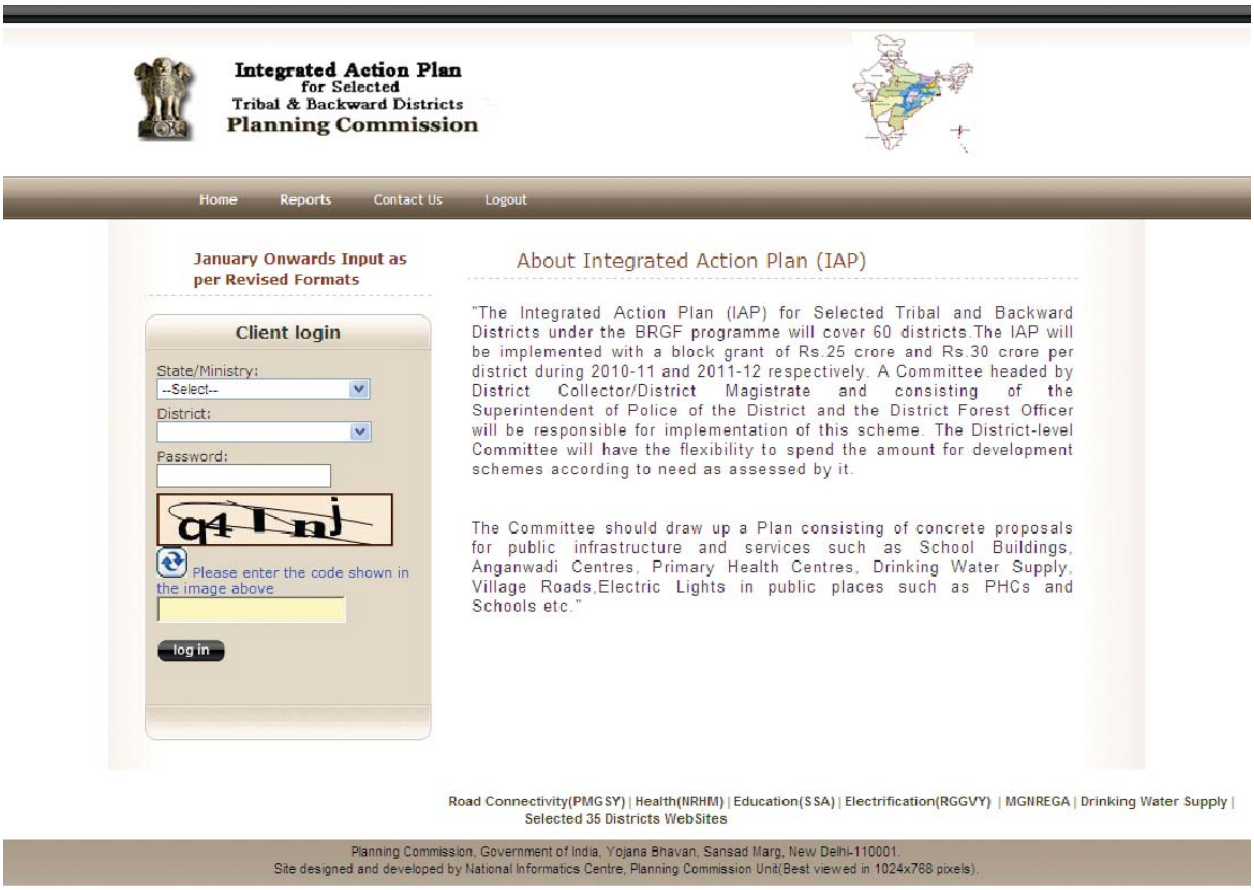

- तीन विभिन्न किस्म के प्रयोक्ता उपकरण होते हैं, जो प्रयोक्ता आई डी के विशेषाधिकार पर निर्भर हैं।
- इस पद्धति के एक्सेल टेबुलर फार्म में सभी परिशिष्टों को डाउनलोड करने की सुविधा है। बाद में डाटा का एक्सेल फारमेट में अपलोड किया जा सकता है अथवा डाटाबेस में आनलाइन प्रविष्टि / सीधे अद्यतन माड्यूल, अर्थात ऑनलाइन अद्यतन का प्रयोग किया जाता है।
- योजना आयोग के लिए मंत्रालय और विभाग–वार प्रश्न/रिपोर्ट, तिथि और समय–वार अद्यतन स्थिति रिपोर्ट भी उपलब्ध है।

2. चुनिंदा जनजातियों और पिछले जिलों (आई. ए. पी. एम. आई. एस.) के लिए एकी.त कार्य योजना पर मॉनिटरण सूचना प्रणाली।

जनजातीय जिलों में विकास के अभाव तथा बामपंथ उग्रवाद के मुद्दों चिंता के विषय बने हुए हैं। वित्त मंत्री ने अपने 2011–12 के वित्त भाषण में घोषणा की थी कि बाम पंथ उग्रवाद से प्रभावित जिलों के लिए सरकार एक विशेष स्कीम शुरू करना चाहती है। भारत सरकार हाल ही के कुछ वर्षों में शुरू किए गए ई–शासन को सर्वाधिक प्राथमिकता देना चाहती है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी संबंधी नवप्रवर्त्तन और इनका कार्यान्वयन हमारे दैनिक कार्यों की निष्पादन प्रणाली तेजी से बदल रहा है।

चुनिंदा 82 जनजातीय और पिछड़े जिलों के लिए एकी.त कार्य योजना पर एम. आई. एस. एक वैब आधारित एप्लीकेशन है, ताकि विभिन्न कार्यक्रमों का ऑनलाइन मॉनिटरण किया जा सके। यह भी उल्लेखनीय है कि बामपंथ उग्रवाद पर कार्य दल का गठन 12 फरवरी, 2008 को मंत्रिमडल सचिव की अध्यक्षता में किया गया ताकि काफी व्यापक दायरे पर नक्सल समस्या से निबटने के लिए जारी प्रयासों में सुरक्षा गतिविधियों तथा बृहद स्तर पर किए जा रहे विकास कार्यों के समन्वित प्रयासों को बढ़ाया जा सके।

चुनिंदा 82 जनजातिय और पिछड़े जिलों के लिए एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) पर एम. आई .एस. एफ वैब आधारित एप्लीकेशन है ताकि विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रमों का मॉनिटरिंग किया जा सके। योजना आयोग की एन. आई. सी. एकक ने 09 राज्यों के 82 चुनिंदा जनजातीय और पिछड़े जिलों के लिए एकीकृत कार्य योजना (आई. ए. पी.) हेतु एम. आई. एस. का विकास किया है। ग्यारह प्रमुख फ्लैगशीप कार्यक्रमों तथा वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान रु. 25 करोड़ तथा 2011–12 के लिए प्रथम एवं द्वितीय किस्त के रूप में जारी रु. 30.00 करोड़ के सदुपयोग के मॉनिटरण तथा निष्पादन को अद्यतन बनाने के लिए इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2012–13 के दौरान पिछली अवधि में व्यय के निष्पादन के आधार पर 30 करोड़ रू. जारी किए जा रहे हैं और शुरू किए कार्यों / परियोजनाओं का सफल ऑडिट के बाद ही ऐसा किया जा रहा है। इस प्रकार वर्ष 2012–13 के लिए रु. 75 करोड़ के अनुदान वाली परियोजनाओं / स्कीमों की मासिक प्रगति के मॉनिटरण के लिए योजना आयोग हेतु मॉनिटरण प्रणाली विकसित की गई।

अतः दी गई भूमिका के आधार पर प्रणाली को खोला जा सकता है। अतः यूजर प्रणाली के विशेषाधिकार के अनुसार तीन अलग–अलग प्रकार की अंतभीति बनाई गई है। उपभोक्ता भी तीन प्रकार के हैं, प्रशासक जो राज्य / जिलों स्कीमों के लिए उपभोक्ता प्रोफाइल और मास्टर टेबल का उपयोग कर सकते हैं तथा असंगत सूचना के लिए विकल्प को हटा सकते हैं योजना आयोग प्रयोक्ता, जो विभिन्न प्रभागों / मंत्रालयों को देखता है वह विभिन्न राज्यों / जिलों द्वारा फाइल की गई सूचनाओं की स्थिति को देख सकते हैं। जिला और राज्य स्कीम यूजर अपने संबंधित जिलों से सूचनाओं को ऑनलाइन अद्यतन कर सकते हैं।

एप्लीकेशन प्रचालन में हैं तथा और आवधिक रूप से प्रत्येक माह 100 प्रतिशत अद्यतनीकरण की कार्रवाई की जा रही है। लगभग हर माह सचिव, योजना

आयोग निष्पादन की समीक्षा के लिए समीक्षा बैठक भी बुलाती है, जिसमें योजना आयोग में मीडिया कांफ्रेंस प्रणाली का उपयोग किया जाता है तथा मुख्य सचिवों के साथ एन. आई. सी. के सिक्योर्ड वी. सी. नैटवर्क का उपयोग किया जाता है तथा 9 राज्यों में उनके अधीनस्थ कर्मचारी भी उनके साथ होते हैं और उनके आई. ए. पी. जिलों से कलैक्टर और जिला मजिस्ट्रेट भी होते हैं। विभिन्न रिपोर्टों के साथ तैयार किए गए दस्तावेजों का उपयोग करते हुए तथा एम. आई. एस. आई. ए. पी. प्रणाली के माध्यम से प्राप्त रिपोर्टों पर आधारित ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन के उपयोग से निष्पादन का विश्लेषण किया जाता है।

एम. आई. एस. अधिक कारगर बना दी गई है जो बुनियादी नौ (9) सुविधाओं जैसे – शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, संचार, मनोरंजन सुविधाएं, बैंकिंग, पोस्ट टेलीग्राफ, टेलीफोन, विद्युत आपूर्ति और संपर्कता के बारे में 60 वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों में जिला और ग्राम स्तरीय सूचना प्रदान करती है। यह जनगणना 2001 के आंकड़ों के साथ 31.3.1999 को समेकित गैर जनगणना के आधार पर विकसित प्रणाली है। यह साइट सुरक्षा की दृष्टि से ऑडिट वाली असुरक्षा की स्थिति को दूर किया जा सके। मॉनिटर की जा रही ग्यारह स्कीमें इस प्रकार है :

1. पूरक पोषण (आई. सी. डी. एस.)
2. आवास (इंदिरा आवास योजना)
3. स्वास्थ्य (एन. आर. एच. एम.)
4. विद्युतीकरण (पी. एम. जी. एस. वाई.)
5. पेयजल आपूर्ति (डी. डब्ल्यू. एस.)
6. आश्रम स्कूल
7. वनाधिकार अधिनियम
8. राष्ट्रीय राजमार्ग / राज्य राजमार्ग
9. सर्व शिक्षा अभियान (एम. एस. ए.)
10. सड़क संपर्कता (पी. एम. जी. ए. एस. वाई.)
11. एम. जी. नरेगा

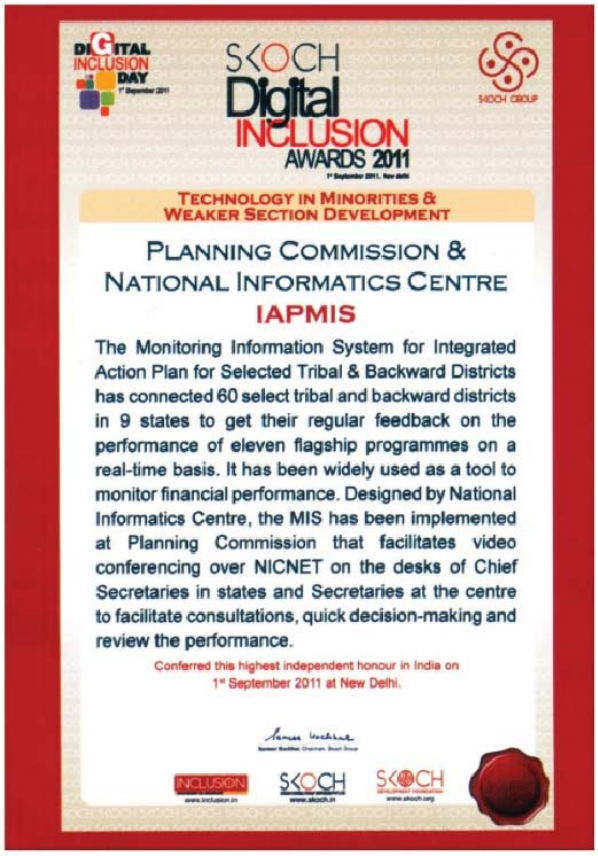

इन 82 जिलों से संबंधित जनगणना 2001 के जनानकिकी और डाटाबेस के आधार पर एम. आई. एस. को भी व्यापक बना दिया गया है। यह प्रणाली 9 प्रकार की बुनियादी सुविधाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, संचार, मनोरंजन सुविधा, बैंकिंग, पोस्ट टेलीग्राफ, टेलिफोन विद्युत आपूर्ति एवं संपर्कता के संबंध में यह प्रणाली जिला एवं राज्य स्तरीय सूचना बामपंथ उग्रवाद प्रभावित 60 जिलों के बारे में उपलब्ध कराती है।

आज की स्थिति के अनुसार यह राष्ट्र स्तरीय परियोजना को 9 राज्यों में योजना आयोग से विडियोग्राफी सूत्र चलाकर इन राज्यों के मुख्य सचिवों तथा 82 जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों / कलेक्टरों के शीर्षस्थ स्तर पर इसका मॉनिटरण किया जा रहा है तथा सभी फ्लैगशीप स्कीमों की भौतिक / वित्तीय प्रगति का मॉनिटरण किया जाता है तथा योजना आयोग और अन्य केन्द्रीय

मंत्रालयों के कर्मचारियों द्वारा विकास खर्च के सदुपयोग का मॉनिटरण किया जाता है।

3. व्यय वित्त समिति के मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत परियोजनाओं का मॉनिटरण (एम. आई.एस–ई.एफ.सी.)

परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग (पी. ए. एम. डी.), योजना आयोग केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं और स्कीमों को सरकारी विनिवेश बोर्ड अथवा व्यय वित्त समिति द्वारा निवेश के लिए अनुमोदन / निर्णय जो परियोजना के आकार और लागत पर निर्भर होती है, के लिए विचार करने से पूर्व विषय प्रभाग के परामर्श पर मूल्यांकन करता है। इस समय यह प्रभाग केन्द्रीय क्षेत्र की 25 करोड़ रुपए या इससे अधिक की लागत वाली सभी परियोजनाओं / स्कीमों का मूल्यांकन करता है। पी. ए. एम. डी. द्वारा किए जाने वाले मूल्यांकन में मोटे तौर पर विभिन्न पहलू होते हैं, जैसे आवश्यकता और औचित्य, योजना के साथ संपर्क, मांग आपूर्ति, तकनीकी व्यवहार्यता, परियोजना प्राधिकारियों की संगठनात्मक, प्रबंधकीय और वित्तीय क्षमता, लागत प्राक्कलन पर विश्वसनीयता, परियोजना / स्कीमों की वित्तीय और आर्थिक लाभप्रदाता।

सरकार के निवेश संबंधी निर्णय को पूरा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्रक में बड़ी परियोजनाओं और कार्यक्रमों की स्कीमों तथा केन्द्रीय क्षेत्रक परियोजनाओं के टेक्नो–आर्थिक मूल्यांकन को शुरू करने हेतु मूल्यांकनों के लिए जारी मूल्यांकन नोट्स की स्थिति का पता लगाने के लिए और बकाया ईएफसी/पीआईबी प्रस्तावद्व एवं ईएफसीसी/पीआईबी हेतु वैब आधारित सूचना प्रणाली विकसित की गई है। जनवरी, 2008 से जारी मूल्यांकन नोट्स की स्थिति तथा आज तक बकाया ईएफसी/बीआईबी प्रस्तावों की सूचना को अपलोड किया गया।

इस पद्धति में दो क्षेत्र जनता और प्रशासक हैं। जनता का क्षेत्र रिपोर्ट को देखना है और प्रशासक का क्षेत्र रिकार्ड की प्रविष्टि करनी है, उसे अद्यतन करना है, लोप करना है और उसे वापस लाना है। यू. आर. एल. का http://pcserver.nic.in/efc का प्रयोग करके पद्धति को देखा जा सकता है। मूल्यांकन नोट के लिए जारी इनपुट और ई. एफ. सी. / पी. आई. बी. के पास लंबित प्रस्ताव भी अद्यतन है। परियोजना का क्षेत्र बढ़ा दिया गया है और उसमें मंत्रिमंडल, सी. सी. ई. ए. और अवस्थापना संबंधी समिति आदि से संबंधित परियोजनाओं को शामिल किया गया है इत्यादि इस पद्धति में दो क्षेत्र जनता और प्रशासक हैं। जनता का क्षेत्र रिपोर्ट को देखना है और प्रशासक का क्षेत्र रिकार्ड की प्रविष्टि करनी है, उसे अद्यतन करना है, लोप करना है और उसे वापस लाना है। यू. आर. एल. का http://pcserver.nic.in/efc का प्रयोग करके पद्धति को देखा जा सकता है। इसे योजना आयोग के सरकारी बेवसाइट http://planningcommission. gov.in पर इनपुट किया गया है ताकि मूल्यांकित नोट जारी किए जा सकें और ई. एफ. सी. / पी. आई. बी. प्रस्तावों को अद्यतन किया जा सके।

4. कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पी. ई. ओ.) योजना आयोग के विभिन्न लैगशिप कार्यक्रमों के मूल्यांकन अध्ययनों के लिए आंकड़ा विश्लेषण प्रणालियां

मूल्यांकन योजना प्रक्रिया से जुड़ा एक अभिन्न अंग है। परियोजना क्षेत्र, लक्षित समुहों निचले स्तर के संस्थानों और कार्यान्वयन कर्ताओं एवं लाभार्थियों के संभावित व्यवहार के बारे में बना पर्याप्त जानकारी के योजना स्कीमें तैयार करके उनका कार्यान्वयन किया जाता है अतः मूल्यांकन एवं मॉनिटरण संबंधी फीड बैक एक महत्वपूर्ण साधन बन जाता है। जिसे निष्पादन में सुधार के लिए उचित डिजाइन कार्यान्वयन पद्धतियों एवं आवश्यक सुधारात्मक उपायों का पता लगाया जा सकता है ऐसे महत्वपूर्ण कुशल मूल्यांकन प्रणाली को मद्देनजर रखते हुए कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पी. ई. ओ.) की स्थापना योजना आयोग, भारत सरकार इस उद्देश्य के साथ की गई थी कि आरंभ में सामूदायिक विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया जाए। उत्तरोत्तर रूप से पी. ई. ओ. का दायरा और व्यापक होता गया ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रक के प्रत्येक मूल्यांकन अध्ययन को कवर किया जा सके। प्रत्येक वर्ष लगभग 3 से 4 मूल्यांकन अध्ययन संचालित किये जाते हैं इन मूल्यांकन अध्ययनों में आंकड़े लाभार्थियों और विभिन्न स्तरों पर कार्यान्वयन कर्ताओं जैसे ग्राम, ब्लॉक, जिला और राज्य से विभिन्न मुद्दों से संबंधित आंकड़े का कार्यान्वयनकर्ताओं और स्कीमों के प्रभाव के संबंध में लिये जाते हैं और पी. ई. ओ. द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने के लिए उनका गहन विश्लेषण किया जाता है।

ये मूल्यांकन रिपोर्ट सामाजिक वैज्ञानिकों शोधकर्ताओं विद्यार्थियों नीति निर्माताओं सामान्य जनता को उन कारकों के संबंध में उपयोगी सूचनाएं प्रदान करते हैं जो कार्यक्रमों की प्रभावी कार्यान्वयन को रोकते हैं तथा कार्यान्वयन की सफलता में योगदान देते हैं।

मूल्यांकन अध्ययनों का कम्प्यूटरीकरण

एकीकृत सूचना प्रणाली के माध्यम से इन प्रत्येक मूल्यांकन अध्ययनों के लिए एन. आई. सी. एक प्रमुख भूमिका अध्ययन के हर कदम आंकड़ा तैयार करने प्रविष्टि आंकड़ा विश्लेषण की वैधता तक प्रमुख भूमिका एन. आई. सी. निभाता है।

प्रत्येक अध्ययन में सूचना 8 से 12 अनुसूचितयों से ली जाती है, प्रत्येक अनुसूची में निचले स्तर से ऐसे सैंकड़ों मापदंड एकत्र किए जाते हैं जहां विभिन्न प्रकार असंगतियों और गलतियों की संभावना होती है। अनेक प्रश्न विषय परक होते हैं जिनका आंकड़े से समानता नहीं होती उनको भी देखना पड़ता है जो एक अन्य समस्या है। ये आंकड़े देश के भविष्य के लिये संवेदनशील होते हैं। अतः उनमें शत प्रतिशत सच्चाई का होना जरूरी है, जो ऑनलाइन और ऑफ लाइन वैधता दोनों ही के आधार पर कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से लिए जाते हैं।

प्रकृति से उपचारात्मक होने के नाते आंकड़ा विश्लेषण मूल्यांकन रिपोर्टों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य, जिला, ब्लाक, ग्राम घर / लाभार्थी और प्रत्येक अध्ययन के लिए विशिष्ट स्तरों से प्राप्त आंकड़ों का गहन विश्लेषण सभी मापदंडों के अनुसार किया जाता है। विभिन्न स्तरों से विभिन्न पैरामीटरों से

रिपोर्ट प्राप्त कर उनका विश्लेषण किया जाता है। सही आंकड़ें उपलब्ध कराने और उनकी सतत बनाये रखने और समय पर विश्लेषित सूचना दे दें की पी. ई. ओ. की मांग को पूरा करना एन. आई. सी. के लिये एक चुनौति बन जाता है, जिसके लिए सूचना में नए विकास शुरू करने के लिए सतत प्रयास की जरूरत है, इस नई प्रौद्योगिकी के लिये कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूरा होने के बाद ही यह संभव हो पाता है कि इस प्रक्रिया को और अधिक सहज और प्रभावी बनाया जायें।

इन 3 मूल्यांकन अध्ययनों के लिए कुछ आंकड़ा विश्लेषण संगठन द्वारा शुरू किया गया है, जो कि योजना आयोग का एक प्रभाग है। ये अध्ययन इस प्रकार है :

क. पकाया हुआ मध्याह्न भोजन (सी. एम. डी. एम.) : एक मूल्यांकन अध्ययन – वेब आधारित आंकड़ा विश्लेषण प्रणाली

पकाया हुआ मध्याह्न भोजन स्कीम के कार्यान्वयन के मूल्यांकन हेतु एक सर्वेक्षण कराया गया है और पूर्व परिभाषित 10 फारमेट्स के जरिए राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव के विभिन्न स्तरों पर लाभार्थियों को ध्यान में रख कर विभिन्न विषयों, जैसे –

- निधि प्रवाह और उपयोग
- खाद्यान्न उपयोग
- लाभार्थी ब्यौरा आदि

के बारे में आंकड़े एकत्र किए गए हैं। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पी. ई. ओ.), योजना आयोग द्वारा स्कीम के लिए मूल्यांकन रिपोर्टें तैयार करने में की मदद के लिए यह परियोजना तैयार की गई है। वेब आधारित पकाया हुआ मध्याह्न भोजन प्रणाली के लिए आंकड़ा विश्लेषण प्रणाली (डाटा एनेलेसिस सिस्टम फॉर सी. एम. डी. एम.) को ग्राम शेड्यूल के लिए तैयार किया गया है। राज्य, जिला, ब्लॉक, ग्राम, स्कूल, लाभार्थी, ड्रॉप आउट, स्कूल से बाहर रहे बच्चों तथा माता–पिता के आंकड़े सफलता के साथ ऑनलाइन प्रविष्टि तथा 131 विश्लेषणात्मक रिपोर्टें जनरेट की गईं।

ख. भारत निर्माण के ग्रामीण सड़क घटक (ग्रामीण सड़क) पर मूल्यांकन अध्ययन

भारत निर्माण के ग्रामीण सड़क घटक के कार्यान्वयन की सफलता का अनुमान लगाने और उस कार्यान्वयन में बाधाओं, आदि, यदि कोई हों, का पता लगाने के लिए योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा देशव्यापी सर्वेक्षण किया गया है।

विभिन्न विषयों जैसे वित्तीय कार्य निष्पादन, और नई संयोज्यता, बस्तियां क्षेत्र विस्तार, लम्बाई, क्षेत्र का विस्तार, गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र का स्तर और प्रभाविकता, पूर्व पारिभाषित सात शेड्यूल जैसे राज्य, जिला, ब्लॉक, सड़क, बस्ती, लाभार्थी और फोकस समूह के जरिए विभिन्न स्तर पर लाभार्थी ब्योरा आदि के वास्तविक कार्य.निष्पादन के आंकड़े एकत्र किए गए हैं। इस परियोजना के तहत आंकड़ों के विश्लेषण के लिए मौजूदा एल. ए. एन. पर ऑनलाइन डेटा एंट्री जरूरी विभिन्न मानदंडों के आधार पर 109 विश्लेषणात्मक रिपोर्टों की जनरेशन शुरू की गई।

ग. समग्र स्वच्छता अभियान (टी. एस. सी.) पर मूल्यांकन अध्ययन

'समग्र स्वच्छता अभियान' पर पी. ई. ओ. योजना आयोग द्वारा मूल्यांकन अध्ययन करवाया गया ताकि विभिन्न उपभोक्ता समूहों में परिष्कृत स्वच्छता सेवाओं के वातावरण पर प्रभाव, समाज आर्थिक पहुँच एवं स्वास्थ्य की दशा का आकलन तथा स्वच्छता सेवाओं के प्रभाव की अवधि का पता लगाया जा सके और देश में टी. एस. सी. के बेहतरीन कार्यान्वयन सहायता के लिए महत्वपूर्ण प्रमाण उपलब्ध करवाए जा सके। इस अध्याय के लिए देश व्यापी सर्वेक्षण किया गया और पांच विभिन्न अनुसूचियों के माध्यम से विभिन्न स्तरों से आंकड़े एकत्र किए गए।

सर्वेक्षण में एकत्रित किए गए आंकड़ों के विश्लेषण के लिए आई. टी. संबंधी सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी एन. आई. सी. को दी गई। प्रणाली के इस अध्ययन द्वारा वेब आधारित आंकड़ा विश्लेषण प्रणाली विकसित की जा रही है, जिसके दो भाग होंगे – राज्य, जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, विभिन्न आर. ई. ओ.(ज) और पी. ई. ओ.(ज) से इंटरनेट पर योजनपा आयोग में केन्द्रीय डेटाबेस हेतु ग्रामीण स्वच्छता मार्ट अनुसूचियां तैयार करना और आंकड़ों के विश्लेषण हेतु वेब आधारित विश्लेषण मोड्यूल तैयार करना। क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालयों और कार्यक्रम मूल्यांकन कार्यालयों को संबंधित राज्यों के संबंध में उनके कार्यालयों से आंकड़ा प्रविष्ट का कार्य उनके कार्यालयों में करने के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए नई पहल की जा रही है। ताकि विकेन्द्रित वातावरण में प्रणाली या कार्यान्वयन किया जा सके। राज्यों से आंकड़ों की प्रविष्टि के लिए सॉटवेयर में संशोधन किया गया। घरेलू अनुसूची के आंकड़ों की प्रविष्टियां विभिन्न राज्यों और पी. ई. ओ. मुख्यालय द्वारा की जा रही है। घरेलू पहचान, पारीवारिक प्रोफाइल, घर की सुविधाओं, सफाई सुविधाओं, जागृति, सहायता, और आर. एस. एस. / पी. सी., खुले में मल त्याग, आई. एच. एच. एल. का अनुरक्षण और स्कूलों में स्वच्छता, समाज – आर्थिक लाभ और प्रणाली के बारे में लाभार्थियों के सुझाव आदि के बारे में मोड्यूल रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है।

समग्र स्वच्छता अभियान (टी. एस. सी.) पर चल रहे मौजूदा मूल्यांकन अध्ययन, जो फ्लैगशीप कार्यक्रमों का घटक है, फील्ड स्तर से प्राप्त सर्वेक्षण आंकड़े विभिन्न राज्यों में इंटरनेट के माध्यम से क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालयों और कार्यक्रम मूल्यांकन कार्यालयों से लिए गए हैं, राज्य, जिला, ब्लॉक,

ग्राम पंचायत, आर. एस. एम. / पी. सी. और घरों के स्तर से रिपोर्टें वैब आधारित एप्लीकेशन प्रणाली से ली गई हैं, ताकि पी. ई. ओ. कार्यालयों को मुख्यालय एवं फील्ड स्तर पर विश्लेषण के उद्देश्य से अध्ययनों के लिए मूल्यांकन रिपोर्टें तैयार करने में सहायता दी जा सके वर्तमान में मूल्यांकन अध्ययनों के लिए वैब आधारित एप्लीकेशन घरों, ग्राम पंचायतों, जिलों और ब्लॉक अनुसूचियों के लिए 93 विश्लेषण रिपोर्टें तैयार करती हैं।

5. राज्यों के लिए केन्द्रीय सहायता पर सी. ए. एस. – एम. आई. एस.:

डिजाइन और विकास के तहत प्रस्तावित प्रणाली द्वारा एक ऐसी एम. आई. एस. विकसित करनी है, जो वित्त मंत्रालय द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों को जारी की जाने वाली अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (ए. सी. ए.) और विशेष योजना सहायता (एस. पी. ए.) के संवितरण में शामिल समग्र प्रक्रिया चक्र को स्वतः चालित बना सके। इस अनुप्रयोग को इस उद्देश्य के साथ विकसित किया गया है, ताकि वैब आधारित विभिन्न प्रक्रियाओं का स्वचालन और केंद्रीय सहायता से संबंधित प्रवाह का संवितरण स्वतः होता रहे जिसमें जो वित्त मंत्रालय द्वारा भारत के सभी राज्यों को दी जाने वाली अतिरिक्त केंद्रीय सहायता विशेष केंद्रीय सहायता शामिल है।

इस प्रणाली की तीन स्तर वाली संरचना है जिसमें राज्य स्तर, योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के स्तर पर प्रक्रियाएं अपेक्षित हैं। सोटवेयर एप्लीकेशन विकास और सुरक्षा जांच हेतु राज्य मोड्यूल और योजना आयोग मोड्यूल को समानांतर रूप से पूरा कर लिया गया है।

निहित प्रक्रियाएं इस प्रकार हैं –

क. राज्य स्तरीय प्रक्रियाएं

- परियोजनाओं का पंजीकरण।
- परियोजना अनुमोदन हेतु योजना आयोग को परियोजनाएं प्रस्तुत करना।
- योजना आयोग को पुरानी और नई परियोजनाओं हेतु निधि जारी करने हेतु परियोजना प्रस्तुत करना।
- परियोजना संबंधी ब्यौरों के संबंध में राज्यों द्वारा पूछी गई बातों का जबाब।
- व्यय संबंधी और ब्यौरे जोड़ना।
- परिणामी ब्यौरे जोड़ना।
- परियोजना फोटों का अद्यतनीकरण।
- सदुपयोग प्रमाण पत्र तैयार कर, प्रस्तुत करना।

ख. योजना आयोग के स्तर की प्रक्रियाएं :

- परियोजना का अनुमोदन करना।
- परियोजना संबंधी सिफारिशें।
- मंजूरी पत्र जारी करना।
- परियोजना संबंधी पूछ – ताछ।
- परियोजना संबंधी ब्यौरे बदलने के लिए राज्यों को फिर से अनुमति/अनुमति देना।
- व्यय संबंधी मॉनीटरण और परियोजनाओं के परिणाम।

ग. वित्त मंत्रालय के स्तर की प्रक्रियाएं

- योजना आयोग द्वारा अनुमोदित सभी परियोजनाओं का अनुमोदन।
- निधि जारी करने के लिए राज्यों का चयन।
- मंजूरी पत्र तैयार करना।
- व्यय तथा सभी परियोजनाओं के परिणामी ब्यौरों का मॉनीटरण, जिनके लिए निधि जारी की गई है।

6. राज्य वित्त संबंधी आंकड़े–एम. आई. एस.

वर्ष 1980 के बाद से सभी राज्यों / संघीय क्षेत्रों के राजस्व और व्यय संबंधी राज्य वित्त आंकड़ों के लिए आनलाइन डाटा प्रविष्टि / अद्यतन और पुनः प्राप्ति प्रणाली के विकास हेतु योजना आयोग के वित्तीय संसाधन प्रभाग द्वारा एन. आई. सी., योजना भवन यूनिट को सौंपी गई एक वेब–आधारित मानीटरिंग

सूचना प्रणाली है। राज्य वित्त संबंधी डाटाबेस का प्रभाव केन्द्र और राज्यों के बीच और राज्य तथा स्थानीय सरकारों के बीच वित्तीय अधिकारों के बंटवारे से संबंधित केन्द्र और राज्यों की संघीय वित्त व्यवस्था पर और अन्तर.कार्यक्षेत्र के कारण मामलों और करों के सरलीकरण के लिए भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। डाटाबेस का मुख्य रूप से ध्यान निम्निलिखित प्रमुख क्षेत्रों पर होगा :

- सरकारी वित्त।
- मैक्रो इकोनोमिक्स विशेष रूप से वित्तीय, धन संबंधी तथा वाणिज्यिक नीति।
- माइक्रो इकोनोमिकक्स विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र और नगरीय आर्थिक स्थिति और उद्योग का अध्ययन।
- योजना और विकास।
- आर्थिक सिद्धांत और प्रक्रिया।

डाटाबेस में ये शामिल हैं

- राजस्व प्रबंधन।

सिस्टम डिजाइनिंग तथा ले आउट का काम पूरा हो गया और वेब आधारित अनुप्रयोग का कार्य प्रगति पर है। योजना और गैर – योजना परिव्यय, व्यय आदि के लिए पुनः प्राप्ति मोड्यूल विकसित हो गए हैं और परियोजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है।

7. 'काम्प्रीहैंसिव डी. डी. ओ. और ई–सर्विस बुक कार्यान्वयन' – एन. आई. सी. का एक ई–शासन टूलः

छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सितम्बर, 2008 महीने से योजना आयोग में सुचारु रूप से वेतन वितरण के लिए एन. आई. सी. योजना भवन यूनिट ने केन्द्री.त सी. डी. डी. ओ. पैकेज को योजना आयोग में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है। एन. आई सी. योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को योजना आयोग के सभी प्रशासनिक और लेखा सैक्शनों में पूर्णरूपेण स्वीकार किया गया है। इससे पूर्व मास्टर रिकार्ड को ले जाने तथा सी डी. डी. ओ. पैकेज के कार्यान्वयन हेतु योजना भवन में विभिन्न डी. डी. ओ. के लिए सी. ओ. एम. पी. डी. ओ. सफलतापूर्वक दो सर्वरों में लगाया गया।

वर्ष के दौरान योजना आयोग के परामर्शदाताओं/सदस्यों के लिए पेरोल पैकेज, एक वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित की गई है जो ए. एस. पी. नेट एसक्यूएल सर्वर 2005 पर बैक एण्ड पर है। एन. आई. सी. की योजना भवन स्थित इकाई केंद्रीय सी. डी. डी. ओ. पैकेज के माध्यम से पहले ही तनख्वाह/वेतन का संवितरण तैयार कर रही है। क्योंकि परामर्शदाता और कुछेक कर्मचारी निर्धारित तनख्वाह लेते हैं कोम्प डी. डी. ओ. एप्लीकेशन के मौजूदा कार्य क्षेत्र में परामर्शदाताओं के वेतन बिल तैयार करना संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसकी कुछ सीमाएं हैं। इसका उपयोग परामर्शदाताओं / सदस्यों की तनख्वाह तैयार करने के लिए किया जाता है और प्रत्येक माह उनकी तनख्वाह की पर्ची तैयार की जाती है। इस साइट का उपयोग ई. सी. एस. (इलेक्ट्रानिक क्लियरेंस प्रणाली) जनरेट करने के लिए वेतन बिलों के लिए टेक्स्ट फाइल तैयार करने के लिए किया जाता है। सी. डी. डी. ओ. पैकेज के कार्यान्वयन से सभी कार्मिकों को ई. सी. एस. प्रणाली से वेतन मिलता है और चैक से भुगतान नहीं होता है, जो योजना आयोग के लेखा और प्रशासन अनुभाग के लिए सफलता की कहानी है और उन्होंने यह लक्ष्य योजना आयोग की एन. आई. सी. इकाई के माध्यम से प्राप्त किया है। निम्नलिखित माड्यूल भी कार्यान्वित किए गए है :

सामान्य भविष्य निधि (जी. पी. एफ.) मॉड्यूल : इस प्रक्रिया के लिए प्रत्येक कर्मचारी को सामान्य भविष्य निधि की लेखा संख्या (एकाउंट नंबर) आबंटित की गई है और साथ ही सामान्य जानकारी दी गई है। पहली बार रनिंग एडवांस ब्यौरे भरने के साथ–साथ वित्तीय वर्ष आंकड़ा और ओपनिंग बैलेंस एंट्री करके रीकास्टिंग केल्कुलेशन किया गया है। अंत में रीकास्ट शीट निकलती है, जो वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए जी. पी. एफ. विवरण होता है। जी. पी. एफ. विवरण इंटरा योजना पोर्टल पर उपलब्ध है। वर्ष 2009–10 के वित्तीय वर्ष के लिए जी. पी. एफ. आंकड़ा डालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

इन्क्रीमेंट मॉड्यूल : छठे वेतन आयोग के अनुसार जुलाई, 2009 से इन्क्रीमेंट मॉड्यूल भी शामिल होना चाहिए। जुलाई, 2009 के वेतन से इन्क्रीमेंट मॉड्यूल प्रभावी हो गया है।

आय कर (इनकम टैक्स) मॉड्यूल : इस प्रक्रिया का उद्देश्य विशिष्ट वित्तीय वर्ष हेतु कर्मचारियों का समेकित विवरण / वार्षिक आय विवरण तैयार करना है। कर केल्कुलेशन शीट के साथ कर्मचारयों को विवरण दिया जाता है ताकि आयकर में अधिकतम छूट के लिए वे अधिक बचत कर पाएं।

ई–सर्विस बुक : ई–सर्विस बुक के सुचारु कार्यान्वयन हेतु एन. आई. सी. योजना आयोग यूनिट प्रयोक्ताओं को अपेक्षित सभी तकनीकी तथा अन्य सहायता देता है। योजना आयोग से नोडल अधिकारी होने के नाते एन. आई. सी. यूनिट ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा आयोजित कई कार्यशालाओं में भी भाग लिया। कर्मचारियों की ई–सर्विस बुक में आंकड़े दर्ज किए जाते हैं ताकि यह पूरी तरह प्रभावी हो जाए।

8. कार्यालय प्रक्रिया आटोमेशन (ओ. पी. ए.) / फाइल ट्रेकिंग प्रणाली (एफ. टी. एस.) :

योजना आयोग के उपाध्यक्ष के निदेशानुसार योजना भवन में केंद्रीकृत डायरी / डिस्पैच तथा फाइल मानीटरिंग प्रणाली बनाने के लिए योजना आयोग के सभी प्रभागों में ओ. पी. ए. को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है। एन. आई. सी. योजना भवन यूनिट ने इस कार्य के लिए अनेक कार्यशालाएं, हैंड्स आन–ट्रेनिंग मॉड्यूल तथा प्रयोक्ता को निजी प्रशिक्षण सहायता उपलब्ध कराई और उन्हें ओ. पी. ए. प्रणाली के लाभ के बारे में जानकारी दी। संशोधन करके अब इसे बेहतरीन एप्लीकेशन बना दिया गया है, जिसके तहत कुछ और विशेषताएं जोड़ दी गई है, जैसे मांग पर फाइल ट्रेकिंग प्रणाली (एफ. टी. एस.)। एफ. टी. एस. एक वैब आधारित एप्लीकेशन है, जो पावतियों की बकाया स्थिति और फाइलों की मॉनीटरण करती है, तथा परिसंपत्तियों को आसानी से ढूंढ़ लेती है, जिसका योजना आयोग और इसके सभी प्रभागों में सफलता पूर्वक कार्यान्वयन किय गया है। यह एक एकीकृत पैकेज है, जिसकी विशेषताएं फाइल की डायरी से लेकर स्थिति को अद्यतन करने तक है, नई फाइलें भी खोलती है, फाइलों के आवागमन की जानकारी भी ली जा सकती है, फाइलों / पत्रों का प्रेषण भी इससे किया जाता है, और अंतिम रूप से प्रबंधन का रिकार्ड भी रखती है। वर्ष के दौरान की गई गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैं –

1. योजना आयोग के विभिन्न प्रभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक दिन की कार्यशाला लगाई और ओ. पी. ए. प्रणाली का ऑनलाइन प्रदर्शन किया।

2. प्रशिक्षण और दिक्कतें दूर करना : नये प्रयोक्ताओं के अनुरोध पर उन्हें नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है और जब भी प्रयोक्ताओं को जरूरत हो, उन्हें तकनीकी समस्याओं को सुलझाने में मदद दी जाती है।

3. नियमित प्रशासनिक कार्य किया जाता है, जिसमें शामिल है – नये सेक्शन / अधिकारियों की प्रविष्टि, कर्मचारियों की पदोन्नति, पदनाम परिवर्तन तथा प्रयोक्ता की आवश्यकतानुसार एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में स्थानांतरण के ब्यौरे को अद्यतन करना।

4. सी. आर. यू. डाक लाना ले जाना : योजना आयोग की सेंट्रल रजिस्ट्री की जरूरत के अनुसार सेंट्रल रजिस्ट्री यूनिट से योजना आयोग के विभिन्न कमरों में डाक लाने ले जाने की जानकारी रखने के लिए एक वेब–आधारित अनुप्रयोग विकसित किया गया है। इसे ओ. पी. ए. पैकेज के साथ जोड़ा गया है।

9. ई–कार्यालय का कार्यान्वयन – एक ऑनलाइन सॉटवेयर, डिजिटल कार्यस्थल के समाधान की ओर अग्रसर

विभिन्न एप्लीकेशन्स में वन स्टॉप एकसैस प्वाइंट उपलब्ध करा कर संगठनात्मक क्षमता में सुधार की

दृष्टि से और योजना आयोग में आसानी की दृष्टि से दस्तावेज प्रबंधन कंटेंट प्रबंधन सहयोग / संदेश देने की सेवा, इलेक्ट्रॉनिक फाइल गतिशीलता हेतु लचीले प्लेटफार्म की जरूरत थी।

- ई–कार्यालय पोर्टल फ्रेमवर्क एक जी. टू ई. /जी. टू जी. समाधान है, जो राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा विकसित किया गया है, जो संगठन सूचनाओं और एप्लीकेशन / सेवाओं के लिए वन स्टॉप एक्सैस प्वाइंट प्रदान करता है, जो दस्तावेज प्रबंधन के लिए एक लचीला प्लेटफार्म है। कौन्टेन्ट प्रबंधन, सहयोग, मैसेज–सेवा और कार्य प्रवाह मॉड्यूल्स आदि और इसे किसी संगठन के कर्मचारियों को सेवाएं एक साथ मुहैया करा कर एप्लीकेशन को एकल खिड़की प्लेटफार्म प्रदान कर, उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।

- ई–फाईल मॉड्यूल ई–कार्यालय का अभिन्न अंग है, जो सरकार के बीच इलेक्ट्रिक फाइलों के शुरू आखिर तक आवागमन के लिए कार्य प्रवाह आधारित उत्पाद है जिसमें विभिन्न् विशेषताएं जैसे – स्कैनिंग, डायराइजेशन, फाइल सृजन नोटिंग, डिजिटल हस्ताक्षर सर्टीफीकेट्स फाइल पर साइन के लिए , ई–फाइल के साथ पत्राचार को सुलभता और ई–फाइल मुवमैंट भी उपलब्ध है। योजना आयोग में राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एन. आई. सी.) ई–कार्यालय का कार्यान्वयन कर रहा है और कुछ अन्य मॉड्यूल पहले ही कार्यान्वित किए जा चुके हैं।

- यह भी उल्लेखनीय है कि ई–कार्यालय में इंट्रा योजना वर्जन की शुरूआत जून, 2006 में योजना आयोग में कार्य योजना नवप्रवर्त्तन दशक के लिए नवप्रवर्त्तन प्रौद्योगिकी 2010 से 2020 के अंतर्गत की गई। योजना आयोग ने ई–कार्यालय के कार्यान्वयन का निर्णय लिया, जो कि अपने आप में डिजिटल वर्क प्लेस समाधान है, जो कि पायलैट आधार पर कागज विहीन कार्यालय के लिए एक नया कदम है ई–फाइल ई–कार्यालय की एक प्रमुख विशेषता है जिससे फाइलों के सृजन के माध्यम से पत्राचार की ओर अभिमुख होकर स्कैनिंग और रजिस्टरिंग की जाती है अनुमोदन के लिए नोटिंग एवं प्रारूपण किया जाता है और अंतिम रूप से फाइलों और पावतियों का आवागमन किया जाता है। 12वीं योजना के दौरान प्रत्येक कर्मचारी को एक दूसरे के साथ डिजिटल रूप से जोड़ दिया जाएगा और वे एक कार्यालय प्लेटफार्म के तहत कार्य करेगा ताकि योजना आयोग को कागज विहीन कार्यालय बनाने के लिए उसे वास्तव में कार्यरूप दिया जा सके।

कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक कर्मचारी का लेखा सृजित करना होगा, अनुभागों के लिए फाइल शीर्षों का एकीकरण करना होगा, जिसके लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना होगा। डिजिटल सिक्योरिटी सर्टीफिकेट (डी. एस. सी.) सृजन और पंजीकरण करना होगा। सभी कर्मचारियों के लिए ई–मेल सृजित करनी होगी। योजना आयोग के नोडल अधिकारियों/स्टाफ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं।

ई–कार्यालय पोर्टल के लिए विभिन्न विशेषताएं

(1) ई–फाइल : ई–फाइल, ई–कार्यालय की मुख्य विशेषता है, ताकि स्कैनिंग, रजिस्टरिंग और पत्राचार की ओर अभिमुख होकर अनुमोदन के लिए फाइल, नोटिंग और फाइलें सृजित की जा सकें एवं अंत में पावतियों और फाइलों का आवागमन किया जा सके।

- योजना आयोग में ई–फाइल कार्यान्वयन की प्रक्रिया जून, 2010 में शुरू की गई।
- योजना आयोग के लिए इंट्रा योजना पोर्टल से माइग्रेशन (जून, 2006 से प्रचालन में) ई–पोर्टल में किया गया (11 मई, 2011) योजना आयोग में सभी प्रभाग/अनुभाग फाइलों/पावतियों की डायरी इस कार्यालय पोर्टल से कर रहे हैं।
- परामर्शदाताओं और युवा व्यावसायिकों सहित योजना आयोग में कुल 965 कर्मचारी हैं, जिनका खाता कार्यालय पोर्टल पर है।

- औसतन 30–40 प्रतिशत प्रतिदिन इस पोर्टल पर लॉग इन करते हैं, ताकि विभिन्न प्रकार की सूचनाएं ले सकें और विभिन्न एप्लीकेशन्स का उपयोग कर सकें।
- प्रत्येक वर्ष पोर्टल के विभिन्न फीचर्स के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए 3–5 प्रशिक्षण कार्यक्रमों / सत्रों का संचालन किया गया। इसके अलावा कार्यालय पोर्टल का उपयोग करने के लिए किसी भी कर्मचारी के पूछने पर आवश्यक सहायता भी प्रदान की जाती है।
- 56 अनुभागों / प्रभागों / कार्यालयों को ई–फाइल एप्लीकेशन के कस्टमाइजेशन से जोड़ दिया गया है, 430 कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दे दिया गया है, 486 कर्मचारियों के लिए डिजिटल सिक्योरिटी सर्टिफीकेट (डी. एस. सी.) जारी कर दी गई है।

(2) **वेतन पर्ची** : सभी कर्मचारी पोर्टल से चालू एवं पिछले माह के लिए वेतन पर्ची निकाल सकते हैं। कर्मचारियों की वेतन पर्ची सी. डी. डी. ओ. पैकेज द्वारा निकाली जाती है, आंतरिक रूप् से सृजित पैकेज को इंट्रा पर प्रदर्शित की गई (ई–कार्यालय पोर्टल)। कुल मिलाकर सभी 965 कर्मचारियों की वेतन पर्ची भी प्रदर्शित की गई है।

(3) जी. पी. एफ. विवरण : सभी कर्मचारी इस पोर्टल के माध्यम से चालू वर्ष एवं विगत दो वित्त वर्षों के लिये जी. पी. एफ. विवरण निकालते हैं। वर्ष 2010–11 के लिये जी. पी. एफ. संबंधित कार्य पूरा कर लिया गया है। 2010–11 के लिये जी. पी. एफ. विवरण जनरेट कर उन्हें इंट्रा (ई–कार्यालय पोर्टल) प्रदर्शित कर दिया गया है। 956 कर्मचारियों के लिये ई. सी. एस. की कार्यवाही पूरी कर दी गई है।

(4) ई–अवकाश : पोर्टल से अवकाश प्रबंधन प्रणाली जोड़ दी गई है जिससे कर्मचारी अवकश के लिये आवेदन करते है और इसे योजना आयोग के सभी कर्मचारियों के लिए सफलता पूर्वक चलाया जा रहा है। मैनुअल रूप से अवकाश मंजूरी को प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा। अवकाश प्रबंधन प्रणाली (ई–अवकाश) का कार्यान्वयन किया गया और इसे 8 फरवरी, 2011 से ऑनलाइन किया गया। लगभग 900 कर्मचारियों को अवकाश रिकार्ड उपलब्ध है।

(5) पुस्तकालय : पोर्टल को योजना आयोग के पुस्तकालय डेटा बेस से जोड़ दिया गया है, जिससे कर्मचारियों पोर्टल से पुस्तकों को ढूंढ़ सकते हैं।

(6) ज्ञान प्रबंधन प्रणाली : ज्ञान प्रबंधन प्रणाली पोर्टल का अभिन्न अंग है जिससे विभिन्न प्रभागों को स्वतंत्र रूप से सूचना भेजने में सहायता मिलती है। वित्तीय स्रोत प्रभाग और राज्य योजना प्रभाग इस सुविधा का भरपूर उपयोग कर रहे है। ज्ञान प्रबंधन सूचना प्रणाली से विभिन्न प्रकार के सूचनाओं के प्रबंधन में भी सहायता मिलती है जैसे :

(क) **परिपत्र / आदेश** : प्रतिदिन पोर्टल पर महत्वपूर्ण परिपत्रों और आदेशों को डाला जाता है। वर्ष 2005 से परिपत्रों और आदेशों का एक संग्रहालय भी रखा गया है।

(ख) **डेली डायजैस्ट** : योजना आयोग द्वारा न्यूज डायजैस्ट को डाला जाता है और यह कार्यवाही आई. टी. और सूचना प्रभाग द्वारा की जाती है।

(ग) **प्रशासन प्रभाग के दस्तावेज** : जैसे संदर्भ सामग्री जिसके तहत विभिन्न प्रभागों के कार्यों, भर्ती नियमों, हक एवं सूविधाओं तथा प्रस्तुति के चैनल और वरिष्ठता सूची आदि का उल्लेख है।

(घ) **फार्म** : कर्मचारी इस पोर्टल से प्रशासन और लेखा प्रभागों के विभिन्न प्रकार के फार्मों को डाउनलोड कर सकते हैं।

(ङ) **एप्लीकेशन से लिंक्स / योजना आयोग का डेटा बेस** : कर्मचारी इस पोर्टल से विभिन्न प्रकार के डेटा बेस तक पहुंचा सकते हैं तथा योजना आयोग की शेष सूचना प्रणालियां इंटरनेट जैसे पी. ई. ओ. मूल्यांकन अध्ययनों एन. जी. ओ.(ज) ए. सी. आर. आदि के डेटा बेस।

10. योजना प्रशासन के लिए एम. आई. एस. (योजना प्रशा.) :

यह वैबस आधारित जी2ई प्रणाली (http://pcserver/yojanaadm) ताकि योजना आयोग के प्रशासन अनुभागों से संबंधित गतिविधियों रिकार्ड्स की कम्प्यूटरीकरण की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। प्रशासन अनुभाग में कार्यान्वयन हेतु तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। विभिन्न अनुभागों में कार्यान्वयन हेतु तकनीकी सहायता प्रदान की गई। जी 2 ई एप्लीकेशन योजना आयोग के प्रशासनिक प्रभागों के कर्मचारियों के रिकार्डों को सुरक्षित रखता है। यह एक व्यवस्थित रखरखाव प्रदान करता है और मांगें जाने पर तुरंत रिकार्ड बड़ी ही आसानी से सामान्य यूजर इंटर फेज द्वारा उपलब्ध कराता है। प्रशासनिक गतिविधियों की देख–रेख के लिए यहां छः मॉडयूल्स है। रिकार्ड को कम्प्यूटरीकृत करने पर सूचनाएं सिर्फ एक बटन दबाने मात्र से ही प्राप्त हो जाती है जिससे समय की बचत और कुशल ई–शासन हेतु सहायक है। निम्नलिखित मॉड्यूल्स विकसित कर लिए गए है और उन्हें प्रणाली से जोड़ दिया गया है।

एडिट बेसिक इन्फोर्मेशन : यह एक नया मॉड्यूल प्रणाली में जोड़ा गया है। इस सैक्शन में उपभोक्ता विभाग के ब्यौरों में सुधार कर सकता है। इस सैक्शन में उपभोक्ता विभिन्न डिविजन सृजित कर सकता है और पदनामों और समूहों में सुधार कर सकता है। रिपोर्टिंग माह में सुधार की डेटा संरचना में एच. बी. ए. / एल. टी. सी. से संबंधित फील्ड जोड़ कर इसके क्षेत्र में और विस्तार किया जा सकता है। इस प्रणाली के विभिन्न मोड्यूल हैं :

(i) **वेतन वृद्धि डेटाबेस** : योजना भवन में कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के ब्यौरों के लिए यह वैब आधारित प्रणाली विकसित की गई है। यह मौजूदा वेतन, मौजूदा वेतन की तारीख, भावी वेतन आदि के बारे में कर्मचारी के रिकार्ड का रख रखाव करती है। यह कर्मचारी के रिकार्ड को दर्शाती है जिसे विशिष्ट माह में अद्यतन किया जा सके। यह कर्मचारियों के वैयक्ति वेतन वृद्धि के आदेश इस में उपभोक्ता कर्मचारियों के समूह के लिए वेतन वृद्धि का माह चुन कर वेतन वृद्धि प्रमाण पत्र तैयार कर सकता है।

(ii) **अवकाश प्रबंधन सूचना प्रणाली (लीव एम. आई. एस.)** : योजना आयोग के कर्मचारियों के अवकाश की रिकार्ड रखने के लिए यह वैब आधारित प्रणाली है। यह आंकड़ा प्रविष्टि, अद्यतनीकरण और विनिर्दिष्ट अवधि के लिए कर्मचारी की रिपोर्टें तैयार करती है। मंजूरी के पूर्व रिपोर्टिंग अधिकारी अवकाश की स्थिति की जानकारी ले सकता है। वैयक्तिक अवकाश की जानकारी लेने के लिए भी एक मॉड्यूल विकसित किया गया है। कर्मचारियों के नए समूह के लिए आंकड़ा प्रविष्टि मॉड्यूल (वैयक्तिक स्टाफ) उपलब्ध करवाया गया है और कर्मचारियों के समूह को चुनने का विकल्प दिया गया है। प्रणाली के द्वारा तैयार किया गया अवकाश संबंधी आदेश ई–मेल के माध्यम से योजना आयोग के सभी कर्मचारियों में परिचालित किया जाता है।

(iii) **तैनाती विवरण** : यह कमरा सं., फोन सं. जिस अधिकारी / प्रभाग / कमरा जहां तैनाती हैं, वहां का फोन, तैनाती की अवधि आदि का रिकार्ड रखती है पिछली तैनाती सहित कर्मचारियों की तैनाती का रिकोर्ड रखने के बारे में योजना आयोग के भीतर ही डेटाबेस में रिकार्ड का रख–रखाव करती है, जिससे नियमित और दैनिक आधार पर कार्यरत

कर्मचारियों की अधिकतम सेवाओं के सदुपयोग में सहायता मिलती है।

(iv) **पेंशन पाने वालों के ब्यौरे** : पेंशन मॉड्यूल विकसित किया गया है और इसे योजना / प्रशासन से जोड़ा गया है। इसमें आंकड़ा प्रविष्टि, अद्यतनीकरण, फील्ड के किसी भी संयोजन की पूछ–ताछ का विकल्प है, ताकि तीव्रता से डेटा रिट्रावल हो सके। इसका उद्देश्य है कि पैंशन प्रक्रिया की सभी गतिविधियों को कम्प्यूटरीकृत किया जाए। इससे रिकार्ड के रख–रखाव तीव्रता से सूचना लेने में सहायता मिलेगी। पेंशन मोड्यूल के लिए आंकड़ा प्रविष्टि और रिपोर्ट र्टजनरेटिंग स्क्रीन डिजाइन कर ली गई है।

(v) **मास्टर अपडेट मोड्यूल** : कर्मचारियों के पदनाम, नामों के अद्यतन करने के लिए यह मॉड्यूल जोड़ा गया है और इससे वेतन माह भी अद्यतन किए जा सकेंगे। नीचे की गहन सूची से नाम के चयन पर आधारित इससे कर्मचारी के रिकार्ड को अद्यतन रखा जा सकता है। इसमें नए कर्मचारियों को जोड़ने स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों को एडिट करने और अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी बनाने की सुविधा भी रखी गई है।

11. केन्द्रीकृत ए. सी. सी. रिक्ति मॉनीटरिंग प्रणाली (ए. वी. एम. एस.) – एन. आई. सी. द्वारा डिजाइन तथा विकसित ई–शासन टूल : एन. आई. सी. मुख्यालय में लगाई गई यह एक वेब आधारित कम्प्यूटरीकृत मानीटरिंग प्रणाली है, जिस को एन. आई. सी. द्वारा चालू किया गया है जिससे ए. सी. सी. की सहमति प्राप्त किए जाने वाले मामलों की सामयिक प्रक्रिया पूरी करने में सहायता मिलेगी। यह प्रणाली http://avms.gov.in पर उपलब्ध है। एन. आई. सी. योजना भवन यूनिट ने योजना आयोग के संबंधित नोडल अधिकारी को इसका डाटाबेस अद्यतन करने में सहायता प्रदान की।

12. सरकारी आवास प्रबंधन प्रणाली (जी. ए. एम. एस.) : जी. ए. एम. एस. को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए योजना आयोग के सभी लेखा सेक्शनों को आवश्यक सहायता दी गई। जी. ए. एम. एस. एक आनलाइन लाइसेंस फीस कलेक्शन और मानीटरिंग प्रणाली है।

13. लोक शिकायत दूर करने तथा मानीटरिंग केन्द्री.त प्रणाली (सी. पी. जी. आर. ए. एम. एस.) : सी. पी. ग्राम्स संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रशासनिक प्रभाग के अधिकारियों और एन. आई. सी. यूनिट के अधिकारियों ने भाग लिया। इस प्रणाली को लागू करने के लिए योजना आयोग के प्रशासनिक अनुभागों को आवश्यक सहायता दी गई।

14. केन्द्रीकृत पेंशन शिकायत दूर करने और मानीटरिंग प्रणाली (पी. ई. एन. जी. आर. ए. एम. एस.) : एन. आई. सी. के सहयोग से पेंशन तथा पेंशन प्राप्तकर्ता कल्याण प्रभाग ने विभिन्न मंत्रालयों / विभागों के सरकारी / पेंशन संबंधी शिकायतें दूर करने वाले अधिकारियों के लिए पेंशन संबंधी शिकायत दूर करने और मानीटरिंग की केंद्रीकृत प्रणाली (सी. पी. ई. एन. जी. आर. ए. एम. एस.) का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। पेंशन प्राप्त करने वालों की सभी शिकायतों की मानीटरिंग के प्रयोजन से इन शिकायतों को भारत सरकार के पेंशनर पोर्टल में डाल कर इस प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए पहल की गई है।

15. उपभोज्य वस्तुओं के वितरण हेतु ई–मांग प्रणाली (ई. आर. एस.) : ई–मांग एप्लीकेशन विकसित की गई है और योजना आयोग में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को जारी करने की मैनुअल रूप से मांग प्रक्रिया के स्वचालन को कार्यान्वित किया जाता रहा है। प्रणाली में ऑनलाइन मांग को स्वीकार किया जाता है और दतानुसार वस्तुएं जारी की जाती हैं। सभी श्रेणीयों की स्टेशनरी जैसे – इलैक्ट्रिकल, वर्दी, कम्प्यूटर – उपभोज्य वस्तुओं तथा सैनेटरी आइटम्स सहित सामान्य अनुभाग की सभी वस्तुओं को इसमें शामिल किया गया है। इस

एप्लीकेशन के माध्यम से सामान्य प्रशासन अनुभाग के कार्यों के निर्वाहन में कर्मचारियों की प्रक्रियाओं में तेजी आई है। इससे रिकार्ड का बेहतरीन रख–रखाव हो पाता है, सूचना हर समय उपलबध रहती है, स्टॉक का पूर्व में रि–आर्डर संभव होता है, अतः योजना आयोग में ई–मांग एप्लीकेशन का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इन पैकेजिज के माध्यम से ऑनलाइन इनवैंटरी स्टेटस रिपोटर्स मासिक स्टॉक रजिस्टर रिपोर्ट्स, आइटमवार ओर उपभोक्तावार उपभोज्यता रिपोर्ट निर्धारित समय पर तैयार की जाती हैं, स्टॉक अपडेटिंग के लिए लॉग रख–रखाव हो पाता हैं, आदि। यह एक जनेरिक पैकेज है ओर उत्तरोत्तर रूप में इसमें अन्य पैकेज भी शामिल किए जा सकते हैं। इसमें विक्रेता – ब्यौरे और उसकी अन्तर्भीति भी समाविष्ट है, जिससे आर्डर देने और बिल तैयार करने में आसानी रहती है। बाद में इसे ई–कार्यालय पैकेज के साथ जोड़ा जा सकता है।

16. योजना आयोग व्यय मानीटरिंग प्रणाली (पी. सी. – ई. एम. एस.) : यह योजना के योजना व्यय और गैर – योजना व्यय दोनों को मानीटर करने के लिए एम आई एस है। इसका मांग और अनुदान के साथ समेकन है और इसे कार्यान्वित किया गया है। इस साटवेयर को इंटेगरेटिड फाइनेंस एकाउंट (आई. एफ. ए.) प्रभाग के लिए तैयार किया गया है और इसका प्रयोग मासिक व्यय और अनुदानों की मांग को मानीटर करने के लिए किया जाता है। इस एम. आई. एस. द्वारा अनुदानों की मांगय योजना बजट लिंक तथा अन्य वक्तव्यों, जिनमें बजट अनुमानों और पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार योजना और गैर – योजना विवरण का कार्य किया जाता है। इस प्रणाली द्वारा विभिन्न रिपोर्टें तैयार करते हैं।

17. ग्राम योजना सूचना प्रणाली (वी. पी. आई. एस.) – सुविधाएं : मानीटरिंग के लिए 'फोर्थ टीयर टूल' को सुदृढ़ करने के लिए जनता के प्रयोग हेतु सभी मंत्रालयों / विभागों ने ग्राम योजना सूचना प्रणाली (वी. पी. आई. एस.) को डिजाइन, विकसित तथा कार्यान्वित किया है। यह एक वेब आधारित पुनः प्राप्ति प्रणाली है, जो 31.03.1999 को ग्राम स्तर जनगणना आंकड़ों पर आधारित है, जिन्हें जनगणना 2001 आंकड़ों के साथ एकत्रित किया गया और भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी किया गया था। इस प्रणाली में नौ विभिन्न सुविधाएं हैं, जिनमें हैंरू शिक्षा, स्वास्थ्य, पेय जल, डाक–तार, टेलीफोन, संचार साधनों की उपलब्धता, समाचारपत्रों की उपलब्धता, बैंकिंग, मनोरंजन और सांस्कृतिक सुविधाएं, संयुक्तता और बिजली आपूर्ति की उपलब्धता आदि। यह प्रणाली दो भागों में आंकड़े दिखाती है – एक टेबुलर व्यू और दूसरे क्रिस्टल रिपोर्ट व्यू के रूप में। इसे एन. ई. टी. में विकसित किया गया है और माइक्रोसॉट विजुअल स्टूडियो, 2005 का प्रयोग किया गया है। इसका यू. आर. एल. http://pcserver.nic.in/vips है।

18. ग्राम योजना सूचना प्रणाली (वी. पी. आई. एस.) – जनांकिकी : यह भी एक वेब आधारित रिट्रीवल प्रणाली है, जो भारत सरकार के जनगणना–2001 आंकड़ों पर आधारित है। इस प्रणाली के द्वारा भारत के सभी गांवों की जनांकिकी (डेमोग्राफिक) विश्लेषणात्मक जानकारी को रिट्रीव किया जाता है। राज्य पुनः प्राप्ति के लिए डायनमिक क्बेरी ईंजन और डेमोग्राफिक डाटा के विश्लेषण करके इस एम आई एस को विकसित किया गया है।

19. जिला योजना सूचना प्रणाली (डी. पी. आई. एस.) : यह वेब आधारित सूचना प्रणाली है, जिसे जिला योजना के लिए डिजाइन,

विकिसत तथा कार्यान्वित किया गया है, जो जनगणना–2001 के संबंध में भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल तथा सुविधाओं के आंकड़ों पर आधारित है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल यासुविधाओं या इनके मिले–जुले रूप के बारे में पूछताछ की जा सकती है। यह योजना के विशेष घटक योजना (एस. सी. पी.) और आदिवासी उप योजना (टी. एस. पी.) जिनमें अनुसूचित जातियों / जनजातियों के लिए योजनाओं पर बल दिया गया है, के काम में सहायता की प्रणाली है। यह प्रणाली यू. आर. एल. के माध्यम से पर http://pcserver.nic.in/dpis उपलब्ध है।

20. **आनलाइन कम्पलेंट रजिस्ट्रेशन मेकेनिज्म योजना सेवा :** – ई–शासन परियोजना के अधीन योजना आयोग की आवश्यकताओं के अनुरूप योजनासेवा के लिए वेब आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली को डिजाइन और विकसित किया गया है, जिसके द्वारा सेवाओं के बारे में आनलाइन रजिस्ट्रेशन तथा मानीटरिंग किया जा सकता है। इस प्रणाली द्वारा योजना आयोग के सभी कम्प्यूटर प्रयोक्ताओं द्वारा नेटवर्क वर हार्डवेयर / साटवेयर की शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं और योजना भवन में नियुक्त हार्डवेयर अनुरक्षण इंजीनियर उन शिकायतों को कम से कम समय में अच्छी तरह से दूर कर सकते हैं।

21. **हार्डवेयर इन्वेंटरी प्रबंधन प्रणाली (एच. आई. एम. एस.) :** आयोग के लिए विकसित नई हार्डवेयर इन्वेंटरी प्रबंधन प्रणाली में साटवेयर विकास, समेकन और कार्यान्वयन की व्यवस्था है। इस प्रणाली के पैकेज के जरिये योजना द्वारा खरीदी गई और प्रयोग की जाने वाली सभी हार्डवेयर इन्वेंटरी मदों के लिए यह वेब आधारित प्रणाली है और सभी नई आने वाली मदों, भण्डारित मदों तथा सौंदों के ब्योरों के बारे में सूचनाएं मिल सकती हैं। सुधार और संशोधित वर्सन में सभी सुरक्षा फीचर में शामिल हैं – रिपोर्टों से वेतन वृद्धि की पर्ची जनरेट करना और अन्य कई फीचर्स की सुविधा।

22. **ई–एसेटइनवेंटरी :** (http://pcmis//assentinventory) योजना आयोग के सामान्य– I और सामान्य–II द्वारा अनुरक्षित उपभोज्य और गैर – उपभोज्य सामग्री की इंवेंटरी के प्रबंधन के लिए ई–एसेटइनवेंटरी एप्लीकेशन विकसित की गई है। इस प्रणाली का विकास इस उद्देश्य से किया गया है कि इनवैंटरी प्रबंधन से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं स्वचालित बनाया जा सके।

23. **भारत निर्माण सहित फ्लैगशिप कार्यक्रमों के सभी घटकों संबंधी एम आई एस :** – यह भारत निर्माण सहित फ्लैगशिप कार्यक्रमों के सभी 14 घटकों के संबंध में सिंगल विंडो वेब आधारित एम. आई. एस. है, जिसे फ्लैगशिप कार्यक्रमों के विभिन्न घटकों की वास्तविक और वित्तीय प्रगति का अध्ययन करके और आपस में जोड़कर डिजाइन और विकिसत किया गया है और योजना भवन में इसे कार्यान्वित किया गया है और यह बाहर से यू. आर. एल. का प्रयोग करके http://pcserver.nic.in/flagship पर उपलब्ध है। किसी विशेष अवधि के दौरान महीने–वार और वर्ष–वार फ्लैगशिप कार्यक्रमों की वास्तविक और वित्तीय प्रगति को जोड़कर यह साइट सूचना उपलब्ध कराती है।

24. **12वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण हेतु परियोजना प्रबंधन प्रक्रिया ट्रेकर (टी. एम. पी. टी.)**

इस स्ट्रेटजी मैट्रिक्स का कार्यान्वयन करने के लिए एक एप्लीकेशन डिजाइन की गई है और

उसका विकास किया गया है यह 12वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोंण पत्र तैयार करने के लिए एक नवप्रवर्त्तन कार्य होगा। जिसके तहत एक संयोजित वातावरण में सभी अधिकारियों को एकल या कलस्टर सेल दस कॉलम की मैट्रिक्स आवंटित की जाएगी। जिसमें विभिन्न क्षेत्रकों के लिए देश में प्रभावशाली मुद्दों का प्रतिनिधत्व होगा एवं लक्ष्यों परिवर्तनीय परिणामों के लिए 34 पंक्तियों को प्रतिनिधित्व देते हुए नौ गतिविधियों को अद्यतन किया जाएगा जो संबंधित प्रकोष्ठों के लिए दृष्टिकोण पत्र के तैयार करने से संबंधित हैं। टी. एम. पी. टी. एप्लीकेशन्स को आंतरिक रूप् से यथासमय विकसित किया गया और इसे योजना आयोग स्थित एन. आई. सी. एकक द्वारा 234 प्रकोष्ठों के प्रयोजना मॉनीटरण, 34/10 मैट्रिक्स जो 10 प्रमुख गतिविधियों पर आधारित है तथा प्रत्येक सदस्य और उपाध्यक्ष से संबंधित हैं और यह 34 उप विषयों के संबंध में हैं ताकि बारहवीं योजना 2012–17 के दृष्टिकोण पत्र को अंतिम रूप दिया जा सके।

इसे पूर्ण सफलता के साथ विकसित किया गया है और योजना आयोग के सभी कर्मचारियों द्वारा इसे सक्रियता के साथ उपयोग में लाया जा रहा है। यह मैट्रिक्स की मॉनीटरण गतिविधि परियोजनाओं का ऑन–लाईन अद्यतनीकरण है। वस्तुतः योजना की प्रस्तुति से पहले योजना आयोग सामान्यतः एक दृष्टिकोण पेपर जिसमें प्रमुख लक्ष्य रखे जाते हैं। और उनको पूरा करने में कौन सी चुनौतियां सामने आती है और कथित इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए किन अवधारणाओं को अपनाया जाना है, का इसमें समावेश है। दृष्टिकोण पत्र मंत्रिमंडल और राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाता है जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। इसके ढांचे की रूपरेखा का योजना में विस्तृत वर्णन किया गया है।

25. पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के लिए एम. आई. एस. (एम. आई. एस.–एन. ई. आर. डी.) :

पूर्वोत्तर क्षेत्र के जिलों में क्षेत्रकीय स्कीमों की प्रगति के मॉनिटरण के लिए ऑनलाइन वैब आधारित पोर्टल कार्यान्वित किया जा रहा है। पूर्वोत्तर जिलों से मासिक निवेष्टियों की सूचना ली जा रही है और सभी रिपोटों को सार्वजनिक डोमेन में रखा गय है। वित्तीय प्रगति के बारे में जिलावार और राज्य–वार उपलब्ध कराती है, जिनकी पहचान चुनिंदा सघन मॉनिटरण के लिए की गई है, जिनका मासिक आधार पर मॉनिटरण करना जरूरी है। इस एम. आई. एस. पोर्टल URL http://peserver.nic.in/ner के जरिए पहुंचा जा सकता है।

26. योजना आयोग के उपाध्यक्ष के लिए एम. आई. एस. :

यह एम. आई. एस. विशेष रूप से योजना आयोग के उपाध्यक्ष के लिए ही डिजाइन तथा तैयार किया गया है। जैसे ही नई जानकारी मिलती है, इसे अपडेट किया जाता है। यह एम आई एस उपाध्यक्ष को वार्षिक राज्य योजनाओं, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ. डी. आई.) पर आधारित अन्तर्राष्ट्रीय सांख्यिकी संबंधी अपडेटिड डाटा, डब्ल्यू. टी. ओ. संबंधी मामलों तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था संबंधी मामलों की नवीनतम जानकारी देता है। इस एमआईएस से 1990–91 से लेकर आज तक, स्वीकृत परिव्यय और व्यय के संबंध में, पिछले वर्षों में प्रतिशत उन्नति, तुलनात्मक विवरण और प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्राप्त जी. एस. डी. पी. की जानकारी भी मिलती है। डाटाबेस में अन्य जानकारियों में भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राजस्व, व्यय, वित्तीय घाटे, कृषि जी. डी. पी. प्रायोजन, जी. आई. एन. आई. को–एफिसिएंट, राज्य–वार पावर टी. एण्ड डी. हानियां, केन्द्र और राज्यों के वित्तीय घाटे, गरीबी संबंधी आंकड़े एफ. डी. आई. और डब्ल्यू. टी. ओ. संबंधी आंकड़े, चुनिंदा देशों की जी. डी. पी. प्रयोजनाएं जी–20 और उनका तुलनात्मक अध्ययन आदि जानकारियां शामिल

हैं। संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ वार्षिक योजना के बारे में चर्चाओं के दौरान तथा राज्यों और विदेश यात्राओं के समय यह एम. आई. एस. उपाध्यक्ष को जानकारियां दे कर सहायता करता है। यह यू. आर. एल. से http://planningco- mmission.gov.in/data/datatable/index. php?data=datatab पर उपलब्ध है।

27. मिनिमम स्पाटिअल डाटा इफ्रास्ट्रक्चर फॉर मल्टी–लेयर्ड जी. आई. एस. एप्लीकेशन :

योजना आयोग द्वारा प्रायोजित तथा एन. आई. सी. की सहायता से एक नई केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम (सी. एस.) "स्पाटिअल डाटा इफ्रास्ट्रक्चर फॉर मल्टीलेयर्ड जियोग्राफिकल इन्फारमेशन सिस्टम फॉर प्लानिंग" योजना आयोग में चालू है। स्पाटिअल डाटा और जी. आई. एस. एप्लीकेशन सेवा अब जी2जी में एन. आई. सी. के जरिये योजना आयोग में भी उपलब्ध है। एन. आई. सी. एच. क्यू. के मिरर सर्वर अर्थात सन फायर की वी 440 सर्वर सन–सोलारिस को भी चालू किया गया है और यू. आर. एल. का प्रयोग करके इसे http: //plangis/website/nsdb/viewer.htm पर आसानी से देखा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, सन–सोलारिस सर्वर का एन. एस. डी. बी. डाटाबेस है। अंतरिक्ष विभाग ने भी योजना आयोग में अपना मिरर साइट लगाया है और योजना आयोग में इन्ट्रा योजना पोर्टल के माध्यम से इन लेयर्स को देखा जा सकता है। अंतरिक्ष विभाग सर्वर की निम्नलिखित लेयर्स हैं :

- गोल्डन क्वाड्रिलेटरल : राष्ट्रीय राजमार्ग, जिला सड़कें, गांव/ कच्ची सड़कें (अनमेटल्ड रोड), रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे।
- नदियां, जलाशय, वाटरशेड लेवल्स, भूमि उपयोगय वनस्पतियां टाइप भू–उत्पादकता भूमि ढ़लान भूमि गहराई, भूमि की बनावट भू–क्षरण आदि।

  डाटा स्रोत में ये शामिल हैं :
- जनगणना 2001 डाटा, प्राथमिक जनगणना सारांश और सुविधा डाटाबेस।
- कृषि विज्ञान केन्द्रों से संबंधित डाटा, खादी और ग्राम उद्योग।
- एन आर एस ए आदि से प्राप्त डाटा।

योजना आयोग में एन. आई. सी. वाई. बी. यू. यूनिट ऐसी सभी जी. आई. एस. एप्लीकेशन्स का संरक्षक है, जहां मिरर–साइट कार्यरत है और योजना आयोग के लिए डिजीटाइज्ड नक्शे बनाए गए हैं। बड़ी संख्या में बनाए गए नक्शों और डाटाबेसों को योजना आयोग में एन. आई. सी. वाई. बी. यू. यूनिट स्थानीय रूप से देखभाल कर रहा है और योजना के विभिन्न प्रयोक्ताओं को बड़ी संख्या में इनपुट प्रदान करता है।

28. गैर–सरकारी संगठन भागीदारी प्रणाली (एन. जी. ओ. पी. एस.) :

योजना आयोग के निदेशानुसार गैर–सरकारी संगठनों के आनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए एन. जी. ओ. / वी. ओ. के वर्तमान डाटाबेस को एन. जी. ओ. भागीदारी प्रणाली में डाल दिया गया है। भारत के योजना आयोग ने सभी स्वयंसेवी संगठनों (वी. ओ.) / गैर–सरकारी संगठनों (एन. जी. ओ.) को इस प्रणाली पर हस्ताक्षर करने के लिए आमंत्रित किया था, जिसे निम्नलिखित मंत्रालयों / विभागों / सरकारी निकायों के साथ परामर्श करके विकसित किया गया है ताकि इन निकायों की विभिन्न स्कीमों हेतु सरकारी अनुदानों के लिए अनुरोध के संबंध में सरकार से बातचीत के समय इन वी. ओ. / एन. जी. ओ. को सुविधा हो सके:

- संस्कृति मंत्रालय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- जनजाति कार्य मंत्रालय
- महिला और बाल विकास मंत्रालय
- उच्च शिक्षा विभाग
- स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एन. ए. सी. ओ.)
- लोक कार्यवाही और ग्रामीण प्रौद्योगीकी प्रगति परिषद (कापार्ट)
- केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सी. एस. डब्ल्यू. बी.)
- युवा मामले विभाग

सभी वी. ओ. / एन. जी. ओ. से अनुरोध है कि वर्तमान वी. ओ. / एन. जी. ओ. का डाटाबेस बनाने और भागीदार मंत्रालयों / विभागों / सरकारी निकायों की विभिन्न स्कीमों के लिए अनुदान हेतु जानकारी प्राप्त करने के लिए वे पोर्टल http://ngo.india.gov.in में हस्ताक्षर कर दें (एक बार)। भारत की राष्ट्रपति ने 4 जून, 2009 को संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए, अपने भाषण में 100 दिवसीय वचनबद्धता में एन. जी. ओ. भागीदारी प्रणाली का प्रस्ताव किया था।

आज तक अर्थात दिसम्बर के अंत तक लगभग 45,800 एन जी ओ ने पोर्टल के साथ आनलाइन हस्ताक्षर किए हैं और लगभग 4000 एन. जी. ओ. ने अनुदान के लिए आनलाइन आवेदन किए हैं। एन. आई. सी. वाई. बी. यू. में प्रशासक के लिए इंटरफेस विकसित किया है। इस प्रणाली में सर्च, एफ. ए. क्यू. और एन. जी. ओ. पी. एस. पोर्टल में एन. जी. ओ. / वी. ओ. द्वारा किए गए हस्ताक्षरों की पुष्टि / या हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित करने हेतु आटोमेटिड मेल भेजने के मॉड्यूल में यूजर आई. डी. तथा पासवर्ड जैसी सुविधाएं भी हैं। आमतौर पर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफ. ए. क्यू.) को भी तैयार कर लिया गया है और उन्हें साइट से जोड़ा गया है, ताकि एन. जी. ओ.(ज) सहभागिता हेतु सहायता पहुंचाई जा सके।

29. संसद प्रश्नोत्तर का डाटाबैंक :

संसद में पूछे गए प्रश्न और उनके दिए गए उत्तर का एक वेब–आधारित डाटा बेस, जिसका कार्य योजना आयोग का संसद अनुभाग देखता है, इंटरानेट साइट http://pcserver.nic.in/parliament पर उपलब्ध है। वेबसाइट को पुनः डिजाइन किया गया है और विभिन्न सत्रों के दौरान योजना आयोग के बारे में संसद में पूछे गए प्रश्न और उनके तैयार किए गए उत्तर वेब फारमेट में डाले गए और अपेक्षित की डेफिकेशन के बाद श्रेणी–वार और प्रभाग–वार अपेक्षित जानकारी के लिए उनके डाटाबेस को अपडेट किया गया है। वेबसाइट पर एक नया मोड् 'क्विक सर्च' बनाया गया है। संसद के सभी सत्रों में योजना आयोग के बारे में संसद में पूछे गए प्रश्न और उनके तैयार किए गए उत्तर इस साइट पर उपलब्ध हैं।

30. वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के लिए प्रबंधन प्रणाली (ए. सी. आर.) :

योजना आयोग में सभी अधिकारियों / कर्मचारियों हेतु सत्यनिष्ठा के सभी ग्रेड और मूल्यांकन सहित वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों (ए. पी. ए. आर.) की पत्राचार संबंधी सभी प्रविष्टियों सहित मॉनीटरिंग / अनुरक्षण और पैकेजिंग हेतु ऑन लाइन वैब आधारित प्रणाली तैयार की गई है। इसके चार प्रकार के प्रयोक्ता है। योजना आयोग के प्रशासन (1, 2, 3, 4) योजना आयोग के ए. पी. ए. आर. प्रकोष्ठ के कर्मचारी और वैब प्रशासन। प्रशासन कर्मचारियों के ब्यौरों को अद्यतन कर सकता है और कर्मचारियों को ए. पी. ए. आर. जारी कर सकता है। कर्मचारी, कर्मचारी ब्यौरों में ए. पी. आर. का पता लगा सकते हैं। रिपोर्टिंग अफसर, पूनरीक्षा अधिकारी और स्वीकृति देने वाले अधिकारी ब्यौरों को भी देखा जा सकता है। अंततः ए. पी. ए. आर., ए. पी. ए. आर. प्रकोष्ठ में पहुंच जाती है, ताकि ए. पी. ए. आर. का मॉनिटरण हो सके। ए. पी. ए. आर. प्रकोष्ठ कर्मचारी ए. पी. ए. आर. की प्रति को स्कैन कर अपलोड कर सकता है, ताकि ए. पी. ए. आर. में किसी तकनीकी मुद्दें को देख सके।

ए. पी. ए. आर. जारी करने की तारीख, कर्मचारी द्वारा ए. पी. ए. आर. को पूरा करना, रिपोर्टिंग और पूनरीक्षण

अधिकारी की ग्रेडिंग और प्रमाणन आदि डी. ओ. पी. टी. (कार्मिक और प्रशासनिक विभाग) के दिशा – निदेशों के अनुसार ही किए जाएंगे। योजना आयोग में एम. आई. एस. का विकास अधिकारियों / कर्मचारियों की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों की स्थिति का रख–रखाव हेतु किया गया है।

31. वित्तीय संसाधन और डाटा प्रबंधन हेतु वैबसाइट – वित्तीय संसाधन प्रभाग को स्पोर्ट :

एन. आई. सी. (वाई. बी. यू.) तैयार कर विकसित की गई है, जो वैब आधारित एप्लीकेशन है और योजना आयोग के वित्तीय प्रभाग (एफ. आर.) हेतु इन्टरनेअ पर उपलब्ध है। इस साइट का पूर्ण रूप से कार्यान्वयन किया जा रहा है और सामग्री की दृष्टि से यह काफी सम्पन्न है तथा वित्तीय आवंटन, परिव्यय, व्यय संबंधी सभी राज्यों / यू. टी.(ज) के ब्यौरें इसमें उपलब्ध रहते हैं, जो सभी योजनाओं के लिए हैं, केंद्रीय वित्त संसाधनों के विस्तृत ब्यौरे भी इसमें उपलब्ध हैं। इसमें कोर वैब पेजिज के संसाधन और एडीशन भी अपलोड कर दिए गए हैं। इस प्रकार एक ही स्थान पर सभी सूचनाएं इस एम. आई. एस. में समाहित रहती हैं तथा डेटाबेस के यूजर सरफेस में सुधार कर इसे प्रयोक्ता अनुकूल बनाया गया है।

32. राज्य योजना एवं आंकड़ा प्रबंधन के लिए वेबसाइट – राज्य योजना प्रभाग प्रभाग की सहायता :

आंतरिक प्रयोग के लिए किसी भी समय 'यूजर फ्रैंडली' ढंग से इंटरापोल पर विभिन्न रिपोर्टों, अनुच्छेदों, इनपुट, डाटा डिपोजिटरी तथा विभिन्न प्रभागों के संबंधित सभी जानकारी लेने के लिए राज्य योजना प्रभाग हेतु एक वेब आधारित अनुप्रयोग डिजाइन किया गया है। इस साइट में सभी पंच वर्षीय योजनाओं, वार्षिक योजनाओं और उनके सेक्टर तथा उप सेक्टर परिव्यय, योजना आयोग में तथा राज्य / संघ क्षेत्र स्तर पर तैयार किए गए। योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए राज्यों / संघ क्षेत्रों के संक्षेपण और मुख्य मंत्री स्तर पर वार्षिक योजना चर्चाओं के दौरान राज्यों द्वारा प्रस्तुतीकरणों आदि का डाटा एक ही स्थान पर उपलब्ध है।

मौजूदा वैब आधारित एप्लीकेशन में संशोधन किया गया है ताकि 11वीं योजना और वार्षिक योजना 2013–14 के लिए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से वित्तीय संसाधनों के प्रक्षेपण की सूचनाएं प्राप्त की जा सकें। ग्यारह संशोधित निवेष्टि फार्मों की भी अपलोड किया गया है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के नोडल कार्यालय 11 फार्मो को डाउनलोड/सूचनाओं का अपलोड साइट http://pcserver/spr 1314 यह प्रणाली प्रमाणीकरण के साथ ली जा सकती है। प्रयोक्त टिप्पणियों और अन्य सूचनाओं को भी अपलोड कर सकता है जिनकी जरूरत योजना आयोग को होती है। यह एप्लीकेशन नेट प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकसित की गई है। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान अधिकांश राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों के लिये सूचना अपलोड की गई है।

III. नेशनल पोर्टल ऑफ इण्डिया तथा अन्य वेब साइट की विषय वस्तु :

योजना आयोग से संबंधित बहुत से दसतावेज़ों को इण्डिया पोर्टल में डाला गया है ताकि इसके केंटेंटस को और व्यापक बनाया जाए (http://india.gov.in)।

वेबसाइट का अपडेशन और अनुरक्षण (मेनटेनेंस) : योजना आयोग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत 2012–13 की अवधि के दौरान निम्नलिखित वेबसाइटों को अद्यतन बनाया गया और अनुरक्षित किया गया :

- 12वीं पंचवर्षीय योजना की वेबसाइट http://12thplan.gov.in
- योजना आयोग की वेबसाइट http://planningcommission.gov.in
- राष्ट्रीय ज्ञान आयोग वेबसाइट http://knowledgecommission.gov.in
- अवसंरचना सचिवालय (एस ओ आई) वेबसाइट http://infrastructure.gov.in
- प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ई. ए. सी.) वेबसाइट http://eac.gov.in

- अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान (आई. ए. एम. आर.) वेबसाइट http://iamrindia.gov.in
- पीआईआईआई पर प्रधानमंत्री के सलाहकार का कार्यालय (http://iii.gov.in)
- भारतीय राष्ट्रीय नवप्रवर्त्तन परिषद (http://innovation.gov.in)
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डी. बी. टी. पोर्टल (http://dbtportal.gov.in)

1. योजना आयोग की वेबसाइट :

योजना आयोग वेबसाइट अर्थात http://planningcommission.gov.in को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। विभिन्न पेजों के हिन्दी तथा अन्य भाषाओं के पाठ भी तैयार करके वेबसाइट में अपलोड किए गए हैं। योजना आयोग की वेबसाइट को पुनः डिजाइन करके आकर्षक बनाया गया है और कंटेंट्स को अच्छी प्रकार वर्गीकृत किया गया है ताकि वे अकि यूजर फ्रेंडली हों। नवीन रूप में वेब साइट में निम्नलिखित अतिरिक्त फीचर जोड़े गए :

- ➢ नौवहन – अधिक सरल (सिम्पलर) : कृषि, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, खनिज, उद्योग, अवसंरचना, ग्रामीण विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक न्याय तथा अन्य सेक्टरों पर विशेष ध्यान दिया गया।
- ➢ मीडिया और प्रेस रिलीज, इन्टर्नशिपय ई. एफ. सी. / पी. आई. बी. स्टेट्स टेंडर्स की विशेष कवरेज
- ➢ एक बार में ही फ्लैगशिप कार्यक्रमों और मूल्यांकन अध्ययनों की मानीटरिंग
- ➢ रिपोर्टों को आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सकता है और दो से अधिक बार क्लिक नहीं करना पड़ता।

2. 12वीं पंचवर्षीय योजना की वेबसाइट :

भारत में बेहतरीन योजना में हमारी सहायता के उद्देश्य से डॉ. मनटेक सिंह अहलूवालिया ने 12वीं पंचवर्षीय योजना की पहली विमर्शी वेबसाइट http://12thplan.gov.in 02 फरवरी, 2011 को मीडिया की उपस्थिति में शुरू की, जिस में वेबसाइट की प्रस्तुति भी दी गई। वेबसाइट का उद्देश्य था कि योजना बनाने प्रक्रिया कि अभिकल्पना और सुलभता हो, जिसका नेतृत्व टैक्नैक्रेट्स विशेषज्ञों या केंद्र सरकार द्वारा नहीं किया जाता इसे लोक नेतृत्व प्रक्रिया पर छोड़ा गया है, और सोसाइटी और गैर सरकारी विशेषज्ञ उन में से कुछ साइट्स पर प्लानिंग में योगदान दे सकती है तथा इसे और अधिक रूप से हाशिए पर रहने वालों के लिए जगह सृजित कर सकते हैं। यह 12 रणनीतिक चुनौतियों पर आधारित थी जिसका उद्देश्य विभिन्न समूहों तक पहुंचना था।

- o सिविल सोसाइटी निकायों के साथ व्यापक परामर्श।
- o सूक्ष्म, लघु उद्योग और बिजनैस संघों की सेवाएं लेना।
- o राज्य सरकारों और राज्य सरकार के विभागों के साथ परामर्श।
- o अंततः पूरी दुनिया में "नैटीजन्स" से जुड़ना।

अगली पंचवर्षीय योजना की सहभागी आयोजना संचालन में योगदान का एक साधन

- o आगामी दृष्टिकोण पत्र और 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लोग चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों देखने का अवसर।
- o इन चुनौतियों के बारे में लोगों के प्रश्नों और प्रतिक्रियाओं की व्याख्या।

- o विविध पणधारियों को एक मंच पर लाना।
- o विभिन्न चिंताओं वाले विषयों के बारे में सामाजिक समूहों को लगाना, विभिन्न विचारों, नेटवर्क और संसाधनों को एकत्र करना।

इस वेबसाइट की अंतर्भीति फेस बुक के साथ होना इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है क्योंकि यह सामाजिक नेटवर्किंग साइट है। इसकी विषय वस्तु सक्रिय हैं, विषय एवं पोस्ट्स हैं, जिन्हें प्रयोक्ता पोस्ट कर सकता है और बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र के लिए यह निवेष्टि बन सकती है। आज की स्थिति के अनुसार 78 हजार लोगों ने इस साइट को देखा है और GOV.in के अंतर्गत यह दूसरी सबसे अधिक सक्रिय साइट है। इसका डिजाइन, विकास तथा अनुरक्षण एन. आई. सी. द्वारा किया जा रहा है, जिसकी हिट्स 15 लाख से भी अधिक हो गई है।

3. आर्थिक सलाहकार समिति (ई ए सी) की वेबसाइट :

आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष ने इच्छा व्यक्त की कि परिषद की अलग वेबसाइट हो। तदनुसार साइट रजिस्टर करा लिया गया और 27 अक्तूबर, 2006 को आर्थिक सलाहकार परिषद के सचिव द्वारा एक अलग वेबसाइट http://eac.gov.in शुरू की गयी है। सरकार ने आर्थिक मामलों के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागृति पैदा करने के उद्देश्य से आर्थिक सलाहकार परिषद् का गठन किया है। यह वेबसाइट ई ए सी द्वारा की गई पहल की जानकारी को लिंक करने (जोड़ने) और सरकारी नीतियों के बारे में प्रमुख पहल की जानकारी को सिंगल विंडो के जरिये उपलब्ध कराने के लिए है।

4. अवसंरचना सचिवालय (एस. ओ. आई.) की वेबसाइट :

माननीय वित्त मंत्री द्वारा 20 मई, 2006 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में अवसंरचना सचिवालय के लिए एक नई वेबसाइट http://infrastructure.gov.in शुरू की गई है। एन. आई. सी. (वाई. बी. यू.) ने इस साइट को शुरू करने हेतु एस. ओ. आई. को पूरी मदद दी है और योजना भवन में एन. आई. सी. यूनिट इस प्रभाग को पूरी मदद दे रहा है ताकि इस वेबसाइट का समय पर अपडेशन हो और कंटेंट्स भी व्यापक हो जाए।

5. राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की वेबसाइट :

'राष्ट्रीय ज्ञान आयोग' की वेबसाइट श्री सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में http://knowledgecommission.gov.in को सरकारी तौर पर GOV.in डोमेन के अंतर्गत शुरू किया गया। इस साइट को शुरू करने में एन. आई. सी. (वाई. बी. यू.) ने पूरी मदद की है और समय पर अपडेशन के लिए तथा कंटेंट्स बढ़ाने के लिए लगातार मदद कर रहा है। रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान भी साइट को अधिक व्यापक बनाया गया है।

6. अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान (आई. ए. एम. आर.) की वेबसाइट :

अनुप्रयुक्त जनसाधन अनुसंधान संस्थान (आई. ए. एम. आर.), नरेला, जो योजना आयोग की एक स्वायत्तशासी संस्था है, की वेबसाइट सरकारी तौर पर gov.in डोमेन के अंतर्गत शुरू की गई है। इस साइट को शुरू करने में एन. आई. सी. (वाई. बी. यू.) ने पूरी सहायता दी है और इसके समय पर अपडेशन तथा कंटेंट्स व्यापक बनाने के लिए लगातार सहायता दे रहा है। रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान भी इसे अधिक व्यापक बनाया गया है।

- क्योंकि शुरू की गई और शुरू की जाने वाली सभी वेबसाइटों के लिए यह अनिवार्य है कि वेब एप्लीकेशन में उनका 'वल्नरेबिलिटी ऑडिट' हो, इसलिए उपरोक्त सभी साइटों के संबंध में सुरक्षा ऑडिट का अनुपालन किया गया है।
- योजना आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, आर्थिक सलाहकार परिषद (ई. ए. सी.) तथा आई. ए. एम. आर. के ई–मेल अकाउंटस का नियमित रूप से अनुरक्षण और अपडेशन होता है।

7. इन्ट्रा–योजना पोर्टल (http: // intrayojana.nic.in)

एन. आई. सी. (वाई. बी. यू.) ने योजना आयोग के कर्मचारियों हेतु सभी जी2ई / जी2जी एप्लीकेशन के लिए इंटरा योजना पोर्टल को विकसित और कार्यान्वित किया है, ताकि विभिन्न जानकारियों को एक स्टाप वेब आधारित पोर्टल में समेकित किया जा सके और सर्विस का समाधान हो सके। इसे ओपन स्टेंडर्ड पर बनाया गया है और 'लीनेक्स', 'प्लोन' और 'जोप' साटवेयर का प्रयोग किया गया है। पोर्टल की मूल्यवान जानकारी से समृद्ध किया गया है और इसमें कंटेंट और दस्तावेज प्रबंधन, केंटेंट्स की व्यक्तिगत डिलीवरी, कार्य–प्रवाह है। इससे वास्तव में समय की बचत होती है। प्रयोक्ता सर्च करके सर्वर पर सिंगल लॉग–इन द्वारा अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बहुप्रकार की जानकारी ले सकता है।

इन्ट्रायोजना के कंटेंट्स का प्रबंधन – योजना आयोग का इंटरानेट पोर्टल : – वर्ष के दौरान पोर्टल के प्रबंध में निम्नलिखित कटेंट्स लिए गए –

(क) नये प्रयोक्ताओं का सृजन (क्रिएशन)।

(ख) जो प्रयोक्ता योजना आयोग से सेवानिवृत्त हो गए / या चले गए हैं, उनकी हैसियत का अपडेशन।

(ग) इंटरा योजना पोर्टल में अपलोड किए गए केंद्रीय राज्य योजना और पुस्तकालय प्रभाग के कंटेंट्स।

(घ) महीने के लिए पे.रोल और जी पी एफ डाटा का अपलोडिंग।

(ड.) अनुरोध प्राप्त होने पर कंटेंट्स की अपलोडिंग।

(च) पे–रोल साटवेयर के सुचारु संचालन के लिए तकनीकी मदद।

(छ) एन. आई. सी., योजना भवन यूनिट द्वारा विकसित की गई एम. आई. एस. सूचना प्रणाली के लिए हाइपर लिंक्स की व्यवस्था।

(ज) कार्यालय प्रक्रिया आटोमेशन (ओ. पी. ए.) प्रबंधन, आदि।

8. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी. पी. टी.) पोर्टल (http://dbtportal.gov.in)

"प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पर पोर्टल" शुरू किया गया है, जिसमें 16 राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों, जहां 34 स्कीमों को प्रयोगिक रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण किया जाता है के 43 जिलों हेतु सूचना प्रदान की जाती है। इसमें ऐसी विशेषताएं हैं जिनसे नोडल अधिकारी दस्तावेजों को अपलोड कर सकते हैं और अपने विचार भी बदल सकते हैं। यह साइट ब्लौग समर्थित विशेषता लिए हुए है। निकट भविष्य में इसमें और विशेषताएं भी शामिल कर दी जाएंगी।

9. सूचना का अधिकार (आर. टी. आई.) अधिनियम, 2005 :

आर. टी. आई. अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु योजना आयोग ने एक वेब आधारित प्रणाली विकसित की है। इसमें संबंधित

दस्तावेज / सूचना अपलोड की जाती है। आर. टी. आई. अधिनियम से संबंधित पूछताछ और उत्तर प्रक्रिया सर्वर पर इंटरनेट पर उपलब्ध है। यह साइट शुरू की गई है और योजना आयोग के होम पेज से इसे जोड़ा गया है।

10. पी. ए. ओ. कम्पेक्ट साटवेयर :

एन. आई. सी. ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयो / विभागों के प्रयोग हेतु विभिन्न अदायगियों और लेखाओं के कम्प्यूटरीकरण के लिए वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली साटवेयर 'पी. ए. ओ. काम्पेक्ट' शुरू की है। विंडो 2003 सर्वर की, जिस पर यह साटवेयर एप्लीकेशन लगाया गया , देखभाल एन. आई. सी. (वाई. बी. यू.) करता है और योजना आयोग के वेतन तथा लेखा कार्यालय को सभी जरूरी सहायता दी जाती है।

11. प्रशिक्षण :

कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण : सूचना प्रौद्योगिकी के प्रति जागृति में वृद्धि करने के लिए कम्प्यूटर संबंधित विषयों पर योजना आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए योजना भवन में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें कम्प्यूटर के बेसिक्स, विंडों आधारित माइक्रोसाट आफिस टूल्स / एप्लीकेशन्स जैसे माइक्रोसाट वर्ड, एक्सेल, ई–मेल, पावर प्वाइंट, हिन्दी साटवेयर, इंटरनेट आदि तथा अन्य पैकेजों का प्रयोग शामिल थे। वर्ष 2011–12 के दौरान निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए :

(क) योजना आयोग के कर्मचारियों के लिए पांच दिवसीय 'बेसिक कम्प्यूटर जागृति' कार्यक्रम। इसमें 50 कर्मचारियों ने भाग लिया।

(ख) समूह "घ" के कर्मचारियों को कंप्यूटर (फेमिलियर) की बुनियादी जानकारी और डायरी / डिस्पैच और फाइलों के आवागमन (ओ. पी. ए.) संबंधी प्रशिक्षण। योजना आयोग के समूह "घ" के काफी कर्मचारियों (एम.टी.एस.) को कई समूहों में कवर किया गया, उन्होंने प्रशिक्षण में भाग लिया ताकि वे आफिस ऑटोमेशन उपकरणों की विभिन्न विशेषताओं के बारे में आसानी महसूस कर सकें।

(ग) ई–कार्यालय जो कि ई–शासन उपस्कर डिजीटल कार्यस्थल के लिए है और यह योजना आयोग के विभिन्न प्रभागों के लिए है के कार्यान्वयन पर प्रशिक्षण दिया गया।

12. माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय विकास परिषद (एन. डी. सी.) की 57वीं बैठक का वेब प्रसारण

27 दिसंबर, 2012 को माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय विकास परिषद (एन. डी. सी.) की 57 वीं बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी मुख्य मंत्रियों और संघ शासित क्षेत्र के प्रशासकों ने भाग लिया तथा साथ ही मंत्रीगण भी मौजूद थे, ताकि वे 12वीं योजना (2012 से 2017) के दृष्टिकोंण पत्र पर चर्चा कर सकें। एन. आई. सी. द्वारा विज्ञान भवन से उद्घाटन एवं समापन सत्र का सीधा वेब प्रसारण किया गया। पहले भी योजना आयोग की एन. आई. सी. की इकाई ने नेटवर्क सुविधा के साथ वर्क–सेंटर उपलब्ध कराते हुए विज्ञान भवन में सभी तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई थी।

4.35. 7 नयाचार

प्रोटोकॉल (नयाचार) अनुभाग के मुख्य उद्देश्य हैं : – (i) वी. आई. पी. (ज) / उच्च स्तरीय विदेशी शिष्टमंडल आदि जो योजना आयोग का दौरा करते हैं के प्रति शिष्टाचार। (ii) उपाध्यक्ष, राज्य मंत्री, सदस्यों और सचिव के सरकारी दौर पर उनकी हवाई अड्डे पर अगवाई करना। (iii) कार्यालय और इसके बाहर बैठकें, सम्मेलन तथा सेमिनारों का आयोजन करना अदि तथा ऐसे अवसरों पर आतिथ्य संबंधी व्यवस्था करना।

चालू वर्ष के दौरान लगभग 1726 बैठकों का आयोजन किया।

4.35.8 योजना आयोग क्लब

मौजूदा प्रबंधन समिति ने श्री यू. के. शर्मा, संयुक्त सलाहकार, योजना आयोग की अध्यक्षता में मार्च और अगस्त, 2011 में अपनी गतिविधियां शुरू की थीं। श्री शर्मा ने प्रबंधन समिति का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें स्पोर्ट्स एवं अन्य गतिविधियों हेतु प्रोत्साहित किया।

क्रिकेट

योजना आयोग से क्रिकेट टीम अंतरमंत्रालयी स्पर्धा के लिए भेजी गई तथा अभ्यास के लिए खेल के मैदान भी बुक कराए गए। खेल–कूद के दौरान टीम ने अच्छा प्रदर्शन दिखा और पहली बार सेमी–फाइनल तक पहुंची।

टेबल टेनिस

योजना आयोग से टेबल टेनिस की टीम भी अंतरमंत्रालयी स्पर्धा के लिए भेजी गई, लाजिस्टिक सहायता जैसे अच्छे टेबल टेनिस बैट्स के अभाव में भी टीम फाइनल स्तर तक पहुंची।

वार्षिक एथलीट मीट

25 फरवरी, 2012 को वार्षिक एथलीट मीट का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न एथलैटिक विधाएं जैसे – 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर और 800 मीटर की दौड़, लम्बी कूद, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, युवा और वैटरन के लिए हैमर थ्रो – महिला और पुरूषों दोनों के लिए आयोजित किए गए। बच्चों की दौड़ भी कराई गई। विशेष खेल जैसे – म्यूजिक चेयर, लैमन रेस भी महिलाओं और बच्चों हेतु भी कराई गई। किसी भी घटना की संभावना को देखते हुए चिकित्सा सहायता की व्यवस्था भी की गई। क्लब का फिर से तैयार किया नया ध्वज उप सचिव (कल्याण) सुश्री मेरी बी. बारला द्वारा फहराया गया।

आन्तरिक टूर्नामेंट

कैरम और चेस दोनों के लिए एकल और डबल नोक–आउटस हेतु आन्तरिक टेबल टेनिस टूर्नामेंट आयोजित किए गए। वार्षिक बोट डबल्स–नोक आउटस सफलता के साथ कप्तान उप–कप्तान द्वारा आयोजित किए गए।

भ्रमण दौरे

02 दिसंबर, 2011 से 06 दिसंबर, 2011 तक क्लब ने अमृतसर, बाग बॉर्डर, वैष्णोदेवी का चार्टर्ड बस से दौरा किया। 10 फरवरी, 2012 से 12 फरवरी, 2012 तक दूसरा भ्रमण दौरा, आगरा, मथुरा, वृंदावन और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के लिए किया गया। सहभागियों के लिए इस भ्रमण को अधिक यादगार बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए गए जिन्होंने इस दौरे का पूरा आनंद लेते हुए सराहना की।

वार्षिक समारोह

योजना आयोग का वार्षिक समारोह 16.05.2012 को योजना भवन, नई दिल्ली के कमरा नं. 122 में जिसमें श्रीमती सिंधुश्री खुल्लर, सचिव, योजना आयोग, मुख्य अतिथि तथा श्री टी. के. पाण्डे, संयुक्त सचिव, गैस्ट ऑफ ऑनर थे। मुख्य अतिथि तथा गैस्ट ऑफ ऑनर द्वारा विभिन्न खेल विधाओं के विजयी खिलाड़ियों और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले कलाकारों को पुरस्कार वितरित किए गए। सभी के द्वारा समारोह की व्यवस्था की सराहना की गई।

4.35.9 कल्याण एकक

कर्मचारियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग में कल्याण एकक की स्थापना की गई है। इसके जरिए अधिकारियों / कर्मचारियों प्रथम चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें ओ. टी. सी. मेडिसिन्स या रक्त चाप और मधुमेय जैसी सामान्य जांच कराई जाती है। आपात् स्थिति में कल्याण एकक सभी आवश्यक सहायता प्रदान करती है जैसे – दुर्घटना / अन्य स्थितियां और कर्मचारियों को चिकित्सा इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जाता है। सहायक कल्याण अधिकारी योजना आयोग के प्रतिनिधि के रूप में विकट परिस्थिति में मरने वाले कर्मचारी के परिवार वालों के यहां जाते हैं और हर संभव सहायता करते हैं। विकट परिस्थिति में मरने वाले कर्मचारियों के लिए कार्यालय में शोक सभा आयोजित की जाती है। यह एकक अधिवर्षिता की आयु पर सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों के लिए विदाई पार्टी का आयोजन करती है कल्याण एकक निजी एवं अंतर पारस्परिक मामलों में कर्मचारियों को कार्यालय में परामर्श भी देती है। कल्याण एकक यह भी ध्यान रखती है कि योजना आयोग क्लब को हर वर्ष अनुदान सहायत प्रदान की जाती है ताकि वे खेलकूद साहित्यिक एवं अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों / भ्रमण दौड़ों का आयोजन योजना आयोग के कर्मचारियों के लिए कर सकें।

2. इसके अलावा कल्याण एकक निम्नलिखित राष्ट्रीय दिवसों का आयोजन भी करती है :–

   – शहीद दिवस।

   – आतंक विरोधी दिवस।

   – सद्भावना दिवस।

   – कौमी एकता दिवस।

   – झंडा दिवस और साप्रदायिक सद्भाव के लिए निधि की व्यवस्था।

   – सशस्त्र बल झण्डा दिवस और निधि जुटाने की व्यवस्था।

3. 1 अप्रैल, 2012 से 28 फरवरी, 2013 तक कल्याण एकक ने निम्नलिखित समारोहों / गतिविधियों का आयोजन 28 फरवरी, 2013 तक आयोजित किए गए : –

   1. खेल कूद।
   2. चिकित्सा सहायता / प्राथमिक उपचार अस्पताल भेजना आदि।
   3. सेवा निवृत्त होने वाले कार्मिकों के विदाई सभाओं का आयोजन।
   4. शोक सभाओं का आयोजन।
   5. 30 जनवरी को मौन दिवस, 21 मई को आतंक विरोधी दिवस के रूप में, 19 अगस्त को सद्भावना दिवस, 9 नवम्बर को एकता दिवस, 19 से 25 नवमबर को सामुदायिक सौहार्द अभियान एवं झण्डा दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा 7 दिसम्बर को सशस्त्र बल झण्डा दिवस के रूप में मनाय जाता है।
   6. स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत योग और प्रैक्टिकल कक्षाओं का आयोजन किया गया।

योजना आयोग क्लब

कर्मचारियों में खेलकूद, साक्षरता और सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रसार को बढ़ाने की दृष्टि से योजना आयोग क्लब स्थापित किया गया है। सचिव, योजना आयोग इस क्लब के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इस क्लब की गतिविधियों का प्रबंधन एक कार्यकारी समिति द्वारा किया जाता है। इसका चुनाव प्रतिवर्ष क्लब के सदस्यों द्वारा किया जाता है।

मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार योजना आयोग क्लब के कुल सदस्यों की संख्या 438 थी, जबकि योजना आयोग के स्टाफ की कुल संख्या (पी. ई. ओ. / आर. ई. ओ.) को मिलाकर 1 अप्रैल, 2012 को 1321 थी। प्रति सदस्य वार्षिक सदस्यता शुल्क

रु. 20 रखा गया है। वर्ष 2012–13 के लिए जी. एफ. आर. नियम संख्या 215 के दिशा निदेशों के अनुसार कुल 75,250 रुपए मंजूर अनुदान सहायता की गई थी।

क्लब के उद्देश्य इस प्रकार हैं : –

योजना आयोग में कार्यरत कर्मचारियों और अन्य मंत्रायली कर्मचारियों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना।

बहिरंग खेलों आंतरिक खेलों और अन्य प्रकार के मनोरंजन के लिए सुविधाएं मुहैया कराना।

सामान्य रूचि के मामलों के लिए विचार–विमर्श हेतु मंच प्रदान करना और उपर्युक्त लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उनके अनुकूल अन्य गतिविधियां शुरू करना या कार्यकारी समिति द्वारा समय–समय पर लिए गए निर्णयों के अनुसार गतिविधियां आयोजित करना।

योजना आयोग क्लब ने 1 अप्रैल, 2012 से फरवरी, 2013 तक निम्नलिखित विधाओं में भाग लिया है:–

(क) अंतरमंत्रालयी कैरम खेल स्पर्धा 2012 – 13 : –

28 जरवरी, 2013 से 05 फरवरी, 2013 के बीच टेबल टेनिस हॉल, निर्माण भवन, नई दिल्ली में 06 कैरम खिलाड़ियों ने अंतरमंत्रालयी कैरम स्पर्धा 2012 – 2013 में भाग लिया, जिसमें सभी खिलाड़ियों ने एकल और टीम दोनों में ही अच्छा निष्पादन दिखाया।

(ख) अंतरमंत्रालयी क्रिकेट (वैटरन) कैरम खेल स्पर्धा 2012 – 13 : –

अंतरमंत्रालयी क्रिकेट (वैटरन) स्पर्धा 2012 – 2013 फरवरी, 2013 से आरंभ हुई जिसमें चुने गए 14 क्रिकेट खिलड़ी (वैटरन) ने योजना आयोग की ओर से इस अंतरमंत्रालयी स्पर्धा में भाग लिया और उन्होंने शानदार प्रदर्शन के साथ प्राथमिक मैचिज में विजयी रहें।

(ग) अंतरमंत्रालयी बैडमिंटन स्पर्धा 2012 – 13 : –

पांच बैडमिंटन खिलाड़ियों ने योजना आयोग की ओर से अंतरमंत्रालयी बैंडमिंटन स्पर्धा में 4 फरवरी, 2013 से 16 फरवरी, 2013 तक भाग लिया जो एम्स जिमखाना, नई दिल्ली में सम्पन्न हुई थी। सभी खिलाड़ियों ने शानदान प्रदर्शन दिखाया जो पहली बार स्पध्र में खेले थे।

(घ) अंतरमंत्रालयी चेस स्पर्धा 2012 – 13 : –

योजना आयोग से 4 चैस खिलाड़ियों ने अवर मंत्रालयी चेस स्पर्धा 2012 – 13 में भाग लिया। यह स्पर्धा 05 नवम्बर से 15 नवम्बर, 2012 के दौरान आयोजित की गई थी। यह खेल स्पर्धा टेबल टेनिस हॉल, द्वार सं. 1, निर्माण भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। सभी खिलाड़ियों ने रेपिड चेस चैम्पियनशिप एवं एकल चैम्पियनशिप में अच्छा प्रदर्शन दिखाया। यह स्पर्धा "स्विस लीग सिस्टम" पर अनुकूल राउंड संख्या के साथ खेली गई।

(ड.) अंतरमंत्रालयी क्रिकेट खेल स्पर्धा 2012 – 13 : –

अंतरमंत्रालयी खेल स्पर्धा 2012–13, सितम्बर 10, 2012 से आरंभ हुई थी, इसका आयोजन बोर्ड के क्रिकेट मैदान, विजय मार्ग, नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। चुने हुए 14 खिलाड़ियों ने योजना आयोग की ओर से भाग लेकर अच्छा प्रदर्शन दिखाया।

"महान मेराथनर" – श्री अरूण कुमार भारद्वाज – उ. श्रे. लि. : –

श्री अरूण कुमार भारद्वाज, उ. श्रे. लि. ने हाल ही में कारगिल से कन्याकुमारी, लेह होते हुए 01 अक्तूबर से 30 नवम्बर, 2012 तक 4100 कि. मी. से भी अधिक दूरी कवर करते हुए, पूरे भारत की लम्बाई की दौड़ लगाने वाले पहले भारतीय हैं। श्री अरूण कुमार भारद्वाज 24 फरवरी, 1969 को पैदा हुए और योजना आयोग में 22 जून, 1992 को कार्यग्रहण किया था। इन्होंने योजना आयोग को गौरवान्वित किया है।

योग और योग की प्रैक्टिकल कक्षाएं आयोजित करना और व्याख्यान देना

11 जून, 2012 से 10 दिसंबर, 2012 तक योग पर व्याख्यान और प्रैक्टिकल कक्षाएं आयोजित की गई, ताकि योजना आयोग के अधिकारियों / कर्मचारियों में योग के प्रति जागृति पैदा की जा सके।

योजना आयोग में कार्यरत कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए एक्वॉप्रैसर (अर्ध चिकित्सा थैरेपी) का आयोजन किया गया।

22 जनवरी से 07 फरवरी, 2013 तक योजना आयोग में एक शिविर का आयोजन किया गया ताकि योजना आयोग के अधिकारियों / कर्मचारियों को स्व–इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया गया। विभिन्न सामान्य बीमारियों, क्रॉनिक और एक्यूट बीमारियों जिनमें कोंस्टीपेशन (कब्ज), पाइल्स, एसीडिटी, मधूमेह, सर्वाइकल स्पोंडैलाइटिस, लेम्बर स्पोंडेलाइटिस, घुटनों का दर्द, हृदय रोग, एनजाइना पेन, उच्च / निम्न रक्तचाप आदि, जिसके लिए कम्प्रैसर पोइंट्स, व्यायाम, योग, दवाइयां (घर में बनाई दवाइयों) का सहारा लिया गया।

निम्न से संबंधित कार्य : –

विभागीय कैंटीन

यथासमय कैंटीन की विभागीय बैठक आयोजित करने के प्रबंधन समिति के सदस्यों की बैठक की कार्यसूची मद तैयार किए तथा उसके बाद बैठक के कार्यवृत तैयार किए तथा अनुवर्ती कार्रवाई की।

खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता बिक्री की देखभाल की। अनुशासन, शांति और सौहार्द के साथ विभागीय कैंटीन में उच्च सदाचार और आचरण बनाए रखने के लिए स्टाफ का पर्यवेक्षण किया।

काफी बोर्ड

काफी बोर्ड की कार्यशैली पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है, ताकि स्वच्छी दशाओं में खाद्य वस्तुएं बनाने की गुणवत्ता ओर उनकी बिक्री पर ध्यान रखा जा सकें।

डी. एम. एस. स्टॉल

डी. एम. एस. स्टॉल में दुग्ध उत्पादों की सदैव उपलब्धता बने रहने पर ध्यान दिया जाता है, ताकि डी. एम. एस. स्टाल पर जाने वाले उपभोक्ताओं को सुविधा मिलती रहे।

योजना आयोग मनोरंजन क्लब

कल्याण एकक इस बात का ध्यान रखती है कि योजना आयोग क्लब को अनुदान सहायता समय पर मिलती रहे तथा कल्याण के लिए वर्ष के दौरान मनोरंजन गतिविधियां जारी रखी जा सके।

सेवा निवृत्ति पर विदाई पार्टी का आयोजन

कल्याण एकक् ने वर्ष के दौरान सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए सफलतापूर्ण विदाई उनके द्वारा प्रदत्त सरकारी सेवा हेतु पार्टी आयोजित कीं। सभी सेवा निवृत्त होने वाले सभी कर्मचारियों को स्नेह स्वरूप स्मृति चिह्न और फूलों के गुलदस्ते से सम्मानित किया गया।

शोक सभाएं

अप्रैल, 2012 से जनवरी, 2013 के दौरान योजना आयोग में कुल 05 कर्मचारियों का निधन पंजीकृत किया गया, जिनके लिए शोक सभाएं आयोजित की

गई तथा संकल्प पारित कर परिवार के अगले सदस्य / रिस्तेदार को सक्षम प्राधिकारी की ओर से अ. शा. पत्र भेज कर संवेदना व्यक्त की गई।

4.35.10 चार्ट, नक्शा एवं उपस्कर एकक

योजना आयोग की चार्ट, नक्शा और उपस्कर एकक डिजाइन सैटअप (चार्ट और नक्शा) और उपस्कर सैट–अप (फोटो स्टेट एकक) का संयोजन है। चार्ट और नक्शा एकक में विभिन्न प्रकार के डिजाइन कार्य तथा डिजाइनों की मल्टीपल प्रतियां तथा बाइंडिंग कार्य फोटोकॉपी एक में किए जाते हैं। यह एकक दैनिक कार्यों के लिए योजना आयोग के विभिन्न प्रभागों को तकनीकी और उपस्कर सहायता उपलब्ध कराती है। डिजाइन कार्यों के अलावा मीटिंग संबंधी अन्य कार्य भी किए जाते हैं, जैसे पावर पोइंट प्रस्तुति, नाम प्रदर्शन कार्ड, बैठकों की अनुसूचियां दिखाना आदि। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के परिचय पत्र तैयार करना, कैलीग्राफिक तथा स्कैनिंग संबंधी कार्य आदि। बैठकों, सम्मेलनों और इस एकक की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, तथा राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक के दौरान जब विशेष रूप से सेमिनारों का आयोजन होता है तथा पूर्ण योजना आयोग की बैठक, संसद सत्रों और अन्य महत्वपूर्ण मामलों में इस एकक का योगदान रहता है और उस दौरान एकक को अतिरिक्त प्रयास करने होते हैं।

1. **कार्यालय की जरूरतों को पूरा करने के लिए यह एकक निम्नलिखित आधुनिक उपस्करों का कार्य देखती है :** –

   - ❖ इन्टरनेट सुविधा के साथ लैपटॉप। इन लैपटॉप्स का इस्तेमाल विभिन्न मीटिंग स्थल पर पॉवर पोइंट प्रस्तुति के लिए किया जाता है।
   - ❖ मीटिंग अनुसूचियों और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के प्रदर्शन (प्रवेश के पास) तथा विभिन्न समिति कक्षों में प्रस्तुति हेतु प्लाज्मा स्क्रीन / एल. सी. डी. का उपयोग किया जाता है।
   - ❖ रंगीन, काले और सफेद लैजर प्रिंटर।
   - ❖ स्कैनर
   - ❖ डी. बी. डी. प्लेयर
   - ❖ सोटवेयर सहित कम्प्यूटर जैसे कोरल ड्रा, पेजमेकर, फोटोशॉप आदि।
   - ❖ लैमिनेशन (महत्वपूर्ण पेपर्स लेमिनेट से सुरक्षित रखते हुए)।
   - ❖ हैवी ड्यूटी फोटो कॉपीयर और डिजिटल स्क्रीनिंग सह प्रिंटिंग मशीन (भारी मात्रा में फोटोकॉपी कराने के लिए इसे फोटोकॉपी एकक में रखा गया है)।
   - ❖ बाइंडिंग मशीने (स्पाइरल, स्पाइको और स्ट्रिप बाइंडिंग)।

2. **मौजूदा वित्त वर्ष 2012 – 13 में शुरू की गई विभिन्न गतिविधियों प्रमुख उपलब्धियों पर ध्यानकेंद्रण सहित इस प्रकार रही है :** –

   - ❖ डिजाइन संबंधी कार्य : योजना आयोग और कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा निकालें गए विभिन्न प्रकाशनों के कवर पेज यानि वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक योजना, 57वीं एन डी सी के अवसर पर प्रधानमंत्री का उद्घाटन भाषण का आवरण पृष्ठ, विभिन्न स्कीमों जैसे एस एस ए एवं एन आर एच एम के मूल्यांकन अध्ययन का आवरण पृष्ठ, मेघालय का बाल लिंग अनुपात का तुलनात्मक नक्शा (शहरी और ग्रामीण) (जिला–वार 2011 के आधार पर), बिहार बाल लिंग अनुपात नक्शा, तुलना 2001 और 2011, 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए स्वास्थ्य पर

संचालन समिति की रिपोर्ट का कवर पृष्ठ। एकीकृत बाल विकास स्कीम का मूल्यांकन अध्ययन तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से संबंधित दिशा – निदेश पुस्तिका आदि के कवर पृष्ठ।

- योजना आयोग का सलाहकार स्तर तक को संगठनात्मक चाट्र्स (अंग्रेजी – हिन्दी)।
- बैठकों, सेमिनारों, सम्मेलनों में भाग लेने वाले अधिकारियों की सीटिंग प्लान को दर्शाने वाले चाट्र्स तैयार किए, उनमें से कुछ को सूचीबद्ध भी किया गया है जैसे 27.12.2012 को विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय विकास परिषद की 57वीं बैठक, पूर्ण योजना अयोग की बैठक, सभी राज्यों / संघ राजय क्षेत्रों के लिए वार्षिक योजना 2012–13 संबंधी बैठक, (उपाध्यक्ष – मुख्य मंत्रियों के स्तर की बैठक), वार्षिक योजना 2012–13, सभी केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों के लिए बैठक, विज्ञान भवन में राज्य विद्युत मंत्रियों का सम्मेलन, डी. सी. टी. स्कीम का सम्मेलन, द्वितीय भारत चीन एस. ई. डी., भारत आस्ट्रेलिया ऊर्जा सुरक्षा वार्ता चीन के विदेश मंत्रालय के शिष्टमण्डल का दौरा, राज्य योजना बोर्ड की पहली और दूसरी बैठक आदि।
- योजना राज्य मंत्री / उपाध्यक्ष / सदस्यों / प्रधान सलाहकारों / सलाहकारों – योजना आयोग के उपयोग हेतु बैठकों / सेमिनारों की रंगीन पारदर्शिताएं तैयार कीं ।
- उपाध्यक्ष कार्यालय, सचिव कार्यालय आदि के निमंत्रण कार्डों पर कैलीग्राफिक कार्य।
- वर्ष के दौरान सेवानिवृत हुए अधिकारियों के लैमिनेटिड परिचय पत्र तैयार किए।
- महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेजों का लेमिनेशन कार्य निष्पादित किया जा चुका है।
- सरकारी दस्तावेजों, फोटोज आदि की स्क्रीनिंग और उन्हें आवश्यकतानुसार ई–मेल पर भेजा गया।
- सरकारी दस्तावेजों जैसे वार्षिक योजना, विभिन्न रिपोर्टों, प्रस्तुतियों के हैंड आउट आदि के प्रिंट आउट (रंगीन, काले, सफेद) विभिन्न प्रभागों के लिए भेजे गए।
- नाम डिसप्ले कार्ड (प्लेकार्ड) हिन्दी और अंग्रेजी में जरूरत के अनुसार शिष्टमण्डल सदस्यों के लिए तैयार किए (कार्ड विभिन्न आकार और प्रकार के थे) तथा पॉवर पोइंट प्रस्तुती की व्यवस्था की। कुछ महत्वपूर्ण बैठकें इस प्रकार हैं : – 27.12.2012 को विज्ञान में आयोजित राष्ट्रीय विकास परिषद् की 57वीं बैठक सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वार्षिक योजना 2012–13 की बैठक, (उपाध्यक्ष और मुख्य मंत्री स्तर की बैठक), सभी केन्द्रीय मंत्रालयों विभागों के लिए वार्षिक योजना 2012–13 के लिए बैठक, नेपाल के आर्थिक पत्रकारों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम, ऊर्जा पर इंडो – जापान वार्ता बैठक (जापान के मंत्री के साथ), भारत – चीन आर्थिक रणनीतिक वार्ता – कार्यसमूह की बैठक, योजना आयोग का वार्षिक पुरस्कार वितरण, आयोग क्लब, 17.07.2012 को विज्ञान भवन में आयोजित राज्य विद्युत मंत्रियों का सम्मेलन भारत – चीन कार्य समूह की

वार्ता, केंद्र सरकार के साथ आधार संख्या का एकीकरण, राज्य योजना वोर्डों और भारत के योजना विभाग के साथ योजना आयोग की पहली बैठक, जो 06.07.2012 को भारतीय पर्यावास केंद्र में आयोजित हुई थी। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा औषधीय पौधों और परम्परागत ज्ञान पर आयोजित बैठक, लघु सिंचाई पर पी. पी. पी. मॉडल, औद्योगिक उत्पादन पर अखिल भारतीय सूचकांक के समेकन हेतु विकास पद्धति (आई. आई. पी.) एन. सी. ए. ई. आर. द्वारा विकास सेवाएं (आई. सी. डी. एस.), ब्राजील, रूस, भारत और चीन में उचच शिक्षा पर प्रस्तुति (बी. आर. आई. सी.), राष्ट्रीय विकास परिषद के साथ बैठक, जी. आई. जैड. कर्मचारियों पर जर्मनी दूतावास के साथ बैठक। एन. जी. ओ. (ज) के साथ एन. सी. एस. डी. कार्यशाला, निष्कर्ष और नर्सिंग और मिडवाइफरी पर डब्ल्यू. एच. ओ. स्पोर्टिड अध्ययन की रिपोर्ट प्रस्तुत करना, भारत – आस्ट्रेलिया ऊर्जा सुरक्षा वार्ता, चीन के विदेश मंत्रालय के शिष्ट मंडल का दौरा, एन. डी. एम. सी. कनवेन्शन डॉल में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण संबंधी बैठक, राज्य योजना बोर्ड के साथ भारतीय योजना विभाग, पर्यावास केंद्र के साथ योजना आयोग की दूसरी बैठक।

- योजना आयोग के कार्मिकों के वाहनों को योजना भवन परिसर में प्रवेश के लिए अनुमति हेतु पार्किंग लेबल्स (कार / स्कूटर) आदि तैयार किए।
- एकक ने इलैक्ट्रॉनिक डिसप्ले बोर्ड प्लाज्मा स्क्रीन के माध्यम से विभिन्न महत्वपूर्ण बैठकों की फ्लैशिंग की।
- फोटोस्टेट एकक द्वारा भारी मात्रा में फोटो कॉपी और डुप्लीकेटिंग कार्य सम्पन्न किया। मशीन दर्शाती हैं कि कुल 2,72,308 (दो लाख बहत्तर हजार तीन सौ आठ) प्रतियां प्रतिमाह फोटो कॉपी की गई।
- वर्ष के दौरान (लगभग 6000 रिपोर्टों / दस्तावेजों की बाइंडिंग) विभिन्न प्रकार का बाइंडिंग कार्य किया गया।
- हैवी ड्यूटी फोटोकॉपीयर, डिजिटल स्कैनर सह–प्रिंटर (कलर और मोनो) के प्रापण हेतु विनिर्देश।
- फोटोकॉपियर्स (रंगीन, काला और सफेद) के बिलों की ए. एम. सी. का प्रमाणन।

सूचना का अधिकार (सी. आई. टी. एण्ड आई. प्रभाग)

4.35.11.1 योजना आयोग में सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ की स्थापना अक्तूबर, 2005 में की गई थी। यह योजना आयोग के भूतल पर स्थित सूचना द्वार में कार्यरत है। योजना आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर अलग से आर. टी. आई. अधिनियमन का प्रावधान है। सूचना द्वार के विजिटरों / आगन्तुकों की सुविधा के लिए पूछ–ताछ का समाधान ऑनलाइन किया जाता है। अप्रैल, 2012 से दिसंबर, 2012 की अवधि तक आरटीआई प्रकोष्ठ में 363 पूछताछ की गईं और नवम्बर, 2011 तक 363 का निपटान किया गया।

अध्याय–5
कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन में निष्पादन का मूल्यांकन

पी. ई. ओ. का विकास

5.1 भारत में आयोजना की अवधारणा शुरू होने से ही वैविध्यपूर्ण भू–जलवायु स्थितियों से युक्त एक विशिष्ट स्थिति में तथा भारतीय राज्यों की बहुविध समाजार्थिक विशेषताओं के चलते कार्यान्वयन के लिए विकासात्मक स्कीमें और कार्यक्रमों की योजना कैसे तैयार की जाए। यह बात योजना निर्माताओं और नीति निर्माताओं के लिए एक बड़ी चुनौती रही है, जो हमेशा ही सेवा सुपुर्दगी में सुधार करने के बारे में चिंतित रहे। फिर भी, पी. ई. ओ. के संस्थापकों का एक दूरदृष्टिपूर्ण उद्देश्य मूल्यांकन परिणामों के माध्यम से विकास आयोजना और कार्यान्वयन में सुधार करना था जो विकास स्कीमों और कार्यक्रमों के प्रत्याशित लाभार्थियों की मदद करने में सार्वजनिक हस्तक्षेप के बारे में आधार स्तरीय वास्तविक परिलक्षित करने मात्र था, जिनका उपयोग योजना आयोग और सेवाओं की डिलीवरी में सुधार के लिए किया जाएगा।

पी. ई. ओ. का संगठनात्मक इतिहास

5.2. तदनुसार, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों तथा अन्य गहन क्षेत्र विकास स्कीमों का मूल्यांकन करने के विशिष्ट उद्देश्य से योजना आयोग के सामान्य मार्गदर्शन तथा निदेशों के तहत, एक स्वतंत्र संगठन के रूप में अक्तूबर, 1952 में कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन स्थापित किया गया था। मूल्यांकन पद्धति को पहली पंचवर्षीय योजना में पद्धतियों और तकनीकों का विकास करके तथा तीसरी योजना (1961–66) और चौथी योजना (1969–74) के दौरान राज्यों में मूल्यांकन तंत्र स्थापित करके और परिपक्व व सुदृढ़ किया गया। विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि कृषि, सहकारिता, ग्रामोद्योग, मत्स्य उद्योग, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास, ग्रामीण विद्युतीकरण, सार्वजनिक वितरण, आदिवासी विकास, सामाजिक वानिकी इत्यादि योजना कार्यक्रमों / स्कीमों के विस्तारीकरण से, पी. ई. ओ. द्वारा किए जा रहे मूल्यांकन कार्य का धीरे – धीरे अन्य महत्वपूर्ण केन्द्र प्रायोजित स्कीमों तक विस्तार किया गया।

पीईओ के कार्य और उद्देश्य

5.3. कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पी. ई. ओ.) योजना आयोग के विभिन्न प्रभागों तथा भारत सरकार के मंत्रालयों / विभागों के कहने पर प्राथमिकतापूर्ण कार्यक्रम / स्कीमों का मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन अध्ययन, कार्य निष्पादन, कार्यान्वयन प्रक्रिया, आपूर्ति प्रणालियों की प्रभाविता और कार्यक्रमों / स्कीमों के प्रभाव का निर्धारण करने के लिए तैयार किए जाते हैं। ये अध्ययन प्रकृति से नैदानिक होते हैं और इनका उद्देश्य ऐसे कारणों का पता लगाना है जिनकी वजह से विभिन्न कार्यक्रम सफल तथा / अथवा असफल हुए और इसके साथ ही मध्यावधिक सुधार करके तथा भावी कार्यक्रमों के बेहतर डिजाइन करना इनका उद्देश्य है।

5.4. मोटे रूप में पी. ई. ओ. द्वारा निष्पादित मूल्यांकन कार्य के उद्देश्यों में विकास कार्यक्रमों की प्रकियाओं और प्रभावों का उद्देश्यपरक आकलन, कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पर सफलताओं और असफलताओं के क्षेत्रों का विनिर्धारण, सफलताओं और असफलताओं के कारणों का विश्लेषण, विस्तार विधियों की जांच तथा उनके संबंध में लोगों की प्रतिक्रिया और नए कार्यक्रमों स्कीमों के निर्माण और कार्यान्वयन में भावी सुधार के

लिए सबक सीखना सम्मिलित है। इस दृष्टि से मूल्यांकन को काफी विशिष्ट और एक ओर प्रगति तथा समीक्षा के विश्लेषण से पृथक और दूसरी ओर स्कीमों और कार्यों के निरीक्षण, चेकिंग और संवीक्षा से पृथक समझा गया है।

सेवा डिलीवरी में सुधार के लिए सहभागी दृष्टिकोण

5.5. पी. ई. ओ. सीधे प्रेक्षणों नमूना सर्वेक्षणों और समाज विज्ञान अनुसंधान विधियों के माध्यम से बाह्य मूल्यांकन करता है। इस प्रकार पी. ई. ओ. द्वारा कराए गए मूल्यांकन अध्ययन की प्रगति की रिपोर्ट करने अथवा प्रशासनिक मंत्रालयों, विभागों में किए जा रहे कार्यों की चेकिंग और संवीक्षा से भिन्न है। फिर भी मूल्यांकन के सभी स्तरों पर योजनाकारों और कार्यान्वयन एजेंसियों के विचारों को लेने का प्रयास किया जाता है जिससे कि निष्कर्षों और पी. ई. ओ. के पाठों को और अधिक उपयोगी बनाया जा सके।

पी. ई. ओ. का संगठनात्मक ढांचा

5.6. पी. ई. ओ. मुख्यतः एक फील्ड स्तरीय संगठन है जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष के समग्र प्रभार के अधीन है। इसका तीन स्तरीय ढांचा है, जिसका मुख्यालय योजना आयोग, नई दिल्ली में है। मध्य स्तर पर क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय है जिनका प्रतिनिधित्व मूल्यांकन कार्यालय द्वारा किया जाता है जबकि इसकी अगली कड़ी फील्ड यूनिट है जो परियोजना मूल्यांकन कार्यालयों के नाम से जाने जाते हैं।

5.7. पी. ई. ओ. मुख्यालय में संगठन की अध्यक्षता सलाहकार (मूल्यांकन) द्वारा की जाती है जिनकी सहायता के लिए निदेशक/उप–सलाहकार और अन्य सहायक जनसंसाधन प्रत्येक निदेशक/उप–सलाहकार अध्ययनों की डिजाइन बनाने, अध्ययन संचालित कराने और पी. ई. ओ. की क्षेत्रीय ईकाइयों के माध्यम से एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण करना है जिसे वे सलाहकार (मूल्यांकन) के समग्र मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण में करते हैं।

5.8. पी. ई. ओ. की 15 क्षेत्रीय इकाइयां – 7 क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय (आर. ई. ओ.) और 8 परियोजना मूल्यांकन कार्यालय (पी. ई. ओ.) हैं, ग्रामीण और घरेलू स्तरीय प्राथमिक आंकड़ों और विभिन्न कार्यान्वयन तंत्रों जो राज्य, जिला, ब्लॉक, ग्रामीण स्तर पर स्थित हैं, से आंकड़ों का प्रसंस्करण करने के लिए निष्पादन और प्रभाव का मूल्यांकन कराने की आवश्यकता है। पी. ई. ओ. की क्षेत्रीय इकाइयां प्राथमिक और माध्यमिक आंकड़ों की सुनिश्चितता में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं और उनका उपयोग मूल्यांकन अध्ययनों में किया जाता है जो कि निचली वास्तविक सच्चाई का प्रतिधिनित्व करती है चूंकि मूल्यांकन निष्कर्ष का उपयोग योजनाकारों और नीतिनिर्माताओं द्वारा किया जाता है अतः आंकड़ों की सत्यता सुनिश्चित होनी जरूरी है जिसे उपचार एवं प्रभाव अध्ययन और अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। पी. ई. ओ. की क्षेत्रीय इकाईयां एकत्रित किए गए आंकड़ों की सत्यता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्षेत्रीय स्तर पर पी. ई. ओ. का परिव्यय संलग्नक में दर्शाया गया है।

पी. ई. ओ. पुस्तकालय

5.9. पी. ई. ओ. मुख्यालय अपनी पुस्तकालय (तकनीकी) का रख रखाव करता है जहाँ मूल्यांकन तकनीकों हेतु अपनाई जाने वाली संदर्भ पुस्तकें उपलब्ध होती है जो अध्ययनों को डिजाइन करने और उन्हें संचालित करने और अन्य प्रकाशनों से संबंधित मूल्यांकनों के लिए उदाहरण के रूप में उपयोग में लाया जाता है। संदर्भ के उद्देश्य से मूल्यांकन रिपोर्टों की प्रतियां पुस्तकालय में भी रखी जाती है।

मूल्यांकन के लिए प्लान स्कीम

5.10. केन्द्रीय प्लान स्कीम नामतः "सरकार में मूल्यांकन क्षमता का सुदृढ़ीकरण" वर्ष 2006–07 के दौरान शुरू की गई, जिसके लिए रु. 8.55 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया था। 2007–08

में इस योजना के लिए बजटीय आवंटन रु. 26 करोड़, 2008–09 में रु. 12 करोड, 2009–10 में रु. 12 करोड़ और 2010–11, 2011–12 और 2012–13 में क्रमशः में 10 करोड़ है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य नियोजकों / नीति निर्माताओं के लिए त्वरित और उपयोगी आकलन सूचना प्रदान करना था। विभिन्न कार्यक्रमों और परियोजनाओं के गुणतापूर्ण मूल्यांकन से न केवल सार्वजनिक क्षेत्रक के निष्पादन में सुधार आएगा अपितु उससे अर्थ व्यवस्था, कार्यकुशलता, प्रभावोत्पादकता, धारणीयता और सार्वजनिक क्षेत्रक के निधिकरण के महत्व और विकास हस्तक्षेपों से संबंधित मुद्दों का व्यापक स्तर पर समाधान होगा।

प्लान स्कीम के उद्देश्य : –

(i) कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पी. ई. ओ.) में मौजूदा क्षमताओं को और बढ़ाना और सामान्य रूप से सरकार के भीतर और बाहर विकास क्षमता मूल्यांकन में वृद्धि करना।

(ii) विकास मूल्यांकन पर एक डेटाबेस सृजित करना जो कि विभिन्न संगठनों द्वारा किए गए मूल्यांकन अध्ययनों का न केवल एक संचय होगा, अपितु मूल्यांकनों, ली गई सीख, सर्वोत्तम प्रणालियों आदि के परिणामों की प्रस्तुति भी देगा, जो उपभोक्ता अनुकूल प्रपत्र में होगी।

(iii) पी. ई. ओ., योजना के स्रोत व्यक्तियों एवं विशेषज्ञों के माध्यम से प्रशिक्षण द्वारा राज्य सरकारों को विशेषज्ञता प्रदान करना।

(iv) मूल्यांकन रिपोर्टों को और अधिक सार्थक, सामयिक और सूचनात्मक बनाना। अद्यतन सांख्यिकीय सॉटवेयर पैकेजेज का उपयोग करना और मौजूदा कंप्यूटर हार्डवेयर का क्रमोन्नयन।

पीईओ के लिए विकास मूल्यांकन सलाहकार समिति (डी. ई. ए. सी.)

5.11. बदलते परिदृश्यों को देखते हुए तत्कालीन मूल्यांकन सलाहकार समिति (ई. ए. सी.) में सुधार करते हुए और विकास मूल्यांकन सलाहकार समिति (डी. ई. सी. ए.) के रूप में इसका पुनर्गठन 6 जनवरी, 2010 को किया, जिसकी अध्यक्षता उपाध्यक्ष, योजना आयोग द्वारा की जाती है और उसमें योजना आयोग के सभी सदस्य, मुख्य आर्थिक सलाहकार वित्त मंत्रालय और प्रख्यात अनुसंधान संस्थानों तीन प्रसिद्ध अनुसंधान व्यावसायिक भी इसके सदस्य हैं। सलाहकार (पी. ई. ओ.) इस डी. ई. ए. सी. के संयोजक हैं। समिति अन्य अतिरिक्त सदस्यों को भी ले सकती और वर्ष में कम से कम दो बार इसकी बैठकें होगी डी. ई. ए. सी की सेवा शर्तें इस प्रकार है : –

- देश में मूल्यांकन अनुसंधान के लिए और कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पी. ई. ओ.) के लिए प्रमुख वैचारिक क्षेत्रों का विनिर्धारण करना।
- पी.ई. ओ. के लिए वार्षिक योजना, दीर्घावधिक योजना पर विचार और उन्हें अनुमोदित करना।
- देश में विकास मूल्यांकन अनुसंधान की कोटि का आकलन और मॉनीटरण करना तथा सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करना।
- आयोजना और कार्यान्वयन मंत्रालयों / विभागों द्वारा मूल्यांकन निष्कर्षों के अनुपालन का मानकीकरण करना।
- पी. ई. ओ. और केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों, राज्य मूल्यांकन संस्थानों और साथ ही अन्य शैक्षिक संस्थानों और संगठनों के बीच और अधिक संयोजन विकसित करने के लिए उपाय और साधनों का सुझाव देना, जो कार्यक्रमों / स्कीमों और अनुसंधान के मॉनीटरण और मूल्यांकन के कार्य में लगे हैं।
- सूचना सृजन और उपयोग की विधियों, मानकों और प्रक्रियाओं का उल्लेख करते हुए राष्ट्रीय मूल्यांकन नीति के निर्माण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना।

- मंत्रालयों / विभागों, एन. जी. ओ. और देश में विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में मूल्यांकन क्षमता विकास के लिए मूल्यांकन संसाधनों का आकलन और उपयुक्त कार्यनीतियों का विकास करना।
- योजनाओं / नीति निर्माताओं के लिए उपयोगी मूल्यांकनकारी सूचना सृजित करने के लिए पी. ई. ओ. द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी अन्य गतिविधि का सुझाव देना।

2012–13 के दौरान पी. ई. ओ. द्वारा शुरू की गई योजना स्कीमों / कार्यक्रमों के मूल्यांकन अध्ययन इस प्रकार हैं :

5.12. डी. ई. ए. सी. की प्राथमिकता के अनुसार मूल्यांकन अध्ययनों की स्थिति :

क्र. सं.	स्कीम / अध्ययनों का नाम	31.12.2012 के अनुसार स्थिति
1	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर. जी. जी. वी. वाई.)	फील्ड कार्य, आंकड़ा समाहरण और सूचना लेने का कार्य प्रगति पर है।
2	कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम	फील्ड कार्य, आंकड़ा समाहरण और सूचना लेने का कार्य प्रगति पर है।
3	एस. सी., एस. टी. और अन्य पिछड़े छात्रों के लिए मैट्रिक बाद के लिए छात्रवृत्ति स्कीम	सी.ई.एम.सी. द्वारा अध्ययन की डिजाइन तैयार कर ली गई है और इसे सूचीबद्ध अनुसंधान संस्थान से आउटसोर्स कराए जाने की संभावना है।
4	जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता स्कीम का मूल्यांकन अध्ययन	अनुमोदन के लिए अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है।
5	असहाय व्यक्तियों हेतु सहायक अनुप्रयोग सामग्री की खरीद हेतु सहायता स्कीम (ए. डी. आई. पी.)	अनुमोदन के लिए अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है।
6	छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और झारखंड राज्यों के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली	प्रारूप रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है।
7	किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य	रिपोर्ट लेखन के स्तर पर है।
8	नवोदय विद्यालय समिति (एन. वी. एस.) का मूल्यांकन	फील्ड कार्य, आंकड़ा समाहरण और सूचना लेने का कार्य प्रगति पर है।
9	अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन	फील्ड कार्य, आंकड़ा समाहरण और सूचना लेने का कार्य प्रगति पर है।
10	लघु सिंचाई	अनुमोदन के लिए अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है।
11	सार्वजनिक, निजी सहभागिता (पी. पी. पी.) के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग	आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया प्रगति पर है।
12	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.) पर अध्ययन	अंतिम रिपोर्ट लेखन के स्तर पर है।
13	समग्र साफ–सफाई अभियान (टी.एस.सी.) पर मूल्यांकन अध्ययन	अनुमोदन के लिए अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है।
14	केन्द्रीय पूल से पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के लिए सहायता	अध्ययन के डिजाइन का कार्य प्रगति पर है।
15	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी. ए. डी. पी.)	फील्ड कार्य पूरा कर लिया गया है और रिपोर्ट लिखी जा रही है।
16	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एम. जी. एन. आर. ई. जी. ए.)	अध्ययन का आउटसोर्स करा लिया गया है और फील्ड कार्य प्रगति पर है।
17	बुंदेलखण्ड पैकेज	मूल्यांकन अध्ययन के डिजाइन का कार्य प्रगति पर है।
18	उज्ज्वला	मूल्यांकन अध्ययन के डिजाइन का कार्य प्रगति पर है।

पी. ई. ओ. द्वारा आयोजित परामर्शी मूल्यांकन – सह–मॉनीटरण समिति (सी. ई. एम. सी.) की बैठकें

पी. ई. ओ. ने सी. ई. एम. सी. का गठन किया है ताकि मूल्यांकन अध्ययनों का मॉनीटरण एवं मार्गदर्शन किया जा सके।

5.13. मूल्यांकन अध्ययनों के पर्यवेक्षण और मॉनीटरण हेतु परामर्श मूल्यांकन – सह–मॉनीटरण समिति (सी. ई. एम. सी.) गठित कर ली गई है। मूल्यांकन अध्ययन आयोजित करने के लिए सी. ई. एम. सी. की बैठकों में लिए गए निर्णय और सुझाव बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अतः अध्ययन के परियोजना निदेशकों से अनुरोध है कि वे अध्ययन डिजाइन की प्रस्तुति सी. ई. एम. सी. के सम्मुख करें, ताकि इन अध्ययनों के अंतर्गत अधिकतम उद्देश्यों को कवर किया जा सके। वर्ष 2012–13 के दौरान 31 दिसम्बर, 2012 तक सी. ई. एम. सी. द्वारा निम्नलिखित बैठकें आयोजित की गई :

- "आर. जी. जी. वी. वाई."की डिजाइन के अनुमोदन के लिए सी. ई. एम. सी. की बैठक आयोजित की गई।
- कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम स्कीम की डिजाइन की अनुमोदन के लिए सी. ई. एम. सी. की बैठक बुलाई गई।
- "एस. सी. / एस. टी. और ओ. बी. सी. विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक बाद की छात्रवृत्ति स्कीम" की डिजाइन के अनुमोदन के लिए सी. ई. एम. सी. की बैठक बुलाई गई।
- "नवोदय विद्यालय समिति का मूल्यांकन (एन. वी. एस.)" स्कीम की डिजाइन की अनुमोदन के लिए सी. ई. एम. सी. की बैठक बुलाई गई।
- "अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन" स्कीम की डिजाइन की अनुमोदन के लिए सी. ई. एम. सी. की बैठक बुलाई गई।
- "सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम" (बी. ए. डी. पी.) की डिजाइन और आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया के अनुमोदन हेतु लिए सी. ई. एम. सी. की बैठकें आयोजित हुई।
- "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामिण रोजगार गारंटी अधिनियम (एम. जी. एन. आर. ई. जी. ए.)" स्कीम की डिजाइन की अनुमोदन के लिए संचालन समिति की बैठक बुलाई गई।
- "किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य" स्कीम की डिजाइन की अनुमोदन के लिए सी. ई. एम. सी. की बैठक बुलाई गई।
- "बुंदेलखंड पैकेज पर मूल्यांकन अध्ययन" की डिजाइन पर चर्चा हेतु सी. ई. एम. सी. बैठकें आयोजित की गई।
- "उज्ज्वला पर मूल्यांकन अध्ययन" की डिजाइन तैयार करने के लिए सी. ई. एम. सी. बैठकें आयोजित की गई।

पीईओ द्वारा आयोजित प्रस्तुति कार्यक्रम

5.14. प्रारूप मूल्यांकन रिपोर्टों पर माननीय उपाध्यक्ष, सदस्य योजना आयोग और परामर्शी मूल्यांकन सह मॉनीटरण समिति के सदस्यों के सम्मुख उनके सुझावों और टिप्पणियों के लिए प्रस्तुत किया जाता है। रिपोर्टें प्रथम अंतिम स्वीकृति के लिए उपाध्यक्ष, योजना आयोग के अनुमोदन के बाद ही प्रस्तुत की गई हैं। वर्ष 2012–13 के लिए निम्नलिखित प्रस्तुति कार्यक्रम (31 दिसम्बर, 2012) तक आयोजित किए गए हैं।

(i) जनजातीय उप योजना को विशेष केंद्रीय सहायता (टी.एस.पी. के लिए एस.सी. ए.)।

(ii) असहाय व्यक्तियों को सहायता एप्लाइंस की फिटिंग / खरीद हेतु सहायता संबंधी स्कीम।

पी. ई. ओ. द्वारा आयोजित बैठकें

5.15. मूल्यांकन अध्ययनों के फील्ड सर्वेक्षण के दौरान प्रगति के मूल्यांकन और निष्कर्षों की प्राप्ति भी एक महत्वपूर्ण पहल है, ताकि गुणवत्तापूर्ण रिपोर्ट प्राप्त की जा सके। बी. ए. डी. पी. पर मूल्यांकन अध्ययन की प्रगति के मूल्यांकन और आई. सी. डी. एस. पर मूल्यांकन अध्ययन के निष्कर्षों हेतु योजना आयोग में बैठकें आयोजित की गई हैं।

मूल्यांकन निष्कर्षों और सुझावों पर अनुवर्ती कार्रवाई–पीईओ का मूर्तरूप परिणाम

5.16. पी. ई. ओ. द्वारा निकाली गई मूल्यांकन रिपोर्टें और उसमें लिए गए निष्कर्षो और सुझावों के कार्यान्वयन हेतु उन्हें संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेजना पड़ता है। यह सूचित किया गया है कि पी. ई. ओ. मूल्यांकन रिपोर्टों के निष्कर्ष और सुझाव कार्यान्वयन मंत्रालय / विभागों द्वारा विभिन्न अंशों में शामिल किए गए हैं। इनमें से कुछ मूल्यांकन रिपोर्टों को बहुत उपयोगी पाया गया है और कार्यान्वयन–कर्ता एजेंसियों द्वारा इन पर कार्रवाई की गई है। पी. ई. ओ. रिपोर्टों के सुझाव और निष्कर्षों समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता रहा है ताकि सरकार के निचले स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

पी. ई. ओ. की अन्य गतिविधियां

5.17. कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने राज्य सरकारों विशेष रूप से योजना एवं मूल्यांकन विभागों से अपना मेल–मिलाप बढ़ा दिया है पी. ई. ओ. द्वारा इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं ताकि कर्नाटक राज्य में मूल्यांकन खंड स्थापित किए जा सकें बिहार राज्य सरकार ने भी पी. ई. ओ. के दिशा निर्देशों को स्वीकार किया है ताकि राज्य सरकारों के प्रायोजित कार्यक्रमों का मूल्यांकन तदनुसार किया जा सके। पी. ई. ओ. ने राज्य मूल्यांकन संगठनों से भी अनुरोध किया है कि वे अपनी रिपोर्टें योजना आयोग को भेजें ताकि उन रिपोटों को आगे परिचालन के इंटरनेट पर फीड किया जा सके।

पी. ई. ओ. में ई–शासन

5.18. ई–शासन और सूचना प्रौद्योगिकी को सुदृढ़ बनाने और पी. ई. ओ. में ऑन लाइन डेटाबेस तैयार करने के लिए एक व्यापक प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और कार्यान्वयन के लिए इसे सामान्य प्रशासन एन. आइ. सी., योजना भवन एकक द्वारा लिया जा रहा है।

पी. ई. ओ. के अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना

5.19 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी संगठन के लिए महत्वपूर्ण होता है। पी. ई. ओ. की रिपोर्टों के लिए फील्ड से संग्रहीत आंकड़ों पर काफी हद तक आंकड़ों का विश्लेषण करने की जरूरत होती है। ये रिपोर्टें आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर तैयार की जाती है। इन रिपोर्टों को और अधिक सार्थक बनाने के लिए पी. ई. ओ. के अधिकारियों ने राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया और विभिन्न अवसरों पर प्रशिक्षणार्थियों को व्याख्यान भी दिए।

पी. ई. ओ. द्वारा आयोजित अभिमुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम

5.20. पी. ई. ओ. मूल्यांकन अध्ययन या तो आंतरिक रूप से स्वयं करता है या सूचीबद्ध अनुसंधान संस्थानों से आउटसोर्स करवाता है उचित विचार एवं अध्ययनों के सिद्धांतों को फील्ड स्टाफ को बताने के लिए अभिमुखी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संगठित करना बहुत जरूरी हैं क्योंकि फील्ड स्टाफ आंकड़ों/संग्रहन में सहयोग करता है। आउटसोर्स की गई एजेंसियों ने बी. ए. डी. पी. और मनरेगा पर मूल्यांकन अध्ययन के संबंध में अभिमुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है।

पी. ई. ओ. की क्षेत्रीय ईकाइयों का आधुनिकीकरण

5.21. प्रस्ताव है कि सौफ्टवेअर एवं अन्य हार्डवेयर उपकरण उपलब्ध कराकर पी. ई. ओ. (आर. ई. ओ.) तथा (पी. ई. ओ.) की क्षेत्रीय एककों को आधुनिक बनाया जाए। यह मामला सामान्य प्रशासन अनुभाग, योजना आयोग के विचाराधीन है।

प्रशासनिक बैठकें

5.22. कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन फील्ड अभिमुख संगठन है और इसके प्रशासनिक एवं वित्तीय मामले योजना आयोग के प्रशासन द्वारा नई दिल्ली में देखे जाते हैं। विभिन्न अवस्थापनाओं पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन तथा रूटीन कार्यों के लिए अनुमोदन लेने के लिए अतिरिक्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः सलाहकार पी. ई. ओ. ने योजना आयोग के प्रशासनिक प्राधिकारियों से चर्चा की है कि इन मुद्दों का समाधान निकाला जा सके।

संलग्नक

क्षेत्रीय स्तर पर कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की रूप–रेखा

क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय (आर. ई. ओ.) का नाम	संबंधित आरईओ से संबद्ध परियोजना मूल्यांकन कार्यालय (पी. ई. ओ.)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र जिसके अंतर्गतसंबंधित आर. ई. ओ. / पी. ई. ओ. आते हैं
1	2	3
I. पूर्व क्षेत्र 1. आर. ई. ओ., कोलकाता	पी. ई. ओ., गुवाहाटी एवं पी. ई. आ., भुवनेश्वर	1. अरूणाचल प्रदेश 2. असम 3. मणिपुर 4. मेघालय 5. मिजोरम 6. नागालैंड 7. उड़ीसा 8. सिक्किम 9. त्रिपुरा 10. पश्चिम बंगाल 11. अं. एवं नि. द्वीप समूह
II. उत्तर क्षेत्र 2. आर. ई. ओ., चंडीगढ़	पी. ई. ओ., शिमला	1. हरियाणा 2. हिमाचल प्रदेश 3. जम्मू व कश्मीर 4. पंजाब 5. चंडीगढ़ 6. दिल्ली
III. दक्षिण क्षेत्र 3. आर. ई. ओ., चेन्नई	पी. ई. ओ., तिरूवनंतपुरम	1. केरल 2. तमिलनाडु 3. लक्षद्वीप 4. पांडिचेरी
IV. दक्षिण मध्य क्षेत्र 4. आर. ई. ओ., हैदराबाद	पी. ई. ओ., बंगलौर	1. आंध्र प्रदेश 2. कर्नाटक
V. मध्य क्षेत्र 5. आर. ई. ओ., जयपुर	पी. ई. ओ., भोपाल	1. मध्य प्रदेश 2. छत्तीसगढ़ 3. राजस्थान
VI. उत्तर मध्य क्षेत्र 6. आर. ई. ओ., लखनऊ	पी. ई. ओ., पटना	1. बिहार 2. झारखंड 3. उत्तर प्रदेश 4. उत्तरांचल
VII. पश्चिम क्षेत्र 7. आर. ई. ओ., मुम्बई	पी. ई. ओ., अहमदाबाद	1. गोवा 2. गुजरात 3. महाराष्ट्र 4. दादरा व नगर हवेली 5. दमन व दीव

अध्याय–6
सतर्कता क्रियाकलाप

1. योजना आयोग का सतर्कता एकक, सतर्कता संबंधी सभी मामलों पर कार्रवाई करता है जैसे कि समूह 'क', समूह 'ख', समूह 'ग' अधिकारियों के संबंध में भ्रष्टाचार, कदाचार और सत्यनिष्ठा की कमी संबंधी मामले। साथ ही यह एकक आयोग के कर्मचारियों को सतर्कता संबंधी अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए हिस्सेदार है। यह योजना आयोग के प्रभागों और अन्य संगठनों द्वारा इसे परामर्श के लिए भेजे गए अन्य अनुशासनात्मक मामलों पर प्रशासन को सलाह भी देती है।

2. क्योंकि योजना आयोग एक ऐसा विभाग है जिसका जनता के साथ सीधा वास्ता नहीं पड़ता। इसलिए भ्रष्टाचार, कदाचार की गुंजाइश बहुत ही कम रहती है। अप्रैल से दिसम्बर, 2012 तक की अवधि के दौरान सतर्कता एकक को प्राप्त हुई जिसमें से तीन शिकायतों पर जांच चल रही है और तीन जांच के बाद बंद कर दिया गया।

बचावात्मक सतर्कता

दैनिक कार्यालयी जिम्मेदारियों के निर्वहन में गंभीर गलतियों और चूक से बचने के लिए जागृति लाने और तदनुसार भावना के सृजन हेतु 26 जून, 2012 को सतर्कता जागृति के लिए विचारों के आदान प्रदान हेतु एक सत्र का आयोजन किया गया।

योजना आयोग में 29.10.2012 से 03.11.2012 तक सतर्कता जागृति सप्ताह मनाया गया। इस वर्ष का विषय था – "सार्वजनिक प्रापण में पारदर्शिता"।

सतर्कता जागृति सप्ताह के दौरान सतर्कता जागृति के लिए योजना आयोग में विभिन्न कार्य–कलाप आयोजित किए गए। सुविधापूर्ण स्थलों पर बैनर लगाए गए, सुशासन और पारदर्शिता आदि ज्ञान के क्षेत्र के सरकारी कर्मचारियों द्वारा व्याख्यान दिलाए गए, योजना आयोग में विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध एल. ई. डी. (ज) के माध्यम से आचरण नियमों से जरूरी विवेकपूर्ण तथ्यों को प्रदर्शित किया और नेटवर्क मेल के जरिए भी ऐसा किया गया तथा सरकार में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं, पर कर्मचारियों को संवेदनशीलता हेतु एक क्विज स्पर्धा आयोजित की गई।

शिकायत तंत्र समिति

1992 के जनहित विवाद डब्ल्यू. पी. सं. (अप.) 666–70 के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा–निदेशों और मानदंडों के अनुसार यौन उत्पीड़न पर योजना अयोग में शिकायत तंत्र समिति (सी. एम. सी.) गठित की गई है। अप्रैल, 2012 से दिसंबर, 2012 तक यौन उत्पीड़न संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

संलग्नक–I

मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष की रिपोर्ट में सी. एण्ड ए.जी. : ऑडिट टिप्पणियों का सारांश

1. वर्ष 2011–12 के रिपोर्ट सं. 1

अनुबंध – III – ई के साथ पठित पैरा 3.12 उस विवरण से संबंधित है जो विभिन्न अनुदानों / समायोजनों के अंतर्गत रू. 100 करोड़ या अधिक बचत को दर्शाता है।

- वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान विभिन्न अनुदानों (क्रम सं. 28 पर, मांग सं. 74 योजना मंत्रालय) के अंतर्गत कुल बचत रू. 1585.40 करोड़ थी।

अनुबंध – III – एफ. के साथ पठित पैरा 3.13 अवास्तविक बजटीय अनुमानों (100 करोड़ रूपए या इससे अधिक बचत दर्शाता है)।

- योजना मंत्रालय मांग सं. 73 में विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत वर्ष 2008–09, 2009–10 तथा 2010–11 में कुल बचत 554.01 करोड़ थी, जो क्रमशः रू. 334.23 करोड़ ओर रू. 1585.40 करोड़ थी।

अनुबंध – III – एच के साथ पठित पैरा 3.16 जो उन प्रकरणों से संबंधित हे, जहां 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार बचत की अधिकांश राशि वापस कर दी गई थी और राशि के ब्यौरे व्यपगत हो गए थे।

- 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार कुल 1572.80 करोड़ रू. की राशि वापस की गई तथा वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान वापस न की गई ओर व्यपगत हुई राशि रू. 12.60 करोड़ थी (क्रम सं. 27, मांग सं. 74 – योजना मंत्रालय)।

अनुबंध – III – एम. के साथ पठित पैरा 3.24 उस विवरण से संबंधित है, जो रू. 10 करोड़ या इससे ऊपर की बचत के प्रकरणों को दर्शाता है, जहॉ सम्पूर्ण प्रावधान ही बिना व्यय हुए शेष रह गया।

- वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान उप–शीर्ष 4059.01.051.07–भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अंतर्गत प्रावधान की गई सम्पूर्ण राशि बिना व्यय रही।

अनुबंध – III – एन. के साथ पठित पैरा 3.25 उन प्रकरणों के विवरण को दर्शाता है, जो उपशीर्ष (बजट प्रावधानों का 10 प्रतिशत या इससे ऊपर है तथा 100 करोड़ रू. और इससे अधिक की बचत है) के अंतर्गत अवास्तविक बजटीय अनुमान हैं।

- वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान उपशीर्ष 3454.02.206.01–भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (क्रम सं. 45) के अंतर्गत शेष रहा प्रावधान, बजट प्रावधान रू. 1719.50 करोड़ का रू. 1546.89 करोड़ था।

2. वर्ष 2011–12 के रिपोर्ट सं. 33

अनुबंध – VII – के साथ पठित पैरा 1.3 बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्रों से संबंधित है।

- अनुबंध – VII के साथ पठित पैरा 1.3 दर्शाता है कि 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार मार्च, 2010 तक जारी रू. 48.99 लाख के अनुदान के संबंध में, 21 उपयोगिता प्रमाण–पत्र बकाया थे, जिन्हें 31 मार्च, 2011 तक भेजना अपेक्षित था।

संलग्नक–II

योजना आयोग का संगठन चार्ट
भारत सरकार (13.02.2013 की स्थिति के अनुसार)

1. **पदनाम**

व. सलाहकार — वरिष्ठ सलाहकार

2. **संक्षेपाक्षर**

प्रशा.	प्रशासन
डीबीटी	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
डीपीपीपी	विकास नीति एवं भावी योजना
डीपीपीआरएसएपी	विकेन्द्रीकृत आयोजना, पंचायती राज एवं विशेष क्षेत्र कार्यक्रम
एफआर	वित्तीय संसाधन
एचआरडी–एसई	मानव संसाधन विकास माध्यमिक शिक्षा
एचआरडी–एचई	मानव संसाधन विकास उच्चतर शिक्षा
एचयूए	आवास एवं शहरी मामले
आईडीए	द्वीप विकास प्राधिकरण
आईएफयूएंडपीपीपीएयू	अवसंरचना वित्त एकक और सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन एकक
आईईओ	स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
एलईएम	श्रम, रोजगार एवं जनसाधन
रा.रा.क्षे.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
एनईडीसी	पूर्वोत्तर विकास परिषद
पीएएमडी	परियोजना मूल्यांकन एवं प्रबंधन प्रभाग
पीसीएमडी	योजना समन्वय एवं प्रबंधन प्रभाग
पीईओ	कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन
आरडी	ग्रामीण विकास
एसजे एंड ई	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
वीएसी	स्वैच्छिक कार्रवाई सैल
डब्ल्यू सीडी	महिला एवं बाल विकास
डब्ल्यूआर	जल संसाधन

सारांश

अध्यक्ष	-	1	उपाध्यक्ष के सलाहकार(सचिव स्तर)	-	1
उपाध्यक्ष	-	1	वरिष्ठ सलाहकार	-	4
राज्यमंत्री	-	1	अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार	-	1
सदस्य	-	8	सलाहकार	-	29
सचिव	-	1	संयुक्त सचिव	-	1
प्रधान सलाहकार	-	1			

मुद्रकः विबा प्रेस प्रा. लि., 9810049515